

बौद्ध स्तूप (पटना)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

का

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

बिहार सरकार

वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय–सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यपालक सारांश		vii
अध्याय 1 राज्य सरकार का वित्त		
राज्य सरकार का परिचय	1	1
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य का संसाधन	1.2	4
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	6
संसाधनों का उपयोग	1.4	9
व्यय की गुणवत्ता	1.5	15
सरकारी व्ययों एवं निवेशों का विश्लेषण	1.6	18
परिसंपत्ति एवं देनदारी	1.7	21
ऋण निर्वाहता	1.8	23
राजकोषीय असंतुलन	1.9	24
निष्कर्ष	1.10	27
अनुशंसाएँ	1.11	28
अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	29
विनियोग लेखा का सारांश	2.2	30
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	30
बिना मिलान किया हुआ व्यय	2.4	36
निधि का अग्रिम निकासी	2.5	38
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	38
अनुदान संख्या 3 'भवन निर्माण विभाग' की समीक्षा	2.7	39
अनुदान संख्या 16– 'पंचायती राज विभाग' की समीक्षा	2.8	44
निष्कर्ष	2.9	47
अनुशंसाएँ	2.10	48
अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग		
सार आकस्मिक व्यय से संबंधित बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों में संशोधन	3.1	49
सार आकस्मिक/सहायता अनुदान विपत्रों पर निधियों के आहरण तथा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा	3.2	50
सहायता अनुदान से संबंधित मुद्दे	3.2.10	60

विषय–सूची

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
प्रमाणीकरण के लिए कुछ प्राधिकरणों या निकायों के लेखे/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के समर्पण में विलंब		3.3	63
दुर्विनियोजन, गबन, कपटपूर्ण/आधिक्य भुगतान		3.4	63
बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 की कार्य प्रक्रिया		3.5	64
निष्कर्ष		3.6	64
अनुशंसाएँ		3.7	65
परिशिष्ट			
1.1	राज्य का परिचय	1	67
1.2	भाग 'क' सरकारी लेखों की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	68
1.2	भाग 'ख' वित्त लेखे की रूपरेखा	1.1	68
1.3 भाग क	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.)	1.1	70
1.3 भाग ख	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी कार्य प्रणाली	1.1	71
1.4	वर्ष 2011–12 की प्राप्तियाँ एवं संवितरण का सार	1.1.1, 1.4.1	72
1.5	वर्ष 2011–12 के लिए बजट अनुमान यथा वास्तविकता	1.1.2	75
1.6	राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधा हस्तांतरण	1.2.2	77
1.7	राज्य सरकार के कालश्रृंखला वित्त आंकड़े	1.3, 1.3.1.1, 1.4.1 एवं 1.9.1	78
1.8	31 मार्च 2012 को अपूर्ण परियोजनाओं (लागत वृद्धि) की विवरणी	1.6.1	81
1.9	अवसूलनीय राशि	1.6.2 एवं 1.6.3	82
1.10	वर्ष 2011–12 के दौरान निधि का अग्रिम निकासी	1.6.4	83
1.11	31 मार्च 2012 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार	1.7.1	86
2.1	वैसे अनुदान/विनियोजन की विवरणी जहाँ प्रावधान के ₹ 10 करोड़ एवं 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत हुई	2.3.1	87
2.2	वैसे अनुदानों की सूची जहाँ वर्ष 2007–12 के दौरान सतत् बचत हुए	2.3.2	88
2.3	विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना आवश्यक है।	2.3.3	89
2.4	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	2.3.4	90
2.5	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.5	92
2.6	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी	2.3.5	94
2.7	वर्ष के दौरान पर्याप्त अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का ₹ पाँच करोड़ या 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.6	96
2.8	शत् प्रतिशत निधियों का अभ्यर्पण	2.3.6	99
2.9	प्रत्येक मामले में (₹ एक करोड़ या उससे अधिक एवं प्रावधान का 10 प्रतिशत) अभ्यर्पित बचत की राशि	2.3.8	105

विषय–सूची

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.10	30 एवं 31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों का अभ्यर्पण के मामले	2.3.8	106
2.11	मार्च 2012 में सघन व्यय	2.3.9	108
2.12	वर्ष 2011–12 के दौरान (प्रत्येक मामले में) ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की असमाशोधित राशि की विवरणी	2.4	109
2.13	निधि की अग्रिम निकासी एवं 31.03.2012 तक बैंक में रखी गई राशि	2.5	111
2.14	नित्य प्रयोजन के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी	2.6	114
2.15	भवन निर्माण विभाग का बजट अनुमान	2.7.1	117
2.16	31.03.2012 को अभ्यर्पित किये गये निधि का ब्यौरा	2.7.2	118
2.17	सघन व्यय	2.7.4	121
2.18	विभागीय व्यय आंकड़ों का असमाशोधन	2.7.5	122
2.19	वर्ष 2011–12 के दौरान अनुदान संख्या–16 (पंचायती राज विभाग) के अंतर्गत बजट प्रावधान, व्यय, बचत आदि की विस्तृत विवरण	2.8	123
2.20	वृहत् बचत	2.8.1	124
2.21	पी.आर.डी. द्वारा सूचित बचत का अभ्यर्पण	2.8.3	125
2.22	अंतिम माह (मार्च 2012) में शत् प्रतिशत व्यय	2.8.4	126
2.23	विभागीय व्यय आंकड़ों का समाशोधन नही होना	2.8.5	127
2.24	पी. आर. डी. द्वारा किया गया पुनर्विनियोजन का विवरण जिन्हें विस्तृत विनियोजन लेखा में प्रदर्शित नहीं किया गया	2.8.5	128
2.25	अंतिम माह (मार्च 2012) के दौरान निकासी की गई राशि जो 31 मार्च 2012 तक अव्यवहृत रही	2.8.6	129
2.26	मार्च 2012 में निकासी की गयी राशि जो अव्यवहृत रहा, की स्थिति का विवरण	2.8.6	130
2.27	वर्ष 2011–12 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत राशि की निकासी तथा व्यय का विवरण	2.8.6	132
3.1	सार आकस्मिक विपत्रों पर निधियों का आहरण लेकिन निष्पादी अभिकरणों द्वारा प्रतिधारण	3.2.6.4	133
3.2	सार आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर आहरित निधियों का प्रेषण शीर्ष में अव्ययित पड़े रहना	3.2.6.6	134
3.3	विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के नमूना जॉच का परिणाम	3.2.7.1	135
3.4	सार आकस्मिक विपत्र पर आहरित राशि का बिना उपयोग वापसी	3.2.8	137

विषय–सूची

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.5	सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधि का सरकारी खातों से बाहर रखा जाना	3.2.9	138
3.6	सहायता अनुदान पर निधि का आहरण लेकिन कार्यान्वयन अभिकरणों के पास प्रतिधारित	3.2.10.3	139
3.7	सहायता अनुदान पर निधि का आहरण लेकिन कार्यान्वयन अभिकरणों के पास प्रतिधारित	3.2.10.3	140
3.8	प्रमाणीकरण हेतु संबंधित प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब	3.3	141
3.9	वर्ष 2011–12 के दौरान गबन, दुर्विनियोजन, चोरी, कपटपूर्ण तथा आधिक्य भुगतान के मामलों का विवरण	3.4	142
3.10	वर्ष 2011–12 के दौरान गबन, दुर्विनियोजन, चोरी, कपटपूर्ण तथा आधिक्य व्यय के मामलों का विवरण	3.4	143
3.11	लघु शीर्ष–800 "अन्य व्यय" के परिचालन में वृहत् व्यय (₹ 10 करोड़ तथा अधिक)	3.5	145
3.12	लघु शीर्ष–800 "अन्य प्राप्तियाँ" के परिचालन में वृहत् प्राप्ति (₹ 10 करोड़ तथा अधिक)	3.5	146

प्रा क्क थ न

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं 2 में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखा तथा विनियोजन लेखा की जॉच से उठे मामलों पर लेखा परीक्षा टिप्पणी शामिल है । जहॉ आवश्यक हुआ, बिहार सरकार से सूचना प्राप्त किया गया है ।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग पर अध्याय 3 विभिन्न वित्तीय नियम, प्रक्रिया एवं निर्देशों के प्रति राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत करता है ।

कार्यपालक सारांश

कार्यपालक सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को उचित प्रकार से वित्तीय आंकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010, तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2011–12 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित इस प्रतिवेदन में सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2012 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह पूर्व वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण की अदायगी तथा उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने एवं बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे स्थानांतरित केन्द्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी उपलब्ध कराता है।

अध्याय-2 विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढ़ंग का वर्णन करता है। इसमें अनुदान सं0–3 "भवन निर्माण विभाग" तथा अनुदान सं0–16 "पंचायती राज विभाग" नामक दो अनुदानों की विस्तृत समीक्षा दी गयी है। इसमें यह पता लगाने की चेष्टा की गयी है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए व्यय वास्तव में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकरण में हुए थे अथवा नहीं।

अध्याय-3 विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किये गए आँकड़े भी इस अध्याय में होते हैं।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाऐं

अध्याय 1

राजस्व प्राप्तियाँ : इस वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 15.24 प्रतिशत (₹ 6787.85 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व में 27.78 प्रतिशत (₹ 2742.25 करोड़) तथा संघीय करों के राज्य का अंशदान एवं शुल्क में 16.50 प्रतिशत (₹ 3956.85 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।

कर राजस्व : राज्य के अपने कर राजस्व में बजट प्राक्कलन (₹ 12582.90 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग अनुशंसा (₹ 9302.67 करोड़) से क्रमशः 0.23 प्रतिशत (₹ 29.20 करोड़) तथा 35.58 प्रतिशत (₹ 3309.43 करोड़) बढ़ोत्तरी हुयी है।

करेत्तर राजस्व : तथापि, वर्ष के दौरान करेत्तर राजस्व में 9.71 प्रतिशत की कमी आई जिसका मुख्य कारण ₹ 384.93 करोड़ के ऋण अधित्याग की वसूली तथा झारखण्ड सरकार द्वारा पूर्व–पुनर्गठन अवधि के पेंशन देयता (₹ 7808.45 करोड़)का भुगतान नहीं करना था।

राजस्व व्यय : वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में 21.68 प्रतिशत (₹ 8283.57 करोड़) की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 49933.56 करोड़) से 6.88 प्रतिशत (₹ 3434.07 करोड़) कम था।

गैर योजना एवं योजना व्यय : पूर्व वर्ष की तुलना में गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 24.45 प्रतिशत (₹ 6690.15 करोड़) तथा योजना व्यय में 6.23 प्रतिशत (₹ 1249.49 करोड़) की वृद्धि हुई।

राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा सीधे हस्तांतरित निधि : भारत सरकार ने वर्ष 2011–12 में राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को ₹ 8958 करोड़ सीधे हस्तांतरित किया। चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली होकर नहीं गुजरती इसलिए वार्षिक वित्तीय लेखा इन निधियों के प्रवाह को नहीं रखती तथा उस विस्तार तक राज्य की प्राप्तियाँ तथा व्यय साथ ही उनसे लिए गए अन्य राजकोषीय परिवर्ती कारक/मानक इन निधियों को लेखा में दर्ज नहीं करते।

स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता : वित्तीय सहायता वर्ष 2011–12 के दौरान वर्ष 2010–11 के ₹ 4622 करोड़ से बढ़कर ₹ 14444 करोड़ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 9822 करोड़ (213 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 3641 करोड़), जिला परिषद तथा पंचायती राज संस्थाओं (₹ 1019 करोड़), विकास एजेन्सियों (₹ 2636 करोड़) एवं अन्य एजेन्सियों (₹ 2638 करोड़) में सहायता की वृद्धि के कारण हुई।

विकासात्मक व्यय : विकास व्यय में समाविष्ट राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा सामाजिक–आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम वर्ष 2007–08 के ₹ 20452 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 38900 करोड़ हो गया।

अपूर्ण परियोजनाएँ : एक साथ 380 योजनाएँ/परियोजनाएँ (अनुमानित लागत ₹ 3395.35 करोड़) मार्च 2012 तक पूर्ण होनी थी, परन्तु वे अपूर्ण रहे जिससे ₹ 1579.46 करोड़ अवरूद्ध हो गया।

सरकारी निवेश : गत पाँच वर्षों में सरकारी निवेशों में औसत प्रतिलाभ 0.26 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष 2007–12 के दौरान अपने उधार पर 6.96 प्रतिशत की दर से औसत ब्याज भुगतान किया। वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 920.82 करोड़ के निवेश के विरूद्ध ₹ 1.40 करोड़ का मामूली प्रतिलाभ हुआ।

आठ सरकारी कंपनियों/निगमों में इक्विटी (₹ 153.82 करोड़) तथा ऋण (₹ 813.92 करोड़) में ₹ 967.74 करोड़ के निवेश के विरूद्ध ₹ 1366.56 करोड़ की हानि हुई। तद्नुरूप, 15 सरकारी कंपनियों/निगमों में ₹ 243.79 करोड़ के निवेश में ₹ 215.19 करोड़ की क्षति हुई।

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार सभी राज्यों को मार्च 2011 तक सभी अकार्यशील लोक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करने हेतु एक रूपरेखा तैयार करनी थी। तथापि, संबंधित विभागों द्वारा इस संबंध में कोई विस्तृत योजना संसूचित नहीं की गयी।

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम : वर्ष के दौरान दिये गए अग्रिम ₹ 1906.08 करोड़ में ₹ 935.54 करोड़ विद्युत परियोजनाओं हेतु थे। साथ ही, ₹ 18525.76 करोड़ के कुल बकाया ऋण में ₹ 14730.25 करोड़ विद्युत् क्षेत्र के थे।

नकदी शेष : वर्ष के दौरान नकदी शेष में ₹ 2735.44 करोड़ से ₹ 1509.45 करोड़ की कमी हुई। सहकारिता विभाग मुख्यालय, पाँच जिला योजना कार्यालय, प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर तथा 12 निगम, परिषद्, उपक्रम एवं समितियों के अभिलेखों के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि ₹ 2413.57 करोड़ तक की निधि इन संस्थाओं/संगठनों के

66 वाणिज्यिक बैंक खातों, मियादी जमा आदि में पड़ी थी जैसा कि वित्त लेखा के विवरण संख्या 1 के फुटनोट संख्या 5 में दर्शाया गया है।

राजकोषीय देयता : राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2007–08 में ₹ 50989.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 67811.84 करोड़ हो गयी।

अध्याय 2

निधि की अग्रिम निकासी : राजस्व तथा पूँजीगत व्यय शीर्षों पर निकासी किये गए ₹ 919.87 करोड़ तथा ₹ 547.72 करोड़ की निधि लोकक्षेत्र उपक्रमों/विभागों के बैंक खातों/व्यक्तिगत निक्षेप खातों में पड़ी रही।

वित्तीय जवाबदेही तथा बजटीय प्रबंधनः विभिन्न सामाजिक एवं विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति से राज्य को ₹ 15595.72 करोड़ की समग्र बचत हुई। निधियों के अनावश्यक अथवा आधिक्य पुनर्विनियोजन के उदाहरण थे। वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय राज्य का पुराना अवगुण था। अनेक मामलों में अनुमानित बचते या तो अभ्यर्पित नहीं थे अथवा देर से अभ्यर्पित थे, जिससे अन्य विकास प्रयोजनों में इन निधियों का उपयोग नहीं हो सका।

₹ 49618.13 करोड़ के व्यय का समाशोधन नहीं हुआ। पुनः ₹ 51320.17 करोड़ की कुल प्राप्ति में ₹ 13074 करोड़ (25.48 प्रतिशत) का समाशोधन नहीं हुआ। विभाग को व्यय की प्रवृत्ति तथा निधि की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादी बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करना चाहिए। अनुदानों पर आधिक्य व्यय से बचने के लिए नियंत्री अधिकारियों को आवंटनों के विरूद्ध किए गए व्यय पर पैनी नजर रखनी चाहिए। सरकार ने वर्ष 2011–12 में आकस्मिक निधि से ₹ 1242.99 करोड़ की 191 निकासी संस्वीकृत किया। इनमें ₹ 1225.53 करोड़ (98.60 प्रतिशत) के 91 निकासी नित्य व्यय हेतु थे जैसे मोटर वाहन क्रय, कार्यालय व्यय, वेतन एवं भत्ते आदि।

इसके अतिरिक्त, अनुदान सं0–3 "भवन निर्माण विभाग" की समीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग निधि को खर्च अथवा उपयोग करने में असमर्थ रहा जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि अन्य सेवा विभागों द्वारा प्रदत्त प्रावधानों (₹ 434.25 करोड़) के 63 प्रतिशत की वृहत् बचत हुई। इसमें सात सेवा विभागों के मामले में ₹ 118.30 करोड़ का शत प्रतिशत अनुपयोगित रहना शामिल है। उसी प्रकार से अनुदान सं0–16 "पंचायती राज विभाग" के मामले में ₹ 250 करोड़ की शत् प्रतिशत बचत के मामले थे।

अध्याय 3

वित्तीय रिपोर्टिंग : विभिन्न प्रतिवेदन आवश्यताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु सार आकस्मिक विपत्र/विस्तृत आकस्मिक विपत्र तथा सहायता अनुदान विपत्र की निकासी तथा प्रस्तुतिकरण के वर्तमान प्रणाली की समीक्षा की गयी।

उच्च महत्ता (प्रत्येक मामले में ₹ एक लाख से अधिक मूल्य वाले) वाले सार आकस्मिक विपत्र वर्ष 2009–12 के दौरान निकासी किये गए कुल सार आकस्मिक विपत्र का 99.76 प्रतिशत था।

31 अगस्त 2012 को ₹ 18797.90 करोड़ के 66847 विस्तृत आकस्मिक विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करने हेतु लंबित थे।

वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान निकासी किये गए ₹ 15333.60 करोड़ के सहायता अनुदान के विरूद्ध 31 मार्च 2012 को ₹ 7837.69 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना बाकी था।

अध्याय 1

राज्य सरकार का वित्त

अध्याय 1

राज्य सरकार का वित्त

1. राज्य सरकार का परिचय

बिहार भू–भाग से घिरा एक ऐसा राज्य है, जिसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड एवं उत्तर में नेपाल से सटे लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक आकार (94163 वर्ग किमी) के दृष्टिकोण से यह भारत का बारहवाँ एवं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य हैं । बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है कि जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर (2001) से बढ़कर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर (2011) हो गया है। बिहार की गरीबी रेखा संपूर्ण भारत के औसत गरीबी से अधिक है। तथापि, राज्य ने 2002–03 से 2011–12 तक की अवधि में उच्च आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसे कि इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर 14.97 प्रतिशत रहा जबकि इसकी तुलना में सामान्य दर्जे के राज्यों[1] का विकास दर 14.46 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या सामान्य दर्जे के राज्यों की जनसंख्या की औसत वृद्धि[2] 13.90 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 17.89 प्रतिशत (सामान्य दर्जे के राज्यों में सर्वोच्च) हो गयी। वर्ष 2002–03 से 2011–12 की अवधि के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय मिश्रित वार्षिक विकास दर (13.10 प्रतिशत) आय सामान्य दर्जे के राज्यों की औसत मिश्रित वार्षिक विकास दर (13.09 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ा अधिक रहा।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान बिहार सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पिछले पाँच वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2*** के **भाग 'क'** में वर्णित है तथा वित्तीय लेखा की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2*** के **भाग 'ख'** में प्रदर्शित किया गया है। यह विश्लेषण राज्य के वित्त लेखा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 बनाया है, जो ***परिशिष्ट 1.3*** **खण्ड 'क'** में दिया गया है। वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम (एफ0आर0बी0एम0), 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट नियम राज्य तथा राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति ***परिशिष्ट 1.3*** के **खण्ड 'ख'** में दी गयी है।

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन–देन का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष के तुलना में चालू वर्ष (2011–12) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन–देन को दर्शाता है। चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ–साथ प्राप्ति एवं संवितरण का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है।

[1] ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड) के अतिरिक्त अन्य राज्य।

[2] सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना 16 सामान्य श्रेणी के राज्यों से प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर की गयी है (दिल्ली, गोआ तथा पुडुचेरी को छोड़कर)।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय लेन–देन का सारांश

(₹करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2010-11	2011-12	संवितरण	2010-11	2011-12		
खण्ड–क: राजस्व					गैर–योजना	योजना	योग
राजस्व प्राप्तियाँ	**44532.32**	**51320.17**	राजस्व व्यय	**38215.92**	**34012.66**	**12486.83**	**46499.49**
कर राजस्व	9869.85	12612.10	सामान्य सेवाएँ	15286.97	17569.44	160.28	17729.72
गैर–कर राजस्व	985.53	889.86	सामाजिक सेवाएँ	15089.42	9523.52	9205.26	18728.78
संघीय कर/ शुल्कों का अंश	23978.38	27935.23	आर्थिक सेवाएँ	7836.28	6916.53	3121.29	10037.82
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	9698.56	9882.98	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.25	3.17	-	3.17
खण्ड –ख: पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत व्यय	9195.94	39.59	8812.42	8852.01
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	11.86	22.51	ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	1102.63	220.72	1685.36	1906.08
लोक ऋण प्राप्तियाँ *	6032.42	6627.96	लोक ऋण का पुनर्भुगतान*	2190.03	-	-	2922.46
अन्तर्राज्यीय परिशोधन प्राप्तियाँ	0.00	75.41	अन्तर्राज्यीय परिशोधन भुगतान	0.00	-	-	1.39
आकस्मिकता निधि	1150.00	800.00	आकस्मिकता निधि	1150.00	-	-	800.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	17321.25	22302.61	लोक लेखा भुगतान	16749.02	-	-	21393.22
प्रारंभिक नगद शेष	2291.13	2735.44	अंतिम नगद शेष	2735.44	-	-	1509.45
योग	**71338.98**	**83884.10**	**योग**	**71338.98**			**83884.10**

*अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट शुद्ध लेन–देन को छोड़कर

(स्त्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2011–12 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है:

- वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 15.24 प्रतिशत (₹ 6787.85 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः अपने कर राजस्व में 27.78 प्रतिशत (₹ 2742.25 करोड़) तथा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में 16.50 प्रतिशत (₹ 3956.85 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।
- राज्य का अपना कर राजस्व बजट प्राक्कलन (₹ 12582.90 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 9302.67 करोड़) से क्रमशः 0.23 प्रतिशत (₹ 29.20 करोड़) तथा 35.58 प्रतिशत (₹ 3309.43 करोड़) अधिक हो गया।
- करेत्तर राजस्व में 9.71 प्रतिशत (₹ 95.67 करोड़) की कमी आयी जिसका मुख्य कारण वर्ष 2009–10 में भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को प्रदत्त ₹ 384.93 करोड़ के ऋण माफी की वसूली होना था। करेत्तर राजस्व भी 70.20 प्रतिशत (₹ 2096.08 करोड़) था जो बजट प्राक्कलन (₹ 2985.94 करोड़) से कम तथा तेरहवें वित्त आयोग (₹ 1773.53 करोड़) के निर्धारण से 49.83 प्रतिशत (₹ 883.67 करोड़) नीचे था।
- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में 21.68 प्रतिशत (₹ 8283.57 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर व्यय में 15.98 प्रतिशत (₹ 2442.75 करोड़), सामाजिक सेवाओं में 24.12 प्रतिशत (₹ 3639.36 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में

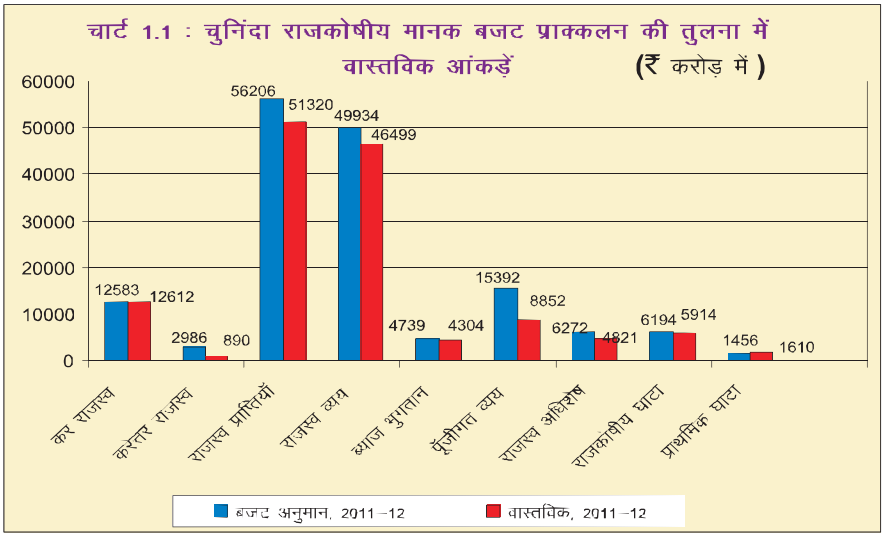
28.09 प्रतिशत (₹ 2201.54 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 49933.56 करोड़) से 6.88 प्रतिशत (₹ 3434.07 करोड़) कम था।

- वर्ष के दौरान गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 24.45 प्रतिशत (₹ 6690.15 करोड़) की वृद्धि हुई तथा योजनागत व्यय में 6.23 प्रतिशत (₹ 1249.49 करोड़) की वृद्धि हुई।
- ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 89.80 प्रतिशत (₹ 10.65 करोड़) की वृद्धि हुई। इसी प्रकार ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में 72.87 प्रतिशत (₹ 803.45 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके कारण संवितरणों में ₹ 792.80 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- वर्ष के दौरान परिसंपत्ति सृजन पर पूँजीगत व्यय में 3.74 प्रतिशत (₹ 343.93 करोड़) की कमी हुई।
- इसके अतिरिक्त, कुल व्यय का 89.63 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति से हुआ तथा शेष पूँजीगत प्राप्ति तथा उधार निधियों से हुआ।
- लोक लेखा प्राप्तियों में 28.76 प्रतिशत (₹ 4981.36 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि संवितरणों में 27.73 प्रतिशत (₹ 4644.20 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके कारण लोक लेखा में ₹ 337.16 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में 9.87 प्रतिशत (₹ 595.44 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि इसके पुनर्भुगतान में 33.44 प्रतिशत (₹ 732.43 करोड़) की वृद्धि हुई जिसके कारण लोक ऋण में ₹ 136.89 करोड़ की निवल कमी हुई।
- इन लेन–देन के परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में नकद शेष के रूप में 44.82 प्रतिशत (₹ 1225.99 करोड़) की कमी हुई।

1.1.2 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आंकड़ें

चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आँकड़ों को प्रस्तुत करता है। वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बजट प्राक्कलन का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.5*** में दिया गया है।

चार्ट 1.1 : चुनिंदा राजकोषीय मानक बजट प्राक्कलन की तुलना में वास्तविक आंकड़ें (₹ करोड़ में)



(स्त्रोतःबजट एवं राज्य वित्त लेखे, 2011–12)

उपर्युक्त चार्ट से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआः

1. राजस्व प्राप्तियाँ बजट प्राक्कलन द्वारा किये गए प्रक्षेपण से बजट प्राक्कलन ₹ 4886 करोड़ कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन की तुलना में

₹ 2096 करोड़ (70 प्रतिशत) के करेत्तर राजस्व की कमी होना हुई । तथापि कर राजस्व में ₹ 29 करोड़ (0.23 प्रतिशत) से वृद्धि हुई ।

2. राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ बजट प्राक्कलन से क्रमशः ₹ 3435 करोड़ (6.87 प्रतिशत) तथा ₹ 6540 करोड़ (42.48 प्रतिशत) कम था। राजस्व व्यय में अंतर का कारण सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 2133.37 करोड़ सामान्य सेवाओं के अतर्गत ₹ 775.39 करोड़ तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 524.36 करोड़ का कम व्यय था जो कि सहायता अनुदान तथा अंशदान के अंतर्गत ₹ 0.95 करोड़ कम था।

3. राजस्व अधिशेष बजट प्राक्कलन से ₹ 1451 करोड़ (23.13 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन में कि गए प्रक्षेपण से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4886 करोड़ (8.69 प्रतिशत) की कमी तथा राजस्व व्यय में बजट प्राक्कलन में किए गए प्रक्षेपण से ₹ 3435 करोड़ की कमी होना था।

4. बजट प्राक्कलन (₹ 6194 करोड़) में किये गए प्रक्षेपण से राजकोषीय घाटा ₹ 280 करोड़ कम था जिसका कारण मुख्यतः बजट प्राक्कलन में किये गए प्रावधानों से राजस्व अधिशेष ₹ 1451 करोड़ कम था।

5. बजट प्राक्कलन (₹ 1456 करोड़) में किये गए प्रक्षेपण से प्राथमिक घाटा ₹ 154 करोड़ अधिक हो गया।

1.2 राज्य के संसाधन

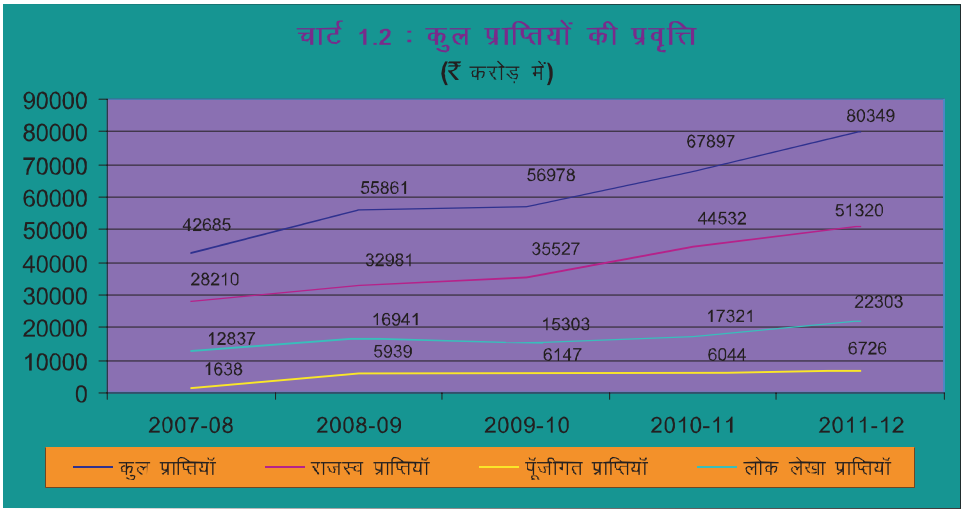
1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन प्राप्तियों के दो प्रवाह–राजस्व और पूँजी से बने हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) भारत सरकार से अग्रिम एवं ऋण और लोक लेखा से संभूति सम्मिलित है।

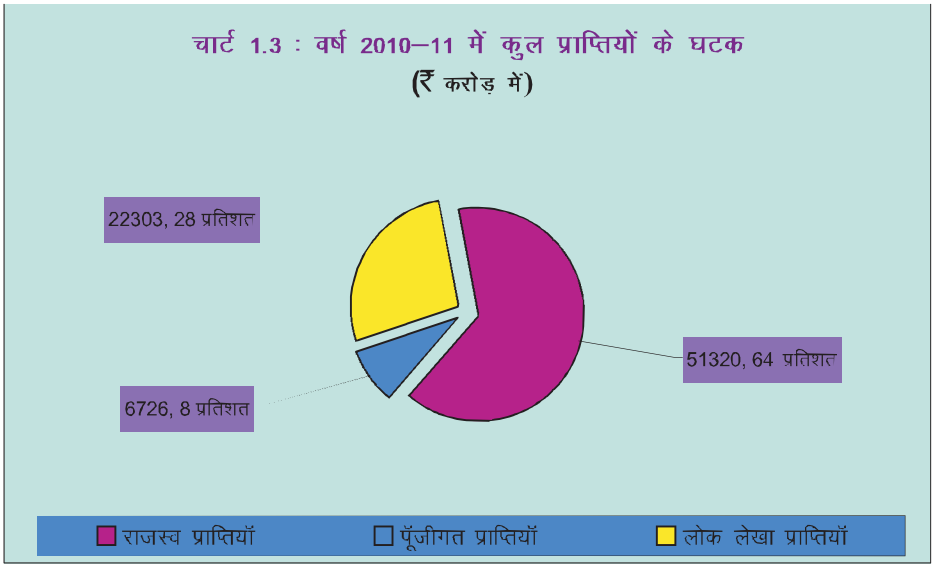
चार्ट 1.2 वर्ष 2007–12 के दौरान प्राप्तियों के प्रवृत्ति को दर्शाता है तथा **चार्ट 1.3** वर्ष 2011–12 के दौरान इन प्राप्तियों के अवयवों को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2 : कुल प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन सम्मिलित हैं।
(स्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)



(स्त्रोतः वर्ष 2011–12 के राज्य वित्त लेखे)

चार्ट संख्या 1.2 तथा **1.3** के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि:

1. वर्ष 2007–12 के दौरान कुल प्राप्तियों में 88 प्रतिशत (₹ 37664 करोड़) की वृद्धि हुई।
2. वर्ष 2007–12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 82 प्रतिशत (₹ 23110 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों में 311 प्रतिशत (₹ 9466 करोड़) की वृद्धि हुई।
3. वर्ष 2007–12 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों में 74 प्रतिशत (₹ 9466 करोड़) की वृद्धि हुई।

पुनः, राज्य के वित्तीय लेखा की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2011–12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृहत् वृद्धि मुख्यतः बिक्री, वाणिज्य आदि पर कर में 64.06 प्रतिशत (₹ 2919 करोड़), निगम कर के अंश में 17.32 प्रतिशत (₹ 1623 करोड़), सेवा कर के अंश में 39.45 प्रतिशत (₹ 943 करोड़), राज्य उत्पाद में 30.04 प्रतिशत (₹ 458 करोड़), ब्याज प्राप्तियों में 141.09 प्रतिशत (₹ 336 करोड़) आदि में वृद्धि होना था।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का हस्तांतरण

भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा अंश विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों[3] को हस्तांतरित किया जाता है। ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार से होकर व्यय नहीं की जाती हैं, अतः वार्षिक वित्त लेखा इन निधियों के प्रवाह एवं सीमा को नहीं दर्शाता है, उनसे प्राप्त राज्य की प्राप्तियाँ तथा व्यय साथ ही अन्य राजकोषीय परिवर्ती कारक/मानक ने इन निधियों का ध्यान नहीं रखा।

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का सीधा हस्तांतरण निधि के उपयोगिता में चूक हेतु पर्याप्त नियंत्रण यंत्र प्रस्तुत करता है तथा जिसके अभाव में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक राजकोषीय

[3] राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों में कोई भी संगठन/संस्थाएँ, वैसे गैर सरकारी संस्थाएँ शामिल है जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से, राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्य क्रियान्वयन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति आदि निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है ।

प्रचालन तथा दायित्व में पारदर्शिता प्रभावित तथा बाधित हो सकती हैं । कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का हस्तांतरण ***परिशिष्ट 1.6*** में दर्शाया गया है।

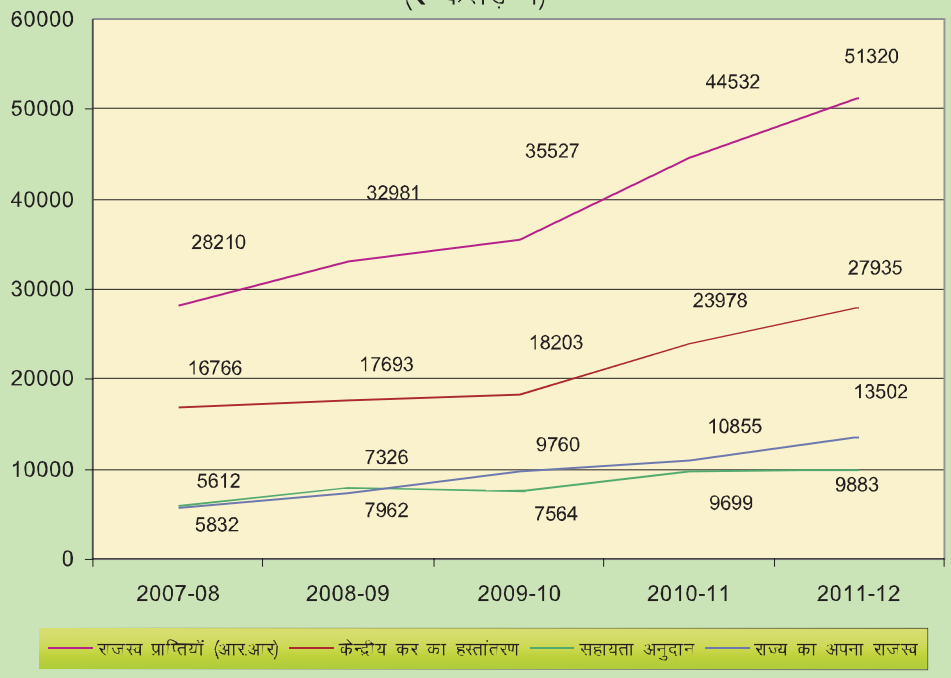
वर्ष 2011–12 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधा ₹ 8958 करोड़ हस्तांतरित किया जो पूर्व वर्ष से 13 प्रतिशत कम था। चालू वर्ष में निधि के हस्तांतरण में मुख्य कमी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (₹ 944 करोड़), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत (₹ 263 करोड़) निबंधन समितियॉ तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (₹ 197 करोड़) के मामले में पायी गयी जबकि मुख्य प्राप्तकर्ता बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (₹ 1851 करोड़, 21 प्रतिशत), जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (₹ 1851 करोड़, 21 प्रतिशत), जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (₹ 3575 करोड़, 40 प्रतिशत) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निबंधित समितियाँ (₹ 3196 करोड़, 36 प्रतिशत) थे।

1.3 राजस्व प्राप्तियॉ

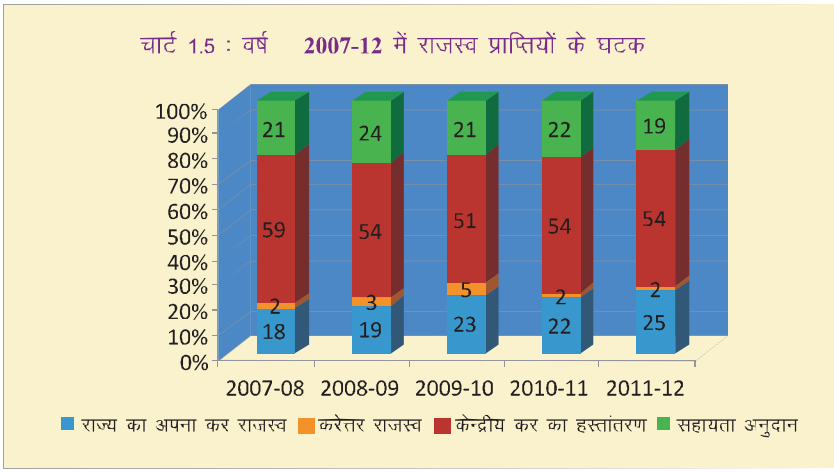
वित्त लेखे का विवरण संख्या 11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2007–12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः ***परिशिष्ट 1.7*** तथा **चार्ट 1.4** तथा **1.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4 : वर्ष 2007–12 के दौरान कुल प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)



(स्त्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

उपयुक्त चार्टों से प्रदर्शित होता है कि:

- वर्ष 2007–12 के अवधि में राजस्व प्राप्तियों में 81.92 प्रतिशत (₹ 23110 करोड़) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्य अंशदाता राज्य का अपना कर राजस्व था जिसके अंश में वर्ष 2007–08 में 18 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 25 प्रतिशत हो गयी।
- भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान का अंश वर्ष 2007–08 में 21 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 19 प्रतिशत हो गयी। केन्द्रीय कर हस्तांतरण का अंश भी वर्ष 2007–08 में 59 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 54 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2007–08 के दौरान करेत्तर राजस्व राजस्व प्राप्तियों का दो प्रतिशत रहा जो वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 में बढ़कर क्रमशः तीन प्रतिशत तथा पॉच प्रतिशत हुआ परन्तु वर्ष 2010–12 के दौरान इसका अंश घटकर पुनः दो प्रतिशत हो गया।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 1.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियॉ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**28210**	**32981**	**35527**	**44532**	**51320**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	22.21	16.91	7.72	25.35	15.24
राज्य का अपना कर	5086	6173	8090	9870	12612
राज्य का अपना कर की वृद्धि दर(प्रतिशत)	26.11	21.37	31.05	22.00	27.78
जी.एस.डी.पी.(₹ करोड़ में)	118923	151650	177537	217814	262230
जी.एस.डी.पी. का विकास दर	14.88	27.52	17.07	22.69	20.39
आर.आर/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	23.72	21.75	20.01	20.44	19.57
उत्पलवता अनुपात[4]					
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राजस्व उत्पलवता	1.49	0.61	0.45	1.12	0.75
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राज्य का अपना उत्पलवता	1.75	0.78	1.82	0.97	1.36

(स्त्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखा)

[4] उत्पलावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है । जैसे–राजस्व उत्पलावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियॉ 0.6 प्रतिशत बढ़ेगा ।

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विकास दर वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान दो अंकों में रहा सिवाय वर्ष 2009–10 में जबकि यह वर्ष 2008–09 में 16.91 से गिरकर वर्ष 2009–10 में 7.72 प्रतिशत हो गया। तथापि यह पुनः वर्ष 2010–11 में बढ़कर 25.35 प्रतिशत हुआ तथा अंतोगत्वा वर्ष 2011–12 में गिरकर 15.24 प्रतिशत हो गया। मध्यवर्ती वर्ष परिवर्तन के साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का अपना कर उत्पलवता वर्ष 2007–08 में 1.75 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 1.36 प्रतिशत हो गयी।

1.3.1 राज्य के निजी संसाधन

चूँकि केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता है, अतः केन्द्रीय कर प्राप्तियों का संग्रहण तथा योजना कार्यक्रम आदि हेतु केन्द्रीय सहायता और अतिरिक्त संसाधनों के संगठन में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन स्वयं के कर एवं करेत्तर संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए।

वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य सरकार के वास्तविक करों एवं करेत्तर राजस्व साथ ही तेरहवें वित्त आयोग के आकलन एवं बजट प्राक्कलन को नीचे के **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3 आकलन/प्रस्तावना एवं वास्तविक आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	तेरहवीं वित्त आयोग का आकलन	राज्य के बजट प्राक्कलन	वास्तविक
कर राजस्व	9303	12583	12612
करेत्तर राजस्व	1774	2986	890

(स्त्रोतः राज्य के वित्त लेखे, तेरहवीं वित्त आयोग, बजट प्राक्कलन)

यद्यपि, वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के आकलन से ₹ 3309 करोड़ ज्यादा तथा बजट प्राक्कलन से ₹ 29 करोड़ अधिक था तथापि, करेत्तर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के आकलन तथा राज्य के बजट प्राक्कलन से क्रमशः ₹ 884 करोड़ तथा ₹ 2096 करोड़ कम था जो राज्य के अवास्तविक बजट प्रक्षेप को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान करेत्तर राजस्व में पूर्व वर्ष से भी ₹ 95 करोड़ कम था जिसका मुख्य कारण केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को वर्ष 2009–10 में दिये अनुदान स्वरूप ₹ 384.93 करोड़ के ऋण माफी की वसूली होना था। झारखंड सरकार द्वारा पूर्व–पुनर्गठन अवधि के पेंशन देयता (₹ 7808.45 करोड़) को भुगतान नहीं करने के कारण भी राज्य के करेत्तर राजस्व में कमी हुई।

1.3.1.1 कर राजस्व

वर्ष 2007–12 के दौरान राज्य के कर राजस्व में 148 प्रतिशत (₹ 5086 करोड़ से ₹ 12612 करोड़) की वृद्धि हुई। वृद्धि के मुख्य घटक **तालिका 1.4** में दर्शाये गए हैं।

तालिका 1.4 : कर राजस्व में 2007–12 में वृद्धि के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिक्री व्यापार आदि पर कर आदि,	2535	3016	3839	4557	7476
वृद्धि दर (प्रतिशत)	22	19	27	19	64
राज्य उत्पाद शुल्क, वृद्धि दर	525	679	1082	1523	1981
(प्रतिशत)	37	29	59	41	30
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, वृद्धि दर	654	716	998	1099	1480
(प्रतिशत)	44	10	39	10	35
वाहन पर कर, वृद्धि दर (प्रतिशत)	273	298	345	455	569
	51	10	16	32	25

(स्त्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.7 राज्य सरकार के वित्त पर समयवार आंकड़े प्रस्तुत करता है।

परिशिष्ट में कर राजस्व के अवयवों के अध्ययन से प्रकट होता है कि:

- कर राजस्व का बड़ा अंश बिक्री, व्यापार आदि के राजस्व के अन्तर्गत था तथा जो वर्ष 2007–08 में 50 प्रतिशत से वर्ष 2011–12 में 59 प्रतिशत के बीच था।
- मुद्रांक एवं निबंधन का अंश वर्ष 2007–08 में 13 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 12 प्रतिशत हो गया।
- वाहनों पर कर का अंश भी वर्ष 2007–08 में पॉच प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में चार प्रतिशत हो गया।
- राज्य उत्पाद शुल्क का अंश वर्ष 2007–08 में 10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 16 प्रतिशत हो गया।

1.3.1.2 कर संग्रहण पर व्यय

पूर्व वर्षों के संपूर्ण भारत औसत के साथ, मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सकल संग्रहण, संग्रहण में हुआ व्यय तथा वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता नीचे तालिका 1.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5 : संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	सकल संग्रहण में व्यय	संग्रहण पर प्रतिशत व्यय	पूर्व वर्षों के लिए संपूर्ण भारत की औसत प्रतिशतता
1	वैट / बिक्री कर	2009-10	5541.00	48.84	0.88	0.88
		2010-11	6653.37	57.23	0.86	0.96
		2011-12	8414.43	66.17	0.79	0.75
2	राज्य उत्पाद शुल्क	2009-10	1081.68	44.02	4.07	3.66
		2010-11	1523.35	37.65	2.47	3.64
		2011-12	1980.98	41.24	2.08	3.05
3	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2009-10	997.90	45.90	4.60	2.77
		2010-11	1098.68	46.58	4.24	2.47
		2011-12	1480.07	43.10	2.91	1.60
4	वाहन कर	2009-10	345.13	10.41	3.02	2.93
		2010-11	455.43	16.92	3.72	3.07
		2011-12	569.13	22.31	3.92	3.71

(स्त्रोतः सूचना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा प्रस्तुत)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में वर्ष 2009–12 के दौरान मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन शुल्क एवं वाहन कर के संबंध में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता संग्रहण की संपूर्ण भारत औसत लागत से अधिक थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को संग्रहण के उच्च लागत का विश्लेषण करना चाहिए तथा इस संबंध में उचित उपाय करना चाहिए।

1.4 संसाधनों का उपयोग

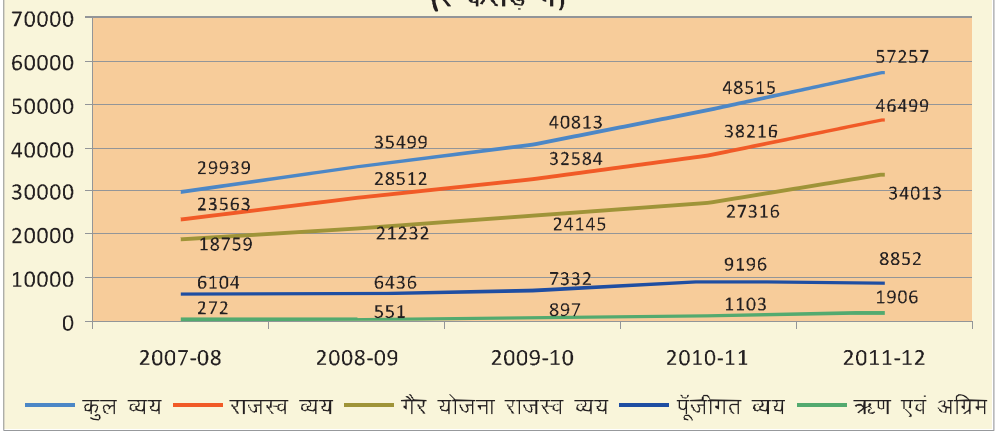
राज्य स्तर पर व्यय के विनिधान/प्रावधानों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें ही सुपुर्द है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अंतर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय बाहयता थी। यह, तथापि, सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो ।

1.4.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.6 पाँच वर्षों (2007–12) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है ।

चार्ट 1.6 : कुल व्ययः संघटन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

कुल व्यय के अंतर्गत राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम वर्ष 2007–08 में ₹ 29939 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 57257 करोड़ हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान कुल व्यय में ₹ 8742 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 8283 करोड़ (22 प्रतिशत) तथा ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 803 करोड़ (73 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई, जो पूँजीगत व्यय में ₹ 344 करोड़ (चार प्रतिशत) की कमी के कारण बराबर हो गयी। वर्ष 2007–12 के दौरान कुल व्यय के वृद्धि दर का रेंज 15 से 19 प्रतिशत तक रहा। कुल व्यय का वृद्धि दर भी वर्ष 2010–11 में 19 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 18 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010–11 साथ ही वर्ष 2011–12 में कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 22 प्रतिशत था। वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 के दौरान कुल व्यय तथा इनके घटकों को **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6 में वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि कुल व्यय एवं उनके घटक नीचे दिए गए है

तालिका 1.6 : कुल व्यय एवं उनके घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	*2007-08*	*2008-09*	*2009-10*	*2010-11*	*2011-12*
कुल व्यय	*29939*	*35499*	*40813*	*48515*	*57257*
वृद्धि दर	*14.66*	*18.57*	*14.97*	*18.87*	*18.02*
राजस्व व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	*23563 (79)*	*28512 (80)*	*32584 (80)*	*38216 (79)*	*46499 (81)*
जिसमें गैर राजस्व व्यय	*18759*	*21232*	*24145*	*27316*	*34013*
पूँजीगत व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	*6104 (20)*	*6436 (18)*	*7332 (18)*	*9196 (19)*	*8852 (15)*
ऋण एवं अग्रिम (कुल व्यय की प्रतिशतता)	*272 (01)*	*551 (02)*	*897 (02)*	*1103 (02)*	*1906 (03)*

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्व के भुगतान करने में हुआ जिसके परिणामस्वरूप राज्य के आधारभूत संरचना एवं सेवा नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सका।

राजस्व व्यय कुल व्यय का 81 प्रतिशत था, जिसमें 73 प्रतिशत गैर योजना व्यय पर था तथा 27 प्रतिशत योजना व्यय पर था ***(परिशिष्ट 1.7)*** जो यह प्रदर्शित करता है कि आधे से ज्यादा राजस्व व्यय गैर योजना व्यय पर हुआ।

योजनागत राजस्व व्यय

सामान्यतः सेवाओं के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय में योजनागत राजस्व व्यय के अंश की कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2007–08 में 16 से वर्ष 2011–12 में 22 हो गयी। वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 के दौरान योजनागत राजस्व व्यय में ₹ 1587 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 673 करोड़), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण (₹ 501 करोड़), सामान्य आर्थिक सेवाएँ (₹ 178 करोड़) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 157 करोड़) के अंतर्गत वृद्धि होना था। तथापि योजनागत राजस्व व्यय (₹ 12487 करोड़) बजट अनुमान (₹27503 करोड़) से ₹ 15016 करोड़ (55 प्रतिशत) कम था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में दिया गया है।

गैर योजना राजस्व व्यय

वर्ष 2011–12 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय में ₹ 6697 करोड़ (25 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति सेवाएँ (₹ 1941 करोड़) ग्रामीण विकास (₹ 1134 करोड़), ऊर्जा (₹ 946 करोड़),परिवहन (₹ 154 करोड़) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 144 करोड़) के व्यय में वृद्धि के कारण हुई (***परिशिष्ट 1.4***)।

गैर योजना राजस्व व्यय (₹ 34013 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 37823 करोड़) में किए गए मानकी प्रक्षेप से 10 प्रतिशत (₹ 3810 करोड़) कम था। तथापि, गैर योजना राजस्व व्यय का अंश वर्ष 2007–08 में 63 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 59 प्रतिशत हो गया।

पूँजीगत व्यय

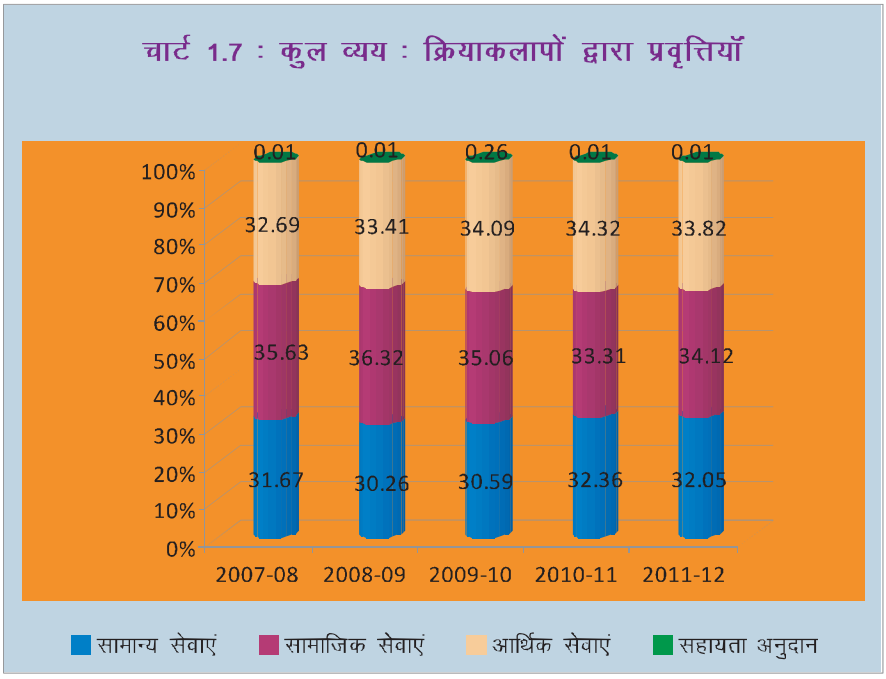
- पूर्व वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में चार प्रतिशत (₹ 344 करोड़) की कमी मुख्यतः जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास कार्यक्रम (₹ 298 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 115 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 87 करोड़) और ऊर्जा (₹ 905 करोड़) पर पूँजीगत परिव्यय शीर्षों के अंतर्गत व्यय में कमी के कारण हुई।
- पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम कुल व्यय का क्रमशः 15 प्रतिशत और तीन प्रतिशत था।

 वर्ष 2010–11 में ऋण एवं अग्रिमों पर व्यय का अंश दो प्रतिशत था जो वर्ष के दौरान बढ़कर कुल व्यय का तीन प्रतिशत हो गया जिसका कारण राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में वृद्धि करना था।

क्रियाकलापों के संबंध में कुल व्यय की प्रवृत्ति

क्रियाकलापों के संबंध में, कुल व्यय को सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित), सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ, सहायता अनुदान पर व्यय से संरचित माना जा सकता है। कुल व्यय में इन अवयवों का सापेक्ष अंश **चार्ट 1.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7 वर्ष 2007–12 के दौरान के "आर्थिक वर्गीकरण" के संबंध में कुल व्यय के संरचना को प्रदर्शित करता है।



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

व्यय के विभिन्न घटकों के पारस्परिक अंश का संचलन यह प्रदर्शित करता है कि ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं का अंश जहाँ 2007–08 में 31.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009–10 में 30.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 2011–12 में 32.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई । आर्थिक सेवाओं का अंश वर्ष 2007–08 में 32.69 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 34.32 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2011–12 में यह 33.82 प्रतिशत रहा।

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2010–11 में ₹ 38215.92 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 46499.49 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय का गैर योजना राजस्व व्यय एवं योजना राजस्व व्यय में विभाजन यह दर्शाता है कि गैर योजना राजस्व व्यय का समानुपातिक अंश योजना राजस्व व्यय से अपेक्षाकृत अधिक था।

यद्यपि, कुल व्यय में सामान्य सेवा एवं आर्थिक सेवा के अंश में वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक थोड़ी सी वृद्धि हुई, तथापि, इस अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं के अंश में थोड़ी–सी कमी आई। ₹ 8283.57 करोड़ की कुल वृद्धि में गैर योजना राजस्व व्यय तथा योजनागत राजस्व व्यय में हुए क्रमशः ₹ 6696.25 करोड़ तथा ₹ 1587.32 करोड़ तथा ₹ 1587.32 करोड़ शामिल है। वर्ष 2011–12 में गैर योजना राजस्व व्यय ₹ 34013 करोड़, तेरहवें वित्त आयोग के विवरणात्मक आकलन (₹ 26475 करोड़) से अधिक था, परंतु बजट प्राक्कलन (₹ 37823 करोड़) से कम था।

1.4.2 ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय

तालिका 1.7 वर्ष 2007–12 के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण के पुनर्भुगतान के अवयवों पर व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.7 : ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण के पुनर्भुगतान के अवयवों पर व्यय की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	व्यय के मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
						बजट अनुमान	व्यय
1	वेतन	**6469.53** (22.93)	7545.61 (22.88)	9658.74 (27.19)	10549.85 (23.69)	**12777.92**	12193.69 (23.76)
2	गैर योजना के अंतर्गत	*5914.81 (20.97)*	*6996.20 (21.21)*	*9001.42 (25.34)*	*9954.35 (22.35)*	*12451.18*	*11494.50 (22.40)*
3	योजना के अंतर्गत *	*554.72 (1.97)*	*549.41 (1.67)*	*657.32 (1.85)*	*595.51 (1.34)*	*326.74*	*699.19 (1.36)*
4	ब्याज भुगतान	3706.99 (13.14)	3752.94 (11.38)	3685.48 (10.37)	4319.16 (9.70)	4738.51	4303.66 (8.39)
5	पेंशन	2788.94 (9.89)	3479.03 (10.55)	4318.70 (12.16)	6143.86 (13.80)	7584.26	7808.45 (15.22)
6	ऋण पुनर्भुगतान	1631.85 (25.22)	1682.28 (22.29)	1982.99 (20.53)	2190.03 (20.76)	2907.89	2922.46 (23.97)
7	सब्सिडी	402.36 (1.43)	808.31 (2.45)	944.39 (2.66)	1349.96 (3.03)	0.00	2672.27 (5.21)
8	योग (1+4+5+6+7)	14999.67 (53.17)	17268.17 (52.36)	20590.30 (57.96)	24552.86 (55.13)	28008.58	29900.53 (58.26)
9	अन्य अवयव	8563.20 (30.36)	11243.41 (34.09)	11993.87 (33.76)	13663.06 (30.68)	21924.98	16598.96 (32.34)
10	राजस्व व्यय	**23562.87**	**28511.58**	**32584.17**	**38215.92**	**49933.56**	**46499.49**
11	राजस्व प्राप्तियाँ	**28209.72**	**32980.69**	**35526.83**	**44532.32**	**56205.86**	**51320.17**

कोष्ठक में दिये गए आकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाता है।

***योजना शीर्ष में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत वेतन पर किया गया व्यय शामिल है।**

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा वर्ष 2011–12 का बजट)

वेतन पर व्यय

वेतन पर व्यय की राजस्व प्राप्ति प्रतिशतता वर्ष 2009–10 में 27.19 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 23.76 प्रतिशत हो गयी। वेतन पर ₹ 12193.69 करोड़ का व्यय तेरहवें वित्त आयोग (₹ 9707.99 करोड़) से ₹ 2485.70 करोड़ अधिक था परन्तु बजट अनुमान (₹ 12777.92 करोड़) से ₹ 584.23 करोड़ कम था।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान (₹ 4303.66 करोड़) में गत पाँच वर्षों (2007–12) में 16.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों की ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2007–08 में 13.14 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 8.39 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2011–12 के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 4303.66 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गए आकलन (₹ 4763.57 करोड़) तथा बजट अनुमान (₹ 4738.51 करोड़) के भीतर था।

पेंशन भुगतान

पेंशन पर व्यय (₹ 7808.45 करोड़) वर्ष के दौरान राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति का 15.22 प्रतिशत था। यह व्यय तेरहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन ₹ 4245.11 करोड़ से ₹ 3563.34 करोड़ (83.94 प्रतिशत) अधिक था तथा वर्ष के दौरान बजट प्राक्कलन ₹ 7584.26 करोड़ से ₹ 224.19 करोड़ (2.96 प्रतिशत) अधिक था।

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय की राजस्व प्राप्ति प्रतिशतता वर्ष 2007–08 में 25.22 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 23.97 प्रतिशत हो गयी। इस व्यय में बजट अनुमान (₹ 2907.89 करोड़) से ₹ 14.57 करोड़ (0.50 प्रतिशत) की मामूली बढ़त हुई।

सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज से वंचित श्रेणी के लोगों को अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना सामान्य बात है। जनता को अनुदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुदानित लोक सेवा के द्वारा दिया जा सकता हैं क्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता निवेशों पर अपर्याप्त वापसी और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से सेवा शुल्क जो कि सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, कि कम वसूली अप्रत्यक्ष अनुदान की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 2672.27 करोड़ था जो पूर्व वर्ष से 97.95 प्रतिशत अधिक था तथा कुल राजस्व व्यय का 5.75 प्रतिशत था। इसमें से ₹ 2133.39 करोड़ संसाधन पूर्ति हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 207.87 करोड़ कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु, ₹ 165 करोड़ औद्योगिक नीति के अंतर्गत वैट सब्सिडी हेतु तथा ₹ 120 करोड़ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सब्सिडी हेतु दिया गया। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को दी गयी संसाधन पूर्ति पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 1053.39 करोड़ अधिक थी।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान द्वारा सहायता दी गयी जिसे नीचे **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.8 :स्थानीय निकाय और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
शैक्षणिक संस्थाएँ (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय)	808.58	966.80	613.07	1940.11	5581.07
नगर निगम एवं नगर निकाय	209.40	950.04	997.68	690.21	557.30
जिला परिषद् एवं अन्य पंचायती राज्य संस्थाएँ	13.16	900.05	1395.22	1515.34	2534.41
विकास एजेन्सियाँ	1.88	26.84	984.13	394.24	3029.74
अस्पताल एवं अन्य सहायतार्थ संस्थाएँ	5.00	20.51	33.44	53.67	25.00
अन्य संस्थाएँ	95.35	1558.25	356.33	28.25	2716.16
योग	1133.37	4422.49	4379.87	4621.82	14443.68
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	4.81	15.51	13.44	12.09	31.06

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि वित्तीय सहायता वर्ष 2010–11 में ₹ 4622 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 14444 करोड़[5] हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 9822 करोड़ (213 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्थाएँ (₹ 3641 करोड़), जिला परिषद् तथा पंचायती राज (₹ 1019 करोड़), विकास एजेन्सियाँ (₹ 2636 करोड़) तथा अन्य संस्थाओं (₹ 2688 करोड़) को दी गयी सहायता में वृद्धि होना था। तथापि, नगर निगम एवं नगर निकाय तथा अस्पतालों और अन्य सहायतार्थ संस्थाओं को दी गयी सहायता में क्रमशः ₹ 133 करोड़ और ₹ 29 करोड़ कमी आई।

अन्य संस्थाओं (₹ 2716 करोड़) के व्यय के विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि मुख्य व्यय बिहार राज्य फसल बीमा निधि (राज्य फसल बीमा निधि को अनुदान किसानों के बीमाकृत अनाज के भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति के कारण) ₹ 244.94 करोड़,[6] बिहार कृषि प्रबंधन तथा विस्तार (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) ₹ 414.69 करोड़, बिहार राज्य फसल बीमा निधि (फसल बीमा योजना हेतु) ₹ 215.95 करोड़, बिहार ग्रामीण विकास समिति (महात्मा गॉधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) ₹ 196.50 करोड़, खाद्य प्रसंस्करण इकाई (खाद्य

[5] वित्त लेखा के नोट सं. 8 के अनुसार कोषागार प्रमाणक से व्ही.एल.सी. में प्रविष्टि डाटा के आधार पर कुल संवितरित सहायता अनुदान ₹ 14444 करोड़ है । इसके विरूद्ध, विभिन्न विभागों द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को सिर्फ ₹ 12849 करोड़ का ही सहायता अनुदान के लिए 391 संस्वीकृतियॉ प्राप्त हुई ।

[6] दिखाये गए व्यय में से ₹ 190.45 करोड़ सहकारिता विभाग के बिहार राज्य फसल बीमा निधि के अंतर्गत बैंक खाते में पड़े थे ।

प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन) ₹ 158.16 करोड़, प्रखंड विकास पदाधिकारी (पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति) ₹ 143.63 करोड़, उप निदेशक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार (महादलित के विकास हेतु) ₹ 118 करोड़, प्रखंड/नगर पंचायत (इंदिरा गॉधी नवीकरण ऊर्जा), विकास एजेन्सियॉ (प्रशासनिक व्यय हेतु सहायता) ₹ 64 करोड़ तथा आई.सी.डी.एस. (आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाक योजना) के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ₹ 23.25 करोड़ आदि में था।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर करने में, चाहे वह आधारभूत संरचना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में बेहतरी हो, सामान्यतः व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है । व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन अवयवों पर निर्भर करता है, जैसे व्यय की पर्याप्तता, उपयोग करने की क्षमता और व्यय लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यय की प्रभावकारिता। उपर्युक्त आधार पर व्यय की गुणवत्ता के लेखा परीक्षा आकलन से निम्न तथ्य प्रकट हुआ।

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्वों को बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को सौंपा जाता है । मानवीय विकास स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि सदृश सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है । निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एकत्रित व्यय के श्रेणी के अंतर्गत व्यय का औसत), अगर अपने राष्ट्रीय औसत से निम्न है, इसे संबंधित क्षेत्र से संयुक्त किया जाता है ।

तालिका 1.9 वर्ष 2011–12 के अवधि में विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूँजीगत व्यय से संबंधित राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है ।

तालिका 1.9 : वर्ष 2008–09 तथा 2011–12 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता

(प्रतिशतता में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए.इ./ जी.एस. डी.पी.	डी.इ.#/ ए.इ.	एस.एस. इ./ए.इ.	सी.इ./ ए.इ.	ई.डी.एन./ ए.इ.	स्वास्थ्य/ ए.इ.
*सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2008-09	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
बिहार राज्य का औसत (अनुपात) 2008-09	23.41	69.73	36.32	18.13	19.39	3.63
सामान्य श्रेणी के राज्य का औसत (अनुपात) 2011-12	16.09	66.44	36.57	13.25	17.18	4.30
बिहार का औसत (अनुपात) 2011-12	21.83	67.94	34.12	15.46	17.84	3.71

* जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत अनुसार
ए.इ.: कुल व्यय, डी.ई.: विकास व्यय,एस.एस.ई.:सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूँजीगत व्यय, ई.डी.एन.: शिक्षा
डी.ई.: विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास एँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है ।

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य के वित्त लेखा, जी.एस.डी.पी. हेतु सांख्यिकी एवं आर्थिक निदेशालय, बिहार सरकार)

तालिका 1.9 निम्न को दर्शाती हैः

- बिहार सामान्य श्रेणी की राज्यों[7] की तुलना में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उच्चतम अनुपात समस्त व्यय पर खर्च कर रहा है । तथापि वर्ष 2008–09 की तुलना में बिहार ने चालू वर्ष में समस्त व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कम अनुपात खर्च किया है ।
- बिहार में वर्ष 2011–12 के दौरान समस्त व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय वर्ष 2008–09 साथ ही 2011–12 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था जो यह प्रदर्शित करता है कि विकास व्यय पर पर्याप्त प्राथमिकता दी गयी ।

[7] यह औसत दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी को छोडकर अन्य 16 सामान्य श्रेणी के राज्यों का है ।

- बिहार में वर्ष 2008–09 साथ ही 2011–12 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में समग्र सामाजिक क्षेत्र तथा शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त प्राथमिकता दी गई परंतु स्वास्थ्य क्षेत्र में कम प्राथमिकता दी गयी ।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2011–12 में अधिक रहा । भौतिक पूँजी की रचना की बढ़ी प्राथमिकता से टिकाऊ परिसंपत्ति के सृजन के साथ राज्य के विकास में वृद्धि की आशा भी बढ़ेगी ।

1.5.2 व्यय की दक्षता

विकास शीर्षों[8] पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उचित व्यय का युक्तिसंगत उपाय करे तथा कोर पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स[9] के प्रावधान पर बल दे। विकासात्मक व्यय[10] के आवंटन में सुधार करने के अलावा, हाल के वर्षों में, विशेषकर ऋण वितरण में कमी के कारण राजकोषीय अंतर के परिपेक्ष्य में, व्यय के उपयोगिता की दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (एवं/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के समानुपात तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर हुए राजस्व व्यय के अनुपात द्वारा प्रतिबिंबित होता है । कुल व्यय (तथा/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) पर इन घटकों का उच्चतर अनुपात व्यय का बेहतर गुण होगा ।

सामाजिक आर्थिक सेवाओं में ऋण अग्रिम सहित विकासात्मक व्यय में राजस्व एवं पूँजीगत व्यय समाविष्ट होते है ।

पूँजीगत व्यय के अनुपात से कुल व्यय (और/या जी.एस.डी.पी.) तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण पर राजस्व व्यय के अनुपात के द्वारा व्यय उपयोग की दक्षता भी प्रतिबिंबित होती है । इन अवयवों और कुल व्यय (एवं/या जी.एस. डी.पी.) का अनुपात के उच्चतर होने से व्यय की गुणवत्ता ही बेहतर होगी ।

तालिका 1.10 तथा चार्ट 1.8 वर्ष 2007–12 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष में विकासात्मक व्यय के प्रवृत्ति को दर्शाते है:

तालिका 1.10: कुल व्यय से संबंधित विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासात्मक व्यय के अवयव	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
विकासात्मक व्यय (क से ग) (कुल व्यय से विकासात्मक व्यय का प्रतिशतता)	20452 (68.31)	24752 (69.73)	28222 (69.15)	32814 (67.64)	38900 (67.94)
क. विकासात्मक राजस्व व्यय #	14306(47.78)	17978(50.64)	20274(49.68)	22926(47.26)	28767(50.24)
ख. विकासात्मक पूँजीगत व्यय #	5881(19.64)	6230(17.55)	7058(17.29)	8800(18.14)	8244(14.40)
ग. विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम	265 (0.89)	544 (1.53)	890 (2.18)	1088(2.24)	1889 (3.30)

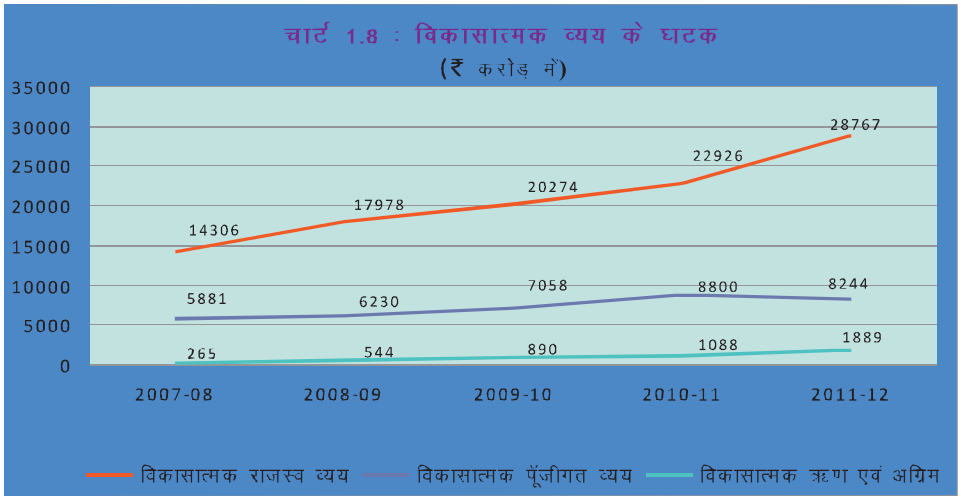
कोष्ठक में दिखाये गए आंकड़े कुल व्यय से विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।
इसमें सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल हैं ।

(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

[8] विकास शीर्षों के अंतर्गत विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है ।

[9] कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते है कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है जैसे विधि–व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संरचना आदि ।
मेरिट गुड्स वे सौदा है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुक्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जबवह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है । ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुर्पुदगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि शामिल है ।

[10] व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय के रूप में अलग-अलग किया गया है । राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है । विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय माना गया है ।



(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

विकासात्मक व्यय में समाविष्ट राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा सामाजिक–आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम वर्ष 2007–08 में ₹ 20452 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 38900 करोड़ हो गयी । वर्ष 2007–12 के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में यह लगभग 68 प्रतिशत था ।

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.11 वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर हुए पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के अवयवों का विवरण प्रस्तुत करता है ।

तालिका 1.11 : चयनित सेवाओं पर व्यय की दक्षता एवं उनके उपयोग

(*प्रतिशतता*)

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2010-11		2011-12	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश
समाजिक सेवाएँ (एस.एस.)				
सामान्य शिक्षा	0.15	44.60	0.32	43.28
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9.90	73.32	15.11	72.89
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	27.06	10.28	16.23	11.59
योग (एस.एस.)	**6.71**	**43.25**	**4.81**	**43.21**
आर्थिक सेवाएं (ई.एस.)				
कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियां	0.83	19.57	5.77	23.78
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	51.04	47.73	59.96	47.15
विद्युत एवं ऊर्जा	45.31	-	4.51	-
परिवहन	86.52	25.73	83.75	23.30
योग (ई.एस.)	**55.51**	**22.86**	**50.26**	**20.34**
योग (एस.एस.+ई.एस.)	**30.72**	**36.80**	**25.98**	**36.05**

(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

उपर्युक्त **तालिका 1.11** में वर्णित प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि इन शीर्षों पर हुए कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में इन चयनित सामाजिक–आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत व्यय वर्ष 2010–11 में 30.72 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 25.98 प्रतिशत हो गया, जो राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है । इन शीर्षों के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का

अंश वर्ष 2010–11 में 36.80 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 36.05 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकरात्मक परिवर्तन इंगित करता है ।

चयनित सेवाओं में, कुल व्यय के सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2010–11 में 6.71 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 4.81 प्रतिशत हो गया । कुल व्यय के चयनित आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2010–11 में 55.51 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 50.26 प्रतिशत हो गया । यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास और आर्थिक सेवाओं में विद्युत एवं ऊर्जा तथा परिवहन के अंतर्गत देखी गयी ।

चयनित सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी अंश वर्ष 2010–11 में 43.25 प्रतिशत से थोड़ा घटकर वर्ष 2011–12 में 43.21 प्रतिशत हो गया जबकि चयनित आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2010–11 में 22.86 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 20.34 प्रतिशत हो गया । यह कमी मुख्यतः आर्थिक सेवाओं में परिवहन और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण एवं सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत सामान्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत देखी गयी । उसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप तथा सामाजिक सेवाओं में जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास के अंतर्गत देखी गयी ।

1.6 सरकारी व्ययों एवं निवेशों का विश्लेषण

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लागू होने के बाद राज्य सरकार से यह आशा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटा (और उधार) को न केवल न्यून स्तर पर रखे, बल्कि आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेश पर पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए उधार निधि के अपने व्यय की वापसी के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है न कि उसे अपने बजट में निहित आर्थिक सहायता के रूप में ढ़ोने और वित्तीय कार्यवाही में पारदर्शिता दर्शाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है ।

यह भाग चालू वर्ष यथा पूर्व वर्षो के दौरान राज्य सरकार के निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है ।

1.6.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण कार्यो पर निधि के अवरूद्ध होने से (मुकदमेबाजी के कारण रूके हुए कार्य सहित) व्यय की गुणवत्ता पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा। **तालिका** 1.13 में 31 मार्च 2012 तक के अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार सूचनाएँ दी गई है। सम्मिलित रूप से 380 योजनाओं/ परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 3395.35 करोड़) को मार्च 2012 तक पूर्ण होना था परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1579.46 करोड़ अवरूद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त, यह प्रकट हुआ कि जल संसाधन विभाग (08), पथ निर्माण विभाग (03) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (01) जैसे 12 योजनाओं/परियोजनाओं मे ₹ 22.20 करोड़ तक लागत वृद्धि सीमा पार कर गयी जैसा कि ***परिशिष्ट 1.8*** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12 अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2012 की संचित व्यय	लागत वृद्धि	
				संख्या	राशि
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	254	1263.79	567.58	0	0
राष्ट्रीय राजमार्ग	09	64.35	30.52	1	0.29
भवन निर्माण	12	40.97	25.08	-	-
जल संसाधन	80	1856.98	875.98	8	20.60
पथ निर्माण	25	169.26	80.30	3	1.31
योग	**380**	**3395.35**	**1579.46**	**12**	**22.20**

(स्त्रोत :राज्य वित लेखे, 2011–12)

निर्दिष्ट समय–सीमा के अंदर इन परियोजनाओं/कार्यो के अपूर्ण रहने के कारण न केवल मूल्य आदि में वृद्धि हुई वरन् राज्य भी लम्बे समय से इन लाभों से वंचित रहा।

1.6.2 निवेश एवं वापसी

31 मार्च 2012 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 920.82 करोड़ निवेश किया था, जो कि **तालिका** 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: निवेश पर वापसी

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	828.68	832.18	856.18	905.24	920.82
वापसी (₹ करोड़ में)	3.19	2.14	2.06	2.53	1.40
वापसी (प्रतिशत)	0.38	0.26	0.24	0.28	0.15
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.15	7.93	6.48	6.87	6.35
ब्याज दर एवं वापसी के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.77	7.67	6.24	6.59	6.20

(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

उपर्युक्त **तालिका 1.13** से स्पष्ट है कि गत पाँच वर्षो में इन निवेशों पर औसत वापसी 0.26 प्रतिशत था जबकि सरकार द्वारा वर्ष 2007–12 के दौरान इन उधारों पर 6.96 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया गया ।

विभिन्न तत्वों के पूँजीगत अंश में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गए ₹ 920.82 करोड़ में तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, 39 सरकारी कंपनियों में ₹ 403 करोड़, 10 अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं हिस्सेदारी में ₹ 3.88 करोड़ तथा 16 सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में ₹ 378.12 करोड़ निवेश किया गया। वर्ष के दौरान ₹ 5.58 करोड़ सरकारी निवेश किया गया । इनमें से दो करोड़ सरकारी कंपनी में निवेश किया गया ।

वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 920.82 के निवेश के विरूद्ध ₹ 1.40 करोड़ का मामूली वापसी हुआ। नमूना जाँच में यह प्रकट हुआ कि आठ सरकारी कंपनियों/निगमों[11] में इक्विटी (₹ 153.82 करोड़) तथा ऋण (₹ 813.92 करोड़) में ₹ 967.74 करोड़ के निवेश के विरूद्ध ₹ 1366.56 करोड़ की हानि हुई। परिणामस्वरूप, इन आठ कंपनियों/निगमों में निवेश की पूरी राशि की वसूली नहीं हुई। उसी प्रकार, 15 सरकारी कंपनियों/निगमों में ₹ 243.79 करोड़ के निवेश से ₹ 215.19 करोड़ की क्षति हुई (***परिशिष्ट 1.9*** में विवरणी दी गई है)। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, सभी राज्यों को मार्च 2011 तक अकार्यरत लोक क्षेत्र उपक्रमों को समेटने हेतु रोड मैप तैयार किया जाना था। तथापि, संबंधित विभागों द्वारा इस संबंध में कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं की गयी।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं/समितियों, सरकारी निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार कई संस्थाओं और संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम धन प्रदान कर राशि दे रही है।

तालिका 1.14 लंबित ऋणों एवं अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियों की स्थिति को तथा विगत तीन वर्षो के दौरान ब्याज के भुगतानो को दर्शाती है।

[11] बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार राज्य साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बीज निगम, बिहार राज्य डेयरी निगम लिमिटेड, बिहार पाठ्य पुस्तक प्रकाशन लिमिटेड तथा बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम ।

तालिका 1.14 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियों/ऋण लागत की राशि	2009-10	2010-11	2011-12
पूर्व शेष	14667.83	15551.42	16642.19
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम	896.78	1102.63	1906.08
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	13.20	11.86	22.51
अंतिम शेष	**15551.41**	**16642.19**	**18525.76**
जिसमें से बकाया शेष शर्ते नियत की गई है			
निवल योग	883.58	1090.77	1883.57
ब्याज प्राप्तियाँ	353.27	237.96	573.70
बकाया ऋण एवं अग्रिम के रूप में ब्याज प्राप्ति की प्रतिशतता	2.27	1.43	3.10
राज्य सरकार के बकाया राजकोषीय दायित्व/ ब्याज के भुगतान की प्रतिशतता	6.28	6.87	6.35
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्ति का अंतर (प्रतिशत)	-4.01	-5.44	-3.25

(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

चालू वर्ष के दौरान (₹ 1906.08 करोड़) ऋण अग्रिम में पूर्व वर्ष की तुलना में (₹ 1102.63 करोड़) ₹ 803.45 करोड़ (73 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान अग्रिम दी गयी ₹ 1906.08 करोड़ में, ₹ 935.54 करोड़ विद्युत परियोजना हेतु था। इसके अतिरिक्त, ₹ 18525.76 करोड़ की कुल बकाया ऋण में ₹ 14730.25 करोड़ विद्युत क्षेत्र का था। यह प्रदर्शित करता है कि सरकार विद्युत क्षेत्र को ऋण तथा अग्रिम उनके पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज) बिना सुनिश्चित किये प्रदान कर रहीं थी। नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वर्ष 2011–12 तक ₹ 13642.81 करोड़ प्रदान किया गया तथा बोर्ड को प्रत्येक वर्ष भारी हानि हो रही थी ***(परिशिष्ट 1.9)*** ।

1.6.4 नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

तालिका 1.15 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गए नकद शेष तथा निवेशों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.15 नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2012 को	वृद्धि/कमी
नकद शेष	2735.44	1509.45	-1225..99
नकद शेष से निवेश (क से घ)	2294.80	434.46	(-)1860.34
क. भारत सरकार का कोषागार बिल	0.00	0.00	0.00
ख.भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	2290.15	429.81	(-)1860.34
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.65	4.65	0.00
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
तारांकित शेष (क से ग) से निवेश का निधिवार विखंडन	440.10	676.53	236.43
क. अकाल राहत कोष	0.10	0.10	0.00
ख. निक्षेप निधि	440.00	676.43	236.43
ब्याज प्राप्ति	222.08	236.53	14.45
*वृद्धि नहीं, 00961 पूर्णांक आँकड़ा स्वीकार्य			

(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष के दौरान नकद शेष ₹ 2735.44 करोड़ से घटकर ₹ 1509.45 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के प्रतिभूतियों में राज्य सरकार के निवेश 31 मार्च 2011 को ₹ 2290.15 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2012 को ₹ 429.81 करोड़ हो गयी। 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में तारांकित शेष में निवेश ₹ 236.43 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2011–12 के दौरान निवेश पर ₹ 236.53 करोड़ ब्याज की वसूली वर्ष 2010–11 के दौरान वसूली गयी ब्याज (₹ 222.08 करोड़) से ₹ 14.45 करोड़ अधिक थी।

सरकारी विभाग मुख्यालय, पाँच जिला योजना अधिकारियों[12] प्राचार्य, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर तथा 12 निगमों,[13] परिषदों, उपक्रमों एवं समितियों के अभिलेखों के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि इन संस्थाओं/संगठनों के 66 वाणिज्यिक बैंक खातों, मियादी जमा आदि में ₹ 2413.57 करोड़ की सरकारी निधि पड़ी थी (विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.10*** में) जैसा कि वित्तीय लेखा के विवरणी 1 के पाद टिप्पणी 5 में दर्शाया गया है।

1.7 परिसंपत्ति एवं देनदारी

1.7.1 परिसंपत्ति एवं देनदारी की वृद्धि एवं संरचना

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली सरकार की भूमि और भवन जैसे निर्धारित परिसंपत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं करता है। ***परिशिष्ट 1.11*** 31 मार्च 2011 तथा 2012 तक की राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। मुख्य देनदारी आंतरिक ऋण, भारत सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा से प्राप्तियाँ तथा आरक्षित निधि थे जबकि परिसंपत्तियों में पूँजीगत परिव्यय राज्य सरकार को दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल थे।

समग्र देनदारी का अर्थ राज्य की संचित निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देनदारी है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के ऋण और विशेष उद्देश्य हेतु विशिष्ट उद्देशीय परिवहन गारंटी जिनके मूलधन और/या ब्याज की देनदारी राज्य के बजट से ही दी जाती है, सम्मिलित है।

1.7.2 राजकोषीय दायित्व

तालिका 1.16 तथा **चार्ट 1.9** में राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्वों के प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 1.16 : बकाया राजकोषीय दायित्व[14]

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राशि (₹ करोड़ में)	50989.18	54976.75	58689.91	62858.01	67811.84
वृद्धि दर	3.87	7.82	6.75	7.10	7.88
राजकोषीय देयताओं का निम्न से अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी)	0.429	0.363	0.331	0.289	0.259
राजस्व प्राप्ति	1.807	1.667	1.652	1.412	1.321
स्वयं के संसाधन	9.086	7.504	6.013	5.791	5.022
राजकोषीय देयताओं की निम्न से उत्पलवक्ता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.260	0.284	0.396	0.313	0.386
राजस्व प्राप्ति	0.174	0.462	0.875	0.280	0.517
स्वयं के संसाधन	0.165	0.256	0.203	0.633	0.323

(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

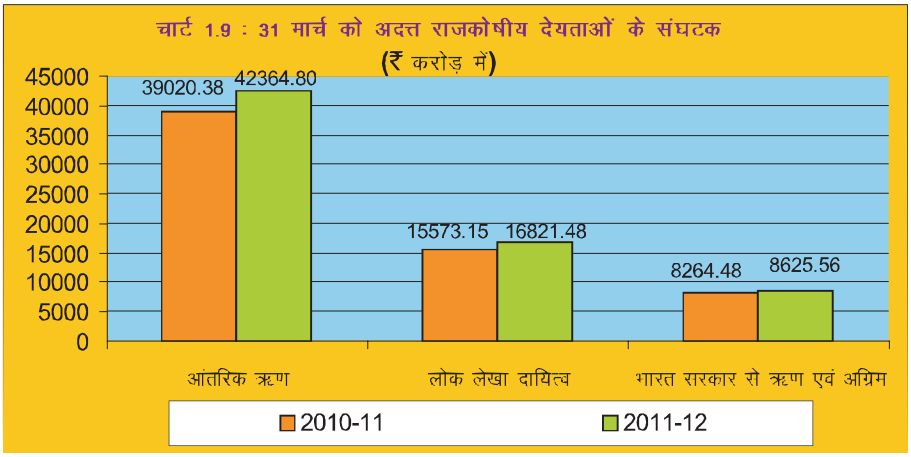
राज्य का राजकोषीय दायित्व वर्ष 2007–08 में ₹ 50989.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 67811.84 करोड़ हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयता के संघटक को **चार्ट 1.9** में दर्शाया गया है।

[12] आरा, भभुआ, बक्सर, मोतिहारी, तथा रोहतास।

[13] बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुर्ननिर्माण समिति, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (माध्यमिक), बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् , बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकार, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा बिहार राज्य महिला विकास निगम।

[14] बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि से ऋण एवं अन्य दायित्व।

चार्ट 1.9 : 31 मार्च को अदत्त राजकोषीय देयताओं के संघटक



(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

उपर्युक्त **तालिका 1.16** में देखा जा सकता है कि राज्य की कुल राजकोषीय देयताएँ वर्ष 2010–11 में ₹ 62858.01 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 67811.84 करोड़ हो गयी। राजकोषीय देयताओं का वृद्धि दर वर्ष 2010–11 में 7.10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 7.88 प्रतिशत हो गया। तथापि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति राजकोषीय देयताओं का अनुपात वर्ष 2007–08 में 42.88 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 के दौरान 25.86 प्रतिशत हो गया। जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशांसित 30 प्रतिशत के प्रतिमान से कम था। यह चालू वर्ष के लिए बिहार राजकोषीय दायित्व के लक्ष्य 46.40 प्रतिशत से बहुत कम था। वर्ष 2011–12 के अंत में देयताएँ राजस्व प्राप्ति का 1.32 गुणा तथा राज्य के अपने स्त्रोतों का 5.02 गुणा रही। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्पलावकता 0.386 थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजकोषीय देयता के अनुपात में कमी की प्रवृति राज्य के अपने देयताओं को निर्वाह करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

1.7.3 प्रत्याभूति की स्थिति – आकस्मिक देयताएँ

यदि उधार लेने वाला जिसके लिए प्रत्याभूति का विस्तार किया गया और उसके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो गारंटी राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयता होते है। संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया गया है जिसके निर्धारित सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि के प्रतिभूति पर गारंटी दिया जा सकें। राज्य सरकार द्वारा दिये गए गत तीन वर्षो की प्रत्याभूति की स्थिति **तालिका 1.17** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.17 :सरकार द्वारा दी गयी गारंटी

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2009-10	2010-11	2011-12
गारंटी की अधिकतम राशि	1547.73	1549.03	2049.03
गारंटी की बकाया राशि (पूँजी)	898.83	587.96	1092.34
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम गारंटी राशि की प्रतिशतता	4.36 (35527)	3.48 (44532)	3.99 (51320)
कोष्ठक में आँकड़े राजस्व प्राप्तियों इंगित करते है ।			

(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

यह स्पष्ट था कि वर्ष 2011–12 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 504.38 करोड़ राशि की गारंटी दी गयी । 31 मार्च 2012 को मुख्यतः बिहार राज्य खाद्य एवं असैन्य आपूर्ति निगम (₹ 500 करोड़), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 194.68 करोड़), क्रेडिट कोऑपरेटिव (₹ 157.89 करोड़) तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 127.47 करोड़) के संबंध में गारंटी की ₹ 1092.34 करोड़ की राशि बकाया थी। इसके अतिरिक्त, बारहवें वित्त आयोग की

अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा देयता से मुक्ति हेतु गारंटी शुल्क के जरिये गारंटी मोचन विधि की स्थापना नहीं की गयी थी।

1.8 ऋण निर्वाहता

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाए जो कि राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता[15] का निर्धारण करते है। प्रतिवेदन का यह प्रमाण पत्र स्थिरता,[16] गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता,[17] उधार ली गई राशियों की निवल अनुपलब्धता,[18] ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋणों की संवहनीयता का आकलन करता है।

तालिका 1.18 वर्ष 2007–08 से प्रारंभ होने वाले आगामी पाँच वर्षो की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण संधारणीयता का विश्लेषण करता है।.

तालिका 1.18 : ऋण निर्वाहता: सूचकांक और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरता (परिणाम विस्तार + प्रारंभिक अधिशेष	5925.05	10729.53	-226.39	9449.84	7910.80
गैर–ऋण की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	1318.00	-804.00	-1524	3372	-1485.07
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	-1496.00	93.28	28	71	651
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षो में)*					
शून्य से एक वर्ष (2012)					738.69 (3.66)
एक से तीन वर्ष (2013–2015)					4450.55 (22.06)
तीन से पाँच वर्ष (2016–2017)					895.05 (4.44)
पाँच से सात वर्ष (2018–2019)					7488.93 (37.12)
सात वर्ष से अधिक (2020 के आगे)					6600.00 (32.72)
कुल बाजार ऋण					20173.22 (100.00)

* तालिका में बाजार ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा है जो केवल वर्ष 2011–12 में वित्तीय लेखा में उपलब्ध परिपक्वता का वर्ष है।

कोष्ठक में दिये आँकड़े देय पुनर्भुगतान की प्रतिशतता को दर्शाते है।

(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

[15] किसी समयावधि तक ऋण और जी. एस. डी. पी. अनुपात को स्थिर रखने की सरकार के सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसके ऋण चुकाने के सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू था कि प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपति की पर्याप्तता का भी जिक करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण की चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होना चाहिए।

[16] स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिये गए दर विस्तार जी. एस. डी. पी. वृद्धि दर ब्याज दर एवं परिणाम विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण की स्थिति दर्शाता है यदि आरंभिक घाटा के साथ परिणाम विस्तार शून्य है तो ऋण जी. एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि प्रारंभिक घाटा के साथ विस्तार, ऋणात्मक हो तो ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात बढ़ेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात अंततः घटेगा।

[17] राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों एंव बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सकें। यदि प्रारंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है।

[18] उधार निधियों की निवल उपलब्धता – इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण विमोचन अनुपात (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण विमोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्धता उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है।

प्रत्येक सूचकों की स्थिति निम्नवत थी:

यदि प्रारंभिक घाटा के साथ–साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण–जी.एस.डी.पी. अनुपात नियत होगा या ऋण निम्नवत स्थिर होगा। वर्ष 2010–11 की तुलना में प्रमात्रा विस्तार के साथ प्रारंभिक घाटा ₹ 9449.84 करोड़ से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 7910.80 करोड़ हुआ जो यह दर्शाता है कि ऋण निर्वाहता में कमी हुई।

उधार निधियों की निवल उपलब्धता वर्ष 2010–11 में ₹ 71 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 651 करोड़ हो गयी।

वर्ष 2011–12 के वित्त लेखे के विवरणी संख्या 6 के अनुसार सरकार ने आंतरिक ऋण में ₹ 5801 करोड़, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में ₹ 827 करोड़, अन्य देयता में ₹ 11943 करोड़ आंतरिक ऋण बढ़ाया तथा ₹ 2457 करोड़ भारत सरकार से ₹ 465 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान किया और ₹ 10694 करोड़ मूल्य के अन्य देयता विमुक्त किया। फलतः वर्ष के दौरान उधार निधियों की निवल उपलब्धता मात्र ₹ 651 करोड़ थी।

तालिका 1 .18 में राज्य ऋण की परिपक्वता दर्शाता है कि कुल ऋण का 30.16 प्रतिशत आने वाले पाँच वर्ष के अंदर भुगतान किया जाना है और शेष 69.84 प्रतिशत पाँच वर्षो के बाद भुगतान किया जाना। वर्ष 2016–17 की अवधि में ₹ 895.05 करोड़, वर्ष 2018–19 की अवधि में ₹ 7488.93 करोड़ तथा वर्ष 2020 तथा उसके बाद की अवधि के दौरान ₹ 6600 करोड़ ऋण भुगतान के लिए राज्य उत्तरदायी है, इसके लिए ऋण संधारणीयता में सुधार कर निधि संवर्धन करना होगा, जिससे आने वाले समय में ऋण का पुर्नभुगतान किया जा सकें। इन क्रमिक वर्षो में परिपक्व ऋण के अतिरिक्त और कर्ज नहीं लेना पड़े इसके लिए सरकार को ऋण पुनर्भुगतान हेतु सुदृढ़ योजना तैयार करना होगा।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

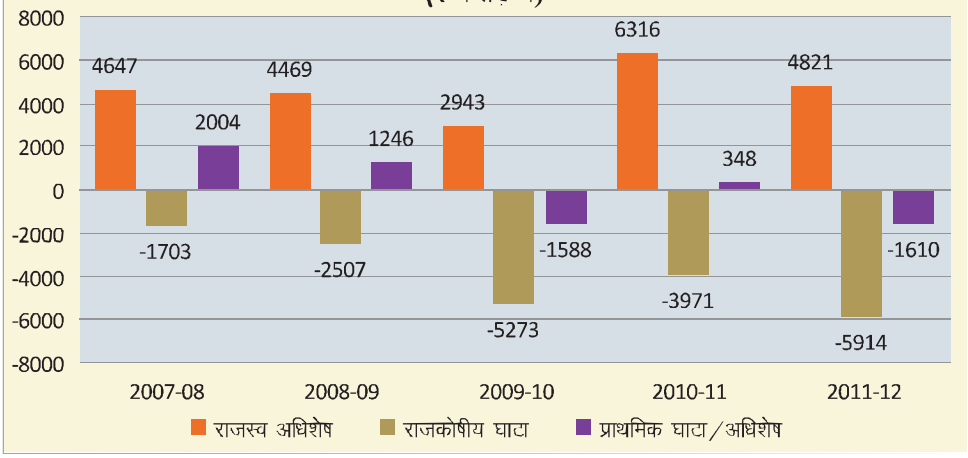
तीन मुख्य वित्तीय पैमाने–राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटे–किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है। सरकारी लेखे में घाटा प्राप्ति तथा व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है । घाटे की प्रवृत्ति सरकार के वित्तीय प्रबंधन को इंगित करता है। साथ ही घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है। यह, खंड इन घाटों की प्रवृति, प्रकृति, परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीका को दर्शाता है, साथ ही यह एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक प्राप्त राजस्व के स्तर की गणना करता है।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

राज्य को वर्ष 2007–08 से राजस्व अधिशेष प्राप्त था तथा इसके बाद भी राजस्व अधिशेष बना रहा। **चार्ट 1.10** से प्रदर्शित होता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2010–11 के दौरान वास्तविक अधिशेष में ₹ 3373 करोड़ की वृद्धि हुई परन्तु वर्ष 2011–12 में ₹ 1495 करोड़ की कमी हुई। वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 4821 करोड़ का राजस्व अधिशेष राज्य के बजट प्रक्षेप ₹ 6272 करोड़ से काफी कम था।

चार्ट 1.10 : घाटे की सूचकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.19: वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान घाटे की प्रवृत्ति

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व अधिशेष/जी. एस. डी. पी.	0.039	0.029	0.017	0.029	0.018
राजकोषीय घाटा/ जी. एस. डी. पी.	0.014	0.017	0.030	0.018	0.023
प्रारंभिक अधिशेष/ जी. एस. डी. पी.	0.017	0.008	-0.009	0.002	-0.006

(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 1495 करोड़ घट गया जिससे राजकोषीय घाटा में वर्ष 2010–11 में ₹ 3971 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 5914 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (जी.एस.डी.पी.) (2.26 प्रतिशत) वर्ष 2011–12 हेतु एफ.आर.बी.एम. अधिनियम प्रक्षेप तीन प्रतिशत के भीतर था।

पुनः, प्रारंभिक आधिशेष ₹ 348 करोड़ (2010–11) वर्ष के दौरान ₹ 1610 करोड़ के प्रारंभिक घाटा में परिवर्तित हुआ। ***(परिशिष्ट 1.7)***।

1.9.2 राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसकी वित्तपोषण प्रतिमान

राजकोषीय घाटे के वित्तीय पोषण प्रतिमान में समग्र परिवर्त्तन हुए। वर्ष 2011–12 की अवधि में घाटा वित्तीय पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों को **तालिका 1.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20 : राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसकी वित्त पोषण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय घाटा की संरचना		**(-)1703.46**	**(-)2506.97**	**(-)5273.01**	**(-)3970.31**	**(-)5914.90**
1	राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	4646.85	4469.11	2942.66	6316.40	4820.68
2	निवल पूँजीगत व्यय	(-)6103.78	(-)6436.35	(-)7332.09	(-)9195.94	(-)8852.01
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)246.53	(-)539.73	(-)883.58	(-)1090.77	(-)1883.57
राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण प्रतिमान*						
1	बाजार ऋण	(-)779.56	3757.12	2501.91	1707.78	2593.90
2	भारत सरकार से ऋण	39.75	(-)278.81	(-)49.35	316.03	361.08
3	एन. एस. एस. एफ. की विशेष प्रतिभूति	661.59	529.08	1472.52	1533.39	505.56
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	58.26	238.22	226.32	285.20	244.96
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	268.40	144.41	(-)262.86	252.70	(-)2.13
6	जमा एवं अग्रिम	1700.04	(-)690.52	(-)134.15	50.94	932.91
7	उचंत तथा विविध	(-)2190.35	395.96	(-)290.89	1830.68	1238.71

	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
8	प्रेषण	618.30	(-)221.57	(-)54.82	79.96	-36.82
9	आरक्षित निधि	(-)44.60	293.24	(-)41.69	23.72	335.93
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	74.02
11	**संपूर्ण अधिशेष/घाटा**	**(-)1371.62**	**1660.14**	**-1906.02**	**6080.37**	**6248.12**
12	नकद शेष में वृद्धि/ कमी				-2110.06	333.22
13	सकल राजकोषीय घाटा				**3970.31**	**5914.90**

* ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बहिर्गमन के निवल से विवरण, बर्हिगमन
नगद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण
(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.21 : वर्ष 2011–12 के दौरान राजकोषीय घाटा को वित्त पोषण देने वाले प्राप्तियाँ तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार ऋण	4000.00	1406.10	2593.90
2	भारत सरकार से ऋण	826.56	465.48	361.08
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	1112.54	606.98	505.56
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	688.85	443.89	244.96
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1031.81	1033.94	-2.13
6	जमा एवं अग्रिम	9877.98	8945.07	932.91
7	उच्चंत और निविध	124344.11	123105.40	1238.71
8	प्रेषण	9859.15	9895.97	-36.82
9	आरक्षित निधि	1114.53	778.60	335.93
10	अंतर्राजीय समाशोधन	75.41	1.39	74.02
11	**संपूर्ण अधिशेष (–) घाटा (+)**			**6248.12**
12	नकद शेष में वृद्धि/कमी			333.22
13	**सकल राजकोषीय घाटा**			**5914.90**

(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी एवं संसाधनों के अंतर को दर्शाता हैं, वह वर्ष 2010–11 में ₹ 3970.31 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 5914.90 करोड़ हो गया परन्तु यह बजट प्राक्कलन (₹ 6194.03 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था।

वर्ष 2010–11 के दौरान राजकोषीय घाटा पूँजीगत व्यय का 43.17 प्रतिशत था परन्तु यह वर्ष 2011–12 के दौरान बढ़कर 66.82 हो गया। वर्ष 2007–08 के दौरान राजकोषीय घाटा मुख्यतः जमा एवं अग्रिम, एन. एस. एस. एफ को जारी विशेष प्रतिभूति तथा प्रेषण द्वारा वित्त पोषित था जबकि वर्ष 2011–12 के दौरान राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार ऋण, उच्चंत एवं विविध, जमा एवं अग्रिम द्वारा वित्त पोषित था।

1.9.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व[19] प्रारंभिक राजस्व घाटे को गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा इसके गैर प्राप्तियों के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह उस विस्तार को प्रदर्शित करता है जहाँ तक राजस्व घाटा के अंतर्गत प्रारंभिक व्यय को गैर ऋण प्राप्तियाँ पूरा कर सकें। घाटे में अपघटन एवं पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते है। प्रारंभिक घाटे का द्विभाजन (**तालिका 1.22**) उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्रारंभिक घाटा हुआ, पूँजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थ व्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

[19] प्राथमिक राजस्व राज्य के घाटा गैर ब्याज राजस्व व्यय एवं इसके गैर ऋण प्राप्ति के रूप में परिभाषित है तथा यह प्रदर्शित करता है कि किस हद तक गैर ऋण प्राप्ति राजस्व लेखा के अंतर्गत किया गया प्राथमिक व्यय को पूरा करने में समग्र है ।

तालिका 1.22 : प्रारंभिक घाटा/अधिशेष–कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति[20]	प्राथमिक राजस्व व्यय[21]	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्रारंभिक राजस्व घाटा (–) अधिशेष	प्राथमिक घाटा(–) अधिशेष(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8(2-6)
2007-08	28236	19856	6104 (23)	272	26232	8380	+2004
2008-09	32992	24759	6436 (20)	551	31746	8233	+1246
2009-10	35540	28899	7332 (21)	897	37128	6641	-1588
2010-11	44544	33897	9196(4)	1103	44196	10647	+348
2011-12	51343	42195	8852	1906	52953	9148	-1610

(स्त्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित होता हे कि वर्ष 2007–08 के दौरान सरकार को ₹ 8380 करोड़ का राजस्व अधिशेष हुआ जो वर्ष 2009–10 में घटकर ₹ 6641 करोड़ हो गया परन्तु वर्ष 2010–11 में बढ़कर ₹ 10647 करोड़ तथा अंततः वर्ष 2011–12 में घटकर ₹ 9148 करोड़ हो गया। यह मुख्यतः प्राथमिक व्यय (जिसमें प्राथमिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है) में वर्ष 2007–08 में ₹ 26232 करोड़ से वर्ष 2011–12 में ₹ 52953 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ। विस्तृत विवरण से प्रदर्शित होता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय का पूरा करने हेतु पर्याप्त थे तथा इन प्राप्तियों का भाग पूँजीगत व्यय को पूरा करने में प्रयोग किया गया। यद्यपि वर्ष 2007–08 में राज्य का प्राथमिक अधिशेष ₹ 2004 करोड़ था तथापि वर्ष 2011–12 में यह ₹ 1610 करोड़ के प्राथमिक घाटे के रूप में परिणत हुआ।

1.10 निष्कर्ष

राजस्व और व्यय का प्रतिमान

वर्ष के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति स्थिर थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद वर्ष के दौरान बिहार सरकार के राजस्व प्राप्तियों में 15.24 प्रतिशत वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण अपने कर राजस्व में 27.78 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि तथा भारत सरकार द्वारा 16.50 प्रतिशत उच्चतर कर अंतरण था। कर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग तथा बजट प्राक्कलन से क्रमशः 35.58 प्रतिशत तथा 0.23 प्रतिशत अधिक था। तथापि करेत्तर राजस्व में वर्ष के दौरान 9.71 प्रतिशत की कमी मुख्यतः वर्ष 2009–10 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण माफी की वसूली तथा झारखंड सरकार द्वारा पूर्व पुनर्गठन अवधि के पेंशन देयता का भुगतान नहीं करने के कारण हुई।

वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में 21.68 प्रतिशत (₹ 8283.57 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर व्यय में 15.98 प्रतिशत (₹ 2442.75 करोड़), सामाजिक सेवाओं में 24.12 प्रतिशत (₹ 3639.36 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में 28.09 प्रतिशत (₹ 2201.54 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2011–12 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय में ₹ 6697 करोड़ (25 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति सेवा (₹ 1941 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 1134 करोड़), ऊर्जा (₹ 946 करोड़), परिवहन (₹ 154 करोड़) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 144 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

योजना राजस्व व्यय में वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 1587 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 673 करोड़), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े जातियों का कल्याण (₹ 501 करोड़), सामान्य आर्थिक सेवाएँ (₹ 178 करोड़) तथा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (₹ 157 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

[20] राजस्व प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली का संग्रहित रूप गैर ऋण प्राप्ति है ।
[21] प्राथमिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय एवं ब्याज भुगतान में अंतर है ।

पूर्व वर्ष की तुलना में सब्सिडी के अंतर्गत व्यय में 97.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो राजस्व व्यय का छः प्रतिशत था।

पूर्व वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में ₹ 344 करोड़ की कमी हुई एवं यह कुल व्यय का 15 प्रतिशत लेखांकित किया गया ।

सरकारी निवेश की समीक्षा

गत पाँच वर्षो में सांविधिक निगमों , ग्रामीण बैंको, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में राज्य सरकार के निवेश का औसत प्रतिलाभ 0.26 प्रतिशत था जबकि इस अवधि के दौरान सरकार ने अपने उधारी पर 6.96 प्रतिशत की दर से औसत ब्याज का भुगतान किया।

राजकोषीय माप

वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 4821 करोड़ का राजस्व अधिशेष राज्य के बजट प्रक्षेप (₹ 6272 करोड़) से काफी कम था।

पूर्व वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटा (₹ 5914 करोड़) में कमी आई तथा यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 226 प्रतिशत था परन्तु यह तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य के अपने एफ. आर. बी. एम अधिनियम की सीमा (तीन प्रतिशत) के भीतर था।

पूर्व वर्ष की तुलना में राजकोषीय देयता (₹ 67811.84 करोड़) बढ़ गया। राजकोषीय देयता तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 25.86 प्रतिशत तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 30 प्रतिशत के मानक से कम था।

राज्य कार्यान्वयन एजेंन्सियों को भारत सरकार द्वारा निधि का सीधा हस्तांतरण

वर्ष 2011–12 के दौरान भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को सीधे ₹ 8958 करोड़ हस्तांतरित किया । ये निधियाँ राज्य बजट से होकर नहीं गुजरती। इन एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा सीधे निधि के हस्तांतरण हेतु पर्याप्त नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता है ताकि निधियों के उपयोग में चूक प्रभावी रूप से दूर हो तथा जिसके अभाव में राजकोषीय प्रचालन तथा दायित्व में एफ. आर. बी. एम. के आवश्यक पारदर्शिता प्रभावित और अवरूद्ध हो सकती है।

1.11 अनुशँसाएँ

- राज्य को अपने करेत्तर राजस्व को बढ़ाने हेतु प्रयास करना चाहिए।
- यह अति आवश्यक है कि राज्य संग्रहित प्रत्याभूति शूल्क द्वारा वित्त पोषित प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना करें। यह इस निधि से प्रत्याभूत राशि का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करेगी।
- वर्ष के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को सीधे हस्तांतरित किये गयी केन्द्रीय निधियाँ व्यय की भारी राशि थी तथापि राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों के पास कोई एकरूप लेखाकारण प्रणाली अथवा इन निधियों के उपयोग संबंधी रिर्पोटिंग प्रोटोकॉल नहीं था । चूँकि वर्ष के दौरान वास्तव मे उपयोग किये गए निधि की राशि संबंधी निश्चितता नहीं थी अतः राज्य सरकार तथा भारत सरकार दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि राज्य कार्यान्वयंन एजेन्सियों को सीधे हस्तांतरित केन्द्रीय विधि के बेहतर अनुश्रवण पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व प्रणाली संस्थापित करें।
- राज्य अच्छे पूँजी निवेश को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए। वे परियोजनाएँ जिनका औचित्य निम्न वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक–आर्थिक रिटर्न के कारण हैं, उन्हें चिहिन्त किया जाए तथा वहाँ उच्च लागत उधारी के प्रचालन (चैनलिंग) हेतु पूर्ण समर्थन के साथ प्राथमिकता दी जाय।
- सरकार राज्य लोक क्षेत्र उपक्रम पुर्नजीवित की स्थिति की समीक्षा करें तथा सक्षम बनाये जाने योग्य उपक्रमों को पुर्नजीवित करने के लिए एक रणनीति बनाए। वैसे लोक क्षेत्र उपक्रम जिन्हें जीवित नहीं किया जा सकें उन्हें बंद कर दिया जाय।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखा सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दत्तमत और भारित व्ययों का लेखा है जो विनियोग की विनिर्दिष्ट अनुसूची मे विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशियों के अनुरूप है। ये लेखे, मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोगों की स्पष्ट सूची बनाते है तथा विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के साथ–साथ विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत दोनों मदों को बताते है। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी को आसान बनाते है, वे वित्त लेखे के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों में किया गया वास्तविक व्यय विनियोग अधिनियम की प्राधिकृत राशि के अंतर्गत है तथा संविधान के अनुरूप भारित है। लेखा परीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि किया गया व्यय विधिसम्मत नियम, कानून, विनियम और निर्देशों के अनुरूप है।

2.1.3 बिहार बजट नियमावली के अनुसार विभिन्न विभागों से बजट अनुमान का आकलन प्राप्त कर वार्षिक बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग उत्तरदायी है। नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा आय एवं व्यय का विभागीय अनुमान विभागाध्यक्षों की सलाह पर तैयार कर वांछित तिथियों को वित्त विभाग को समर्पित करें । वित्त विभाग विस्तृत अनुमान संचित कर 'अनुदानों की मांग' तैयार करता है । बजट तैयार करने में, जहाँ तक संभव हो वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के निकट पहुँचना चाहिए। इस दुर्भर कार्य, राजस्व प्राक्कलन एवं व्यय पूर्वानुमान, दोनों में दूरदर्शिता अपेक्षित है। किसी प्राक्कलन मे परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान उतनी ही बजटीय अनियमितता है जितनी कि स्वीकृत व्यय में अधिकता बजट प्रक्रिया से तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट मद पर व्यय के आकलन में प्रदत्त राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में व्यय कर दी जाए तथा वह राशि न ही अधिक हो न कम। व्यय किए जानेवाले धन की बचत से उतनी ही वित्तीय अनियमितता होती है जितनी व्यय में अधिकता से । प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन वर्तमान कर, शुल्क, फीस आदि के दर पर आधारित होना चाहिए।

लेखा परीक्षा मे पाए गए बजट एवं व्यय के प्रबंधन की कमियाँ तथा बजट नियमावली के उल्लंघन की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.2 विनियोग लेखा का सारांश

वर्ष 2011–12 की अवधि में 51 अनुदानों /विनियोजनों के विरूद्व किए गए व्यय की सारभूत स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 2.1: वास्तविक व्यय यथा मूल/पूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	योग	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	45194.13	8033.04	53227.17	42853.64	-10373.53
	II पूँजीगत	11447.81	2170.29	13618.10	8984.42	-4633.68
	III ऋण एवं अग्रिम	1036.61	991.39	2028.00	1907.47	-120.53
कुल दत्तमत		**57678.55**	**11194.72**	**68873.27**	**53745.53**	**-15127.74**
भारित	IV राजस्व	*5090.65*	*6.26*	*5096.91*	*4633.06*	*-463.85*
	V पूँजीगत	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	VI लोक ऋण एवं पुनर्भुगतान	*2907.89*	*18.70*	*2926.59*	*2922.46*	*-4.13*
कुल भारित		***7998.54***	***24.96***	***8023.50***	***7555.52***	***-467.98***
आकस्मिकता निधि में विनियोजन (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		**65677.09**	**11219.68**	**76896.77**	**61301.05**	**-15595.72**

नोटः कुल व्यय में ₹ 987.21 करोड़ के राजस्व व्यय की वसूली/वापसी तथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित ₹ 132.40 करोड़ के पूँजीगत व्यय की प्राप्ति शामिल है ।

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

राजस्व अनुभाग के 46 अनुदानों तथा आठ विनियोजनों में ₹ 10837.38 करोड़, पूँजीगत अनुभाग के 32 अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 4637.81 करोड़ एवं ऋण अनुभाग के नौ अनुदानों में ₹ 120.53 करोड़ की बजट के कारण ₹ 15595.72 करोड़ की समग्र बचत हुई।

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 11219.68 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान विगत वर्ष के 22.93 प्रतिशत के विरूद्व मूल प्रावधान का 17.08 प्रतिशत रहा।

बचत/आधिक्य के मामले की सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार द्वारा नियंत्री अधिकारियों को दी गई (जुलाई 2012) और उनसे आधिक्य/बचत के समाधान का अनुरोध किया गया, लेकिन आधिक्य/बचत के लिए उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2012) ।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 विनियोजन यथा आवंटन प्राथमिकता

बिहार बजट नियमावली के नियम 65 के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी को संवितरण पदाधिकारी से प्राप्त बजट प्राक्कलन की जाँच करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि वे औपचारिक रूप से सही हैं, सभी विवरण और स्पष्टीकरण दिए गए है एवं स्पष्टीकरण पर्याप्त है। यदि वे अपर्याप्त हैं, तो प्रावधान बदलना चाहिए। साथ ही, बिहार बजट नियमावली के नियम 78 के अंतर्गत वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राक्कलन की प्रतियों की जाँच की जानी चाहिए तथा यदि किसी बिंदु पर जाँच की आवश्यकता हो, तो उसे तुरंत कर लेनी चाहिए। प्रशासनिक विभाग को, जिन बिन्दुओं की जाँच होनी

चाहिए, उन्हें खोजने के लिए वित्त विभाग की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी प्राप्ति पर तुरंत प्राक्कलन की जाँच शुरू कर देनी चाहिए। प्रशासनिक विभाग द्वारा किए गए जाँच का उद्देश्य बजट प्राक्कलन तथा इनके पुनरीक्षण में अधिक अथवा अपर्याप्त प्रावधानों का पता लगाना है, जिसे वे वित्त विभाग से ज्यादा आसानी से कर सकते है, क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्यादा गहरा ज्ञान है। यह भी आवश्यक है कि वित्त विभाग द्वारा जारी बजट पर्चियों के उत्तर देने में विलंब न हो। इसकी प्राप्ति तभी संभव है जब वित्त विभाग द्वारा संदर्भित बिन्दुओं पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा पहले ही विचार कर लिया गया हो एवं उनके द्वारा पूर्व में ही जाँच कर ली गई हो। यह अत्यंत आवश्यक है कि साधारणतः बजट पर्ची का उत्तर इसकी प्राप्ति से एक सप्ताह में दे दिया जाए और किसी भी स्थिति में पर्ची को एक पखवारा से अधिक अनुत्तरित न रखा जाए।

विनियोजन लेखा परीक्षा में पाया गया कि 29 अनुदानों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक बचत हुई तथा कुल विनियोजन के 20 प्रतिशत से अधिक की बचत हुई ***(परिशिष्ट 2.1)***। कुल ₹ 15595.72 करोड़ की बचत में ₹ 8907.78 करोड़ (57.12 प्रतिशत) की बचत 10 अनुदानों में हुई जिनकी बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक है जो कि **तालिका 2.2** मे निर्दिष्ट है। राजस्व दत्तमत खण्ड के अंतर्गत जिन अनुभागों ने वृहत् बचत किया वे है शिक्षा विभाग (₹ 2258.89 करोड), पंचायती राज विभाग (₹ 1120.56 करोड़) तथा नगर विकास एवं आवास विभाग (₹ 713.46 करोड़)। पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ऊर्जा विभाग (₹ 871.99 करोड़), वित्त विभाग (₹ 805.52 करोड़) तथा योजना एवं विकास विभाग (₹ 771.67 करोड़) ने वृहत् बचत किए। समग्र बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (दिसम्बर 2012)।

तालिका 2.2 : ₹ 500 एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदान की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	योग	व्यय	बचत	बचत में से अभ्यर्पण
राजस्व–दत्तमत							
1	21-शिक्षा विभाग	10915.91	1976.52	12892.43	10633.54	2258.89	1695.87
2	16-पंचायती राज विभाग	2982.88	316.90	3299.78	2179.22	1120.56	210.00
3	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	1283.78	91.05	1374.83	661.37	713.46	326.33
4	51-समाज कल्याण विभाग	2808.47	467.04	3275.51	2599.27	676.24	520.19
5	22-गृह विभाग	3534.19	380.88	3915.07	3380.33	534.74	128.82
6	20-स्वास्थ्य विभाग	2305.31	151.90	2457.21	1928.36	528.85	104.11
	योग	**23830.54**	**3384.29**	**27214.83**	**21382.09**	**5832.74**	**2985.32**
पूँजीगत–दत्तमत							
7	10-ऊर्जा विभाग	1733.93	181.45	1915.38	1043.39	871.99	798.23
8	12-वित्त विभाग	24.00	811.23	835.23	29.71	805.52	3.78
9	35-योजना एवं विकास विभाग	767.24	213.12	980.36	208.69	771.67	711.67
10	49-जल संसाधन विभाग	2096.38	343.51	2439.89	1814.03	625.86	547.11
	योग	**4621.55**	**1549.31**	**6170.86**	**3095.82**	**3075.04**	**2060.79**
महायोग		**28452.09**	**4933.60**	**33385.69**	**24477.91**	**8907.78**	**5046.11**

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

₹ 500 करोड़ से अधिक बचत के कुछ मामलों की समीक्षा नीचे दी गई है:

राजस्व–दत्तमत:

i. अनुदान संख्या "21-शिक्षा विभाग"

₹ 10915.91 करोड़ के मूल प्रावधान के विरूद्ध व्यय सिर्फ ₹ 10633.54 करोड़ हुआ, परिणामतः ₹ 282.37 करोड़ की बचत हुई। अनुपूरक अनुदानों से निधियों का संवर्धन (₹ 1976.52 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के दौरान पूरी राशि अव्यवहृत रही। बचत का कारण सूचित नहीं किए गए (दिसम्बर 2012) ।

ii. अनुदान संख्या "16-पंचायती राज विभाग"

₹ 316.90 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 2179.22 करोड़ का कुल व्यय मूल बजट (₹ 2982.88 करोड़) से कम था। बचत (₹ 1120.56 करोड़) मुख्यतः शीर्ष 2515–अन्य ग्रामीण विकास योजनाएँ, 101 पंचायती राज (राज्य योजना), 0111–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (₹ 494.01 करोड़), 2515–अन्य ग्रामीण विकास योजनाएँ, 198–ग्राम पंचायतों को सहायता, 0001– पंचायती राज संस्थाओं को सहायता (₹ 114.78 करोड़) के अंतर्गत हुए। अंतिम बचत के कारणों का विश्लेषण कंडिका 2.8 में किया गया है।

iii अनुदान संख्या "48– नगर विकास एवं आवास विभाग"

₹ 91.05 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 661.37 करोड़ का कुल व्यय मूल बजट (₹ 1283.78 करोड़), बचत (₹ 713.46 करोड़) मुख्यतः शीर्ष 2217–नगर विकास, 80–सामान्य, 800–अन्य व्यय, 0116–शहरी स्थानीय निकायों को एकीकृत शहरी विकास के लिए दिया गया सहायता अनुदान (₹ 260 करोड़) के अंतर्गत हुए। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (दिसम्बर 2012) ।

पूँजीगत–दत्तमतः

iv. अनुदान संख्या "10-ऊर्जा विभाग"

₹ 1915.38 करोड़ के कुल बजट के विरूद्ध यह अनुदान ₹ 871.99 करोड़ की बचत के साथ बंद हुआ। अनुपूरक अनुदान (₹ 181.45 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (दिसम्बर 2012)।

v. अनुदान संख्या "12-वित्त विभाग"

₹ 835.23 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध मात्र ₹ 29.71 करोड़ व्यय हुए फलतः ₹ 805.52 करोड़ की बचत हुई। अनुपूरक अनुदान द्वारा निधि का संवर्धन (₹ 811.23 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 811.23 करोड़ में से सिर्फ ₹ 5.71 करोड़ का उपयोग हुआ, शेष ₹ 805.52 करोड़ अव्यवहृत रहा। समय से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ₹ 3.78 करोड़ का बचत अभ्यर्पित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (दिसम्बर 2012)।

vi. अनुदान संख्या "35-योजना एवं विकास विभाग"

अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 208.69 करोड़ का कुल व्यय मूल प्रावधान (₹ 767.24 करोड़) और अनुपूरक प्रावधान (₹ 213.12 करोड़) दोनों से कम था। बिहार सरकार के लेखा ने दर्शाया कि बचत ₹ 771.67 करोड़ मुख्यतः शीर्ष 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 0107– मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम (₹ 664.59 करोड़ ₹ 604.59 करोड़ के अभ्यर्पण सहित) के अंतर्गत थे। प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार ने अपने अभ्यर्पण पत्र में (31 मार्च 2012) पर्याप्त बचत के लिए चेक निकासी प्राधिकारी का विलंबित निर्गमन तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रमंडलीय लेखाकारों को पदस्थापित नहीं किए जाने को

उत्तरदायी ठहराया है। सत्यापन के क्रम में पाया गया कि विभाग का आग्रह ही कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को मार्च 2012 में प्राप्त हुआ। पुनः 67 प्रमण्डलीय लेखाकारों की नियुक्ति/पदस्थापना एक माह के अंदर संभव नहीं था । अतएव स्वयं विभाग ही इस बचत के लिए जिम्मेवार था और भविष्य मे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपने कार्यप्रणाली मे सुधार की आवश्यकता है।

2.3.2 सतत् बचत

नमूना जाँच में पता चला कि विगत पाँच वर्षो में, 11 मामलों के प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक की सतत् बचत हुई जो कुल अनुदानों का 11 से 76 प्रतिशत थी जिसे ***परिशिष्ट 2.2*** पर दर्शाया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (दिसम्बर 2012)।

2.3.3 पिछले वर्ष से संबंधित आधिक्य प्रावधान का नियमितिकरण अपेक्षित

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार किसी राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोजन के आधिक्य को विधान मण्डल द्वारा विनियमन कराए। यद्यपि आधिक्य व्यय के नियमन के लिए अनुच्छेद में कोई समय सीमा तय नहीं किया गया है फिर भी विनियोग लेखा पर लोक लेखा समिति के द्वारा समीक्षा के पश्चात् ही आधिक्य व्यय का विनियमन किया जाता है। तथापि, वर्ष 1977 से 2011 तक ₹ 2278.22 करोड़ की राशि का आधिक्य व्यय विनियमन हेतु लंबित था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में दिखलाया गया है।

2.3.4 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

बिहार बजट नियमावली के नियम 117 में अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्णित है। नियम के अनुसार, जब प्रशासनिक विभाग मानता है कि अनुपूरक अनुदान अनावश्यक है तो उसे पहले वित्त विभाग से परामर्श करना चाहिए, चाहे व्यय के किसी नए विशिष्ट मद को शामिल करना पड़े अथवा अप्रत्याशित कारणों से दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को संरक्षण देना पड़े।

वर्ष के दौरान 51 मामलों में (42 अनुदान/विनियोजन) प्राप्त कुल ₹ 5879.14 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, जिसके प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख आधिक्य शामिल था, अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में दिखाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियंत्री अधिकारी बिहार वित्तीय नियमों के अधीन नियम 11 के प्रावधानों को लागू कराने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किए बगैर अनुपूरक प्रावधानों की मांग नियंत्री पदाधिकारियों के नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

2.3.5 अत्यधिक/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोजन

बिहार बजट नियमावली का नियम 37 पुनर्विनियोजन को, किसी विशिष्ट धनराशि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधि का हस्तांतरण जो विनियेाजन के एक इकाई से दूसरी इकाई के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करता है, के रूप में परिभाषित करता है।

नमूना जाँच में पता चला कि 12 अनुदानों, जिसमें 30 उप–शीर्षें शामिल थीं, के अंतर्गत ₹ 25.92 करोड़ की अतिरिक्त निधियाँ पुनर्विनियोजन द्वारा दी गई, अनावश्यक साबित हुई क्योंकि अंतिम बचत ₹ 145.74 करोड़ हुई, जैसा कि ***परिशिष्ट*** 2.5 में दिखलाया गया है। इसके अतिरिक्त, दो मामलों में अविवेकपूर्ण तरीके से ₹ 290.87 करोड़ की निकासी पुनर्विनियोजन द्वारा की गई जबकि ₹ 205.63 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जैसा कि **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3 : निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अविवेकपूर्ण निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल अभ्यर्पण	व्यय	अंतिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8=7-(4+5+6)
1	3	2059–लोक निर्माण कार्य, 80–सामान्य, 053–अनुरक्षण एवं मरम्मत, 0004–बिजली कार्य	2.60	-0.30	-0.75	1.74	+0.19
2	41	5054–सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय, 03–राजकीय उच्च पथ, 337–सड़क कार्य, 0107–राष्ट्रीय सम विकास योजना	1176.61	-290.57	-278.48	813.00	+205.44
		योग	**11179.21**	**-290.87**	**-279.23**	**814.74**	**+205.63**

(स्त्रोतः अनुदान पंजी एवं विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

अनुदान संख्या 3 के शीर्ष 2059–लोक निर्माण कार्य, 80–सामान्य, 053–अनुरक्षण एवं मरम्मत, 0004–बिजली कार्य के अंतर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.30 करोड़ की निकासी की गई जबकि ₹ 0.19 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया।

इसके अतिरिक्त, अनुदान संख्या 41 के अंतर्गत शीर्ष 5054–सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय, 03–राजकीय उच्च पथ, 337 सड़क कार्य, 0107– राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 290.57 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 205.44 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इस प्रकार अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने के बजाए घाटे के खाते से निकासी की गई।

पुनः 36 मामलों में, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 85.54 करोड़ की निकासी अपर्याप्त साबित हुई, क्योंकि इन अनुदानों के सुसंगत विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 582.49 करोड़ की बचत हुई जैसा कि ***परिशिष्ट 2.6*** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त उदाहरण इस तथ्य को निर्दिष्ट करते है कि नियंत्री अधिकारी वास्तविक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे तथा उन्हें व्यय एवं पुनर्विनियोजन की अद्यतन सूचना नहीं थी।

2.3.6 वृहद अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोजनों या उनके भाग की बचत की संभावना होने पर वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना है, जब तक कि इस बात का निश्चित पूर्वानुमान न कर लिया जाए कि दूसरी इकाई या इकाइयों के आधिक्य को पूरा करने के लिए वे जरूरी हैं। कोई भी बचत संभावित आधिक्य के लिए सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

22 अनुदानों, जिनमें 69 उप–शीर्षों सम्मिलित हैं, में ₹ 5838.96 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 4251.53 करोड़ (72.81 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.7*** में निर्दिष्ट है। प्रत्येक इकाई में अभ्यर्पण 50.11 से 99.99 प्रतिशत तक रही (₹ पाँच करोड़ तथा प्रत्येक मामले में कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)। इन निधियों के अभ्यर्पण योजनाओं/कार्यक्रमों के न होने अथवा शिथिल कार्यान्वयन के कारण हुए ।

इसके अतिरिक्त, 30 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 192 योजनाओं में 100 प्रतिशत निधियों (₹ 1472.61 करोड़) का अभ्यर्पण (*परिशिष्ट 2.8*) योजनाओं का कार्यान्वयन न होने से हुआ और लाभार्थी को इन योजनाओं से मिलने वाले लाभों और सेवाओं से वंचित रहे।

2.3.7 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

चार मामलों में अविवेकपूर्ण अभ्यर्पित की गई राशि (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण में कमी या अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाती है। बचत की राशि ₹ 105.85 करोड़ के विरूद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 393.60 करोड़ थी, फलतः ₹ 287.75 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण किया गया जैसा कि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: वास्तविक बचत (₹ एक करोड़ या अधिक) से अधिक अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/पुनर्विनियोजन का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/ पुनर्विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि (5-4=6)
1	**राजस्व दत्तमत** 2	3	4	5	6
1	17-वाणिज्य कर विभाग	82.38	17.23	18.52	1.29
2	24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	65.03	8.23	19.42	11.19
3	38–निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	124.21	39.67	40.79	1.12
	योग	**271.62**	**65.13**	**78.73**	**13.60**
	पूँजीगत दत्तमत				
4	41-सड़क निर्माण विभाग	4097.19	40.72	314.87	274.15
	योग	**4097.19**	**40.72**	**314.87**	**274.15**
	महायोग	**4368.81**	**105.85**	**393.60**	**287.75**

(स्त्रोत : विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

अस्तित्वहीन अधिशेष का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण विभाग के नियंत्री अधिकारी के पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है।

2.3.8 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नही किया जाना/विलंबित अभ्यर्पण

लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि बिहार बजट नियमावली के नियम 112 का उल्लंघन कर 26 अनुदानों/विनियोजनों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक तथा 10 प्रतिशत से अधिक) के अंतर्गत ₹ 11076.29 करोड़ में से ₹ 5498.56 करोड़ की बचत को अभ्यर्पित नहीं किया गया, जिनके विवरण *परिशिष्ट 2.9* में दिखाया गया है।

इसके अतिरिक्त, 43 मामलों में, जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक, ₹ 5612.01 करोड़ का अभ्यर्पण मार्च 2012 के अंतिम दो कार्य दिवसों में किया गया (*परिशिष्ट 2.10)*।

इससे पता चलता है कि नियंत्री पदाधिकारी बजटीय नियंत्रण के लिए जवाबदेह होने की मौलिक जिम्मेदारी के निर्वहन में विफल रहे। इन निधियों का उपयोग न तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए जिनके लिए ये आवंटित की गई थीं, न ही अन्य जरूरतमंद विभागों के उपयोग के लिए पुर्नविनियोग द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2.3.9 सघन व्यय

बिहार बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार धन को जल्दबाजी में अथवा बिना विचार किए सिर्फ इसलिए व्यय नहीं करना चाहिए कि धन उपलब्ध है अथवा अनुदान के व्यपगत होने का खतरा है। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में सघन व्यय वित्तीय नियमितता– भंग के रूप में माना जाता है। पुनः, वित्त विभाग ने एकरूप व्यय के लिए विस्तृत योजना को प्रतिपादित करते हुए स्थायी आदेश (अप्रैल 1998) जारी किया जिसके

अनुसार 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक 33 प्रतिशत, 01 अगस्त से 30 नवंबर तक 32 प्रतिशत तथा 01 दिसंबर से 31 मार्च तक 35 प्रतिशत व्यय किया जाए। इसके अलावा यह निर्देशित किया गया था कि इस स्थायी आदेश के अनुपालन के लिए निर्देशों को व्यय के लिए प्रत्येक आवंटन में निरपवाद रूप से समाविष्ट होना चाहिए।

इसके विपरीत, ***परिशिष्ट 2.11*** में सूचीबद्ध 30 मुख्य शीर्षो के संबंध में वर्ष के कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2012 में हुआ था।

वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनें में भारी व्यय से बचाव की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता हैं ।

2.4 बिना मिलान किया हुआ व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली 475 (viii) के अनुसार विभाग के प्रधान के लेखा में दर्शाये गए आँकड़े और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के खाते मे दर्शाये गए आँकड़ों के समाशोधन के लिए संयुक्त रूप से विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार उत्तरदायी होगें जबतक की इसके विपरीत कोई विशेष आदेश या नियम न हो। पुनः बिहार बजट नियमावली के नियम 134 के अनुसार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से विभागीय लेखाओं के मिलान हेतु विभागाध्यक्षों को अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए ।

यद्यपि विभागीय आँकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आँकड़ों के साथ समाशोधन नहीं किए जाने के संबंध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सतत् इंगित किया जाता रहा है । जैसा कि ***परिशिष्ट 2.12*** में दर्शाया गया है, वर्ष 2011–12 के दौरान विभाग के प्रधान द्वारा 73 मुख्य शीर्षो के अंतर्गत ₹ 49618.13 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) के व्यय का समाशोधन नहीं किया गया । उसमें से ₹ 27776.10 करोड़ (55.98 प्रतिशत) 10 मुख्य शीर्षों[1] से संबंधित थे । पुनः जाँच में पाया गया कि 20 मुख्य शीर्षो के अंतर्गत ₹ 14645.79 करोड़ (कुल असमाशोधन का 29.48 प्रतिशत) जैसा कि **तालिका 2.5** में वर्णित है, का समाशोधन नहीं किया गया था ।

तालिका 2.5 : वर्ष 2011–12 के दौरान व्यय का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
1	2048-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिए विनियोजन	236.43	236.43
2	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7808.45	7808.45
3	2203-तकनीकी शिक्षा	55.23	55.23
4	2217-शहरी विकास	572.33	572.33
5	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	115.90	115.90
6	2705-कमांड क्षेत्र विकास	89.86	89.86
7	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	36.85	36.85
8	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	279.86	279.86
9	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	193.14	193.14
10	4202-शिक्षा, खेल–कूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	56.40	56.40
11	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	321.95	321.95

1. 2049–ब्याज भुगतान, 2055–पुलिस, 2071–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, 2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2215–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2801–ऊर्जा, 4515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय, 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय तथा 5054–सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय।

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
12	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	305.40	305.40
13	4216-गृह निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	26.56	26.56
14	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	82.44	82.44
15	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	11.80	11.80
16	4408-खाद्य, भण्डारण एवं भण्डारागार पर पूँजीगत परिव्यय	100.00	100.00
17	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	149.96	149.96
18	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	102.37	102.37
19	4859-दूरसंचार एवं विद्युत जनित उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	45.34	45.34
20	5054-सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	4056.42	4056.42
	योग	**14645.79**	**14645.79**

स्त्रोतः (कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) से प्राप्त सूचना)

पुनः वर्ष 2011—12 के दौरान कुल प्राप्तियों ₹ 51320.17 करोड़ में से ₹ 13074 करोड़ (25.48 प्रतिशत), प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक का मिलान नहीं किया गया । पुनः जॉच में पाया गया कि 14 मुख्य शीर्षों में ₹ 10719.53 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 20.89 प्रतिशत) जैसा कि **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है, का मिलान नहीं किया गया ।

तालिका 2.6: वर्ष 2011—12 के दौरान प्राप्तियों का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
1	0028	29.56	29.56
2	0039	1980.98	1980.98
3	0040	7476.36	7476.36
4	0041	569.13	569.13
5	0042	828.30	828.30
6	0043	54.69	54.69
7	0059	10.06	10.06
8	0070	11.49	11.49
9	0075	+383.78	+383.78
10	0210	23.91	23.91
11	0406	11.04	11.04
12	0515	29.85	29.85
13	0701	17.59	17.59
14	1054	60.35	60.35
	योग 1	**10719.53**	**10719.53**
15	0029	167.49	160.94
16	0030	1480.07	1255.28
17	0045	25.52	25.51
18	0049	573.70	573.68
19	0405	10.16	8.43
20	0853	443.10	330.63
	योग 2	**2700.04**	**2354.47**
	महायोग	**13419.57**	**13074.00**

स्त्रोतः (कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) से प्राप्त सूचना)

2.5 निधि का अग्रिम निकासी

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 176 के अनुसार सभी उपगत परिव्ययों की निकासी एवं भुगतान शीघ्र होना चाहिए और जब तक आकस्मिक भुगतान की आवश्यकता न हो, कोषागार से राशि की निकासी नही होनी चाहिए । आगे नियम 177 में प्रावधान है कि मांगों/पूर्वानुमान में यह बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से किसी राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए । यदि विशेष परिस्थिति में, किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से राशि की अग्रिम निकासी हुई हो, तो निकासी की गई राशि के अव्यमित शेष को अगले विपत्र में संक्षिप्त निकासी के द्वारा या शीघ्रतम उपलब्ध अवसर पर चालान के साथ तथा किसी भी अवस्था में जिस वित्तीय वर्ष में राशि की निकासी हुई है, उसकी समाप्ति के पूर्व कोषागार को वापस कर देना चाहिए ।

वर्ष 2011–12 के बिहार सरकार के लेखा में ₹ 46499.49 करोड़ तथा ₹ 8852.01 करोड़ का व्यय क्रमशः राजस्व लेखा तथा पूँजीगत लेखा पर उपगत दिखाया गया था । तथापि, आठ विभागों के अभिलेखों के नमूना जॉच में पाया गया कि पॉच[2] आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राजस्व शीर्ष के 17 विपत्रों पर ₹ 919.87 करोड़ तथा नौ[3] आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने पूँजीगत शीर्ष के 26 विपत्रों पर ₹ 547.72 करोड़ की निकासी की तथा या तो उन्हें सीधे वाणिज्यिक बैंक खाते (₹ 192.16 करोड़)/व्यक्तिगत जमा खाते (₹ 179.24 करोड़) में जमा किया अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हस्तांतरित किया जहॉ इन्हें वाणिज्यिक बैंक खाते/सावधि जमा (₹ 1096.19 करोड़) में जमा किया गया । तथापि, बिहार सरकार के लेखा में पूरी राशि को व्यय के रूप में दिखाया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.13*** में वर्णित है । निधियों के अनियमित जमा ने विभागों को बजट प्रावधान के व्यपगत होने से बचाव और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राशि को व्यय करने की बजट की अनिवार्यता से बचकर निकल जाने के समर्थ बनाया । साथ ही निकासी की गई निधियॉ वित्तीय वर्ष के दौरान व्ययित नहीं की गई थीं, सरकारी लेखे में दिखाये गये व्यय वास्तविक व्यय को प्रतिबिम्बित नहीं कर रहे थे ।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। आकस्मिकता एवं अप्रत्याशित तरह का व्यय, जिसे विधान मंडल की स्वीकृति तक टाला नहीं जा सकता, के लिए इस निधि से अग्रिम दिया जा सकता है। यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है। 01 अप्रैल 2011 को शेष ₹ 350 करोड़ था। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य विधान मंडल द्वारा सहायता और पुनर्वास के लिए समग्र आकस्मिकता निधि को ₹ 350 करोड़ से ₹ 1150 करोड़ अस्थाई तौर पर बढ़ा दिया गया। यद्यपि, वित्तीय वर्ष के अंत में अंत शेष ₹ 350 करोड़ था।

[2] उप महानिरीक्षक (प्रावधान) (दो विपत्र पर ₹ 3.09 करोड़), अवर सचिव, मानव संसाधन विभाग (आठ विपत्रों पर ₹ 334.50 करोड), अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास (एक विपत्र पर ₹ 64 करोड), संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग (एक विपत्र पर ₹ 327.82 करोड) तथा अवर सचिव, सहकारिता विभाग (पॉच विपत्रों पर ₹ 190.45 करोड) ।

[3] उप महानिरीक्षक (प्रावधान) (सात विपत्रों पर ₹ 176.155 करोड़), अवर सचिव, मानव संसाधन विभाग (पॉच विपत्रों पर ₹ 13.43 करोड), अवर सचिव, स्वास्थ्य (आठ विपत्रों पर ₹ 98.44 करोड), प्राचार्य, वी.एम.सी. (एक विपत्र पर ₹ 50 करोड), प्राचार्य, एस.के.एम.सी. (एक विपत्र पर ₹ 1.07 करोड),अवर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण (एक विपत्र पर ₹100 करोड), आर.डब्ल्यू.डी. पटना (एक विपत्र पर ₹ 100 करोड), अधीक्षक, एस.के.एम. सी. (एक विपत्र पर ₹ 4.00 करोड) तथा अधीक्षक, पी.एम.सी.एच. (एक विपत्र पर ₹ 8.00 करोड) ।

2011–12 के दौरान ₹ 1242.99 करोड़ (कुल बजट प्रावधान का 1.62 प्रतिशत), के 191 आहरण हुए जिसमें से ₹ 1225.53 करोड़ आकस्मिक निधि से कुल आहरण का 98.60 प्रतिशत) के आहरण सामान्य खर्चों जैसे मोटर गाड़ी का क्रय, कार्यालय व्यय, वेतन एवं भत्ते इत्यादि के लिए थे (***परिशिष्ट 2.14)*** । चूँकि इन मदों में व्यय का पूर्वानुमान किया जा सकता था, राज्य के आकस्मिकता निधि से निकासी अनियमित और गलत था।

चयनित अनुदानों की समीक्षा

अनुदान संख्या–3 "भवन निर्माण विभाग" तथा अनुदान संख्या 16–"पंचायती राज विभाग" की बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा वर्ष 2011–12 के दौरान बचत, आधिक्य एवं अनुदान का विस्तार और अनुपूरक माँगों के आधार पर की गई (अगस्त 2012) । समीक्षा के परिणाम का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

2.7 अनुदान संख्या–3 'भवन निर्माण विभाग' की समीक्षा

भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, स्वयं का तथा अन्य असैनिक (सेवा) विभागों/निकायों/ प्राधिकरणों के द्वारा सुपुर्द लोक निर्माण कार्यो का सम्पादन करती है।

2.7.1 वृहत् बचत

वर्ष 2011–12 के दौरान कुल प्रावधान ₹ 799.53 करोड़ (मूलः ₹ 635.07 करोड़, अनुपूरक ₹ 164.46 करोड़) के विरूद्ध ₹ 436.85 करोड़ का व्यय हुआ जिससे ₹ 362.68 करोड़ (45.36 प्रतिशत) की बचत हुई जैसा कि **तालिका 2.7** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.7: विनियोग का सारांश

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान		मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल प्रावधान का प्रतिशत बचत
विभाग का स्वयं	राजस्व	262.06	14.96	277.02	219.23	57.79	56.12	20.86
	पूँजीगत	83.26	5.00	88.26	57.44	30.82	30.05	34.92
	योग (अ)	**345.32**	**19.96**	**365.28**	**276.67**	**88.61**	**86.17**	**24.26**
अन्य सेवा विभागों से संबंधित	राजस्व	14.11	0.00	14.11	1.47	12.64	12.84	89.58
	पूँजीगत	275.64	144.50	420.14	158.71	261.43	210.43	62.22
	योग (ब)	**289.75**	**144.50**	**434.25**	**160.18**	**274.07**	**223.27**	**63.11**
	योग (अ+ब)	**635.07**	**164.46**	**799.53**	**436.85**	**362.68**	**309.44**	**45.36**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

विस्तृत विनियोग लेखा के लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि इस अनुदान के अंतर्गत 17[4] अन्य सेवा विभागों के लिए ₹ 434.25 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 274.07 करोड़ (63 प्रतिशत) की वृहत् बचत हुई ***(परिशिष्ट 2.15)*** । इनमें सात विभागों का 100 प्रतिशत अनुपयोगित राशि ₹ 118.30 करोड़ (अन्य सेवा विभागों के कुल प्रावधान का 27.24 प्रतिशत) सम्मिलित थी, जिनके कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा वर्ष के दौरान नहीं किए गए जैसा कि **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है ।

[4] पशु एवं मत्स्य संसाधन (₹46.95 करोड़), कृषि (₹8.11 करोड़), शिक्षा (₹1.50 करोड़), विधि (₹69.60 करोड़), वित्त (₹24.33 करोड़), पंचायती राज (₹ 7.00 करोड़), वाणिज्य कर(₹ 1.26 करोड़), श्रम (₹23.38 करोड़), सामान्य प्रशासन (₹40.14 करोड़), मंत्रिमंडल सचिवालय (₹1.05 करोड़), कला, संस्कृति एवं युवा (₹ 65.96 करोड़), सूचना (₹0.34 करोड़), विज्ञान एवं प्रावैधिकी (₹54.33 करोड़), निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (₹ 4.88 करोड़), सहकारिता (₹4.30 करोड़), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण (₹ 76.27 करोड़) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण (₹4.85 करोड़)।

तालिका 2.8: अन्य सेवा विभागों से संबंधित 100 प्रतिशत अनुपयोगित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	कुल प्रावधान के संदर्भ में बचत प्रतिशतता
राजस्व दत्तमत								
1	पंचायती राज	2059	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100
2	वित्त	2059	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	100
	योग (अ)		**2.61**	**0.00**	**2.61**	**0.00**	**2.61**	
पूँजीगत दत्तमत								
3	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	4059	25.00	51.26	76.26	0.00	76.26	100
4	श्रम	4059	23.38	0.00	23.38	0.00	23.38	100
5	कृषि	4059	5.86	0.00	5.86	0.00	5.86	100
6	पंचायती राज	4515	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	100
7	पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण	4059	0.00	4.85	4.85	0.00	4.85	100
8	सूचना	4059	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	100
	योग (ब)		**54.58**	**61.11**	**115.69**	**0.00**	**115.69**	
	योग (अ+ब)		**57.19**	**61.11**	**118.30**	**0.00**	**118.30**	

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

इसके अतिरिक्त, आठ अन्य सेवा विभागों के संदर्भ में ₹ 210.08 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 139.47 करोड़ की वृहत् बचत हुई जो कि कुल प्रावधान का 46 से 97 प्रतिशत के बीच था जैसा कि **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: अन्य सेवा विभागों में वृहत् बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	प्रतिशत
राजस्व–दत्तमत							
1	विधि	7.72	0.00	7.72	0.21	7.51	97
2	कृषि	2.25	0.00	2.25	0.21	2.04	91
	योग (अ)	**9.97**	**0.00**	**9.97**	**0.42**	**9.55**	
पूँजीगत–दत्तमत							
3	पशु एवं मत्स्य संसाधन	46.92	0.00	46.92	10.76	36.16	77
4	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	54.33	0.00	54.33	22.27	32.06	59
5	कला, संस्कृति एवं युवा	14.00	51.96	65.96	35.35	30.61	46
6	वित्त	9.39	14.33	23.72	0.94	22.78	96
7	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	3.88	1.00	4.88	0.29	4.59	94
8	सहकारिता	0.00	4.30	4.30	0.58	3.72	87
	योग (ब)	**128.52**	**71.59**	**200.11**	**70.19**	**129.92**	
	योग (अ+ ब)	**138.49**	**71.59**	**210.08**	**70.61**	**139.47**	

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012), विभाग द्वारा वृहत् बचत का कारण बताया गया (नवम्बर 2012) कि, वित्त विभाग द्वारा मरम्मत एवं अनुरक्षण के संदर्भ में निकासी पर रोक (मार्च 2012) तथा व्यय के लिए ससमय अनुमोदन या प्राप्त न होना बताया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग ने अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए निकासी पर रोक 01 मार्च 2012 को लगाया तथा विभाग के पास व्यय के लिए ग्यारह महीने का समय था, लेकिन वो ऐसा करने मे विफल साबित हुई। पुनः अन्य सेवा विभागों से व्यय की ससमय अनुमोदन प्राप्त करने में विभाग असफल साबित हुए।

इस प्रकार, संपूर्ण बचत (45.36 प्रतिशत) और निधि का उत्तरवर्त्ती अभ्यर्पण (38.70 प्रतिशत) अवास्तविक बजट अनुमान का सूचक था जो विभाग के कार्य करने की वास्तविक क्षमता पर आधारित नहीं था। यह विभाग के अनुवीक्षण प्रक्रिया के कमी को भी उजागर करता है जैसा कि वे निधि का ससमय अभ्यर्पण नहीं किया गया ताकि अन्य जरूरतमंद विभागों द्वारा इसका उपयोग किया जा सके।

2.7.2 विलंबित अभ्यर्पण के कारण निधि का उपयोग न होना

वर्ष 2011–12 के दौरान अनुदान के अंतर्गत ₹ 362.68 करोड़ के संपूर्ण बचत के विरूद्ध, ₹ 309.44 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई। इनमें से ₹ 289.73 करोड़ (94 प्रतिशत) की राशि सम्मिलित थी जो कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (31 मार्च 2012) अभ्यर्पित की गई (***परिशिष्ट 2.16)***, जबकि बिहार बजट नियमावली का नियम 112 (जैसा कि कंडिका 2.3.6 में उद्धत है) निर्दिष्ट करता है कि अनुमानित बचत को वर्ष के अंत तक इंतजार किए बिना अभ्यर्पित किया जाना चाहिए।

यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012), विभाग द्वारा बताया गया (नवंबर 2012) कि इसका कारण 31 मार्च 2012 को कोषागार का संपर्क निष्फलता तथा अन्य सेवा विभागों द्वारा मार्च 2012 के अंतिम सप्ताह में व्यय का अनुमोदन प्राप्त होना था । जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियंत्री अधिकारी द्वारा अभ्यर्पण राशि का उचित अनुमान 28 फरवरी और 15 मार्च के बीच किया जाना था, जिसे बिहार बजट नियमावली के नियम 135 के अनुसार अभ्यर्पण किया जाना था। विलंबित अभ्यर्पण विभाग में अपर्याप्त बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण का सूचक था। पुनः, संपर्क निष्फलता 31 मार्च 2012 अर्थात्, जो वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन हुआ था।

2.7.3 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

अनुपूरक प्रावधान की मांग व्यय के लिए निधि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है जिसके लिए मूल प्रावधान अपर्याप्त हो । तथापि अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ₹ 164.46 करोड़ के कुल अनुपूरक प्रावधान का अधिकांश भाग (59 प्रतिशत) परिहार्य था जैसा कि **तालिका 2.10** में वर्णित है।

तालिका 2.10: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान
अन्य सेवा विभागों से संबंधित							
पूँजीगत–दत्तमत							
1	वित्त	9.39	14.33	23.72	0.94	22.78	14.33
2	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	3.88	1.00	4.88	0.29	4.59	1.00
3	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	25.00	51.26	76.26	0.00	76.26	51.26

क्रम सं0	विभाग का नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान
4	पंचायती राज	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
5	पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.00	4.85	4.85	0.00	4.85	4.85
	योग (1)	**38.27**	**76.44**	**114.71**	**1.23**	**113.48**	**76.44**
6	वाणिज्य कर	0.51	0.75	1.26	1.12	0.14	0.00
7	मंत्रिमंडल सचिवालय	0.00	1.05	1.05	0.90	0.15	0.00
8	कला, संस्कृति एवं युवा	14.00	51.96	65.96	35.35	30.61	0.00
9	विधि	51.89	10.00	61.89	58.93	2.96	0.00
10	सहकारिता	0.00	4.30	4.30	0.58	3.72	0.00
	योग (2)	**66.40**	**68.06**	**134.46**	**96.88**	**37.58**	**0.00**
	योग (अ)=(1) +(2)	**104.67**	**144.50**	**249.17**	**98.11**	**151.0 6**	**76.44**
	विभाग के स्वयं						
11	राजस्व	262.06	14.96	277.02	219.23	57.79	14.96
12	पूँजीगत	83.26	5.00	88.26	57.44	30.82	5.00
	योग-(ब)	**345.32**	**19.96**	**365.28**	**276.67**	**88.61**	**19.96**
	योग-(अ+ब)	**449.99**	**164.46**	**614.45**	**374.78**	**239.37**	**96.40**

(स्त्रोतःविस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

तालिका 2.10 में देखा जा सकता है कि ₹ 345.32 करोड़ के मूल प्रावधान के विरूद्ध विभाग का स्वयं का कार्य व्यय ₹ 276.67 करोड़ था। इस प्रकार, ₹ 19.96 करोड़ का विभाग का स्वयं का कार्य के लिए अनुपूरक प्रावधान आधिक्य एवं अनावश्यक था। उसी प्रकार, पाँच अन्य सेवा विभागों[5] के मामले में ₹ 38.27 करोड़ मूल प्रावधान के विरूद्ध व्यय महज ₹ 1.23 करोड़ था। इस प्रकार, इन विभागों (₹ 76.44 करोड़) के लिए अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। कुल मिलाकर, ₹ 96.40 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अदूरदर्शी, विवेकहीन एवं अनावश्यक था।

विभाग द्वारा इसका कारण बताया गया (नवम्बर 2012) कि सेवा विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि व्यय के लिए अनुपूरक प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे इंगित हुआ कि सेवा विभागों या फिर वित्त विभाग के पास भी व्यय की समीक्षा अथवा वास्तविक जरूरत को मापने की कोई पद्धति नही थी। आधिक्य अनुपूरक अनुदान का प्रावधान अन्य जरूरतमन्द विभागों के लिए संसाधनों के अवरोधन का कारण बना।

2.7.4 *सधन व्यय*

वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय के समरूप प्रवाह का होना बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। खासकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में सघन व्यय करना वित्तीय नियमितता का उल्लंघन समझा जाता है। पुनः वित्त विभाग के समरूप व्यय के लिए विस्तृत योजना को प्रतिपादित करते हुए स्थायी आदेश निर्गत भी किया गया। इस स्थायी आदेश को व्यय के लिए प्रत्येक आवंटन आदेश में भी समाविष्ट करना था।

[5] वित्त विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

2011–12 के दौरान, सात मुख्य शीर्षो में ₹ 436.85 करोड़ के व्यय हुए जिनमें से ₹ 210.62 करोड़ (48.21 प्रतिशत) मार्च 2012 में किया गया, जिससे बिहार बजट नियमावली के नियम 113 का उल्लंघन हुआ ***(परिशिष्ट 2.17)*** ।

2.7.5 विभागीय व्यय आँकड़ों का असमाशोधन

यद्यपि, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) तथा बिहार बजट नियमावली के नियम 134 के प्रावधानों के अंतर्गत यह जरूरी है कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्तिका में दर्ज आँकड़ों के साथ व्यय आँकडों का समाशोधन किया जाए, जो विभाग द्वारा नहीं किया गया जिसमें तीन मुख्य शीर्षो के सात उप शीर्षो के अन्तर्गत व्यय आँकडो में ₹ 76.86 करोड़ का अंतर था ***(परिशिष्ट 2.18)***।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (नवम्बर 2012) कि लेखा परीक्षा के दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।

2.7.6 कार्यरत बल का अत्यंत अभाव

भवन निर्माण विभाग में अभियंताओं के स्वीकृत पद हैं लेकिन अभियंताओं का कोई संवर्ग नहीं था। भवन निर्माण विभाग के आग्रह पर पथ निर्माण विभाग द्वारा अभियंता उपलब्ध कराए जाते हैं।

अन्य सेवा विभागों के लिए ₹ 434.25 करोड़ के कुल, बजट प्रावधान के विरूद्ध सिर्फ ₹ 160.18 करोड़ (कुल प्रावधान का 37 प्रतिशत) ही व्यय किया गया था जिससे प्रतीत होता है कि कार्य निष्पादित करने वाले विभाग की निराशाजनक प्रदर्शन प्रतिलम्बित हुई। इस निराशाजनक व्यय क्षमता का कारण, विभागीय पर्यवेक्षी अधिकारियों की संस्वीकृत बल की तुलना में अपर्याप्त कार्यरत बल पर दिया जा सकता है जिसने विभागीय प्रदर्शन को कुप्रभावित किया जैसा कि **तालिका 2.11** में देखा जा सकता है।

तालिका 2.11: कार्यरत बल

पद का नाम	संस्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ	रिक्तियों की प्रतिशतता
सहायक अभियंता	272	168	104	38
कनीय अभियंता	422	180	242	57

(स्त्रोतः भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

जवाब में, विभाग द्वारा कहा गया (नवम्बर 2012) कि भवन निर्माण विभाग में अभियंत्रण सेवाओं का कोई संवर्ग नहीं है। पथ निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण विभाग को समय–समय पर अभियंताओं की सेवा उपलब्ध कराई जाती थी, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए बजट प्रावधान में वेतन शीर्ष उपलब्ध कराई गई थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भवन निर्माण विभाग के पास कार्यो का सम्पादन करने और निधि के व्यय के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षी कार्यरत बल का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन इस बात का कोई अभिलेख नहीं है जिससे यह पता चले कि भवन निर्माण विभाग ने कार्यरत बल के मुद्दे को पथ निर्माण विभाग के साथ उठाया।

इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्यों की श्रृंखलाबद्धता से प्रदर्शित होता है कि भवन निर्माण विभाग निधि को अवशोषित करने, व्यय करने अथवा उपयोग में लाने में अक्षम था जैसा कि पर्याप्त एवं वृहत् अभ्यर्पण, अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान से परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, मार्च महीने में सघन व्यय एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित खाता–बही के साथ व्यय का समाशोधन न होना विभाग के अंतर्गत व्याप्त बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

2.8 अनुदान संख्या–16 'पंचायती राज विभाग' की समीक्षा

अनुदान संख्या 16 के संदर्भ में बजट प्रावधानों, व्यय एवं बचत की स्थिति **तालिका 2.12** तथा ***परिशिष्ट 2.19*** में दी गई है।

तालिका 2.12: बजट प्रावधान, व्यय एवं बचत इत्यादि की विवरणी

(₹ करोड़ में)

	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन		कुल प्रावधान	अभ्यर्पण	निवल प्रावधान	व्यय	कुल बचत	बचत की प्रतिशत
राजस्व (दत्तमत)	2982.88	316.90	+2.74	-2.74	3299.78	210.00	3089.78	2179.21	910.57	29.47
पूँजीगत (दत्तमत)	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	100
कुल	**3232.88**	**316.90**	**+2.74**	**-2.74**	**3549.78**	**210.00**	**3339.78**	**2179.21**	**1160.57**	**34.75**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, 2011–12 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध आंकड़ें)

2.8.1 वृहत् बचत

₹ 3339.78 करोड़ (**तालिका 212**) के निवल बजट प्रावधान के विरूद्ध संपूर्ण बचत ₹ 1160.57 करोड़ (34.75 प्रतिशत) था । राजस्व भाग के अंतर्गत बचत मुख्यतः सात उप शीर्षो[6] के अधीन हुए(₹ 840.72 करोड़ अर्थात कुल बचत ₹ 910.57 करोड़ का 92.33 प्रतिशत) तथा पूँजीगत भाग अंतर्गत ₹ 250 करोड़ की बचत दो उप शीर्षो[7] के अधीन हुए (अर्थात शत प्रतिशत बचत) जैसा कि ***परिशिष्ट 2.20*** में स्पष्टीकृत है । यह भी पाया गया कि राजस्व भाग के सात उप शीर्षो में से दो उप शीर्षो[8] में ₹ 83.89 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान अनुपयोगित रह गया।

इस ओर इंगित करने पर, विभाग ने जवाब दिया (नवम्बर 2012) कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्र सरकार से पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना (बी.आर.जी.एफ.) की दूसरी किश्त तथा तेरहवीं वित्त आयोग के अंतर्गत निष्पादन अनुदान निधि के न मिलने के कारण मुख्यतः बचत हुई। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त योजना के तहत बचत मात्र ₹ 681.29 करोड़ (पंचायती राज विभाग की कुल बचत का 58.70 प्रतिशत) थी। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य उजागर होता है कि ऐसे वृहत् बचत अपने आप में बजट अनुमान का अवास्तविक मूल्यांकन तथा बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया की शिथिलता को दर्शाता है ।

2.8.2 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

बिहार बजट नियमावली के नियम 156 के विपरीत पंचायती राज विभाग ने दो उप–शीर्षो के अंतर्गत ₹ 56.73 करोड़ का अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया जबकि व्यय मूल प्रावधान (₹ 1556.97 करोड़) के स्तर तक भी नहीं हो पाया (**तालिका 2.13**) ।

[6] 2015-00-109-0002; 2515-00-101-0110; 2515-00-101-0111; 2515-00-197-0001; 2515-00-198-0001; 2515-00-789-0102 एवं 2515-00-789-0107

[7] 4515–00–101–0104 एवं 4515–00–789–0102

[8] 2515–00–101–0110 एवं 2515–00–789–0107

तालिका 2.13: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय
1	2515-00-198-0001-पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	660.40	48.93	594.55
2	2515-00-101-0111-पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	896.57[9]	7.80	410.36
	योग	**1556.97**	**56.73**	**1004.91**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोजन लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

विभाग ने जबाव में बताया (नवम्बर 2012) कि उपर्युक्त दो मामलों में अनुपूरक प्रावधान केन्द्र सरकार से तेरहवीं वित्त आयोग एवं पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना के अंतर्गत निधि प्राप्ति के प्रत्याशा में की गई थी लेकिन यह वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त नहीं हुए।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी उप–शीर्ष के अंतर्गत निधि का प्रावधान आवश्यकता आधारित एवं योजना में व्यय की मांग के अनुरूप होनी चाहिए। अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान से वास्तविक मूल्यांकन की कमी संकेतिक हुई एवं निधियों के उपयोग की विभागीय अक्षमता के अलावा नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा निराशाजनक वित्तीय प्रबंधन का भी प्रकटीकरण हुआ।

2.8.3 बचत के अभ्यर्पण न होने के कारण विनियोजन का व्यपगत होना

विभाग ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को (31 मार्च 2012) वित्त विभाग द्वारा अनुदान के अंतर्गत ₹ 1119.85 करोड़ के अभ्यर्पण के अनुमोदन के संबंध में सूचित किया ***(परिशिष्ट 2.21)***। लेकिन वित्त विभाग के संयुक्त सचिव सह–बजट अधिकारी ने कहा (अक्टूबर 2012) कि विलंबित समर्पण के कारण अभ्यर्पण का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया। इस प्रकार, विभाग के निरूत्साही मनोंवृत्ति के कारण, ₹ 1119.85 करोड़ की संपूर्ण बचत व्यपगत हो गई और अन्य जरूरत मंद विभागों द्वारा व्यवहृत नहीं की जा सकी।

2.8.4 सघन व्यय

वर्ष 2011–12 के दौरान मुख्य शीर्ष 2515 के अंतर्गत ₹ 2110.76 करोड़ के कुल व्यय के विरूद्ध ₹ 1112.71 करोड़[10] (52.72 प्रतिशत) का व्यय वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में किया गया जिसमें आठ उप–शीर्षो में शत प्रतिशत व्यय (₹ 660.42 करोड़) सम्मिलित है जो मार्च महीने में ही की गई (***परिशिष्ट 2.22***)।

इस संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने कहा (नवम्बर 2012) कि यह विभिन्न प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं एवं अन्य बाध्यताओं के कारण हुआ।

विभाग का जवाब सशक्त नही था क्योंकि जैसा कि उत्तरदायी ठहराया गया है, इस प्रकार की प्रक्रियात्मक विलंब के लिए विभाग पूरी तरह जिम्मेवार है। दूसरा यह कि, आठ उप–शीर्षो में मार्च महीने में ही ₹ 660.62 करोड़ के शत प्रतिशत व्यय के औचित्य के रूप में नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार, सघन व्यय से बिहार बजट नियमावली के नियम 113 के अंतर्गत परिकल्पित निर्देशों का उल्लंघन हुआ एवं ऐसे व्यय में मितव्यमिता का निर्धारण नहीं किया जा सका।

[9] मूल ₹ 1106.57 करोड़ – अभ्यर्पण ₹ 210 करोड़ = ₹ 896.57 करोड़

[10] व्यय ₹ 2110.76 करोड़ – माह फरवरी 2012 तक का व्यय ₹ 998.05 करोड़ (महालेखाकार (लेखा एवं हक) के माह फरवरी 2012 के व्यय प्रतिवेदन के अनुसार)

2.8.5 व्यय ऑकड़ों का असमाशोधन

बिहार वित्तीय नियमावली एंव बिहार बजट नियमावली (जैसा कि कंडिका 2.4 में वर्णित है) के प्रावधानों "विभाग के व्यय आँकड़ों का महालेखाकार की खाता बही के साथ समाशोधन" के विपरीत समाशोधन नहीं होने के कारण 32 उप–शीर्षो में से 22 उप–शीर्षो में व्यय के आँकड़ों में अंतर पाया गया ***(परिशिष्ट 2.23)***। लेखा –परीक्षा की जॉच में निम्नलिखित और भी कमियाँ उद्धृत हुईः

- विभाग द्वारा प्रदत्त व्यय के आँकड़ों से विस्तृत विनियोग लेखा में 15 उप–शीर्षो में ₹ 43.95 करोड़ का कम व्यय और सात अन्य उप–शीर्षो में ₹ 213.55 करोड़ का अधिक व्यय दिखाया गया ***(परिशिष्ट 2.23)***।
- विभाग द्वारा शीर्ष 2015–00–109–0002 (जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत का चुनाव) से नौ उप–शीर्षो (₹ 2.74 करोड़) में पुनर्विनियोजन द्वारा किए गए निधि के प्रावधान को विस्तृत विनियोजन लेखा में नहीं दिखाया गया ***(परिशिष्ट 2.24)***।
- मुख्य शीर्ष 4515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु पूँजीगत परिव्यय) अंतर्गत ₹ 210.31 करोड़ विस्तृत विनियोजन लेखा में व्यय के रूप में दर्ज किया गया जैसा कि **तालिका 2.14** में दर्शाया गया है जबकि योजना स्वीकृत न होने के कारण विभाग द्वारा उक्त शीर्षो में निधि संस्वीकृत/आवंटित नहीं की गई थी ।

तालिका 2.14: विस्तृत विनियोग लेखा में दर्ज व्यय

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	प्रावधान	व्यय
4515-00-101-0104:पंचायत सरकार भवन वित्त आयोग की अनुशंसा	175.00	140.38
4515-00-789-0102:पंचायत सरकार भवन वित्त आयोग की अनुशंसा	75.00	69.93
योग	**250.00**	**210.31**

(स्त्रोतःविस्तृत विनियोजन लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

2.8.6 सरकारी लेखा में वास्तविक व्यय का प्रतिबिम्बित न होना

- छः जिलों[11] के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय के नमूना जाँच में पाया गया कि संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/डी पी आर ओ) द्वारा माह मार्च 2012 के दौरान 16 उप–शीर्षो में ₹ 248.33 करोड़ की निकासी की गई ***(परिशिष्ट 2.25)***। निधि का न तो जिला स्तर पर उपयोग किया गया ना ही जिला परिषदों/डी पी आर ओ द्वारा पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को उप–आवंटित किया गया और संपूर्ण राशि 12 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के 29 वाणिज्यिक बैंको/ व्यक्तिगत निक्षेप खातों में पड़ी रहीं ***(परिशिष्ट 2.26)***।

[11] पटना, दरभंगा,समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं वैशाली

इसके बावजूद, संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त आहरित निधियाँ सरकारी खाते[12] में व्यय के रूप में दर्ज थी। इस प्रकार, विस्तृत विनियोग लेखा में प्रतिबिम्बित व्यय वास्तविक व्यय को नहीं दर्शाता था।

- पुनः, चार जिला परिषदों[13] के नमूना जाँच में पाया गया कि 2011–12 के दौरान तेरहवीं वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों द्वारा ₹ 136.32 करोड़ की प्राप्ति/निकासी की गई। इसके अलावा प्रारंभिक अवशेष ₹ 31.45 करोड़ तथा वर्ष के दौरान बचत खाते से अर्जित ब्याज ₹ 0.36 करोड़ थी । इस प्रकार, उपलब्ध निधि ₹ 168.14 करोड़ थी के विरूद्ध इन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 31 मार्च 2012 तक मात्र ₹ 30.79 करोड़ (22.59 प्रतिशत) ही व्यवहृत हो सकी ***(परिशिष्ट 2.27)***। तथापि, वर्ष के दौरान संपूर्ण आहरित राशि (₹ 136.32 करोड़) व्यय के रूप में दर्ज थी।
- बिहार बजट नियमावली का नियम 121 पुनः परिकल्पित किया है कि वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र नियंत्री पदाधिकारी को संवितरण पदाधिकारियों से वर्ष के दौरान विनियोजन के विभिन्न इकाइयों के अंतर्गत व्यय का ब्यौरा प्राप्त करना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि संवितरण पदाधिकारियों से वास्तविक व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जाने के बजाए वर्ष के दौरान कुल आवंटित राशि में से अभ्यर्पण की राशि (क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर) को घटाकर विभाग द्वारा व्यय के ब्यौरे तैयार किए जा रहे थे। इस तरीके से व्यय के ब्यौरे का निर्धारण बिहार बजट नियमावली के नियम 121 के प्रतिकूल है तथा महालेखाकार के खाते के साथ विभागीय व्यय के ब्यौरों के असमाशोधन के रूप में फलित होता हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी (डी पी आर ओ), मुजफ्फरपुर के अभिलेखों के नमूना जाँच में उद्धृत हुआ कि तीन उप–शीर्षो[14] से संबंधित ₹ 2.42 करोड़, जिसे कोषागार से आहरित नहीं किया गया था, को विभाग द्वारा प्रस्तुत विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया गया था। यह इस तथ्य से प्रमाणित हुआ कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने 04 अप्रैल 2012 को उक्त राशि को अभ्यर्पित किया।

उपर्युक्त नमूना जाँच किए गए मामलों से स्पष्ट हुआ कि विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सरकारी कोषागार से निकासी का ब्यौरा भी संधारित नहीं किया। इससे विभाग की पर्यवेक्षण और वास्तविक व्यय पर नियंत्रण की कमी इंगित हुई।

अतः पंचायती राज संस्थाओं/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के निधि के प्रवाह को मापने हेतु उचित लेखाकरण प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है तथा सरकारी लेखे में केवल वास्तविक व्यय ही दर्ज होनी चाहिए ।

2.9 निष्कर्ष

2011–12 के दौरान ₹ 76896.77 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजन के विरूद्ध ₹ 61301.05 करोड़ का व्यय हुआ जिससे ₹ 15595.72 करोड़ की शुद्ध बचत हुई। आवश्यक बजट की आवश्यकता के गलत आकलन से 2007–12 के दौरान 11 मामलों में 11 से 76 प्रतिशत की सतत् बचत हुई । 22 अनुदानों के अंतर्गत 69 मामलों में ₹ 4251.53

[12] व्यय 16 उपशीर्षो में दर्ज थी यथा 2515001010111, 2515001960003, 2515001960106, 2515001960007, 2515001970001, 2515001970004, 2515001970103, 2515001980001, 2515001980009, 2515001980010, 2515001980105, 2515007890103, 2515007890104, 2515007890105, 2515007890106 एवं 2515001980106

[13] पटना, दरभंगा, रामस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर

[14] 2515001980106 (ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता) (₹ 1.91 करोड़), 2515007890104 (ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता) (₹ 0.02 करोड़), 2515001010111 (पंचायत सरकार भवन, वित्त आयोग की अनुशंसा) (₹ 0.49 करोड)

करोड़ की निधियाँ अभ्यर्पित हुई। पुनः वर्ष के दौरान 30 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 192 योजनाओं में अव्यवहृत विनियोजन शत् प्रतिशत अभ्यर्पण के मामले पाये गए।

₹ 5612.01 करोड़ की बचत का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दो दिनों में की गई। चार मामलों में, ₹ 105.85 करोड़ की बचत के विरूद्ध ₹ 393.60 करोड़ अभ्यर्पित की गई जिससे ₹ 287.75 करोड़ का आधिक्य अभ्यर्पण हुआ। ₹ 61301.05 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 49618.13 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) (80.87 प्रतिशत) का समाशोधन नही हुआ था।

राजस्व एवं पूँजीगत व्यय शीर्षों से ₹ 919.87 करोड़ एवं ₹ 547.72 करोड़ आहरित राशि संबंधित लोक क्षेत्र उपक्रमों/विभागों के बैंक खाते/व्यक्तिगत निक्षेप खाते में पड़े हुए थे।

सरकार ने 2011–12 में आकस्मिक निधि से ₹ 1242.99 करोड़ की राशि के 191 आहरणों को संस्वीकृत किया। जिसमें से ₹ 1225.53 करोड़ (98.60 प्रतिशत) की राशि के 91 आहरण सामान्य व्यय के थे जैसे मोटर गाड़ी की खरीद, कार्यालय व्यय, वेतन एवं भत्ते इत्यादि।

2.10 अनुशंसाएँ

- सभी सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाए। वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों के वृहत् बचत/आधिक्य एवं पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण से बचने के लिए यथार्थवादी बजट प्राक्कलन तैयार किया जाए ।
- बजटीय वित्त नियंत्रण का अनुपालन न होने पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाए जिससे कि वित्तीय प्रबंधन की कमियों से बचा जा सकें, विशेषकर, जहाँ विगत पाँच वर्षो में लगातार बचत अवलोकित हुई है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय से बचने हेतु व्यय का नियमित प्रवाह किया जाए ।
- 1977 से 2011 के बीच प्रावधान से अधिक व्यय को प्राथमिकता के आधार पर नियमितीकरण कराया जाए।
- वित्त विभाग सुनिश्चित करे कि सेवा विभागों के लिए सरकारी निधियों का संवितरण तभी किया जाए जब उसकी वास्तविक आवश्यकता हो।
- आकस्मिकता निधि से आहरण की संस्वीकृति सामान्य व्यय के लिए न दी जाए।

अध्याय 3

वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय 3

वित्तीय रिपोर्टिंग

एक अच्छी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना से राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावशाली संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इस प्रकार वित्तीय नियम एवं निर्देशों को अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के रिपोर्टिंग की समयपरता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावशाली एवं क्रियात्मक हो तो चुस्त योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है। यह अध्याय राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निवेशों की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 सार आकस्मिक व्यय से संबंधित बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों में संशोधन

बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 1937 को अक्टूबर 2006[1] में संशोधित किया गया जिसमें विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्रों को जमा करने की अवधि पूर्व के प्रावधान एक महीने के स्थान पर बढ़ाकर छः महीने करने को समाविष्ट किया गया। आगे, अक्टूबर 2011 के प्रभाव से नई बिहार कोषागार संहिता से इसे प्रतिस्थापित किया गया।

3.1.1 बिहार कोषागार संहिता, 2011

बिहार कोषागार संहिता 2011 (नियम 194) में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं पूँजीगत परियोजनाओं के लिए निधियों के आहरण को संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के आहरण की परिधि में लाया गया जो कि बिहार कोषागार संहिता के नियम 168[2] में दिए गए आकस्मिक प्रभार की आधारभूत परिभाषा के परे था। इसके अतिरिक्त, नियम 194 के अंतर्गत कार्य विभागों को, अन्य संक्षिप्त आकस्मिक (ए0सी0) विपत्रों के संदर्भ में विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्रों के लिए निर्धारित छः महीने की समयावधि के विरूद्ध, परियोजना कार्य के लिए विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्रों को राशि आहरण के एक साल के अंदर समर्पित करने की अनुमति दी गई। यह बिहार कोषागार संहिता के नियम 176–177 के प्रावधानों के विपरीत है जो यह निर्धारित करता है कि जबतक तत्काल भुगतान के लिए आवश्यक न हो कोई राशि आहरित नहीं की जानी चाहिए तथा अव्ययित राशि को यथाशीघ्र और किसी अवस्था में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व जिसमें राशि आहरित की गई है, कोषागार को वापस की जानी चाहिए। यह देखा गया कि विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को समर्पित करने की छः महीने/एक वर्ष की समायावधि की अनुमति देना केन्द्रीय कोषागार संहिता (प्राप्ति एवं भुगतान नियम, 1983) के अनुरूप नहीं था, जिसमें एक महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

[1] बिहार कोषागार संहिता में संशोधन वित्त विभाग के दिनांक 13 अक्टूबर 2006 के एक कार्यपालक आदेश द्वारा किया गया।

[2] 'आकस्मिक प्रभार' शब्द से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल है सभी आनुशांगिक एवं अन्य व्यय जो किसी कार्यालय का कार्यालय के रूप में प्रबंधन करने में या उपगत होता है व्यय वर्गीकरण के विहित नियमों में 'कार्य', 'स्टॉक', 'उपकरण' एवं संयंत्र' आदि से भिन्न व्यय शीर्ष में किसी विभाग के तकनीकी कार्यों के लिए किए जाते हैं।

इस प्रकार बिहार कोषागार नियमावली 2011 में ऐसे प्रावधानों से 'आकस्मिक व्यय' से अलग उद्देश्यों के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पद्धति द्वारा सरकारी निधियों का आहरण अनुमत हुआ तथा जिससे अन्ततोगत्वा निधियाँ यथावत पड़ी रहीं एवं वापस की गयीं।

वित्त विभाग ने अपने जवाब में कहा कि (नवम्बर 2012) आकस्मिक व्यय बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 168 में परिभाषित किए गए हैं तथा योजनान्तर्गत योजनाओं को आकस्मिक व्यय के परिभाषा की परिधि के बाहर रखा गया है। संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निर्माण कार्यों, केन्द्रीय योजनागत योजनाओं एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियों के आहरण के प्रावधान बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 194 में निर्धारित किए गए हैं। अतः, नियम 194 के प्रावधानों को नियम 168 के साथ सहयुक्त करना उचित नहीं होगा। यह भी कहा गया कि लेखा परीक्षा के अनुशंसा के आलोक में आकस्मिक व्यय एवं निर्माण कार्यों से परे योजनाओं के लिए विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण की समायावधि वर्तमान छः महीने से घटाकर 2–3 महीने किए जाने पर विचार किया जाएगा।

लेखा परीक्षा का यह मत है कि नियम 194 व्यापक शीर्षक 'आकस्मिक प्रभार' के अंतर्गत है और इसे अलग रूप में नहीं देखा जा सकता। योजनागत योजनाओं को आकस्मिक प्रभार की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता (बिहार कोषागार संहिता, 2011 का नियम 168)। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (नवम्बर 2012) कि बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 176 एवं 177 के प्रावधान संचित निधि से धन के आहरण के लिए सामान्य दिशा निर्देश हैं और इनकी तुलना विशेष परिस्थितियों में लागू नियमों के साथ नहीं की जानी चाहिए। तथापि, तथ्य यह है कि विनियोजन अधिनियम एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 नियम 177 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय के लिए धन के आहरण की अनुमति देते हैं और इस आधारभूत सिद्धांत के विरूद्ध कुछ भी अनियमित माना जाएगा।

3.2 सार आकस्मिक/सहायता अनुदान विपत्रों पर निधियों के आहरण तथा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा

3.2.1 प्रस्तावना

आहरण के समय जिन व्यय के मदों के लिए अंतिम वर्गीकरण एवं समर्थक अभिश्रव उपलब्ध नहीं हैं, उनपर आकस्मिक व्यय का आहरण 'संक्षिप्त आकस्मिक' (ए0सी0) विपत्रों पर शुरूआत में अग्रिम के तौर पर किया जाता है तथा इनका उत्तरवर्ती समायोजन विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्रों के प्रस्तुतीकरण के द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र की निकासी से निर्धारित अवधि[3] के अंदर सुनिश्चित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा वर्षों से संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर बड़े पैमाने पर निधियों का आहरण तथा पर्याप्त संख्या में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतीकरण द्वारा समायोजित/समाशोधित न किया जाना इस समीक्षा का प्रमुख अनुचिन्तन है। इस अध्ययन के निष्कर्ष राज्य में वित्तीय प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता को सिद्ध करते हैं।

[3] शुरूआत में यह एक महीना था (बिहार कोषागार संहिता, 1937 का नियम 319) जैसा कि केन्द्रीय कोषागार संहिता (प्राप्ति एवं भुगतान नियम, 1983) में निहित है लेकिन अक्टूबर 2006 में इसे बदलकर छः महीने कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 194 के अंतर्गत कार्य विभागों को परियोजना कार्यों के लिए राशि आहरण के एक वर्ष के अंदर विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

3.2.2 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह निश्चित करना था कि:–

- संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों एवं सहायता अनुदान विपत्रों पर निधियों का आहरण नियमों/संहिता प्रावधानों के अनुरूप था;
- संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का विस्तृत आकस्मिक विपत्रों एवं सहायता अनुदान विपत्रों का उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के द्वारा समायोजन नियमों के अनुकूल था तथा व्यय के वास्तविक स्थिति को प्रतिबिम्बित करता था;
- निधियों का आहरण तत्काल आवश्यकता हेतु उसी वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए किया गया था अथवा जिस वित्तीय वर्ष में निधि आहरित की गई उसके बाद तक सरकारी खातों से विलग उन निधियों को पार्किंग कर रखा गया;
- अव्यवहृत राशि को उसी वित्तीय वर्ष में शीघ्रतम उपलब्ध अवसर पर सरकारी खाते में वापस किया गया।

3.2.3 लेखा परीक्षा का मापदण्ड

लेखा परीक्षा जाँच लेखा परीक्षा के मापदण्ड के निम्नलिखित नियमावलियों के प्रावधानों पर आधारित था:

- राज्य सरकार के संगत वर्षों के विनियोजन अधिनियम एवं संबंधित बजटीय कागजात;
- समय–समय पर संशोधित बिहार कोषागार संहिता 1937 जिसमें कि अंतिम बिहार कोषागार संहिता 2011 है, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार बजट नियमावली तथा बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता;
- समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विनियम, आदेश एवं अनुदेश; तथा
- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार के कार्यालय में अनुरक्षित वी0एल0सी0 डाटाबेस;

3.2.4 लेखा परीक्षा का कार्य–क्षेत्र एवं प्रणाली

2009–10 से 2011–12 की अवधि में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से संबंधित सरकार के आहरणों/लेखों /संचालनों के प्रतिपादन के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधियों का आहरण तथा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतीकरण की लेखा परीक्षा जून से अगस्त 2012 के दौरान की गयी। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कम्प्युटरीकृत वाउचर लेवेल (वी0एल0सी0) डाटाबेस[4] से प्राप्त संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों की आँकड़ों के व्याख्या के आधार पर, आठ[5] विभागों, जिनमें योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों को कार्यान्वित करने हेतु संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर वृहत् राशि आहरित की गई थी, के अभिलेखों को आगे की जाँच के लिए रेखांकित किया गया। चूँकि आहरित विपत्रों की संख्या हजारों[6] में थी, आहरित विपत्रों/वाउचरों के साथ संगत अभिलेखों की डाटाबेस विश्लेषण तथा जोखिम–आधारित जाँच की गई। इसके लिए, पर्याप्त संख्या में लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के अप्रस्तुतीकरण के बारे में संबंधित

[4] वी0एल0सी0 डाटाबेस, वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के संचित निधि में से/को किए गए खर्चों/प्राप्तियों के समर्थन में प्रारंभिक एवं लेखे एवं वाउचर/चालान के आधार पर, राज्य सरकार के लेन–देन के विवरण को समाविष्ट करता है। वित्तीय वर्ष के दौरान आहरित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र भी तद्नुसार वी0एल0सी0 आँकड़ा संचय में अभिग्रहित किए जाते हैं। वी0एल0सी0 आँकड़ा संचय का विश्लेषण संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधियों के आहरण के महत्व एवं परमात्रा तथा उनके उद्देश्य के व्यापक परिदृश्य के निष्कर्ष का प्रभावी उपकरण है।

[5] (i) भवन निर्माण, (ii) शिक्षा, (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, (iv) गृह (पुलिस), (v) योजना एवं विकास, (vi) ग्रामीण कार्य, (vii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा (viii) शहरी विकास एवं भवन निर्माण।

[6] 2009–10 से 2011–12 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा कुल मिलाकर 3375 संक्षिप्त आकस्मिक एवं 34375 सहायता अनुदान विपत्र आहरित किए गए।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और अधिक की राशि के विपत्र आहरित किए गए थे, को लेखा परीक्षा प्रश्न भेजे गए। लेखा–परीक्षा अवलोकनों को तैयार करते समय हमारे द्वारा उठाए गए प्रारंभिक प्रश्नों के प्रत्युत्तर को भी दृष्टिगत किया गया है।

लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ अक्टूबर 2012 में वित्त विभाग, बिहार सरकार को अग्रसारित किए गए। जवाब में (नवम्बर 2012) कुछ मामलों में विभाग ने टिप्पणियाँ भेजी और कहा कि चूँकि अन्य प्रशासनिक विभाग भी मामले से संबंधित हैं, उनके जवाब बाद में भेजे जाएँगे। अब तक (दिसम्बर 2012) प्राप्त जवाबों को संबंधित कंडिकाओं में उपर्युक्त रूप से समाहित किया गया है।

3.2.5 लेखा परीक्षा की बाध्यताएँ

बिहार कोषागार संहिता 1937 के अंतर्गत, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधियों के आहरण के लिए प्रपत्र टी0सी0–38 का प्रयोग विहित है तथा सहायता अनुदानों के आहरण के लिए प्रपत्र टीसी0–60 निर्धारित किया गया। तथापि लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि सहायता अनुदानों के आहरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित प्रपत्र के अलावा अन्य प्रपत्रों का भी प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न शीर्षों के तहत आहरित निधियों का कोषागारों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा गलत वर्गीकरण के मामले भी थे। ये लेखा परीक्षा की बाधाएँ बनीं क्योंकि आकस्मिक प्रभारों जिन्हें संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरति किया जा सकता है तथा सहायता अनुदानों के बीच सुस्पष्ट रेखांकन का पालन नहीं किया गया।

3.2.6 उच्च ए0सी0 बिलों पर आहरण से संबंधित मामले

3.2.6.1 परिमाण के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

वी0एल0सी0 आँकड़ा संचय में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के आहरण के विश्लेषण तथा प्रशासनिक विभागों के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि 2009–12 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित राशियों का परिमाण असामान्य रूप से अधिक था जैसा कि **तालिका 3.1** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.1 उच्च परिमाण के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ग	2009–10		2010–11		2011–12	
वित्तीय वर्ष के दौरान आहरित कुल विपत्र	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या
₹ एक लाख तक	14.56	4135	12.25	3475	11.50	3227
₹ एक लाख एक से एक करोड़ तक	1440.48	8138	1581.04	7902	507.46	4862
₹ एक करोड़ एक से ₹ दस करोड़ तक	1066.94	376	2453.49	951	1339.81	460
₹ दस करोड़ एक से ₹ 100 करोड़ तक	1252.38	55	1913.85	82	1899.46	74
₹ 100 करोड़ से ऊपर	268.84	2	1059.85	5	1216.21	7
कुल	**4043.20**	**12706**	**7020.48**[7]	**12415**	**4974.44**	**8630**

(स्त्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार कार्यालय में अनुरक्षित वी0एल0सी0 डाटाबेस)

₹ एक लाख और ऊपर से अधिक मान के (सैकड़ों करोड़ तक) संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र, 2009–12 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर कुल आहरित निधि का, 99.76 प्रतिशत थे। असामान्य उच्च परिमाण के बहुत सारे आकस्मिक विपत्रों ने संकेतित किया कि सरकार के नियमित खर्चों की पूर्ति के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरण विधि का आश्रय नित्यचर्या के रूप में अपनाई गई । प्रशासनिक विभागों के अभिलेखों के नमूना जाँच ने उद्धृत किया कि योजना एवं गैर योजना तथा राजस्व एवं पूँजीगत शीर्षों दोनों में योजनाओं के कार्यान्वयन के ज्यादातर आहरण एकमुश्त आधार पर हुए।

[7] वित्तीय वर्ष 2010–11 के बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार ₹ 7015.37 करोड़ निकासी था जिसमें ₹ 4033.72 करोड़ सहायता अनुदान की राशि सम्मिलित थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2012), वित्त विभाग ने कहा कि प्रशासनिक विभागों द्वारा निगमों एवं समितियों के माध्यम से योजना/निर्माण कार्यों के लिए एवं मुख्यालय स्तर पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों को पूरे राज्य में कार्यान्वित करने के लिए निधियों का आहरण उच्च परिमाण के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के आहरण के रूप में फलित हुए। आगे यह कहा गया कि ऐसे मामलों में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रस्तुतीकरण संभव नहीं था क्योंकि प्रपत्र टी0सी0–39 (बिहार कोषागार संहिता 1937 के अनुसार) विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के इस प्रकार के अग्रिम आहरण के प्रस्तुतीकरण के लिए नहीं है।

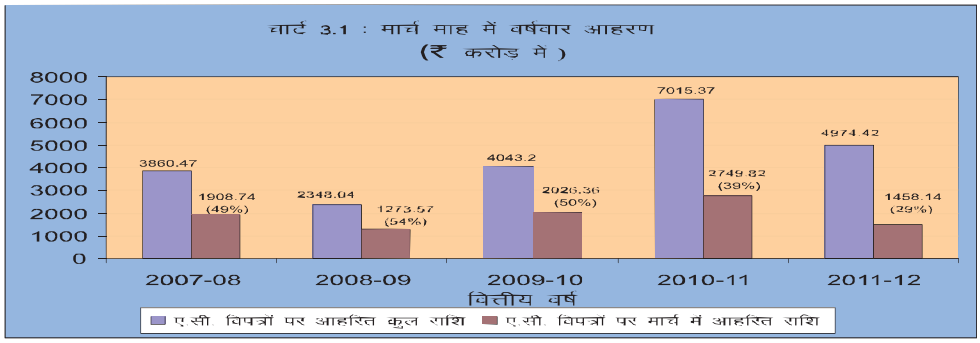
सरकार द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक आहरण के माध्यम से योजनाओं पर पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतीकरण में असमर्थता की स्वीकारोक्ति, क्योंकि प्रपत्र टी0सी0–39 विस्तृत आकस्मिक विपत्र के इस प्रकार के व्यय के लिए नहीं था, लेखा परीक्षा के इस तर्क को पुष्ट किया कि ऐसे एकमुश्त आहरण संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पर आहरण के योग्य नहीं थे। बिहार कोषागार संहिता 1937 के नियम 320 के अनुसार, जो कि सितम्बर 2011 तक प्रचलन में था, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों को प्रपत्र टी0सी0–39 में विस्तृत आकस्मिक विपत्र के प्रस्तुतीकरण के द्वारा ही समायोजित किया जाना था। नए बिहार कोषागार संहिता 2011 के लागू होने के साथ ही विभागों के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के आहरण के लिए विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करें।

पुनः नैत्य रूप में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नियमित व्यय के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से आहरण आकस्मिक व्यय की तरह आहरण के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन था। जहाँ तक मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीकृत आहरण का संबंध है, विभाग को केन्द्रीय कोषागार प्रबंधन सूचना तंत्र की सहायता से जिला प्राधिकार स्तर पर आहरण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी। इससे आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/मध्यस्थ अभिकरणों द्वारा निधियों के प्रतिधारण समय में कमी के द्वारा पारगमन विलंब को कम किया जा सकता था तथा ऑनलाइन हस्तांतरण द्वारा निधियों की तत्क्षण उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती थी जहाँ अंतिम रूप से इन निधियों को खर्च करने की आवश्यकता थी जैसा कि **कंडिका 3.2.6.5** में वर्णित है।

3.2.6.2 मार्च महीने में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का आहरण

राज्य सरकार के स्थायी आदेश (संख्या 2561, वर्ष 1998 में विहित है कि विशेष परिस्थितियों जब विषम अनुपात में खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, को छोड़कर सरकारी व्यय को वर्ष के दौरान समान रूप से विस्तारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार विनियोजनों को व्ययगत होने से बचाने के लिए अंतिम माहों में किए गए सघन व्यय नियमों के विपरीत हैं ।

नीचे दी गई सारणी 2007–08 से 2011–12 के दौरान मार्च महीने की तुलना में संचित निधि से कुल आहरण की प्रवृत्ति को चित्रित करता है:



(स्त्रोतः वी.एल.सी. डाटाबेस एवं संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

ऊपर दी गई सारणी चित्रित करता है कि 2007–12 के दौरान मार्च महीने में आहरित राशि वर्ष के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पर आहरित निधियों के 29 प्रतिशत से 54 प्रतिशत के बीच थी यद्यपि विगत तीन वर्षों में मार्च महीने में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से निधियों के आहरण की प्रतिशतता में सीधी कमी आई। जैसा कि पहले इंगित किया गया है, प्रत्येक मामले के मार्च महीने में उच्च परिमाण की राशि के साथ वृहत् निकासी इस तथ्य को दर्शाता है कि संबंधित वित्तीय वर्ष में इस प्रकार के आहरणों के व्यय की उम्मीद बहुत कम थी और आहरण सिर्फ विनियोजन को व्यपगत होने से बचाने के लिए किए गए।

इस ओर इंगित करने पर (अक्टूबर 2012), वित्त विभाग ने कहा (नवम्बर 2012) कि मार्च महीने में निधियों का आहरण निर्माण कार्यों, जो कि जनवरी से जून के दौरान चरम पर होते हैं, के लिए निधि के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करना था। जवाब, लेखा परीक्षा की टिप्पणी को वैधकृत करता है कि मार्च में आहरित निधियाँ वस्तुतः वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च नहीं की जाती हैं। पुनः, आगत वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए मार्च में निधियों के आहरण के बजाए अगले वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलन में ही इस उद्देश्य के लिए विनियोजन की मांग की जानी चाहिए।

विभाग ने आगे कहा कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में मार्च महीने में केन्द्रीय हिस्से की प्राप्ति मार्च महीने में ही अनुपातिक राज्य हिस्से को जारी करने का अकाट्य कारक है। लेखा परीक्षा का मत है कि संहिता के प्रावधानों की अवज्ञा के बजाए मामले को भारत सरकार के साथ उठाना ज्यादा उपयुक्त होगा।
तथ्य यह है कि बिना वास्तविक व्यय के मार्च महीने में निधियों का आहरण राजकोषीय अनुशासनहीनता का सूचक है।

3.2.6.3 योजना व्यय/पूँजीगत व्यय के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधियों का आहरण

योजना व्यय केन्द्रीय/राज्य योजना के कार्यक्रम/योजना/परियोजना के सुस्पष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति को लक्षित है। अतः ये काफी पूर्व नियोजित होते हैं तथा संबंधित परियोजना/योजना विवरण में परिकल्पित विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्दिष्ट होते हैं। इस प्रकार इन परियोजनाओं/योजनाओं के अंतर्गत योजना व्यय मद में भुगतान के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के मार्ग द्वारा धन के आहरण का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। तथापि बिहार कोषागार संहिता 2011 को नियम 194 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा योजना व्यय के आहरण को अनुमत करता हैं

नीचे दी गई तालिका 2009–10 से 2011–12 के दौरान कुल संक्षिप्त आकस्मिक आहरणों की तुलना में राज्य सरकार के योजना व्यय के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के आहरण को चित्रित करता है:

तालिका 3.2 : 2009–12 के दौरान योजना व्यय के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का आहरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल संक्षिप्त आकस्मिक आहरण	योजना व्यय के लिए संक्षिप्त आकस्मिक आहरण			
		केन्द्रीय योजना (सी0पी0एस0)	केन्द्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0)	राज्य योजना (एस0पी0)	कुल (कुल संक्षिप्त आकस्मिक आहरण की प्रतिशतता के रूप में)
2009-10	4043.20	7.11	709.79	2293.66	**3010.56 (74)**
2010-11	7015.37	60.16	1289.57	4286.19	**5635.92 (80)**
2011-12	4974.44	46.55	424.84	3214.77	**3686.16 (74**
कुल	**16033.01**	**113.82**	**2424.20**	**9794.62**	**12332.64 (77)**

(स्त्रोतः **वी0एल0सी0** डाटाबेस)

2009–12 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 16033.01 करोड़ की राशि में से योजना शीर्ष में आहरण (पूँजीगत प्रकृति के व्यय को मिलाकर) ₹ 12332.64 करोड़ का (77 प्रतिशत) था । इनमें से राज्य योजना शीर्ष आहरण ₹ 9794.62 करोड़ (योजना शीर्ष आहरणों का 79 प्रतिशत) का था। संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र से योजना शीर्ष के अंतर्गत निधियों का आहरण इस तथ्य का संकेतक था कि वस्तुनिष्ठ स्तरीय योजना (Object Level Planning) अनुपस्थित था, राशि के आहरण के समय व्यय के मद की जानकारी नहीं दी गयी थी और इस प्रकार कार्यान्वयन रीति के अंतिम रूप मिलने की प्रतीक्षा में भावी उपयोग के लिए एवं विनियोजन को व्यपगत होने से बचाने के लिए ही धन का आहरण किया गया। परिणामस्वरूप, तत्काल आवश्यकता के बहाने इस प्रकार आहरित सरकारी निधियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संचित निधि से बाहर रखने की अनुमति दी गई तथा उन्हें या तो व्यक्तिगत जमा खातों, प्रेषण शीर्ष अथवा बैंक खातों में रखा गया। उदाहरण के तौर पर कुछ मामले कंडिका संख्या 3.2.6.4 से 3.2.6.6 में दिए गए हैं। वित्त विभाग ने लंबित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों की बड़ी संख्या योजना शीर्ष से संबंधित मानते हुए (नवंबर 2012) कहा कि बिहार कोषागार संहिता 1937 बहुत पुरानी होने के कारण सार्वजनिक वित्त के बदलते स्वरूप के अनुसार नहीं था तथा आकस्मिकता के अंतर्गत खुदरा खर्चों को उपबन्धित करता था। विगत वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से योजना शीर्ष के तहत व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि योजना शीर्ष में व्यय किसी भी प्रकार से प्रासंगिक प्रकृति का नहीं है एवं इनका व्यय संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के बजाए नियमित विपत्रों से होना चाहिए।

3.2.6.4 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधियों का आहरण एवं निष्पादी अभिकरणों के पास प्रतिधारण

2008–12 की अवधि के दौरान निर्माण कार्य के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के ₹ 214.72 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.1)*** के आहरण के नमूना जाँच के परिणाम नीचे चित्रित किए गए हैं:

- 2009–11 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन, अतिरिक्त प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अनुमंडलीय अस्पतालों आदि के निर्माण के लिए ₹ 171.64 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित किए गए तथा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (बी0एम0एस0आई0सी0) को उपबंधित किए गए। कोई व्यय नहीं हुआ और पूरी निधि अव्यवहृत रही (अगस्त 2012)। (***परिशिष्ट 3.1*** के क्रम संख्या 1 से 3 देखें)।

- 2008–12 के दौरान, अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग छात्रावास के निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बी0आर0पी0एन0एन0एल0) को ₹ 29.51 करोड़ सीधे उपबंधित किए। पुनः 2010–11 के दौरान बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (बी0एस0बी0सी0एफ0डी0सी0) को ₹ 10.74 करोड़, उसी उद्देश्य के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को प्रेषण के लिए, हस्तांतरित किए गए। ₹ 16.01 करोड़ की राशि (उपबंधित निधि का 54 प्रतिशत) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एवं ₹ 10.74 करोड़ की राशि (उपबंधित निधि का शत्–प्रतिशत) बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम में अव्यवहृत रही (अगस्त 2012)। (***परिशिष्ट 3.1*** के क्रम संख्या 4 एवं 5 देखें) ।

- .पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मीठापुर, पटना में हैचरी (Hatchery) के निर्माण के लिए ₹ 2.12 करोड़ आहरित किए गए (2010–11) और मार्च 2011 में सलाह (consultancy) एवं हैचरी प्रारूप (Hatchery Design) उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (सी0आई0एफ0ई0), मुम्बई को हस्तांतरित किए गए। तथापि, समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के हस्ताक्षरित न होने के कारण कार्य की शुरूआत न होने से निधि अव्यवहृत रही। (***परिशिष्ट 3.1*** का क्रम संख्या 6 देखें) ।

- वन एवं पर्यावरण विभाग ने गाड़ियों की खरीद के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या 154/2010–11 पर आहरित 70.50 लाख की राशि के आहरण की स्वीकृति देते समय (मार्च 2011) उसी वित्तीय वर्ष में योजना को निष्पादित करने में दिक्कत की स्थिति में निधि को बिहार राज्य वन विकास अभिकरण (बी0एस0एफ0डी0ए0) के खातों में जमा कराने के लिए निदेशित किया। (***परिशिष्ट 3.1*** का क्रम संख्या 7 देखें) ।

विभाग ने अपने जवाब में कहा (सितम्बर 2012) कि चूँकि निधि के आहरण की स्वीकृति मार्च के अंत में दी गई, अतः बिहार राज्य वन विकास अभिकरण में राशि को जमा कराने का निर्देश दिया गया। जवाब लेखा परीक्षा के इस दावे की पुष्टि करता है कि निधियों का आहरण बिना तत्काल आवश्यकता के किया गया।

- अन्य विभागों के जवाब प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

3.2.6.5 *संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित राशि का आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास प्रतिधारण*

संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य सरकार अधिकृत विनियोजन के अंतर्गत उसी वित्तीय वर्ष के दौरान धन खर्च कर सकती है। पुनः, बिहार कोषागार संहिता 1937 के नियम 300 के नीचे दी गई टिप्पणी एवं बिहार कोषागार संहिता 2011 का नियम 177 उपबंधित करता है कि राशि का अव्ययित शेष शीघ्रतम उपलब्ध अवसर पर उसी वित्तीय वर्ष में जिसमें राशि आहरित की गई है, कोषागार को वापस की जानी चाहिए। नमूना जाँच के क्रम में निर्माण उद्देश्य के लिए निधियों के आहरण तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास उनके अनियमित प्रतिधारण के निम्नलिखित उदाहरण देखे गए:

तालिका 3.3: निर्माण उद्देश्य के लिए निधियों का आहरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	उद्देश्य	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या	राशि	आहरण का माह	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	हस्तांतरण का माह	किसे हस्तांतरित किया गया	अभ्युक्तियाँ
1.	ए0डब्ल्यू0 सी0 का निर्माण	125/09-10	99.96	03/2010	लेखा अधिकारी आई.सी.डी.एस.	09/ 2010	बी0सी0डी	अक्टूबर 2010 में राशि पाटलिपुत्र भवन
						प्रमण्डल, को हस्तांतरित कर दी गई । पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल 38 भवन निर्माण प्रमंडलों के लिए ₹ 96.88 करोड़ बैक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किया (जनवरी 2011) लेकिन प्रमंडलों को जुलाई 2011 तक हस्तांतरित किए एवं ₹ 3.08 करोड़ अपने पास रखे।		
2.	ए.एच.डी. के लिए भवन का निर्माण	160/10-11	18.13	03/2011	ई0ई0आहरण प्रमंडल 2, पटना	06/2011 से 02/2012	संबंधित ई0ई0	संरचना प्रमंडल 2, पटना ने ₹ 9.78 करोड़ अपने पास रखे
3.	ई–किसान भवन का निर्माण	256/10-11	2.86	03/2011	डी0ए0ओ0, मधेपुरा	04/ 2012	डी0ई0, जिला परिषद्, मधेपुरा	डी0ए0ओ0ने ₹ 1.52 करोड़ जुलाई 2012 तक अपने पास रखे
4.		58 /10-11	0.80	उपलब्ध नहीं	डी0ए0ओ0, बक्सर	–	संबंधित बी0डी0ओ0 एवं ई0ई0	डी0ए0ओ0ने ₹ 22 लाख जुलाई 2012 तक अपने पास रखे
5.		77/10-11	1.63					
		योग	**123.38**					

टिप्पणी : 1. ई0ई0 से तात्पर्य कार्यपालक अभियंता, 2 डी0ए0ओ0 से तात्पर्य जिला कृषि पदाधिकारी, 3 बी0डी0ओ0 से तात्पर्य प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, 4. बी0सी0डी0 से तात्पर्य भवन निर्माण विभाग, 5. बी0सी0डीएन0 से तात्पर्य भवन निर्माण प्रमंडल, 6. ए0एच0डी0 से तात्पर्य पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, 7. ए0डब्ल्यू0सी0 से तात्पर्य आंगनबाड़ी केन्द्र, 8. डी0ई0 से तात्पर्य जिला अभियंता।

उपर्युक्त उदाहरणों ने आगे संकेतित किया कि तत्काल भुगतान के बहाने संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निर्माण के उद्देश्य से अनियमित रूप से आहरित सरकारी निधियाँ (₹ 123.38 करोड़) या तो अनियमित रूप से स्वयं ही आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रतिधारित किया गया अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दो महीने से एक वर्ष तक की देरी से निष्पादी प्रमंडलों/अभिकरणों को हस्तांतरित किए गए। पुनः बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 177 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा कि आकस्मिक विपत्रों पर आहरित राशि को उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा। तथापि, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए बिना किसी अधिकार के निधियों को अग्रेनीत किया गया।

3.2.6.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित राशि का प्रेषण शीर्ष में अव्ययित पड़े रहना

वित्त विभाग ने पत्र संख्या 7036 दिनांक सितम्बर 2006 के द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधियों के आहरण की विशेष रूप से मनाही की थी जहाँ कि इन्हें निर्माण उद्देश्यों के लिए कार्य विभाग को हस्तांतरित किया जाना है। तथापि, 2008–09 से 2010–11 के बीच पाँच मामलों में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 7.28 करोड़ का आहरण निर्माण उद्देश्यों के लिए हुआ जिसे बाद में कार्य निष्पादन के लिए मुख्य शीर्ष–'8782 नकद प्रेषण' द्वारा भवन निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया। तथापि, जुलाई 2012 की पूरी राशि अव्यवहृत रही (विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दी गई है)।

3.2.7 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रस्तुतीकरण

बिहार कोषागार संहिता 2011 का नियम 177 उपबंधित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित धन उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा तथा अव्ययित राशि वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दी जाएगी। पुनः बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 194 के अनुसार जिस महीने संक्षिप्त विपत्र आहरित की गयी थी उसके छः महीने[8] के अंदर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत कर दी जाएगी तथा इस छः महीने की अवधि की समाप्ति के बाद कोई संक्षिप्त विपत्र भुनाई नहीं जाएगी यदि विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं की जाती।

31 अगस्त 2012 को ₹ 18797.90 करोड़ की राशि के 66847 विस्तृत आकस्मिक विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुति के लिए लंबित थे जैसा कि नीचे **तालिका संख्या 3.4** में वर्णित है:

तालिका 3.4 : बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र		प्राप्त विस्तृत आकस्मिक विपत्र		बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2008-09 तक	58423	14272.48	16867	6953.09	41556	7319.39
2009-10	12706	4043.20	2984	1150.20	9722	2893.00
2010-11	12413	7015.37[(9)]	4645	3153.95	7768	3861.42
2011-12	8626	4974.42	825	250.33	7801	4724.09
कुल	**92168**	**30305.47**	**25321**	**11507.57**	**66847**	**18797.90**

(स्रोत : **वर्ष 2011–12 के लिए बिहार सरकार के राज्य वित्त लेखे**)

वित्त विभाग ने अपने जवाब में कहा (नवम्बर 2012) कि ₹ 26260.09 करोड़ (2002–03 से और 30 सितम्बर 2012 तक) के लंबित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध ₹ 16196.38 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र महालेखाकार को प्रस्तुत किए जा चुके हैं जिसमें से ₹ 12719.27 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र समायोजित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समायोजन तक संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के वेतन भुगतान रोककर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है।

तथापि, यह तथ्य मौजूद है कि अभी तक सिर्फ 48 प्रतिशत लंबित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र समायोजित हुए हैं (30 सितम्बर 2012)।

3.2.7.1 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के नमूना जाँच के परिणाम

नमूना जाँच में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुती से संबंधित नियमों के उल्लंघन की निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी :–

- पथ निर्माण विभाग में यह देखा गया कि अवर सचिव (लेखा) ने 2006–07 से 2011–12 के बीच 12 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 1541 करोड़ आहरित किया तथा 'मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना' के अंतर्गत सड़क पुल निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को अग्रिम भुगतान किया:

[8] अक्टूबर 2006 तक बिहार कोषागार संहिता में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुती की अवधि मात्र एक महीने थी। केन्द्रीय कोषागार संहिता (या केन्द्रीय प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983) विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुती की अवधि मात्र एक महीने उपबंधित करता है।

[(9)] वर्ष 2010–11 के लिए वित्त लेखे के अनुसार ₹ 7015.37 करोड़ में से ₹ 4033.72 करोड़ सहायता अनुदान की राशि थी ।

यह देखा गया कि 2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिए ₹ 1005 करोड़ के छः संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध ₹ 833.26 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र 33 महीने तक की विलंब के बाद जुलाई 2010 में प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात्, सितम्बर 2010 से सितम्बर 2011 के दौरान ₹ 537.15 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किए गए तथा मार्च 2012 को विभाग द्वारा ₹170.59 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करना बाकी था। (***परिशिष्ट 3.3*** के क्रम संख्या 1–12 देखें) ।

- इसी प्रकार, मानव संसाधन विकास विभाग में, 2004–05 से 2010–11 की अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 2609.05 करोड़ की निधियाँ आहरित की गयीं। इसके विरूद्ध अप्रैल 2012 तक ₹ 1919.39 करोड़ (₹ 462.78 करोड़ की वापसी सहित) के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार, अप्रैल 2012 को ₹ 772.66 करोड़ के शेष विस्तृत आकस्मिक विपत्र विभाग द्वारा प्रस्तुती के लिए लंबित थे। (***परिशिष्ट 3.3*** के क्रम संख्या 13–64 देखें)।

- गृह (पुलिस) विभाग में, 2009–12 के दौरान महानिरीक्षक (प्रोविजन) द्वारा ₹ 700.10 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित किए गए। तथापि, ₹ 695.11 करोड़ की राशि (99.29 प्रतिशत) आज की तिथि में (अगस्त 2012) असमायोजित रही (***परिशिष्ट 3.3*** का क्रम संख्या 65 देखें)।

- ₹ 169.19[10] करोड़ की राशि के तीन संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन, स्वास्थ्य उप केन्द्रों (एच0एस0सी0) एवं अनुमण्डल अस्पतालों के निर्माण के लिए सिविल सर्जन, पटना द्वारा आहरित (31 मार्च 2009) किए गए । पूर्वोक्त संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों को विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से समायोजित कर लिया गया था। तथापि, राज्य स्वास्थ्य समिति (एस0एच0एस0) द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में पाया गया कि निधियाँ अव्ययित रही और राज्य स्वास्थ्य समिति के पास (₹ 118.00 करोड़ एवं ₹ 30.91 करोड़) तथा बी0एम0एस0आई0सी0 (₹ 20.38 करोड़) के पास पड़ी थीं। इस प्रकार, धन के स्थानान्तरण के अभिलेखों के आधार तथा व्यय के बिना विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुती अनियमित था (***परिशिष्ट 3.3*** के क्रम संख्या 66 से 68 देखें)। शेष मामलों में सरकार के जवाब नवम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

इस प्रकार, नमूना जाँच के 68 मामले जिनमें 2004–05 से 2010–11 के दौरान आहरित कुल ₹ 5102.44 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र सम्मिलित हैं, ₹ 1638.36 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र एक से सात वर्षों की अवधि से लंबित थे।

3.2.8 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित राशि का बिना उपयोग वापसी

बिहार कोषागर संहिता 2011 के नियम 177 के अनुसार अग्रिम आहरण का कोई भी शेष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व सरकारी खजाने में जमा की जानी चाहिए।

तथापि नमूना जाँच में यह पाया गया कि नौ मामलों में, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4*** में वर्णित है, 2003–04 से 2011–12 की अवधि के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 3055.04 करोड़ की राशि के विरूद्ध, चार मामलों में ₹ 51.11 करोड़ की पूरी आहरित राशि की वापसी सहित अप्रयुक्त निधियों को दो महीने से लेकर 99 महीनों की अवधि तक रोके रहने के बाद ₹ 631.76 करोड़ की राशि वापस की गई।

[10] ₹ 118.00 करोड़, ₹ 30.91 करोड़ तथा ₹ 20.38 करोड़ ।

3.2.9 *संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधि आहरण तथा सरकारी लेखे से बाहर पार्किंग*

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों का बड़ा हिस्सा, जिस वित्तीय वर्ष में राशि आहरित हुई उसकी समाप्ति के बाद भी, या तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों अथवा निष्पादी अभिकरणों के पास पड़ी थीं तथा विभिन्न व्यक्तिगत जमा खातों तथा बैंक खातों में रखी गई थीं। संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित और सरकारी खातों के बाहर रखी गई निधियों, जैसा कि नमूना जाँच किए गए विभागों/कार्यालयों में परिलक्षित हुआ, की समग्र तस्वीर ने प्रतिबिम्बित किया कि 31 मार्च 2012 को, ₹ 576.83 करोड़ की राशि के आहरित निधियों में से, ₹ 271.38 करोड़ (तीन सार्वजनिक उपक्रमों– ₹ 215.71 करोड़, ग्यारह जिला कार्यालयों– ₹ 55.67 करोड़) विभिन्न बैंक खातों में जमा थी जैसा कि (***परिशिष्ट 3.5***) में दर्शाया गया है।

यद्यपि ऊपर के मामलों में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुए, मुख्यमंत्री योग्यता छात्रवृत्ति योजना से संबंधित एक मामले में, जिसमें ₹ 17.32 करोड़ बैंक खातों में जमा थे, विभाग ने जवाब दिया (अगस्त 2012) कि योजना के अंतर्गत 2012–13 के दौरान अपर्याप्त बजटीय प्रावधान के आलोक में छात्रवृत्ति के भुगतान में अनुमानित व्यय की पूर्ति के लिए विभाग ने ₹ 17.32 करोड़ की अव्ययित राशि को अगले वित्तीय वर्ष 2012–13 में अग्रनयन का निर्णय लिया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बिहार कोषागार संहिता का नियम 177 कार्यपालिका को उसी वित्तीय वर्ष में अधिकृत विनियोजन की सीमा में व्यय की अनुमति देता है। बजटीय प्रावधान से अधिक निधियों की आवश्यकता के मामले में, बिहार बजट नियमावली का नियम 117 पूरक अनुदान लेना उपबंधित करता है।

3.2.10 *सहायता अनुदान से संबंधित मुद्दे*

3.2.10.1 *प्रस्तावना*

सहायता अनुदान मद के अनुदान, धार्मिक, चैरिटेबुल या शैक्षणिक संस्थान वृत्तिका, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक प्रदर्शनियों को अंशदान इत्यादि सम्मिलित हैं। बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 341 (2) कहता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतनी ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय का अनुमान है, बिहार कोषागार संहिता 1937 के नियम 431 तथा बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 270 के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पहले धन का आहरण न हो। मार्च महीने में इन अनुदानों के सघन भुगतान का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। पुनः वित्त विभाग का कार्यपालक आदेश संख्या 573 दिनांक 16 जनवरी 1975 ने उपयोगिता प्रमाण–पत्र देने के लिए संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की। तथापि, कार्यपालक आदेश 9736 दिनांक 19 अक्तूबर 2011 के द्वारा इस समय सीमा को संशोधित कर 18 महीना कर दिया गया।

निम्नलिखित उदाहरणस्वरूप मामले सहायता अनुदानों की तरह निधियों के आहरण एवं उनकी उपयोगिता की स्थिति को उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में उद्घाटित करेंगे।

3.2.10.2 *सहायता अनुदान विषय शीर्ष (3101) (Object Heads) के अलावा विषय शीर्ष (Object Heads) के अंतर्गत सहायता अनुदान का आहरण*

विधायिका द्वारा पारित विनियोजन अधिनियम कार्यपालिका को विभिन्न विषय शीर्षों[11] के अंतर्गत उपबंधित तरीके से और उद्देश्य के लिए निधियों के आहरण/व्यय का प्राधिकार देता है। 2011–12 तक सहायता अनुदान का आहरण बजट प्रावधानों के अनुसार विषय शीर्ष 3101 में होना था। तथापि, यह देखा गया कि ₹ 14443.68 करोड़ के सहायता

[11] लघुशीर्ष/उपशीर्ष में व्यय का विषय शीर्ष व्यय की अंतिम प्रकृति एवं उद्देश्य को परिभाषित करता है।

अनुदान आहरण में सहायता अनुदान विषय शीर्ष से विलग 14 विषय शीर्षों[12] के अंतर्गत आहरित ₹ 8005.62 करोड़ (55.42 प्रतिशत) की राशि शामिल थी जैसा कि वर्ष 2011–12 के लिए राज्य वित्त लेखे के टिप्पणी 7 में इंगित है। सहायता अनुदान का अलग विषय शीर्ष में आहरण, जो कि सहायता अनुदान आहरण के लिए नहीं बनाए गए थे, गलत था।

वित्त विभाग ने अपने जवाब (नवम्बर 2012) में स्वीकार किया कि यह अनभिप्रेत त्रुटि थी। तथ्य यह है कि ऐसी अनियमितताएँ सरकार के अपर्याप्त बजटीय प्रबंधन को संकेतित करते हैं।

3.2.10.3 सहायता अनुदान विपत्रों पर निधियों का आहरण एवं निष्पादी अभिकरणों द्वारा प्रतिधारण

यह पाया गया कि ₹ 165.32 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.6)*** के 15 सहायता अनुदान विपत्र अनुमण्डलीय अस्पतालों के निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन इत्यादि के लिए 2009–12 के दौरान आहरित किए गए तथा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम को उपबंधित किए गए। यह देखा गया कि उपबंधित निधियाँ अव्यवहृत पड़ी रहीं (अगस्त 2012)। नमूना जाँच में यह भी पाया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा ₹ 324.21 करोड़ आहरित की गई लेकिन मार्च 2012 तक ₹ 13 करोड़ का व्यय हुआ ***(परिशिष्ट 3.7)***।

इस मामले में ***(परिशिष्ट 3.7*** के क्रम संख्या 2 के लिए) शिक्षा विभाग ने कहा कि इसके केन्द्र प्रायोजित योजना होने के कारण, भारत सरकार का अंश (₹ 118.91 करोड़) प्राप्त करने के लिए, राज्यांश (₹ 39.64 करोड़) की विमुक्ति अंतर्निहित शर्त था। इसने पुनः सूचित किया कि मार्च 2012 में बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रारूप तैयार एवं अनुमोदित किया गया तथा विस्तृत प्राक्कलन संस्वीकृति चरण में था और जुलाई 2012 में मृदा जाँच जारी थी जिससे यह तथ्य इंगित हुआ कि 2009–10 के दौरान अग्रिम योजना के बिना निधियाँ आहरित हुईं थीं। ***परिशिष्ट 3.6*** एवं ***3.7*** में दिए गए विवरण के अनुसार शेष विभागों के जवाब की प्रतीक्षा है।

3.2.10.4 उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का प्रस्तुतीकरण

2009–10 एवं 2010–11 के दौरान आहरित ₹ 15333.60 करोड़ के सहायता अनुदानों के विरूद्ध ₹ 7837.69 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31 मार्च 2012 को प्रस्तुतीकरण हेतु लंबित थे जैसा कि राज्य वित्त लेखे के विवरणी संख्या 4 (बी0) में इंगित है। जवाब में वित्त विभाग ने कहा (नवम्बर 2012) कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के प्रस्तुति संबंधी आवश्यक निर्देश मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को पहले ही (जून 2012) दिए जा चुके हैं ।

3.2.10.5 त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण–पत्र

अनुदान प्राप्तकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण–पत्र साक्ष्य होते हैं कि सहायता अनुदान लक्ष्यित उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया तथा निधि के उपयोगिता की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

[12] अन्य वस्तु शीर्ष जिस पर सहायता अनुदान आहरित हुआ : 1301,2002,21012103,2701,2702,2801,3103,3401, 4201,5001,5002, 5003,5301

वित्तीय वर्ष 2009–12 से संबंधित बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की जाँच से प्रकट हुआ कि ₹ 302.86 करोड़ की निधि का उपयोग आकस्मिक देयता[13] के रूप में हुआ। तथापि, निगम के लेखाओं से प्रकट हुआ कि उस अवधि के दौरान निगम का आकस्मिक देयता शीर्ष के अंतर्गत व्यय नहीं हुआ।

अतः उपयोगिता प्रमाण–पत्र वास्तविक व्यय को प्रतिबिंबित नहीं करते। इसलिए, ऐसे उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को संतोषप्रद व्यय के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं था तथा ऐसे गलत एवं कल्पित घोषणा के आधार पर उत्तरवर्ती सहायता अनुदान मुक्त करना अनियमित था।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2012) कि जिन मामलों में संविदाकारों से पूरे कार्य का करार कर लिया गया था तथा उस कारण से भविष्य देयता को चुकाने हेतु निधियों की आवश्यकता होगी, उन्हें आकस्मिक देयता माना गया था। अतः यह स्पष्ट था कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र अव्ययित, राशि हेतु तैयार किया गया था तथा जिसे संभवतः आगामी वर्षों[14] में खर्च किया जाना था। इस ओर ध्यान आकृष्ट किये जाने पर (सितम्बर 2012), विभाग ने लेखापरीक्षा के दावा को स्वीकारते हुए निगम को केवल वास्तविक व्यय को प्रतिबिंबित करने वाले उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (अक्तूबर 2012)। निगम द्वारा परिशोधन हेतु लिए गए उपायों की सूचना लंबित थी (नवम्बर 2012)।

3.2.10.6 सहायता अनुदान की उपयोगिताः बिहार कोसी बाढ़ बचाव परियोजना

बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण समिति का गठन (7 जुलाई 2010) आपदा बचाव साथ ही बिहार सरकार द्वारा भविष्य के जोखिम कम करने के प्रयास को सहारा देने हेतु किया गया था। समिति को तीन जिलों[15] में कोसी आपदा 2008 के बाढ़ राहत परियोजना का बीड़ा उठाना पड़ा। वर्ष 2010–12 के दौरान समिति को योजना एवं विकास विभाग से ₹ 575.19 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। अनुदान को मार्च 2012 तक उपयोग में लाना था। लेकिन यह देखा गया कि ₹ 575.19 करोड़ का निधि में से ₹ 467.81 करोड़ का उपयोग मार्च 2012 तक नहीं हुआ।

'जीविका' बिहार कोसी बाढ़ बचाव परियोजना की आजीविका पुनःस्थापन एवं संवर्द्धन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी थी जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक पूँजी (संवृद्ध आय एवं कम ऋण स्तर के जरिये) का निर्माण तथा प्रभावित लोगों के आजीविका अवसरों को बढ़ाना था। वर्ष 2010–12 के दौरान 'जीविका' ने ₹ 65 करोड़ (बी0ए0पी0ई0पी0एस0 से ₹ 15 करोड़ तथा योजना एवं विकास विभाग से ₹ 50 करोड़ का अनुदान) ग्रहण किया। इसके विरूद्ध 'जीविका' ₹ 11.30 करोड़ का उपयोग 31 मार्च 2012 तक कर सका तथा शेष ₹ 53.86 करोड़ बैंक खाते में पड़ा रहा (मार्च 2012)।

विभाग ने कहा कि (दिसम्बर 2012) बी0ए0पी0ई0पी0एस0 से उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधी रिपोर्ट माँगी गयी। उत्तर से प्रदर्शित हुआ कि अनुदान ग्राही का चयन करने के बावजूद भी बी0ए0पी0ई0पी0एस0 निधियों के उपयोग की स्थिति से अवगत नहीं था तथा वह उत्तरवर्त्ती सहायता अनुदान विमुक्त कर रहा था।

[13] एक संभावित देयता जो कि पूर्व के घटना से उत्पन्न हो तथा जिसकी उपस्थिति सिर्फ एक या अधिक अनिश्चित भविष्य घटना के होने या न होने पर ही निश्चित होगा या एक वर्तमान, दायित्व जो कि पूर्व के घटना से उत्पन्न हुआ है परन्तु जो पहचानित न हो क्योंकि (i) यह संभव नहीं है कि दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता से पूर्ण संसाधनों का प्रवाह आवश्यक होगा या (ii) देयता की राशि का भरोसेमंद आकलन नहीं किया जा सकता था।

[14] बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के लेखा में अधिकांश परियोजना (वर्ष 1990 से लेकर) को प्रगति में दिखाया गया है।

[15] सहरसा, सुपौल, मधेपुरा

इसके अतिरिक्त, योजना एवं विकास विभाग ने बी0ए0पी0ई0पी0एस0 को यथाशीघ्र निधि को प्रयोग करने अथवा अव्ययित शेष की वापसी सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया (दिसम्बर 2012)। अतः बिहार कोसी बाढ़ बचाव परियोजना जो कि एक आपदा पुनर्वास योजना थी तथा जिसका क्रियान्वयन युद्धस्तर पर किया जाना था, उसके कार्यान्वयन में ढ़ीलापन था।

3.2.10.7 पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का वर्गीकरण

भारत सरकार लेखा मानक 2 के अनुसार–"सहायता अनुदान का लेखाकरण तथा वर्गीकरण" अनुदान प्रदाता द्वारा अनुदान ग्राही को संवितरित सहायता अनुदान उद्देश्य के निरपेक्ष वित्तीय विवरणी में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकन होगा, विशेष मामलों के अतिरिक्त जिसके लिए किया गया हो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत निधि का संवितरण सहायता–अनुदान के रूप में हुआ, उन्हें सरकार के वित्तीय विवरण में पूँजी शीर्ष खाते के नाम डाला जाएगा (वर्त्तमान मामले में बिहार सरकार)।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में बिहार सरकार के लेखाओं के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि ₹ 460.61 करोड़ का सहायता अनुदान पूँजीगत व्यय[16] माना गया।

3.3 प्रमाणीकरण के लिए कुछ प्राधिकरणों या निकायों के लेखे / लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के समर्पण में विलंब

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्त्तें) अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 20(1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखा परीक्षा यदि नियंत्रक महालेखापरीक्षक को किसी कानून के द्वारा सौंपी जाती है या यदि किसी विधान सभा वाले राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति प्राप्त शर्त्तों–प्रतिबंधों पर ली जा सकती है तथा ऐसे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा निकायों एवं प्राधिकरणों के बही एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा स्थायी रूप से नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (बी0एस0के0भी0आई0बी0), बिहार राज्य आवास बोर्ड (बी0एस0एच0बी0) तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (आर0ए0यू0), पूसा, समस्तीपुर के क्रमशः वर्ष 2003–04 से 2009–10, 2004–05 के आगे की अवधि तथा वर्ष 2010–11 के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इन निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण, नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन तथा राज्य विधान मंडल में इनकी प्रस्तुति ***परिशिष्ट 3.8*** में दर्शाया गया है।

3.4 दुर्विनियोजन, गबन, कपटपूर्ण / आधिक्य भुगतान

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 31 और 32 में प्रावधान है कि सरकारी धन की कोई हानि या उसका संदेह होने पर या सरकारी धन के गबन होने पर संबंधित पदाधिकारी को अपने से उच्च पदाधिकारी को और वित्त विभाग को तथा साथ ही प्रधान महालेखाकार को तुरन्त इसकी सूचना देनी चाहिए, चाहे ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा क्यों न कर दी गई हो । जाँचोपरान्त ऐसी हानि की प्रकृति, सीमा तथा कारणों एवं इसकी वसूली को प्रभावित करने वाली संभावनाओं से संबंधित पूर्ण रिपोर्ट समर्पित कर देनी चाहिए इन प्रतिवेदनों को प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को आवश्यक अथवा उचित विभागीय जॉच करने के पश्चात दुर्विनियोजन, हानि अथवा गबन के कारणों अथवा परिस्थितियों का विस्तृत प्रतिवेदन जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चर्चा करते हुए भेजना चाहिए । तथापि, ऐसा कोई भी प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रधान महालेखाकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

[16] वित्त लेखे 2011–12 की टिप्पणी संख्या–8, पृष्ठ–22 पर

वर्ष 2011–12 के दौरान, नमूना जाँच में ₹ 3.58 करोड़ के गबन, दुर्विनियोजन, हानि, कपटपूर्ण/आधिक्य भुगतान तथा चोरी के 17 मामले पाये गये जो संबंधित विभागों के पास लंबित थे। समयवार/वर्गवार लंबित मामलों को विस्तृत रूप से ***परिशिष्ट 3.9*** तथा ***3.10*** में तथा संक्षिप्त रूप से **तालिका 3.5** में प्रस्तुत किया गया है। बट्टे खाते में डाले हुए हानि से संबंधित मामले को सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया था।

तालिका 3.5 : लंबित मामलों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मामले की प्रकृति/विशेषताएँ	मामले की संख्या	सम्मिलित राशि
दुर्विनियोजन	03	0.32
चोरी	01	0.31
गबन	07	1.22
कपटपूर्ण भुगतान	02	0.23
आधिक्य भुगतान	04	1.50
कुल लंबित मामले	**17**	**3.58**

(स्त्रोतः लेखा परीक्षा निष्कर्ष)

17 मामलों में सात मामले (41.18 प्रतिशत) हानि से संबंधित हैं, जो इंगित करता है कि संबंधित विभागों द्वारा विहित नियम के अनुसार सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपर्युक्त कदम नहीं उठाये गये । इन मामलों के निष्पादन में विभागों के उदासीन रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को घाटा हुआ, बल्कि दोषी व्यक्ति के विरूद्ध समय पर कार्रवाई करने में भी असफलता मिली।

3.5 बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 की कार्य प्रकिया

लघु शीर्ष '800– अन्य प्राप्तियाँ ' तथा '800– अन्य व्यय' के अंतर्गत प्राप्तियों अथवा व्यय को दर्ज करने को प्राप्ति तथा व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष राशि से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रकट नहीं करते हैं। शीर्ष उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत व्यय को समायोजित करता है।

वर्ष 2011–12 के दौरान, व्यय भाग के 45 राजस्व एवं पूँजीगत मुख्य शीर्ष के खातों (सरकार का कार्य प्रस्तुत करते हुए) के अंतर्गत कुल ₹ 2409.13 करोड़ व्यय लघु शीर्ष–'800–अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 5.99 प्रतिशत था। ग्यारह मुख्य शीर्षों में ₹ 1623.57 करोड़ (₹ 10 करोड़ तथा अधिक) का भारी व्यय 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.11*** में दिया गया है।

इसी तरह, राजस्व प्राप्तियाँ भाग (सहायता अनुदान को छोड़कर) पर खातों के 43 राजस्व मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 330.05 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियाँ खातों में लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत की गयी जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति (राजस्व) का 2.45 प्रतिशत था। पाँच मुख्य शीर्षों में ₹ 178.51 करोड़ (₹ 10 करोड़ तथा अधिक) की वृहत् प्राप्ति हुई जिसे 'अन्य प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत की गयी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.12*** में दिया गया है।

61 कोषागारों में बहु–प्रयोजनित लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय/प्राप्तियाँ के अंतर्गत वृहत् राशि के वर्गीकरण से वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता प्रभावित हुई।

3.6 निष्कर्ष

सार आकस्मिक/सहायता अनुदान विपत्रों पर निधि के आहरण की समीक्षा तथा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति से प्रकट हुआ कि इस क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मजबूत करने तथा प्रभावी अनुश्रवण की आवश्यकता है। सार आकस्मिक/सहायता अनुदान विपत्रों पर निधि का आहरण बिना पर्याप्त योजना तथा तात्कालिक आवश्यकता एवं बजट अनुदान के व्यपगत से बचने हेतु किया गया जिससे अनावश्यक रूप से निधि का पार्किंग/प्रतिधारण/अवरोधन हुआ।

विस्तृत आकस्मिक विपत्र तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब पाया गया।

निर्दिष्ट समय सीमा में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति नहीं होना तथा वित्तीय वर्ष के अंत में सार आकस्मिक विपत्रों पर योजना/पूँजीगत व्यय हेतु निधि का आहरण अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन के सूचक थे।

इसके अतिरिक्त, सार आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के संबंध में बिहार कोषागार संहिता में संशोधन भारत सरकार के प्राप्ति एवं भुगतान नियम, 1983 के अनुसार नहीं था तथा इसमें सुधार की आवश्यकता थी।

3.7 अनुशंसाएँ

- सरकार को सार आकस्मिक/सहायता अनुदान विपत्रों पर निधि के आहरण के संबंध में अपने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि इन विपत्रों पर आहरित निधि का समय पर उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- तात्कालिक आवश्यकता के बिना सार आकस्मिक/सहायता अनुदान विपत्रों पर अधिक निधि के आहरण तथा बैंक खातों तथा व्यक्तिगत खातों में इन निधियों का अवरोधन/पार्किंग की प्रवृत्ति से बचना चाहिए।
- सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्ति अथवा व्ययित राशि को लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' तथा '800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत शामिल करने के बजाय इसे भिन्न लेखाओं में वर्गीकृत कर वित्तीय प्रतिवेदनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहिए।
- कोषागार द्वारा अभिश्रवों के गलत वर्गीकरण से बचना चाहिए तथा कोषागारों की पर्यवेक्षीय भूमिका सुदृढ़ करना चाहिए।
- नियंत्री अधिकारियों तथा आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी (डी0डी0ओ0) को निधि के आहरण एवं उपयोग संबंधी नियम एवं प्रक्रिया के प्रति अधिक चौकन्ना तथा सतर्क रहना चाहिए।

पटना
दिनांक :

(आई. डी. एस. धारीवाल)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक :

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

राज्य का परिचय

(संदर्भः कंडिका 1, पृष्ठ 1)

अ.	सामान्य आंकड़ें			
क्रम सं0	विवरण			आँकड़े
1	क्षेत्रफल			94163 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	अ	2001 के जनगणना के अनुसार		8.3 करोड़
	ब	2011 के जनगणना के अनुसार		10.38 करोड़
3	अ	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 325 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.)		881 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.
	ब	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.)		1102 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.
4	* गरीबी रेखा के नीचे का जनसख्या (बी.पी.एल) (राष्ट्रीय औसत = 27.5 प्रतिशत)			41.4 प्रतिशत
5	अ	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.8 प्रतिशत)		47 प्रतिशत
	ब	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 74.0 प्रतिशत)		63.82 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 50 प्रति 1000 जन्म पर)			52
7	जीवन का संभावित जन्म दर (राष्ट्रीय औसत = 63.5 वर्ष)			61.6 वर्ष
8	गिन्नी (गुणांक[1])			
	अ	ग्रामीण (संपूर्ण भारत = 0.30)		0.20
	ब	शहरी (संपूर्ण भारत = 0.37)		0.33
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2011–12 वर्तमान दर पर			262230 करोड़
	प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0[2], सी0ए0जी0आर0[3] (2002–03 से 2011–12)		बिहार	13.10 प्रतिशत
			सामान्य कोटि के राज्य	13.09 प्रतिशत
10	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2002–03 से 2011–12)		बिहार	14.97 प्रतिशत
			सामान्य कोटि के राज्य	14.46 प्रतिशत
11	जनसंख्या वृद्धि (2001 से 2011)		बिहार	17.89 प्रतिशत
			सामान्य कोटि के राज्य	13.90 प्रतिशत

ब	वित्तीय आंकड़ें				
कम सं0	विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)		
1	सी.ए.जी.आर.		2002–03 से 2010–11		2002–03 से 2011–12
			सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	बिहार
	क	राजस्व प्राप्तियों का	16.86	19.14	18.68
	ख	अपने कर राजस्व का	16.74	17.26	18.37
	ग	गैर कर राजस्व का	12.84	18.07	14.60
	घ	कुल व्यय का	14.58	16.84	16.95
	ड.	पूँजीगत व्यय का	21.25	32.47	27.82
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	15.41	14.70	15.83
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	14.00	13.30	14.02
	ज	वेतन एवं मजदूरी का	13.43	9.58	10.22
	झ	पेंशन का	16.89	14.71	16.01

स्त्रोतः वित्तीय आँकड़ा वित्त लेखे पर आधारित आँकड़े है । बी.पी.एल. (योजना आयोग एवं एन एस एस ओ आँकड़े 61वें राउण्ड एनटीटीपीः/योजना आयोग निक.ईन/डाटा/डाटावेस/डाटा 0910/टेब%2021 पीडीएफ), गिन्नी गुणांक (योजना आयोग का गैर सरकारी प्राक्कलन एवं एन एस एस ओ डाटा, 61वें राउण्ड 2004–05 एम आर पी), जीवन का संभावित जन्म दर (भारत के महानिबंधक का कार्यालय; गृह मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12, शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन जनवरी 2012), जनसंख्या घनत्व (भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय; गृह मंत्रालय एवं शिक्षा) अवधि 2002–03 से 2010–11 या 2011–12 के मामले में ।

[1] यह आय के असमान्य वितरण का माप है जहाँ शून्य पूर्ण समानता को दर्शाता है एवं एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है ।
[2] जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद
[3] सी.ए.जी.आर = मिश्रित वार्षिक विकास दर

परिशिष्ट 1.2

भाग क : सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

(संदर्भः कंडिका 1.1, पृष्ठ 1)

सरकारी लेखे की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की संचित निधि" कहा जाता है ।

भाग II : आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैय्या करता है । तत्पश्चात विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है ।

भाग III : लोक लेखा : कुछ विशेष लेन–देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
वित्त लेखा दो भागों में वितरित है । भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है । भाग एक में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रमाण–पत्र चार सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है ।	
विवरण संख्या 1	**वित्तीय स्थिति का विवरण :** सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आंकड़े, जो वर्ष के अंत में रहता है, विवरणी में दिखाये गए हैं । ये परिसंपत्तियाँ सरकार की भौतिक परिसंपत्तियाँ को दर्शाने वाली उत्तरोत्तर पूँजीगत व्यय के आँकड़ों के लिए मुख्यतः वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं । लेखा नीति के तहत परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाया गया है ।
विवरण संख्या 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण : यह सरकार द्वारा चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीनों भागों–संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरणी है । इसके अतिरिक्त राजस्व एवं पूँजीगत लेखा से संबंधित प्राप्तियों एवं व्ययों को संचित निधि के तहत पृथक रूप से दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि): इसके अंतर्गत राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार द्वारा प्राप्त की गई उधार राशि जिसमें भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं पेशगियों की वसूलियाँ सम्मिलित हैं ।
विवरण संख्या 4	व्यय की विवरण (समेकित निधि) प्रयोजनवार एवं प्रकृतिवार: यह विवरण न केवल प्रयोजनवार व्यय को दर्शाती है बल्कि व्यय की गतिविधि की प्रकृति (विषय शीर्षवार व्यय) को भी सारांशीकृत करती है ।
इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट, **परिशिष्ट–1** भी सम्मिलित है जो सरकार के रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश का विवरणी है । भाग **II** तीन भागों में विभक्त है । भाग **I** में छः विवरणी शामिल है जो निम्नलिखित हैं–	
विवरण संख्या 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण : यह विवरण प्रगामी पूँजीगत व्यय को कार्यकारी शीर्षवार बतलाता है जिसकी समिष्टि विवरण–1 में दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 6	उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण : सरकार द्वारा ली गई उधार स्वरूप बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं पेशगियाँ सम्मिलित हैं । इन दोनों को मिला कर राज्य सरकार का लोक ऋण निर्मित होता है । इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरणी अन्य दायित्वों जो लेखा अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के शेषों को भी दर्शाता है । लोक लेखा के संबंध में सरकार निधि के संरक्षक या न्यासी के रूप में कार्य करती है । अतएव यह लेखा सरकार के दायित्वों को संस्थापित करती है। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी टिप्पणी अर्थात् निवल ब्याज प्रभार जिन्हें राजस्व प्राप्तियों से वहन किया जाता है का भी उल्लेख है ।

परिशिष्ट 1.2

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा	
विवरण	**रूपरेखा**
विवरण संख्या 7	सरकार द्वारा दिये गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण : सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों को विवरण संख्या 1 में दर्शाया गया है तथा तत्संबंधी वसूलियाँ एवं संवितरणों को विवरण संख्या 2, 3 तथा 4 में दर्शाया गया है । यहाँ कर्ज एवं पेशगियों को प्रभागवार–ऋणवार समूह में सारांशीकृत किया गया है । इसके अंतर्गत बकाये कर्ज की वसूलियाँ संबंधी टिप्पणी सम्मिलित है जिसके विस्तृत आँकड़ों का संधारण महालेखाकार कार्यालय एवं संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है ।
विवरण संख्या 8	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायक अनुदान का विवरण : यह अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा समूहवार संघटित किया गया है । इसमें वस्तु के रूप में दिये गए अनुदान पर टिप्पणी भी अंकित है ।
विवरण संख्या 9	सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण : सरकार द्वारा वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों की ऋण वापसी हेतु दी गयी गारंटियों एवं वर्ष के अंत तक लंबित प्रत्याभूत राशियों का उल्लेख इस विवरणी में प्रदर्शित किया गया है ।
विवरण संख्या 10	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण : इस विवरण के अंतर्गत सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्ययों को विस्तृत उल्लेख है ।
भाग **II:** इस भाग में नौ विवरण सम्मिलित हैं जो लघुशीर्षवार हुए संव्यवहारों को दर्शाता है जो खण्ड I एवं खण्ड II के भाग I के विवरणों में सादृश अनुकूल है ।	
विवरण संख्या 11	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्योरेवार विवरण : यह विवरण सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों को विस्तृत रूप में दर्शाता है ।
विवरण संख्या 12	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्योरेवार विवरण : यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय को विस्तृत रूप में दर्शाता है । गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग–अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 13	पूँजीगत व्यय का ब्योरेवार विवरण : इसके अंतर्गत सरकार के पूँजीगत व्यय का विस्तृत उल्लेख है । गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग–अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्ष के अंत तक संचयी पूँजीगत व्यय का वर्णन भी सम्मिलित है ।
विवरण संख्या 14	सरकारी निवेशों का ब्योरेवार विवरण : विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी और डिबेंचर के रूप में सरकारी निवेशों की विगत एवं चालू वर्ष की स्थिति को इस विवरणी में दर्शाया गया है । इसके अंतर्गत शेयरों का प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश का भी उल्लेख किया गया है ।
विवरण संख्या 15	उधार एवं अन्य दायित्वों का ब्योरेवार विवरण : सरकार द्वारा प्राप्त उधार एवं अन्य दायित्वों (बाजार ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त कर्ज) को लघुशीर्षवार, उसकी परिपक्वता एवं ऋण की वापसी संबंधी रूपरेखा इस विवरण में प्रस्तुत किया गया है। यह विवरण खंड 2 के भाग 1 में विवरण संख्या 6 का विस्तृत रूप है ।
विवरण संख्या 16	सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्योरेवार विवरण : सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्योरा, ऋण शेषों में बदलाव, ऋण का अपलेखन, ऋणों पर प्राप्त ब्याज आदि को इस विवरण में दर्शाया गया है । इसमें योजनागत कर्ज को अलग से दर्शाया गया है । यह विवरणी खण्ड 2 के भाग 1 के विवरणी 7 का विस्तृत रूप है ।
विवरण संख्या 17	व्यय हेतु निधियों के स्त्रोत तथा उनके अनुप्रयोग (राजस्व लेखे को छोड़कर) का ब्योरेवार विवरण : पूँजीगत एवं अन्य व्यय (व्यय शीर्ष राजस्व लेखा को छोड़कर) व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों का उल्लेख इस विवरणी में किया गया है ।
विवरण संख्या 18	आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संव्यवहारों को ब्योरेवार विवरण : इस विवरण के अंतर्गत वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में हुए बदलाव, निधि को विनियोजन, व्यय एवं वापस प्राप्त किये गये राशि को दर्शाया गया है । इसमें लोक लेखा के संव्यवहारों को भी विस्तृत रूप में दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 19	उद्दिष्ट निधियों के निवेशों को ब्योरेवार विवरण : उद्दिष्ट निधियों से लोक लेखा में निवेशों की विस्तृत ब्योरा इस विवरण में दर्शाया गया है ।

(स्त्रोतः वित्त लेखा, 2011–12)

परिशिष्ट 1.3

भाग क : राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम)

(संदर्भः कंडिका 1.1, पृष्ठ 1)

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम) (संशोधन) अधिनियम, 2010 [बिहार अधिनियम 25, 2010]

राजकोषीय समेकन के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिऐ राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट अधिनियम 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधियमित थेः–

1. (अ) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।
(ब) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(स) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित को नियमित करें ।

2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–2 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 2 की उप–धारा (ठ) के बाद निम्नलिखित नयी उप–धारा (ड) जोड़ी जायेगी:
(ड) "ऋण" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ब्याज पर ली गई उधार की राशि।

3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–3 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा–3 की उप धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :
(v) "राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आने के लिए वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011–12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 (तीन) प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनाये रखना होगा " ।

4. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–9 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 9 (2) (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:
(c) " वित्तीय वर्ष 2010–11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011–12 में यह 3 प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014–15 तक बनाये रखना होगा" ।

5. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा–9 की उप–धारा 2 के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :
(I) "ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के लिये क्रमशः 48.2 46.4, 44.6, 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी" ।

परिशिष्ट 1.3

भाग ख : राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी कार्य प्रणाली

(संदर्भः कंडिका 1.1, पृष्ठ 1)

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम (***परिशिष्ट 1.2*** का भाग ख) के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा मुख्य राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया ।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान दर पर

	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	118923	151650	177537	217814	262230
जी.एस.डी.पी. का विकास दर	14.88	27.52	17.07	22.69	20.39

स्त्रोत : निदेशालय सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग, बिहार सरकार

कुछ चुने हुए शब्दों जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृत्ति एवं प्रकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए है:–

शब्द	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर
अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में प्राचल (X) की उत्प्लावकता	प्राचल (X) की वृद्धि दर/ प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	समाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
समुच्चित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान /[पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी. वृद्धि – औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	संचित ऋण * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियाँ – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

परिशिष्ट 1.4

वर्ष 2011–12 की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार

(संदर्भः कंडिका 1.1.1, 1.4.1, पृष्ठ 1 एवं 10)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2010-11			2011-12		2010-11			2011-12		
								गैर योजना	योजना	योग
		खण्ड : अ राजस्व								
44532.32	**I**	**राजस्व प्राप्तियाँ**		**51320.17**	**38215.92**	**I**	**राजस्व व्यय**	**34012.66**	**12486.83**	**46499.49**
9869.85		कर राजस्व	12612.10		15286.97		सामान्य सेवाएँ	17569.44	160.28	17729.72
985.53		करेत्तर राजस्व	889.86		15089.42		समाजिक सेवाएँ	9523.52	9205.26	18728.78
23978.38		संघीय करों का राज्यांश	27935.23		8100.58		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	6672.87	3484.41	10157.28
1924.78		गैर योजना अनुदान	2562.62		1502.19		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1427.81	375.72	1803.53
5456.95		राज्य योजना हेतु अनुदान	5065.39		1697.53		जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	537.72	1175.60	1713.32
2316.83		केन्द्रीय योजना एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	2254.97		51.99		सूचना एवं प्रसारण	49.43	6.96	56.39
					538.19		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	99.64	959.99	1059.63
					78.90		श्रम एवं श्रम कल्याण	74.26	13.50	87.76
					2902.62		समाज कल्याण एवं पोषण	622.88	2966.11	3588.99
					217.42		अन्य	38.91	222.97	261.88
					7836.28		आर्थिक सेवाएँ	6916.53	3121.29	10037.82
					2017.72		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	594.36	1320.11	1914.47
					1989.44		ग्रामीण विकास	1782.66	1131.94	2914.60
							विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम			
					1311.02		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1212.94	98.41	1311.35
					1215.83		उर्जा	2160.32	7.70	2168.02
					325.86		उद्योग एवं खनिज	32.05	331.14	363.19
					634.49		परिवहन	788.46	0.07	788.53
					-		विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	-	-	
					341.91		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	345.74	231.92	577.66
					3.25		सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.17		3.17
					38215.92		कुल			46499.49
	II	**खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे**			6316.40	**II**	**खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष**			4820.68
44532.32		**कुल**		**51320.17**	**44532.32**		**कुल**			**51320.17**
		खंड ब अन्य								
2291.13	**III**	**स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल**		**2735.44**		**III**	**भारतीय रिजर्व बैंकसे प्रारंभिक ओभर ड्राफ्ट**			

परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2010-11			2011-12		2010-11		2011-12			
								गैर योजना	योजना	योग
		करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष								
	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			9195.94	IV	पूँजीगत परिव्यय	39.59	8812.42	8852.01
					395.71		सामान्य सेवाएँ	38.24	569.82	608.06
					1072.08		सामाजिक सेवाएँ	5.76	801.38	807.14
					143.75		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	-1.77	58.17	56.40
					164.98		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	321.05	321.05
					629.74		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	7.53	324.43	331.96
					1.05		सूचना एवं प्रसारण	-	-	
					29.79		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	3.50	3.50
					88.46		समाज कल्याण एवं पोषाहार	-	82.43	82.43
					14.31		अन्य	-	11.80	11.80
					7728.15		आर्थिक सेवाएँ	-4.41	7441.22	7436.81
					16.99		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	-	117.29	117.29
					1203.82		ग्रामीण विकास	-	1088.78	1088.78
							विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम			
					1366.98		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-4.41	1968.39	1963.98
					1007.23		उर्जा		102.37	102.37
					8.81		उद्योग एवं खनिज		66.26	66.26
					4071.58		परिवहन		4063.51	4063.51
					52.74		सामान्य आर्थिक सेवाएँ		34.62	34.62
11.86	V	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		22.51	1102.63	V	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	220.72	1685.36	1906.08
		विद्युत परियोजनाओं से			878.49		उर्जा परियोजनाओं हेतु	58.18	877.36	935.54
10.95		सरकारी सेवकों से	10.62		14.86		सरकारी सेवकों को	17.39		17.39
0.91		अन्य से	11.89		209.28		अन्य से	145.15	808.00	953.15
6316.40	VI	राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए		4820.68		VI	राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए			
6032.42	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ		6627.96	2190.03	VII	लोक ऋण का पुनर्भुगतान			2922.46
		बाहरी ऋण					बाहरी ऋण			
5250.89		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	5801.40		1724.53		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			2456.98

परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2010-11			2011-12		2010-11		2011-12			
								गैर योजना	योजना	योग
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन					अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन			
		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन								
781.53		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	826.56		465.50		भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुर्नभुगतान			465.48
0.00		**अंतर्राज्यीय समाशोधन**		**75.41**			**अंतर्राज्यीय समाशोधन**			**1.39**
1150.00	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**		**800.00**	**1150.00**	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**			**800.00**
	IX	**आकस्मिकता निधि के राशि का स्थानांतरण**				**IX**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**			
17321.25	**X**	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**22302.61**	**16749.02**	**X**	**लोक लेखा संवितरण**			**21393.22**
838.84		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1031.81		586.14		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ			1033.94
243.72		आरक्षित निधि	1114.53		60.00		आरक्षित निधि			542.17
334.43		उचंत एवं विविध	419.14		329.52		उचन्त एवं विविध			976.07
9279.87		प्रेषण	9859.15		9199.91		प्रेषण			9895.97
6624.39		जमा एवं अग्रिम	9877.98		6573.45		जमा एवं अग्रिम			8945.07
	XI	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओभरड्राफ्ट**			**2735.44**	**XI**	**अंतिम रोकड़ शेष**			**1509.45**
							कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			
					-426.37		रिजर्व बैंक के पास जमा			-93.15
					426.92		विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम आदि सहित			491.62
					2734.89		रोकड़ शेष निवेश			1110.98
33123.06		**कुल**		**37384.61**	**33123.06**		**कुल**			**37384.61**

स्त्रोतः वित्त लेखा, 2011–12

परिशिष्ट 1.5

वर्ष 2011–12 के लिए बजट अनुमान यथा वास्तविकता

(संदर्भः कंडिका 1.1.2, पृष्ठ 3)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकता	आधिक्य / घाटा (–)	प्रतिशतता आधिक्य / घाटा (–)
राजस्व प्राप्तियाँ	**56205.86**	**51320.17**	**4885.69**	**8.69**
कर राजस्व	**12582.90**	**12612.10**	**-29.20**	**-0.23**
करेत्तर	2985.94	889.86	2096.08	70.20
संघीय करों में राज्य का अंश	26966.39	27935.23	-968.84	-3.59
केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	13670.63	9882.98	3787.65	27.71
राजस्व कर	49933.56	46499.49	3434.07	6.88
सामान्य सेवाएँ	18505.11	17729.72	775.39	4.19
राजस्व का अंश	933.12	724.00	209.12	22.41
राजकोषीय सेवाएँ	583.25	550.43	32.82	5.63
ब्याज सदाय और कर्ज परिशोधन	4982.01	4540.09	441.92	8.87
प्रशासनिक सेवाएँ	4422.47	4106.74	315.73	7.14
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएँ	7584.27	7808.46	-224.19	-2.96
सामाजिक सेवाएँ	**20862.15**	**18728.78**	**2133.37**	**10.23**
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11113.83	10157.28	956.55	8.61
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2285.51	1803.53	481.98	21.09
जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	2434.57	1713.32	721.25	29.63
सूचना और प्रसारण	62.79	56.39	6.40	10.19
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	628.44	1059.63	-431.19	-68.61
श्रम एवं श्रम कल्याण	100.72	87.76	12.96	12.87
सामाजिक कल्याण और पोषाहार	3720.01	3588.99	131.02	3.52
अन्य	516.28	261.88	254.40	49.28
आर्थिक सेवाएँ	**10562.18**	**10037.82**	**524.36**	**4.96**
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	2051.19	1914.47	136.72	6.67
ग्रामीण विकास	3802.24	2914.60	887.64	23.35
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1226.05	1311.35	-85.30	-6.96
ऊर्जा	1090.53	2168.02	-1077.49	-98.80
उद्योग और खनिज	601.62	363.19	238.43	39.63
परिवहन	999.19	788.53	210.66	21.08
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	791.36	577.66	213.70	27.00
सहायता अनुदान और अंशदान	**4.12**	**3.17**	**0.95**	**23.06**
पूँजीगत परिव्यय	**15392.31**	**8852.01**	**6540.30**	**42.49**
सामान्य सेवाएँ	**1513.37**	**608.06**	**905.31**	**59.82**
सामाजिक सेवाएँ	1242.31	807.14	435.17	35.03
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	119.39	56.40	62.99	52.76
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	419.30	321.05	98.25	23.43
जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	425.42	331.96	93.46	21.97
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	21.75	3.50	18.25	83.91

परिशिष्ट 1.5

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकता	आधिक्य / घाटा (–)	प्रतिशतता आधिक्य / घाटा (–)
सामाजिक कल्याण और पोषाहार	**256.45**	**82.43**	**174.02**	**67.86**
आर्थिक सेवाएँ	8692.13	7436.81	1255.32	14.44
कृषि और संबंद्ध सेवाएँ	19.80	117.29	-97.49	-492.37
ग्रामीण विकास	1344.75	1088.78	255.97	19.03
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2340.85	1963.98	376.87	16.10
ऊर्जा	1044.20	102.37	941.83	90.20
उद्योग और खनिज	17.94	66.26	-48.32	-269.34
परिवहन	3899.15	4063.51	-164.36	-4.22
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	25.44	34.62	-9.18	-36.08
राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (–)	**6272.30**	**4820.68**	**1451.62**	**23.14**
राजकोषीय घाटा (–)	**6194.03**	**5914.00**	**280.03**	**4.52**
प्राथमिक आधिक्य (+) / घाटा (–)	**-1455.52**	**1610.00**	**-3065.52**	**210.61**

स्त्रोतः वित्त लेखा, 2011–12

परिशिष्ट 1.6

राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधा हस्तांतरण

(संदर्भः कंडिका 1.2.2, पृष्ठ 5)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	राज्य में कियान्वयन करने वाले एजेन्सियाँ	2010–11	2011–12
		केन्द्रांश	केन्द्रांश
सर्व शिक्षा अभियान	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	1958.66	1851.09
प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम		15.96	0.00
कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय		73.28	0.00
कुल		**2047.90**	**1851.09**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	2089.26	1300.73
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		141.57	67.88
इंदिरा आवास योजना		2255.58	2170.82
समेकित जलाच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम		0.74	5.46
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)		31.77	29.99
हरियाली		0.00	0.00
कुल		**4518.92**	**3574.88**
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्वास्थ्य समिति	19.71	6.45
कुल सफाई अभियान		-	-
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	पंजीकृत समितियाँ	3458.69	3195.74
सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला मजिस्ट्रेट	111.53	100.97
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रम	पंजीकृत समितियाँ (स्वंयसेवी संस्थाएँ)	0.63	0.31
ऑफ ग्रिड डी.आर.पी.एस.	बिहार पुर्ननवीनीकरण उर्जा विकास अभिकरण	2.83	5.90
कला और संस्कृति का प्रोन्नति और संवर्द्धन	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	0.84	1.16
हस्तशिल्प	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	0.00	0.00
स्मारिका तथा अन्य	नव नालांदा महाविहार	2.20	3.00
महिला समाख्या	बिहार महिला समाख्या समिति	5.41	5.99
राष्ट्रीय फार्मास्यिूटिकल तथा शोध संस्थान	राष्ट्रीय फार्मास्यिूटिकल शिक्षा तथा शोध संस्थान	1.00	0.00
व्यस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (एस.आर.सी.) को सहयोग	जन शिक्षण संस्थान	4.63	5.90
स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायक अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	बाल श्रम परियोजना समिति	7.31	12.39
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा)	बिहार राज्य श्रम कल्याण समितियाँ	55.86	119.27
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	राज्य कृषि प्रबंधन तथा विस्तार प्रशिक्षण	51.65	74.87
नये आई .आई.टी. की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	20.00	0.00
राज्य बजट से बाहर भारत सरकार की कुल निधि		**10309.11**	**8957.92**

(स्त्रोतः वित्त लेखे, 2011–12)

परिशिष्ट 1.7

राज्य सरकार के काल श्रृंखला वित्त आंकड़ें

(संदर्भः कंडिका 1.3, 1.3.1.1, 1.4.1 एवं 1.9.1, पृष्ठ 6,8,10 एवं 24)

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
खण्ड अ प्राप्तियाँ					
1.राजस्व प्राप्तियाँ	**28210**	**32981**	**35527**	**44532**	**51320**
(i) कर राजस्व	**5086 (18)**	**6173 (19)**	**8090 (23)**	**9870 (22)**	**12612 (25)**
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2535 (50)	3016 (49)	3839 (48)	4557 (46)	7476 (59)
राज्य उत्पाद	525 (10)	679 (11)	1082 (13)	1523 (16)	1981 (16)
वाहन पर कर	273 (5)	298 (5)	345 (4)	456 (5)	569 (4)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	654 (13)	716 (12)	998 (12)	1099 (11)	1480 (12)
भू–राजस्व	82 (2)	102 (1)	124 (2)	139 (1)	168 (1)
माल एवं यात्री कर	938 (18)	1279 (21)	1613 (20)	2006 (20)	828 (7)
अन्य कर	79 (2)	83 (1)	89 (1)	90 (1)	110 (1)
(ii) गैर–राजस्व कर	**526 (2)**	**1153 (3)**	**1670 (5)**	**985 (2)**	**890 (2)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	**16766 (59)**	**17693 (54)**	**18203(51)**	**23978(54)**	**27935 (54)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**5832 (21)**	**7962 (24)**	**7564 (21)**	**9699 (22)**	**9883 (19)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	**0**
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ	**26**	**11**	**13**	**12**	**23**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**28236**	**32992**	**35540**	**44544**	**51343**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**1612**	**5928**	**6134**	**6032**	**6628**
आंतरिक (अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	1144	5778	5370	5251	5801
आंतरिक अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	468	150	764	781	827
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन					**75**
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	**29848**	**38920**	**41674**	**50576**	**58046**
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**12837**	**16941**	**15303**	**17321**	**22303**
10.राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	**42685**	**55861**	**56978**	**67897**	**80349**
खण्ड–ब–व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	**23563**	**28512**	**32584**	**38216**	**46499**
योजना	**4804 (20)**	**7280 (26)**	**8439 (26)**	**10900 (29)**	**12487 (27)**
गैर–योजना	**18759 (80)**	**21232 (74)**	**24145(74)**	**27316 (71)**	**34012 (73)**
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	9252 (39)	10530(37)	12202(37)	15287(40)	17729(38)
समाजिक सेवाएँ	9868 (42)	12252 (43)	13186 (40)	15090 (39)	18729 (40)
आर्थिक सेवाएँ	4438 (19)	5726 (20)	7088 (22)	7836 (21)	10038 (22)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	5	4	108(1)	3	3
12. पूँजीगत व्यय	**6104**	**6436**	**7332**	**9196**	**8852**
योजना	**5991 (98)**	**6336 (98)**	**7268 (99)**	**9150 (99)**	**40 (1)**
गैर–योजना	**113 (2)**	**100 (2)**	**64 (1)**	**46 (1)**	**8812 (99)**
सामान्य सेवाएँ	223 (4)	206 (3)	274 (4)	396 (4)	608 (7)
समाजिक सेवाएँ	799 (13)	640 (10)	1123 (15)	1072 (12)	807 (9)
आर्थिक सेवाएँ	5082 (83)	5590 (87)	5935 (81)	7728 (84)	7437 (84)
13. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**272**	**551**	**897**	**1103**	**1906**
14. कुल (11+12+13)	**29939**	**35499**	**40813**	**48515**	**57257**

परिशिष्ट 1.7

	2007- 08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1632	1682	1983	2190	2922
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	1203	1254	1169	1725	2457
अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	429	428	814	465	465
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
17. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	2
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	31571	37181	42796	50705	60181
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
20. लोक लेखा संवितरण	10334	17311	15448	16749	21393
21. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	41905	54492	58428	67454	81574
खण्ड–स–घाटा					
22. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+) (1–11)	4647	4469	2943	6316	4821
23. राजकोषीय घाटा(–)/ राजकोषीय आधिक्य(+)(4–14)	(-)1703	(-)2507	(-)5273	-3971	-5914
24. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	2004	1246	(-)1588	348	-1610
खण्ड–द–अन्य आंकड़ें					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	3707	3753	3685	4319	4304
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	1133	4423	4456	4622	14444
27. उपभोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ ओभरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ ओभरड्राफ्ट (दिन)					
उपयोग किय गये ओभरड्राफ्ट (दिन)					
28. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
29. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)/	118923	151650	177537	217814	262230
30. लंबित राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	50989	54977	58690	62858	67812
31. लंबित प्रत्याभूति (वर्षान्त)	516	704	859	588	1092
32. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्षान्त)	1538	1538	1548	1549	2049
33. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	9	78	288	350	380
34. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	2793	1016	941	1005	1579
खण्ड–ई–राजकोषीय स्थिति का सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
निजी राजस्व कर/जी.एस.डी.पी.	0.043	0.041	0.046	0.045	0.048
निजी करेत्तर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.004	0.008	0.009	0.005	0.003
केन्द्रीय स्थानांतरण/जी.एस.डी.पी.	0.141	0.117	0.103	0.110	0.107
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जीएसडीपी	0.252	0.234	0.230	0.223	0.218

परिशिष्ट 1.7

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.061	1.076	1.148	1.089	1.116
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.787	0.803	0.798	0.787	0.812
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.356	0.363	0.350	0.333	0.341
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.318	0.318	0.319	0.343	0.338
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.203	0.181	0.179	0.189	0.155
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.196	0.173	0.173	0.181	0.144
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.039	0.029	0.017	0.029	0.018
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	-0.014	-0.017	-0.030	-0.018	-0.023
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.017	0.008	-0.009	0.002	-0.006
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-2.728	-1.782	-0.558	-1.590	-0.815
आरंभिक राजस्व शेष/जी.एस.डी.पी.	0.070	0.054	0.037	0.049	0.035
IVराजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	0.429	0.363	0.331	0.289	0.259
राजकोषीय दायित्व/आर.आर.	1.807	1.667	1.652	1.411	1.321
आरंभिक घाटा यथा मात्रा विस्तार	-0.005	0.001	0.012	0.001	-0.169
ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	3.216	0.064	0.736	0.923	1.004
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	0.38	0.26	0.24	0.28	0.15
चालू राजस्व से शेष	5124	3953	6213	9602	10224
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/दायित्व	0.960	0.960	1.09	1.18	0.809

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप–शीर्षों के कुल प्रतिशतता दिखलाते हैं।
@ सरकार द्वारा अपनाई गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े

परिशिष्ट 1.8

31 मार्च 2012 को अपूर्ण परियोजनाओं (लागत वृद्धि) की विवरणी

(संदर्भः कंडिका 1.6.1, पृष्ठ 18)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विभाग	निर्माण कार्य/परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष की समाप्ति पर आरोही व्यय	लंबित भुगतान	कुल व्यय के अन्तर्गत लंबित भुगतान	लागत वृद्धि
1	जल संसाधन	शिवहर जिला में कि.मी. 15.24 से 52.92 तक बागमती विस्तार योजना	5509.20	91	6111.32	0	6111.32	602.12
2		चकिया, पूर्वी चम्पारण में गंडक नहर प्रणाली एवं संरचना (पैकेज–25) का पुनर्स्थापन कार्य	339.42	एन.ए.*	449.17	0	449.17	109.75
3		मधुबनी जिला में उग्रनाथ शाखा नहर में भू–कार्य लघुकृत दूरी 80 से 90 और भू–कार्य एवं संरचना का निर्माण लघुकृत दूरी 90.875 (एल0), 92.77 (आर0) 90.00 (एल0), 96.00 (आर0) तक 106.00 (आर0) (वाटर कोर्स स्तर तक) के नहर प्रणाली की संरचना का निर्माण	498.76	62	310.03	192.66	502.69	3.93
4		सुपौल जिला में 5 आर0एम0 के अन्तर्गत 5 के0सी0 प्रणाली सहित नहर का सभी काम तथा नहर बेसीन पुनर्निर्माण कार्य	238.20	62	276.50	30	306.50	68.30
5		मधुबनी जिला में कार्य कमला बालान कि.मी. 19.70 से 22.00 तथा कि.मी. 94.00 से 103.12 का विस्तार	1398.29	86	2022.00	356.69	2378.69	980.40
6		वैशाली जिला में कि.मी. 7 से 9 तक कटाव निरोधक कार्य	0.00	17	116.76	4.64	121.40	121.40
7		वैशाली के जफाराबाद में कटाव निरोधक कार्य	0.00	36	142.08	30.30	172.38	172.38
8		सुपौल ई0ए0बी0 में कि.मी. 4.9 से 6.1 तक नहर परिवर्त्तन का पुनर्स्थापन कार्य	112.79	67	62.00	52.80	114.80	2.01
9	राष्ट्रीय राजमार्ग	वर्ष 2010–11 के लिए पथ में राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–83 के कि.मी. 44 (पी0) से 47 (पी0) तक में चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य	1322.72	90	876.02	476.06	1352.08	29.36
10	पथ निर्माण	डेहरी–ऑन–सोन, रोहतास में नोखा–नुनसारी पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	427.57	75	340.77	113.90	454.67	27.10
11		डेहरी–ऑन–सोन, रोहतास में राजपुर–नोखा पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	962.91	75	765.83	258.63	1024.46	61.55
12		पटना जिला में खगौल–नौबतपुर सड़क भाया शिवालन पथ का कि.मी. 0 से 4.35 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	771.59	77	813.65	0	813.65	42.06
कुल			**11581.45**		**12286.13**	**1515.68**	**13801.81**	**2220.36**

* राज्य सरकार/संबंधित प्रमंडल द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

(स्त्रोत : राज्य सरकार के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.9

अवसूलनीय राशि

(संदर्भः कंडिका 1.6.2, 1.6.3, पृष्ठ 19)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	कम्पनी/निगम का नाम	31.03.2012 को पूँजी शेयर को ऋण में निवेश (राज्यांश)	31.03.2012 को ऋण (राज्यांश)	31.03.2012 को संचयी हानि
1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	81.74	556.57	680.17
2	बिहार राज्य वित्तीय निगम	39.95	213.97	382.20
3	बिहार राज्य साख तथा निवेश निगम लिमिटेड	15.12	26.80	149.67
4	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	7.64	12.60	78.96
5	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2.28	2.03	53.45
6	बिहार राज्य डेयरी निगम लिमिटेड	6.72	1.95	10.58
7	बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	0.12	*	5.97
8	बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम	0.25	*	5.56
9	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	20.00	322.95	72.31
10	बिहार राज्य जल विद्युत् निगम लिमिटेड	102.02	131.51	44.79
11	बिहार राज्य फल एवं सिविल आपूर्त्ति निगम	0.02	510.78	29.20
12	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	14.04	76.45	26.42
13	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	7.18	10.40	16.56
14	बिहार राज्य जल विकास निगम	12.19	42.09	11.20
15	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1.64	23.12	7.82
16	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम	17.40	13.27	2.92
17	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	11.00	0.00	1.57
18	बिहार पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	10.82	8.55	0.86
19	बिहार राज्य फार्मास्यूटिकल एवं केमिकल विकास निगम लिमिटेड	16.54	12.35	0.74
20	बिहार राज्य हस्तकरघा, पावरलूम और हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	11.42	1.16	0.44
21	बिहार राज्य वस्त्र उद्योग निगम लिमिटेड	15.81	2.48	0.32
22	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1.44	0.00	0.03
23	बिहार राज्य निर्यात निगम	2.27	1.22	0.01
24	बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड	*	13642.81	7674.68
	कुल	397.61	15613.06	7402.61
	कुल 1 (क्र. 01 से 08) अवसूलनीय	153.82	813.92	1366.56
	कुल 2 (क्र. 09 से 23) वृहत् हानि	243.79	1156.33	215.19
	बी0एस0ई0बी0 (क्र. 24) को कुल वृहत् हानि	0.00	13642.81	7674.68
	निदेश एवं ऋण (08) में कुल अवसूलनीय	967.74		
	बी0एस0ई0बी0 को छोड़कर कुल वृहत् हानि	215.19		

* वित्त लेखे के पृष्ठ सं0–279 से 281 (विवरणी 16) में बी0एस0ई0बी0 को दिये गये ऋण को दर्शाये गये लेकिन वित्त लेखे के विवरणी 14 में वर्णित नहीं है। इस प्रकार, बिहार पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम में निवेश क्रमशः वित्त लेखे के पृष्ठ सं0–219 एवं 218 में दर्शाये गये हैं, लेकिन विवरण सं0–16 में नहीं दर्शाये गये हैं।

(स्त्रोत : वित्त लेखे, कार्यालय के कॉलम–6 में वर्णित कार्यालयों से प्राप्त सूचना एवं लेखा परीक्षा आपत्तियाँ)

परिशिष्ट 1.10

2011–12 के दौरान निधियों का अग्रिम निकासी

(संदर्भः कंडिका 1.6.4, पृष्ठ 20)

(₹ लाख में)

विभाग	बैंक	बैंक खाता संख्या	जहाँ रखा गया	राशि लाख में	के अभिलेखों पर आधारित
सहकारिता	बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक, पटना	100203311	बिहार राज्य फसल बीमा निधि	**19045.29**	सचिवालय मुख्यालय
स्वास्थ्य		फ्लेक्सी फिक्स डिपोजिट	बी0आर0पी0एन0एन0	5000.00	वर्द्धमान मेडिकल कॉलेज एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम (डी.आर.पी. एन.एन.)
	इण्डियन बैंक	6016610664	बिहार मेडिकल सर्विसेज और इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी.एम.एस.आई.सी.एल.)	400.00	बी.एम.एस.आई.सी. एल.
	मुजफ्फरपुर	31130471517	प्राचार्य, एस0के0एम0सी0, मुजफ्फरपुर	170.00	कोषागार अभिश्रव
	इण्डियन बैंक	6016610664	बी0एम0एस0आई0सी0एल.	400.00	बी0एम0एस0आई0 सी0एल0
	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (सी0बी0आई0)			2231.25	
	आई0सी0आई0सी0 आई0 बैंक	625901142497		3942.95	
	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया			3670.18	
	उपलब्ध नहीं	30210764317	बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति	11278.00	सी0एस0, पटना एवं बी0एस0एच0एस0
	उपलब्ध नहीं			11800.00	सी0एस0, पटना एवं बी0एस0एच0एस0
	एक्सिस बैंक	सेविंग एवं फिक्स	बी.एम.एस.आई.सी.एस.	7758.00	बी0एस0एच0एस.
	आई0डी0बी0आई0 बैंक	फ्लेक्सी फिक्स डिपोजिट		13133.92	
	सी0बी0आई0	फ्लेक्सी फिक्स डिपोजिट		6618.90	
	यू0बी0आई0	फ्लेक्सी फिक्स डिपोजिट		5610.71	
	पी0एन0बी0	फ्लेक्सी फिक्स डिपोजिट		4493.99	
	इलाहाबाद बैंक	फ्लेक्सी फिक्स डिपोजिट	आई0जी0आई0एम0एस.	1180.90	इन्दिरा गाँधी मेडिकल साइंसेज संस्थान, शेखपुरा, पटना (आई.जी.आई. एम.एस., पटना)
	इलाहाबाद बैंक	बचत		2439.56	(आई.जी.आई.एम.एस.
	इलाहाबाद बैंक	फ्लेक्सी फिक्स डिपोजिट		860.00	आई.जी.आई.एम.एस.
	इलाहाबाद बैंक	फ्लेक्सी फिक्स डिपोजिट		414.50	आई.जी.आई.एम.एस.
स्वास्थ्य विभाग कुल				**81402.86**	
शिक्षा	एस0बी0आई0	320053311971	बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद	5822.25	बी0एम0एस0पी0
	एस0बी0आई0	32264472032		198.00	
	पी0एन0बी0	39400010113186l		10000.00	
	एस0बी0आई0	3063469229		4677.75	

परिशिष्ट 1.10

विभाग	बैंक	बैंक खाता संख्या	जहाँ रखा गया	राशि लाख में	के अभिलेखों पर आधारित
	इलाहाबाद बैंक	50029509570	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, माध्यमिक	8575.87	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
	इण्डियन ओवरसीज बैंक (आई0ओ0बी0)	245001000070001	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड (बी. एस0ई0आई0डी0सी)	1125.00	बी.एस.ई.आई.डी.सी.
	आई0ओ0बी0	151201000005527	बी0एम0एस0पी0	4176.00	बी0एम0एस0पी0
	सी0बी0आई0	3065633812		564.00	
	सी0बी0आई0	3063469229		10183.00	
	इण्डियन बैंक	6042512304		375.00	
	एक्सिस बैंक	910010025285315	बी0एस0ई0आइ0बी0सी0	5338.00	
शिक्षा विभाग कुल				**51034.87**	
योजना एवं विकास विभाग	एस0बी0आई0, सचिवालय, पटना	31620128302	बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी (बी0ए0पी0ई0पी0एस0)	41551.60	बी.ए.पी.ई.पी.एस.
	एस0बी0आई0, कंकड़बाग	3075500051	बी0ए0पी0ई0पी0एस0	5909.10	
	एस0बी0आई0, मोतिहारी	11060624879	डी0पी0ओ0, मोतिहारी	362.58	डी0पी0ओ0, मोतिहारी
	सी0बी0आई0, मोतिहारी	3060742032		131.55	
	इलाहाबाद बैंक	123201	डी0पी0ओ0, बक्सर	120.96	डी0पी0ओ0, बक्सर
	पी0एन0बी0, बक्सार	3877000100064290		133.68	
	एस0बी0आई0, आरा	11174594538	डी0पी0ओ0 आरा	7.39	डी0पी0ओ0 आरा
	एम0बी0जी0बी0	7006010064391		124.31	
	पी0एन0बी0	100504448		302.09	
	पी0एन0बी0	846000100280315	डी0पी0ओ0, रोहतास	320.15	डी0पी0ओ0, रोहतास
	एस0बी0आई0	11054473097	डी0पी0ओ0, भभुआ	3.25	डी0पी0ओ0, भभुआ
	पी0एन0बी0	3863000101068048		253.59	
योजना एवं विकास विभाग			**कुल**	**49220.25**	
ग्रामीण विकास विभाग	**एस0बी0आई0**	**11111139458**	बिहार ग्रामीण पथ विकास प्राधिकार (डी0आर0आर0डी0ए0)	**10000.00**	आर0डब्ल्यू0डी0
एस0सी0 / एस0टी0 कल्याण	पी0एन0बी0	फिक्सड डिपोजिट	बिहार महादलित विकास मिशन (बी0एम0भी0एम0)	2351.90	बी0एम0भी0एस0
	केनरा बैंक	फिक्सड डिपोजिट		5522.80	
	बी0ओ0आई0	फिक्सड डिपोजिट		4623.80	
	एक्सिस बैंक	फिक्सड डिपोजिट		2000.00	
	आई0सी0आई0सी0 आई0 बैंक	फिक्सड डिपोजिट		1137.20	
एस0सी0 / एस0टी0 कल्याण विभाग			**कुल**	**15635.70**	
समाज कल्याण	कारपोरेशन बैंक	5504	महिला विकास निगम (डब्ल्यू0डी0सी0)	2001.90	डब्ल्यू0डी0सी0
	कारपोरेशन बैंक	1146		24.30	
	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	73210100047601		3967.00	
	कारपोरेशन बैंक	सी.एल.एस.बी. खाता-7/04		1.30	
	कारपोरेशन बैंक	सी.एल.के.सी.सी. खाता-8/04		0.20	
	इण्डियन बैंक	441654837		672.40	
	एस0बी0आई0	1000009782		1.00	
	एस0बी0आई0	30098230233		1597.20	
	इण्डियन बैंक	763685826		12.60	
	एस0बी0आई0	11049753526		65.80	
	बी0ओ0आई0	440020110000040		13.00	
	बी0ओ0आई0	440020110000069		7.20	

परिशिष्ट 1.10

विभाग	बैंक	बैंक खाता संख्या	जहाँ रखा गया	राशि लाख में	के अभिलेखों पर आधारित
	एस0बी0आई0	1100050051		24.00	
	बी0ओ0आई0	440010210000002		223.00	
	एस0बी0आई0	30815373247		7.50	
समाज कल्याण विभाग			कुल	**8618.40**	
शहरी विकास एवं आवास विभाग			बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बी.यू.आई.डी.सी.ओ.)	**6400.00**	बिहार शहरी विकास प्राधिकार (बी0यू0डी0ए0)
कुल				**241357.37**	

(स्त्रोत : कार्यालयों के कॉलम–6 में वर्णित अभिलेख/सूचना एवं लेखा परीक्षा आपत्तियाँ)

परिशिष्ट 1.11

31 मार्च 2012 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार

(संदर्भः कंडिका 1.7.1, पृष्ठ 21)

(₹ करोड़ में)

31.03.2011 को	देयता		31.03.2012 को
39020.39	**आंतरिक ऋण**		**42364.79**
17579.57	ब्याज वाले बाजार ऋण	20173.22	
0.44	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.68	
21.97	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55	
21418.41	अन्य संस्थाओं से ऋण	22169.34	
8264.48	**केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम**		**8625.56**
3.91	1984–85 से पूर्व ऋण	3.91	
67.09	गैर–योजना ऋण	64.12	
8126.28	राज्य योजनाएँ ऋण	8492.61	
6.13	केन्द्रीय योजना के लिए ऋण	5.54	
18.11	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	16.42	
42.96	अर्थोपाय अग्रिम योजना मद	42.96	
350.00	**आकस्मिकता निधि**		**350.00**
9563.43	**लघु बचत, भविष्य निधि आदि**		**9561.30**
4802.90	**जमा**		**5717.43**
1646.92	**आरक्षित निधि**		**2219.29**
00	**अंतर्राज्यीय समाशोधन**		**74.01**
11424.74	सरकारी लेखा में आधिक्य		**16245.42**
6316.40	(i) घटावें: चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य	4820.68	
5108.34	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित आधिक्य	11424.74	
75072.86			**85157.80**
	परिसम्पत्तियाँ		
53447.86	**स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**		**62299.88**
905.24	कंपनियाँ, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	920.82	
52542.62	**अन्य पूँजीगत परिव्यय**	61379.06	
16642.19	**ऋण एवं अग्रिम**		**18525.76**
13794.72	उर्जा परियोजना हेतु ऋण	14730.25	
2781.92	अन्य विकास ऋण	3723.18	
65.55	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	72.33	
1144.38	**प्रेषण**		**1181.18**
185.49	**अग्रिम**		**167.10**
917.50	**उचंत और विविध शेष**		**1474.43**
2735.44	**रोकड़**		**1509.45**
0.00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
-426.37	रिजर्व बैंक में जमा	-93.15	
254.61	विभागीय रोकड़ शेष	206.07	
172.31	स्थायी अग्रिम	285.55	
2734.89	उदिृष्ट निधियों के साथ रोकड़ शेष निवेश	1110.98	
75072.86			**85157.80**

परिशिष्ट 2.1

वैसे अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ प्रावधान के ₹ 10 करोड़ एवं 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत हुई

(संदर्भः कंडिका 2.3.1, पृष्ठ 30)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	कृषि विभाग	1354.96	980.22	374.74	28
2	2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	487.26	276.63	210.63	43
3	3	भवन निर्माण विभाग	799.53	436.84	362.69	45
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	142.54	89.47	53.08	37
5	6	निर्वाचन विभाग	67.45	43.38	24.07	36
6	8	कला,संस्कृति एवं युवा विभाग	65.48	47.50	17.98	27
7	9	सहकारिता विभाग	1275.88	1003.20	272.68	21
8	10	ऊर्जा विभाग	4367.42	3235.00	1132.42	26
9	12	वित्त विभाग	1362.31	427.01	935.30	69
10	16	पंचायती राज विभाग	3549.79	2389.53	1160.26	33
11	17	वाणिज्य कर विभाग	82.60	65.37	17.23	21
12	20	स्वास्थ्य विभाग	2876.51	2249.41	627.10	22
13	23	उद्योग विभाग	524.14	352.84	171.30	33
14	25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	228.97	114.52	114.45	50
15	27	विधि विभाग	567.05	418.55	148.50	26
16	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	575.47	287.39	288.08	50
17	33	सामान्य प्रशासन विभाग	394.59	289.07	105.52	27
18	35	योजना एवं विकास विभाग	1764.03	655.61	1108.42	63
19	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	968.13	568.94	399.19	41
20	37	ग्रामीण कार्य विभाग	1734.69	1275.93	458.76	26
21	38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	124.21	84.54	39.67	32
22	39	आपदा प्रबंधन विभाग	1119.78	646.36	473.42	42
23	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	676.27	510.80	165.47	24
24	43	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	158.27	80.38	77.89	49
25	45	गन्ना उद्योग विभाग	49.10	28.57	20.53	42
26	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	1381.83	661.37	720.46	52
27	49	जल संसाधन विभाग	3570.92	2852.70	718.22	20
28	50	लघु जल संसाधन विभाग	839.51	437.24	402.27	48
29	51	समाज कल्याण विभाग	3432.69	2599.27	833.42	24
योग			**34541.38**	**23107.64**	**11433.75**	

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

परिशिष्ट 2.2

वैसे अनुदानों की सूची जहाँ वर्ष 2007–12 के दौरान सतत् बचत हुए

(संदर्भः कंडिका 2.3.2, पृष्ठ 33)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	राशि एवं बचत की प्रतिशतता									
		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
राजस्व–दत्तमत											
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	26.18	14.94	64.55	18.10	62.53	18.99	165.72	40.67	210.59	43.22
2	12-वित्त विभाग	94.54	54.74	35.16	12.83	39.09	10.91	55.64	13.46	122.72	43.27
3	20-स्वास्थ्य विभाग	292.10	22.03	395.61	24.92	278.83	16.79	479.42	23.92	528.85	21.52
4	27-विधि विभाग	35.32	16.68	70.45	26.76	31.32	10.72	130.41	26.37	148.50	26.19
5	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	38.58	11.26	73.16	19.07	120.13	17.17	128.43	23.06	148.70	24.05
6	41-पथ निर्माण विभाग	123.15	29.98	114.75	27.17	274.30	38.78	198.29	33.58	120.06	18.44
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	33.72	17.33	70.75	21.92	93.81	28.18	108.29	15.78	291.77	50.39
	योग–राजस्व दत्तमत	**643.59**		**824.43**		**900.01**		**1266.20**		**1571.19**	
	पूँजीगत–दत्तमत										
8	3-भवन निर्माण विभाग	39.03	57.17	53.82	58.81	26.79	29.86	66.52	36.16	292.26	57.49
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	389.41	53.87	495.89	73.13	462.89	50.68	268.62	29.99	137.81	31.09
10	49-जल संसाधन विभाग	593.42	42.19	1359.51	55.29	1415.28	52.57	1722.91	56.81	625.86	25.65
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	79.06	51.45	60.63	59.44	95.11	57.02	181.26	75.96	110.50	42.42
	योग–पूँजीगत दत्तमत	**1100.92**		**1969.85**		**2000.07**		**2239.31**		**1166.43**	
	महायोग	**1744.51**		**2794.28**		**2900.08**		**3505.51**		**2737.62**	

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य विनियोग लेखा)

परिशिष्ट 2.3

विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना आवश्यक है

(संदर्भः कंडिका 2.3.3, पृष्ठ 33)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान / विनियोजन की संख्या	अनुदान / विनियोजन संख्या	आधिक्य की राशि
1977-78	1	24	0.06
1978-79	2	17, 27	16.17
1979-80	1	17	33.46
1980-81	2	12, 17	26.02
1981-82	5	3, 12, 13, 17, 24	38.02
1982-83	2	12, 22	4.78
1983-84	1	12	9.45
1984-85	2	3,14	2.63
1985-86	2	10, 13	14.82
1986-87	1	13	65.63
1987-88	5	9, 19, 25, 38, 48	242.46
1988-89	3	9, 25, 38	85.15
1989-90	3	25,27,38	99.40
1990-91	2	37,38	47.55
1991-92	2	6, 38	71.24
1992-93	2	25, 38	93.26
1993-94	2	25, 37	157.68
1994-95	1	37	170.61
1995-96	2	25, 37	213.22
1996-97	2	23, 37	21.16
1997-98	1	7	0.01
1998-99	1	30	0.33
1999-00	1	40	0.01
2003-04	3	11,30,50	81.23
2004-05	4	19,20,21,46	5.68
2005-06	4	10,39,40,46	349.56
2007-08	2	17, 42	1.93
2008-09	3	15,17,28	54.62
2009-10	1	14	98.37
2010-11	2	5,15	273.71
योग			**2278.22**

परिशिष्ट 2.4

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(संदर्भः कंडिका 2.3.4, पृष्ठ 33)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
अ. राजस्व (भारित)					
1	13–ब्याज संदाय	4738.51	4303.66	434.85	0.25
2	15–पेंशन	6.96	0.86	6.10	0.35
3	28–बिहार का उच्च– न्यायलय	82.67	72.94	9.73	4.29
4	34–बिहार लोक सेवा आयोग	12.26	12.15	0.11	0.63
योग– भारित		**4840.40**	**4389.61**	**450.79**	**5.52**
राजस्व (दत्तमत)					
1	1–कृषि विभाग	1235.89	979.92	255.97	118.78
2	2–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	384.73	276.63	108.10	102.50
3	3–भवन निर्माण विभाग	276.16	220.69	55.47	14.96
4	4–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	115.56	86.83	28.73	4.91
5	6–निर्वाचन विभाग	65.53	43.38	22.15	1.92
6	8–कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	62.07	47.51	14.56	3.41
7	12–वित्त विभाग	271.48	160.87	110.61	12.11
8	16.–पंचायती राज विभाग	2982.88	2179.22	803.66	316.90
9	17–वाणिज्य कर विभाग	69.71	65.16	4.55	12.67
10	18–खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	428.71	373.10	55.61	104.42
11	19–वन एवं पर्यावरण विभाग	124.06	118.88	5.18	5.69
12	20–स्वास्थ्य विभाग	2305.31	1928.36	376.95	151.90
13	21–शिक्षा विभाग	10915.91	10633.54	282.37	1976.52
14	22–गृह विभाग	3534.19	3380.33	153.86	380.88
15	23–उद्योग विभाग	483.65	331.92	151.73	1.04
16	24–सूचना एवं जन संपर्क विभाग	63.37	56.79	6.58	1.66
17	25–सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	105.00	69.18	35.82	22.16
18	26–श्रम संसाधन विभाग	168.20	144.99	23.21	9.50
19	27–विधि विभाग	515.29	418.55	96.74	51.76
20	29–खनन एवं भूगर्भ विभाग	15.57	12.23	3.34	0.45
21	30–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	568.76	282.36	286.40	1.61
22	33–सामान्य प्रशासन विभाग	330.81	289.07	41.74	63.78
23	35–योजना एवं विकास विभाग	708.95	446.92	262.03	74.72
24	36–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	341.41	263.43	77.98	183.40
25	37–ग्रामीण कार्य विभाग	542.65	416.02	126.63	0.19
26	38–निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	110.56	84.54	26.02	13.65
27	39–आपदा प्रबंधन विभाग	769.94	643.98	125.96	347.34
28	41–पथ निर्माण विभाग	648.13	531.17	116.96	3.10
29	42–ग्रामीण विकास विभाग	1471.08	1407.48	63.60	20.50
30	45–गन्ना उद्योग विभाग	45.64	28.32	17.32	3.00
31	47–परिवहन विभाग	33.63	23.89	9.74	0.39

परिशिष्ट 2.4

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
32	48–नगर विकास एवं आवास विभाग	1283.78	661.37	622.41	91.05
33	50–लघु जल संसाधन विभाग	421.66	287.28	134.38	157.39
34	51–समाज कल्याण विभाग	2808.47	2599.27	209.20	467.04
योग राजस्व (दत्तमत)		**34208.74**	**29493.18**	**4715.56**	**4721.30**
योग राजस्व (दत्तमत + भारित)		**39049.14**	**33882.79**	**5166.35**	**4726.82**
ब–पूँजीगत (दत्तमत)					
1	3–भवन निर्माण विभाग	358.91	216.15	142.76	149.50
2	4–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	9.45	2.58	6.87	12.50
3	10–ऊर्जा विभाग	1733.93	1043.39	690.54	181.45
4	11–पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	3.85	1.00	2.85	2.00
5	21–शिक्षा विभाग	62.00	34.59	27.41	15.38
6	22–गृह विभाग	434.97	390.72	44.25	38.92
7	23–उद्योग विभाग	38.96	20.92	18.04	0.48
8	35–योजना एवं विकास विभाग	767.24	208.69	558.55	213.12
9	36–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	390.86	305.50	85.36	52.46
10	37–ग्रामीण कार्य विभाग	1091.86	859.91	231.95	100.00
11	43–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	57.39	24.36	33.03	27.00
12	49–जल संसाधन विभाग	2096.38	1814.03	282.35	343.51
13	50–लघु जल संसाधन विभाग	244.46	149.96	94.50	16.00
योग पूँजीगत (दत्तमत)		**7290.26**	**5071.80**	**2218.46**	**1152.32**
महायोग		**46339.40**	**38954.59**	**7384.81**	**5879.14**

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

परिशिष्ट 2.5

निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोग

(संदर्भः कंडिका 2.3.5, पृष्ठ 33)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत = (4+5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2403-00-001-0001-अधीक्षण	4.21	0.17	4.06	0.15	0.17
2		2403-00-102-0001-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	3.37	0.06	2.92	0.45	0.06
3		2404-00-001-0001-मुख्यालय स्थापना	2.29	0.05	2.24	0.03	0.07
4	3	2059-80-052-0001-नई आपूर्ति एवं मरम्मत	0.50	0.20	0.44	0.15	0.10
5	6	2015-00-106-0001-राज्य विधान सभा निर्वाचन	5.50	0.27	1.18	2.09	2.50
6	20	2210-01-001-0002-जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी	28.81	1.20	25.87	1.79	2.35
7		2210-01-110-0013-सदर अस्पताल	201.67	2.56	157.01	8.92	38.15
8		2210-01-200-0005-अन्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	13.23	2.39	8.67	0.72	5.16
9		2210-01-200-0006-विधायक अस्पताल, पटना	1.31	0.20	0.98	0.32	0.21
10		2210-03-101-0003-स्वास्थ्य उप–केन्द्र	57.15	3.00	43.53	1.59	15.02
11		2210-05-101-0001-आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय	3.19	0.34	3.05	0.30	0.18
12		2210-05-105-0005-नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय	31.65	0.02	24.55	0.00	7.12
13		2210-06-101-0002-राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	16.26	1.00	15.73	0.57	0.96
14		2210-06-113-0001-प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन	0.45	0.01	0.30	0.09	0.06
15	22	2056-00-101-0002-जिला कारा	57.10	3.49	56.24	3.49	0.86
16		4070-00-052-0101-काराओं के लिए उपस्कर हेतु	0.00	0.61	0.00	0.00	0.61
17	23	2851-00-103-0108-पिछड़ी जातियों के लिये विशेष अंगीभूत योजना–बुनकर सहकारिता समिति को हस्तकरघा कपड़ा के लिए विक्री पर छुट– सहायता अनुदान	0.00	0.98	0.00	0.00	0.98
18		2852-80-102-0163-व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग को बढ़ाने के लिए अंतः संरचना का सृजन, विकास एवं रख रखाव	10.00	0.30	4.69	5.61	0.00
19	26	2230-01-103-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन	0.23	0.01	0.19	0.03	0.01
20		2230-01-114-0102-अन्तर्राज्जीय प्रवासी मजदूरों की पुर्नवास पर व्यय	0.85	0.05	0.76	0.09	0.05

परिशिष्ट 2.5

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत = (4+5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
21	38	2030-02-101-0001-केन्द्रीय स्टाम्प कोषागार, नासिक रोड़ से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत	4.38	0.63	4.37	0.00	0.64
22	39	2245-02-101-0002-खाद्यान की आपूर्ति	178.46	3.53	119.70	16.68	45.60
23		2245-02-101-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद भुगतान	5.00	1.50	1.16	3.66	1.68
24	40	2029-00-001-0001-जिला प्रभार भू– अर्जन स्थापना	10.72	0.10	9.71	1.01	0.10
25	48	2015-00-109-0001-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव	2.00	1.57	1.91	0.04	1.62
26		2217-80-191-0012-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान	16.42	0.28	13.26	0.00	3.44
27		2217-80-191-0013-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायता अनुदान	88.78	0.23	72.90	0.00	16.11
28		2251-00-090-0005-शहरी विकास विभाग	5.65	0.02	4.46	0.00	1.21
29	49	2700-03-001-0001-स्थापना	165.64	0.55	147.49	18.28	0.36
30		2701-04-101-0002-अन्य रख–रखाव पर व्यय	39.72	0.60	38.42	1.54	0.36
योग			**954.54**	**25.92**	**765.79**	**67.60**	**145.74**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा,अनुदान पंजी, बिहार सरकार)

परिशिष्ट 2.6

निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

(संदर्भः कंडिका 2.3.5, पृष्ठ 33)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत
1	1	2401-00-109-0001-प्रमंडलीय जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना	123.94	-8.56	3.70
2		2435-01-102-0003-बीज परीक्षण प्रयोगशाला	3.94	-0.24	0.26
3	2	2403-00-102-0006-पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना	48.62	-0.39	0.50
4	3	4059-80-051-0002-लघु कार्य	3.75	-0.06	0.01
5	6	2015-00-108-0001-मतदाताओं को पहचान–पत्र निर्गत करने पर व्यय	15.10	-2.03	0.51
6	13	2049-01-101-0001-बिहार राज्य विकास ऋण पर ब्याज (देय ब्याज)	1495.05	-17.67	128.43
7	20	2210-01-110-0011-संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	1.93	-0.01	0.15
8		2210-01-200-0001-अन्य औषधालय (यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम)	37.33	-0.21	1.02
9		2210-01-200-0002-अन्य औषधालय, (कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम)	54.80	-1.80	6.60
10		2210-02-101-0001-देशी आयुर्वेदिक विज्ञान निदेशालय	15.41	-0.34	0.91
11		2210-03-103-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	643.36	-4.00	79.89
12		2210-05-105-0010- भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय	19.15	-0.02	10.50
13		2210-06-001-0001--अधीक्षक	6.10	-0.15	0.78
14		2210-06-101-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	28.62	-0.20	3.74
15	22	2056-00-101-0001-केन्द्रीय कारा	106.52	-6.72	42.05
16		4070-00-051-0103-केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग)	15.79	-0.61	0.19
17	23	2852-80-102-0159--खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन (सहायक अनुदान)	210.00	-12.50	1.84
18	26	2230-01-101-0108-श्रम अधिनियमों के कियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण	0.98	-0.01	0.01
19	32	2011-02-101-0005-सदस्यों	40.29	-0.19	2.12
20	36	4215-01-102-0101-ग्रामीणों जल आपूर्ति योजना	10.70	-2.50	0.63
21		4215-01-102-0118-प्राथमिक/मध्य विद्यालयों मे जलापूर्ति	24.84	-2.00	0.25
22	38	2030-01-101-0001-केन्द्रीय स्टाम्प कोषागार, नासिक रोड़ से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत	2.80	-0.63	0.29
23	39	2245-02-101-0001- निः सहायों एवं विकलांगों को नगद सहायता	35.20	-1.50	1.35
24	40	2029-00-104-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय	323.19	-0.16	7.10
25		2029-00-104-0002-हाट, बाजार एवं कचहरियों का संरक्षण	3.98	-0.10	0.18
26	41	3054-80-001-0002-पर्यवेक्षण	216.29	-0.05	0.89
27	45	2401-00-108-0109-ईख विकास	19.82	-3.75	0.05

परिशिष्ट 2.6

क्रम संख्या	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत
28	48	2217-80-192-0004-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद् कर्मचारियों के लिए वेतनादि भुगतान	9.27	-0.28	0.19
29		2217-80-192-0005- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद को सहायक अनुदान	83.50	-1.59	18.56
30		2217-80-193-0004-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत कर्मचारियों के लिए वेतनादि भुगतान	2.09	-0.01	0.14
31		2217-80-193-0005-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत को सहायक अनुदान	55.98	-0.23	9.11
32		2217-80-800-0116-शहरी समेकित विकास हेतु शहरी स्थानीय निकायों के सहायक अनुदान	277.50	-14.25	259.97
33	49	2711-01-001-0003-क्षेत्रीय स्थापना	226.46	-0.35	0.01
34		4700-01-001-0101-स्थापना	38.09	-0.08	0.25
35		4700-04-800-0101-क्यूल– बदुआ–चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	7.00	-1.75	0.01
36		4700-80-800-0102-नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना	2.49	-0.60	0.30
योग			**4209.88**	**-85.54**	**582.49**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा एवं ग्रांट ऑडिट रजिस्टर मिलाकर), बिहार सरकार, 2011–12

परिशिष्ट 2.7

वर्ष के दौरान पर्याप्त अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का ₹ पॉच करोड़ या 50 प्रतिशत से अधिक)

(संदर्भः कंडिका 2.3.6, पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
1	1-कृषि विभाग	2401-00-103-0614-समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (माइक्रोमोड 90:10)	12.00	4.34	7.54	0.12	62.83
2		2401-00-103-0115- बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम	46.48	20.75	25.73	0.00	55.36
3		2401-00-105-0105-उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजनाएँ	13.28	4.52	8.76	0.00	65.96
4		2401-00-105-0106-जैविक खेती का उन्नयन	8.30	3.19	5.11	0.00	61.57
5		2401-00-108-0615-तेलहन, दलहन, पाम तेल एवं मक्का (आई एस ओ पी ओ एम 75: 25) नई सेवा के लिए एकीकृत योजना	15.00	3.90	10.99	0.11	73.27
6		2402-00-102-0602-एन. डब्लू. डी. पी. आर. ए. (माइक्रोमोड 90:10)	9.00	2.19	6.75	0.06	75
7	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-106-0607-पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम की योजना	38.20	8.34	29.86	0.00	78.17
8		2403-00-106-0104- पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम की योजना	10.00	2.67	7.04	0.29	70.40
9		2405-00-101-0104-मत्स्य तालाब के विकास एवं जीर्णोद्धार	11.00	2.18	8.82	0.00	80.18
10	3-भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0017-विधि विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु	7.72	0.21	7.51	0.00	97.28
11		2059-60-053-0013- कारा विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु	5.20	0.20	5.00	0.00	96.15
12		2059-80-800-0001-उद्यान स्थापना	14.31	2.04	12.27	0.00	85.74
13		4047-00-051-0105-कोषागार कार्यालयों के स्थापना के लिए अतिरिक्त संसाधन	21.72	0.82	11.94	8.96	54.97
14		4059-00-051-0102-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण (वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में)	20.00	0.00	18.95	1.05	94.75
15	6-निर्वाचन विभाग	2015-00-108-0001-मतदाताओं को पहचान –पत्र निर्गत करने पर व्यय	15.10	2.95	11.63	0.52	77.02
16	9-सहकारिता विभाग	4425-00-051-0102-राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण	82.50	13.10	69.40	0.00	84.12
17	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-190-0002-राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना एवं राष्ट्रीय सम विकास योजना	95.28	24.12	69.68	1.48	73.13
18		4801-05-800-0101-राष्ट्रीय सम विकास योजना	876.39	102.37	774.02	0.00	88.32
19	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-102-0102-बी. पी. एल. परिवारों को राज्यों की अधिप्राप्ति व्यवस्था से खाद्यान की आपूर्ति	172.06	72.06	100.00	0.00	58.12
20	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-001-0001-अधीक्षक	22.38	10.21	12.17	0.00	54.38
21	21-शिक्षा विभाग	2202-01-102-0001-गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	23.75	11.72	12.03	0.00	50.65
22		2202-01-111-0101-सर्व शिक्षा अभियान	1441.93	662.27	779.66	0.00	54.07

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
23		2202-02-001-0101-माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	34.00	13.48	20.52	0.00	60.35
24		2202-03-789-0101-राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	30.80	9.80	21.00	0.00	68.18
25		2202-04-200-0102-प्रौढ़ शिक्षा	100.00	2.27	77.90	19.83	77.90
26		2202-80-004-0121-बिहार राज्य भाषा अकादमी	10.00	4.66	5.34	0.00	53.40
27	22-गृह विभाग	2070-00-003-0005-गृह रक्षकों को आवृतिचर्या प्रशिक्षण	12.00	4.21	7.77	0.02	64.75
28		2235-60-200-0009-जे. पी. सेनानी सम्मान योजना	21.00	9.56	11.44	0.00	54.48
29		4070-00-789-0101-बिहार अग्निशाम सेवा के लिए भवन निर्माण	12.04	0.24	11.80	0.00	98.01
30	23-उद्योग विभाग	2852-80-102-0163-बिहार व्यापार विकास कोष से व्यापार , वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसारण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख–रखाव	10.00	4.69	5.31	0.00	53.10
31		2852-80-789-0101-बिहार व्यापार विकास कोष से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसारण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख–रखाव	56.28	0.50	55.78	0.00	99.11
32	25-सूचना प्रौधोगिकी विभाग	2852-07-202-0101-राष्ट्रीय ई शासन योजना	28.79	6.09	22.70	0.00	78.85
33	27-विधि विभाग	2014-00-003-0001-बिहार न्यायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान	17.86	3.73	14.13	0.00	79.12
34		2014-00-106-0001-लघुवाद न्यायलय	42.86	1.60	41.26	0.00	96.27
35		2014-00-106-0002-वित्त आयोग की अनुशंसा परए . डी. आर. केन्द्र की स्थापना	8.15	1.34	6.74	0.07	82.70
36	35-योजना एवं विकास विभाग	2053-00-094-0007-योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	79.38	10.16	69.04	0.18	86.97
37		2053-00-800-0102-योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	13.38	2.89	10.32	0.17	77.13
38		3454-02-204-0620-भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना	80.00	0.01	79.99	0.00	**99.99**
39		3454-02-205-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना	72.87	3.49	69.38	0.00	95.21
40		4070-00-051-0104-आपकी सरकार आपके द्वार	50.00	13.00	37.00	0.00	74.00
41		4070-00-051-0107-मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	664.59	0.00	604.59	60.00	90.97
42	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-01-102-0001-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	263.33	95.06	168.27	0.00	63.90
43		2215-01-102-0105--क्षेत्र विस्तृत पद्धति द्वारा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण	42.90	7.51	35.39	0.00	82.49
44		4215-01-102-0116-ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नावार्ड में ऋण	37.95	11.39	25.68	0.88	67.67
45		4215-01-789-0104-ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नावार्ड में ऋण	14.00	1.10	12.90	0.00	92.14
46		4215-01-789-0106-प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	10.00	2.74	7.18	0.08	71.80
47		4215-01-789-0108-अनाच्छादित, आंशिक अनाच्छादित, जल गुणवत्ता प्रभावितों के आच्छादन हेतु जलापूर्ति का निर्माण	19.50	2.61	16.87	0.02	86.51

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशत
48	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0005-अन्य कार्य	17.76	0.55	17.08	0.13	96.17
49		2245-02-101-0004-प्रभावितों को कपड़ा एवं वर्त्तन का मुफ्त वितरण	10.00	0.37	9.63	0.00	96.30
50		2245-02-101-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	15.00	0.58	14.11	0.31	94.07
51		2245-02-101-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त कपड़ों के लिए अनुदान	10.00	1.44	8.32	0.24	83.20
52		2245-02-106-0001--क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यास्थापना	28.00	0.32	27.13	0.55	96.89
53		2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण	30.00	6.65	23.35	0.00	77.83
54		2245-02-113-0001-बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुर्नस्थापन	20.00	8.14	11.86	0.00	59.30
55	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-02-102-0102-अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रीय सहायता अतिरिक्त	11.47	3.83	7.64	0.00	66.61
56	45-गन्ना उद्योग विभाग	2401-00-108-0109-ईख विकास	19.82	3.40	16.37	0.05	82.59
57	47-परिहवहन विभाग	5055-00-051-0101-जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण	12.51	4.51	8.00	0.00	63.95
58	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2217-80-789-0104-समेकित आवास एवं गंदी बस्ती के लिए विकास कार्यक्रम	120.00	35.11	84.89	0.00	70.74
59	49-जल संसाधन विभाग	4700-03-789-0101-सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	54.74	7.83	41.93	4.98	76.60
60		4700-04-800-0103-क्यूल बदुआ चन्दन–बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	16.75	0.13	15.31	1.31	91.40
61		4700-80-800-0101-राष्ट्रीय सम विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	400.00	142.63	252.54	4.83	63.14
62		4701-03-789-0101-सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ	30.67	9.46	17.42	3.79	56.80
63		4701-04-789-0101-क्यूल–बदुआ–चन्दन–बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ	34.30	0.00	32.90	1.40	95.92
64		4711-01-789-0103-जमींन्दारी बाँधों का जीर्णोद्धार	28.41	7.58	18.05	2.78	63.53
65		4711-01-800-0403-गंगा नदी को छोड़ कर अन्य नदियों का कटाव निरोधक योजना (नेपाल क्षेत्र में कोशी नदी के लिए) (100 प्रतिशत केंन्द्रांश)	75.00	26.97	47.81	0.23	63.75
66	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-005-0002-उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण	94.54	17.74	75.64	1.16	80.01
67		2702-02-005-0003-सतही सिंचाई योजनाओं का मरम्मत को वित्तीय सहायता एवं अंश/सहायता अनुदान	6.00	0.60	5.29	0.11	88.17
68		4702-00-102-0101-अधूरे नलकूपों योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	70.00	7.12	62.70	0.18	89.57
69		4702-00-789-0101-लघु सिंचाई परियोजना	40.71	13.86	20.40	6.45	**50.11**
योग			**5838.96**	**1465.10**	**4251.53**	**122.34**	

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार)

परिशिष्ट 2.8

शत् प्रतिशत निधियों का अभ्यर्पण

(संदर्भः कंडिका 2.3.6, पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
1	01-कृषि विभाग	2401-00-001-0103-कृषि विपणन	1.00
2		2401-00-001-0111-मेज एवं पॉल्ट्री टास्क फोर्स	0.50
3		2401-00-001-0112-वेयर हाउसिंग एवं स्टोरेज का विकास	11.25
4		2401-00-109-0412-प्रशिक्षण एवं परीक्षण के माध्यम से कृषि यांत्रिकरण में प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण	2.00
5		2401-00-109-0114-एग्री बिजेनस के आधारभूत संरचना के विकास योजना	100.00
6		2401-00-113-0406-पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट	1.00
7		2401-00-789-0101-वेयर हाउसिंग एवं स्टोरेज का विकास	3.75
8		2401-00-789-0104- जैविक खेती का उन्नयन	1.60
9		2401-00-796-0132-जैविक खेती का उन्नयन	0.10
10		2401-00-796-0140-बिहार राज्य बीज कार्पोरेशन द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम	0.24
11		2401-00-796-0144-उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट	0.16
12		2401-00-800-0105- राज्य किसान आयोग	0.50
13		2402-00-102-0109-कृषि हेतु जल छाजन विकास कार्यक्रम	11.00
14		2415-01-277-0101-राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	4.25
15		2415-01-277-0108-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	15.50
16		2415-01-277-0109-कृषि महाविद्यालय, शाहाबाद	8.50
17		2415-01-277-0110-कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया	8.50
18		2415-01-789-0101-कृषि विश्वविद्यालय, पूर्णिया	1.50
19		2415-01-789-0103-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	4.50
20		2415-01-789-0104-राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान	0.75
21		3475-00-106-0402-वैद्यानिक मापविद्या के सुदृढीकरण	2.00
22	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-101-0107-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	9.00
23		2403-00-102-0110-गोशाला के विकास की योजना	1.65
24		2403-00-103-0610-ग्रामीण बैंकवार्ड कुक्कुट	6.52
25		2403-00-106-0609-पशुधन स्वास्थ्य और रोगों पर नियंत्रण	0.05
26		2403-00-107-0106-चारा बीज उत्पादन के लिए क्रय एंव वितरण की योजना	0.75
27		2403-00-107-0107-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	20.83
28		2403-00-109-0105-पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालय, डुमरॉव	0.20
29		2403-00-113-0102-अन्य रोग निदान प्रयोगशालाएँ	0.20
30		2403-00-113-0104-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3.00
31		2404-00-001-0101--क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन तथा प्रसार	0.30
32		2405-00-101-0603-मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.60
33		2405-00-101-0605-अन्तर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी का विकास	0.27
34		2405-00-101-0612-मत्स्य विपणन योजना	6.00
35		2405-00-101-0106-मछुआरों के लिए आवास, शौचालय, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ	7.50
36		2405-00-101-0110-मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.15
37		2405-00-101-0112-मत्स्य विपणन योजना	1.00
38		2405-00-120-0601-मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य सुविधाएँ	7.50
39		2405-00-789-0101-मछुआरों की सहायता	4.19
40		6405-00-190-0002-बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम को ऋण	0.04
41	03- भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0009-प्रखण्ड भवनों का संधारण	2.00
42		2059-01-053-0118-वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	0.61

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
43		4059-00-051-0101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण /पुर्ननिर्माण/उन्नयन	0.47
44		4059-00-051-0103- संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	1.50
45		4059-01-051-0106-मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग के लिए अभिलेख प्रकोष्ठ सह कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार	0.15
46		4059-01-051-0109-कृषि विभाग के लिए भवन	5.86
47		4059-01-051-0111-उत्पाद विभाग के भवन	1.94
48		4059-01-051-0112-पशु चिकित्सालय सुदृढीकरण योजना	0.75
49		4059-01-051-0115-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग के भवन	42.80
50		4059-60-051-0611-बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	6.31
51		4059-60-051-0108-विरासत संरक्षण – वित्त आयोग	18.00
52		4059-60-051-0109- सूचना भवनें	0.34
53		4059-60-051-0111-बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	2.15
54		4059-60-789-0103- विरासत संरक्षण–वित्त आयोग	7.00
55		4059-80-004-0001-निर्माण के पूर्व के प्रारम्भिक कार्य	0.10
56		4059-80-051-0118-पिछड़े वर्गो के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	4.85
57		4216-80-101-0001- निर्माण के पूर्व के प्रारम्भिक कार्य	0.10
58		4216-01-700-0602-न्यायिक आवासीय भवनें	1.00
59	04-मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग	2013-00-101-0002-राज्य मंत्रिगण	2.40
60		2013-00-108-0003-राज्य मंत्रिगण का यात्रा व्यय	0.14
61		2013-00-800-0002-राज्य मंत्रिगण	0.49
62	09- सहकारिता विभाग	2425-00-003-0103-सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति	0.25
63		2425-00-107-0138- सहकारी साख समितियों को अनुदान	78.89
64		2425-00-108-0114-गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान	40.00
65		2425-00-800-0628-सहकारी विकास योजना	0.16
66		3451-00-090-0101-सहकारिता विभाग	2.50
67		6425-00-108-0115-गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को ऋण	50.00
68	10- ऊर्जा विभाग	2810-60-789-0101-अपरम्परागत उर्जा स्त्रोत	1.68
69	11-पिछड़ा वर्ग एंव अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0108-छात्राओं के लिए छात्रावास– मुख्य निर्माण कार्य (राज्य अंश 50:50)	1.85
70		2225-03-277-0107- छात्रों के लिए छात्रावास –मुख्य निर्माण कार्य (50:50)	1.85
71	12-वित्त विभाग	2054-00-095-0102-भविष्य निधि लेखा का संधारण	1.00
72		7610-00-202-0003-मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	1.00
73	18–खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-191-0101-निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	0.08
74		3456-00-192-0101-निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	2.34
75		3456-00-193-0101-निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	8.53
76		3456-00-198-0101-निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	3.67
77		3456-00-800-0406-लक्षित जन वितरण प्रणाली लाभुकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	0.13
78	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-02-110-0603-अन्य उद्यान – संजय गांधी जैविक उद्यान (शत प्रतिशत केन्द्रीय योजना)	0.50

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
79		2406-02-110-0615-बाल्मिकी नगर व्याघ्र योजना इको डेवलेपमेन्ट (शत प्रतिशत केन्द्रीय योजना)	0.25
80		2406-02-110-0619-बेस्टर्लेड का विकास	0.10
81		2406-02-110-0620-आश्रणियों का विकास	0.20
82		2406-02-110-0120- आश्रणियों का विकास	0.20
83	20-स्वास्थ्य विभाग	2211-00-001-0601-निदेशन	0.08
84		4210-01-051-0104-शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण	1.62
85		4210-02-051-0104-अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण	5.00
86		4210-80-800-0104-स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भू– अर्जन	1.80
87	21-शिक्षा विभाग	2202-01-001-0102-परियोजना का प्रबोधन एवं मूल्यांकन	0.10
88		2202-01-001-0108-निगरानी कोषांग की स्थापना	0.50
89		2202-01-789-0101-औजार	2.00
90		2202-01-789-0105-महादलित समुदाय के बच्चों के शिक्षा के उत्थान केन्द्र	184.00
91		2202-02-001-0106-सामान्वित विकलांग शिक्षा परियोजना	0.70
92		2202-80-004-0112-जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना	5.00
93	22-गृह विभाग	2070-00-003-0004-अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं के प्रशिक्षण	0.05
94		2070-00-108-0604-अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं के सुदृढीकरण	6.00
95		2070-00-108-0104-अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं के सुदृढीकरण	1.50
96	23-उद्योग विभाग	6885-01-190-0109-बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम की ऋण	5.00
97		6885-01-190-0110-बिहार राज्य वित्तीय निगम ब्याज रहित ऋण	5.00
98		6885-01-789-0101-बिहार राज्य वित्तीय निगम को ऋण	5.00
99		6885-01-789-0102-बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम को ऋण	5.00
100		6885-01-800-0101-अन्य ऋण	1.01
101	25-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2852-07-202-0110-ई–डिस्ट्रीक्ट योजना	1.00
102		2852-07-789-0101-राष्ट्रीय ई– शासन योजना (कॉमन सर्विस सेन्टर)	1.72
103		2852-07-789-0102-स्टेट डाटा सेंटर	3.09
104		2852-07-789-0103-ई. शासन राज्य योजना	3.77
105		2852-07-789-0104-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रचार प्रसार योजना	0.51
106		4859-02-789-0101-बिहार स्टेट पाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)	20.93
107	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-01-101-0109-कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.50
108		2230-03-003-0112-महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नया व्यवसाय प्रारम्भ करना	0.05
109		2235-60-789-0101-आम आदमी बीमा योजना	0.14
110	33- सामान्य प्रशासन विभाग	2070-00-003-0007-भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0.10
111	35--योजना एवं विकास विभाग	3454-02-204-0120-भारतीय सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना	4.13
112		3454-02-205-0003-राज्य सांख्यिकी तंत्र के सुदृढीकरण –वित्त आयोग	7.60
113		3454-02-205-0602-स्थानीय स्तर पर विकास का सर्वेक्षण	0.14
114		3454-02-206-0101-वित्त आयोग यू. आई. डी. कार्यक्रम	73.84

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
115	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-01-198-0001-ग्रामीण पंचायतों को वापाकलों की मरम्मती हेतु सहायक अनुदान	7.20
116		2215-02-003-0102-बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण सह शोधकार्य के संचालन एंव अन्य कार्यो हेतु अनुदान	0.50
117		4215-01-102-0128-शोध कार्य	0.15
118		4215-01-789-0103-जल संसाधन, भू गर्भीय जल रिचार्ज एवं रैन वाटर हारवोस्टिंग	0.14
119		4215-01-789-0107-निदेशन, प्रशासन एवं स्थापना	1.40
120		4215-01-789-0109-अर्द्ध शहरी , शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की व्यवस्था	0.28
121		4215-01-789-0110-20000 आबादी तक के ग्राम क्षेत्र/उपनगरी	0.30
122		4215-01-796-0107-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	0.20
123		4215-01-796-0109-ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	2.50
124		4215-01-796-0110-भारत निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत अनाच्छादित आंशिक अच्छादित जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों के आच्छादन हेतु नलकूपों का निर्माण	0.30
125		4215-01-796-0111-प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	0.70
126		4215-01-796-0112-निदेशन, प्रशासन एंव स्थापना	0.10
127		4215-02-789-0102-शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ती एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	0.28
128		4215-02-796-0117-श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण एवं निकाय	0.20
129	38-निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2039-00-001-0007-उत्पाद दुकानों की बन्दी के लिए मुआवजा	0.20
130	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0001-निःसहायों एंव विकलांगों को नगद भुगतान	25.00
131		2245-01-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति	10.00
132		2245-01-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.20
133		2245-01-104-0001-चारे की आपूर्ति	1.00
134		2245-01-105-0001- पशुओं के लिए दवा	0.50
135		2245-01-282-0001- दवाओं की आपूर्ति	1.00
136		2245-02-101-0011-नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पर्याप्त भाग का क्षरण	2.00
137		2245-02-101-0012-विभिन्न पंचायतों में भूखमरी से प्रभावित परिवारों के लिए एक क्विंटल खाद्यान्न का सुरक्षित भण्डार	5.34
138		2245-02-101-0013-स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण विकास को नगद राशि आपूर्ति	0.20
139		2245-02-107-0001-सरकारी स्वास्थ्य एंव शिक्षा भवनों की मरम्मत एंव प्रत्यास्थापन	0.50
140		2245-02-108-0001-सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन	0.10
141		2245-02-114-0002-वार्षिक फसलों के लिए सहायता	1.00
142		2245-02-114-0003-कृषि फसलों के लिए सहायता	1.00
143		2245-02-114-0004-बागवानी फसलों के लिए सहायता	0.50
144		2245-02-114-0005-पेरिनियल (शाष्वत) फसलों के लिए सहायता	0.50
145		2245-02-115-0001-भूमि से रेत/खाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता	1.00
146		2245-02-115-0002-मत्स्य प्रक्षेप से खाद/ बालू, इत्यादि का निकासन	0.50

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
147		2245-02-116-0001--खराब ट्यूबेलों /पम्पसेटों आदि की मरम्मति के लिए किसानो को सहायता	0.50
148		2245-02-117-0001-बाढ़/सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव	2.05
149		2245-02-117-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव	0.15
150		2245-02-119-0001-पारम्परिक हस्ताशिल्प बुनकरों को करघा उपकरणों की मरम्मति/पुर्नस्थापन हेतु सहायता	0.15
151		2245-02-119-0002-सूत एवं अन्य सामग्रियों के कय हेतु सहायता	0.15
152		2245-02-119-0003-हस्तकरघा बुनकरों को सहायता अनुदान	0.13
153		2245-02-196-0001-जिला परिषद /जिला स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.10
154		2245-02-197-0001- प्रखण्ड स्तरीय पंचायत/मध्य स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.20
155		2245-02-282-0004-कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति	0.44
156		2245-02-800-0007-गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहायतार्थ सामग्री के परिवहन पर होने वाले व्यय	0.10
157		2245-02-800-0008-क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु	4.91
158		2245-80-001-0103-आपदा प्रबंधन कार्यालय का आधुनिकीकरण	1.38
159		2245-80-102-0104-राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स	16.00
160		2245-80-789-0101-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	7.42
161	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-103-0002-बाउण्डरी पीलर का प्रबंधन	0.10
162		2029-00-104-0004-जमींदारी उन्मूलन बन्ध पत्र	0.38
163	41-पथ निर्माण विभाग	5054-03-337-0602-आर्थिक महत्व की सड़क सम्पर्क (केन्द्रांश)	1.00
164	43-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4202-02-789-0101-पोलिटेंकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	31.51
165		2203-00-112-0603-तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम	3.00
166		2203-00-112-0103-तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम	1.00
167	44-अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-277-0101-शिक्षा	2.15
168		2225-02-277-0601-स्टइपेन्ड एवं स्कॉलरशीप	0.20
169		2225-02- 800-0101-अन्य कल्याण कार्यक्रम	0.20
170		4225-01-051-0101-आवासीय विद्यालयों एवं भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार	9.00
171		4225-01-277-0601-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण	4.30
172		4225-02-277-0101- आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार	0.50
173	45-गन्ना उद्योग विभाग	2852-08-796-0101-आर्थिक सहायता	0.09
174	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-02-789-0102-गंगा जल प्रदुषण का निवारण	0.36
175		2215-02-796-0104-गंगा जल प्रदुषण का निवारण	0.22
176		2217-80-001-0101-बिहार नगरीय विकास परियोजना	10.00
177		2217-80-789-0101-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए सहायक अनुदान	4.30
178		2217-80-789-0103- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना	120.00
179		2217-80-800-0122-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना	111.73
180		2217-80-800-0126-योजना का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र	1.00

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
181		2217-80-800-0133-अल्प लागत जलवाही शौचालय	2.00
182		4217-04-050-0101-जे. एन. एन. यू. आर. एम. की परियोजनायें	7.00
183	49-जल संसाधन विभाग	4700-01-789-0101-कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ	4.00
184		4701-80-005-0101-सर्वेक्षण और रखाव (स्थापना)	0.20
185	50-लघु जल संसाधन विभाग	4702-00-102-0102-नया एवं अधूरा मध्य सिंचाई योजना की पूर्णतः के लिए नावार्ड से ऋण	8.65
186	51-सामाजिक कल्याण विभाग	2235-02-001-0103-मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	0.55
187		2235-02-101-0109-विकलांगों के लिए कर्मशाला	0.30
188		2235-02-101-0116-विकलांगों के लिए रियायती यात्रा सुविधा	0.35
189		2235-02-102-0116-परवरिश	0.50
190		2235-02-103-0105-महिला विकास निगम हेतु सहायक अनुदान	2.50
191		2235-02-106-0105-मंद बुद्धि के बच्चों के अनुदान के लिए विद्यालय की स्थापना	0.50
192		4235-02-102-0103-बाह्य संपोषित योजना – समेकित बाल विकास योजना	157.18
योग			**1472.61**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार)

परिशिष्ट 2.9

प्रत्येक मामलें में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित बचत की राशि की विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.3.8, पृष्ठ 35)

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत
1	01- कृषि विभाग	374.74	336.35	38.39	10.24
2	02- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	210.63	185.44	25.19	11.96
3	03-भवन निर्माण विभाग	362.69	309.44	53.25	14.68
4	04- मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग	53.08	8.57	44.51	83.85
5	06- निर्वाचन विभाग	24.07	19.71	4.36	18.11
6	11–पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	15.68	8.46	7.22	46.05
7	12-वित्त विभाग	935.30	16.94	918.36	98.19
8	13-ब्याज संदाय	435.10	0.21	434.89	99.95
9	14-ऋण की वापसी अदायगी	4.12	1.19	2.93	71.12
10	15-पेंशन	72.11	0.43	71.68	99.40
11	16-पंचायती राज विभाग	1160.26	210.00	950.26	81.90
12	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	11.47	10.04	1.43	12.47
13	20- स्वास्थ्य विभाग	627.10	115.87	511.23	81.52
14	21- शिक्षा विभाग	2301.69	1705.06	596.63	25.92
15	22-गृह विभाग	617.90	157.81	460.09	74.46
16	26-श्रम संसाधन विभाग	34.52	25.20	9.32	27.00
17	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	288.08	1.68	286.40	99.42
18	32-विधान मण्डल	13.12	10.97	2.15	16.39
19	37-ग्रामीण कार्य विभाग	458.76	254.22	204.54	44.59
20	39-आपदा प्रबंधन विभाग	473.42	301.73	171.69	36.27
21	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	165.47	129.05	36.42	22.01
22	42-ग्रामीण विकास विभाग	86.99	56.85	30.14	34.65
23	43-विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	77.89	63.70	14.19	18.22
24	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	720.46	333.33	387.13	53.73
25	49-जल संसाधन विभाग	718.22	638.11	80.11	11.15
26	51-समाज कल्याण विभाग	833.42	677.37	156.05	18.72
	योग	**11076.29**	**5577.73**	**5498.56**	

(स्त्रोतः विनियोजन लेखा, बिहार सरकार, 2011–12)

परिशिष्ट 2.10

30 एवं 31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों का अभ्यर्पण के मामलें

(संदर्भः कंडिका 2.3.8, पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	1	2401- फसल कृषि–कर्म	1115.54	174.30	15.62
2		2402- मृद्रा एवं जल संरक्षण	32.13	11.00	34.24
3	2	2403-पशुपालन	309.12	50.69	16.40
4		2405-मत्स्य पालन	111.70	14.78	13.23
5	3	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	22.99	11.94	51.94
6		4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	447.86	155.43	34.71
7	9	2425-सहकारिता	186.97	118.89	63.59
8		4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	86.97	69.40	79.80
9	10	2801-उर्जा	2414.28	255.29	10.57
10		4801-उर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	942.39	774.02	82.13
11	17	2040-विक्री,व्यापार, आदि पर कर	82.38	12.34	14.98
12	22	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	274.42	52.98	19.31
13		2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	46.90	11.44	24.39
14		4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	68.25	11.80	17.29
15	23	2852-उद्योग	421.59	121.43	28.80
16	24	2220-सूचना तथा प्रचार	64.45	11.12	17.25
17	25	2852-उद्योग	94.75	22.70	23.96
18		4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	101.81	56.48	55.48
19	27	2014-न्याय प्रशासन	561.31	116.38	20.73
20	28	2014-न्याय प्रशासन	86.96	14.02	16.12
21	33	2053-जिला प्रशासन	295.26	81.42	27.58
22	35	2053-जिला प्रशासन	111.76	79.36	71.01
23		3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	275.85	92.86	33.66
24		4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	770.36	641.58	83.28
25		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	210.00	70.00	33.33
26	36	2215- जलापूर्ति एवं सफाई	523.26	240.94	46.05
27		4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	443.32	85.55	19.30
28	37	3054-सड़क तथा सेतु	350.00	65.06	18.59
29		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	1191.86	150.00	12.59
30	38	2039-राज्य उत्पाद	68.39	28.14	41.15
31	39	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1101.83	186.55	16.93
32	40	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	175.97	79.00	44.89
33	41	3054-सड़क तथा सेतु	648.60	76.98	11.87
34	42	2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	116.50	20.87	17.91
35	43	4202-शिक्षा, खेल–कुद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	84.39	31.51	37.34
36	44	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	1045.03	134.37	12.86
37	45	2401-फसल कृषि–कर्म	36.82	12.62	34.27

परिशिष्ट 2.10

क्रम सं.	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशतता
38	48	2217-शहरी विकास	1266.90	271.46	21.43
39	49	4700-वृहत सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	953.51	309.78	32.49
40		4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	127.37	63.28	49.68
41	50	2702-लघु सिंचाई	574.79	357.16	62.14
42	51	2236-पोषाहार	1131.88	309.91	27.38
43		4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	157.18	157.18	100.00
योग			**19133.60**	**5612.01**	

परिशिष्ट 2.11

माह मार्च 2012 में सघन व्यय

(संदर्भः कंडिका 2.3.9, पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	वर्ष 2011–12 का कुल व्यय	माह मार्च 2012 में कुल व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	2217	572.33	445.06	77.76
2	***2235***	***2303.74***	***1164.33***	***50.54***
3	2501	71.78	52.93	73.75
4	2700	599.92	339.90	56.66
5	2701	107.21	54.44	50.77
6	2810	10.51	7.70	73.27
7	3054	785.83	397.98	50.64
8	3452	11.06	7.04	63.63
9	3454	109.16	80.31	73.57
10	3604	3.17	3.17	100
11	4055	279.86	145.35	51.94
12	4058	1.09	0.70	63.69
13	4059	193.14	118.03	61.11
14	4070	97.11	56.89	58.58
15	4202	56.40	36.09	63.98
16	4210	321.05	238.03	74.14
17	4225	3.50	2.90	82.73
18	4406	0.60	0.57	93.77
19	4515	1088.79	586.66	53.88
20	4701	59.87	39.46	65.90
21	4702	149.96	82.60	55.08
22	4801	102.37	100.00	***97.69***
23	4851	2.99	2.99	***100***
24	4859	45.34	38.59	***85.13***
25	5053	2.58	2.58	***100***
26	5055	4.51	4.51	***100***
27	5465	1.00	1.00	***100***
28	5475	9.83	9.83	***100***
29	6408	400.00	400.00	***100***
30	7810	1.40	1.40	***100***
योग		**7396.10**	**4421.04**	

परिशिष्ट 2.12

वर्ष 2011–12 के दौरान (प्रत्येक मामलें में) ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की असमाशोधित राशि की विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.4, पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
1	2011-संसद/राज्य/संघ शासित प्रदेश विधानमंडल	92.25	15.67
2	2014- न्याय प्रशासन	509.51	253.69
3	2015- निर्वाचन	101.49	76.37
4	2029- भू–राजस्व	374.06	373.51
5	2039- राज्य उत्पाद	41.24	36.57
6	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	65.14	41.90
7	2041- वाहन, पर कर	22.31	19.24
8	2048-ऋण घटाने या उसका परिहार के लिए विनियोजन	236.43	236.43
9	2049- ब्याज भुगतान	4303.66	4300.89
10	2051- लोक सेवा आयोग	30.11	16.34
11	2052- सचिवालय सामान्य सेवाएँ	133.62	41.91
12	2053- जिला प्रशासन	274.31	253.78
13	2054- कोषागार एवं लेखा प्रशासन	54.73	53.61
14	2055-पुलिस	2966.85	2582.23
15	2059- लोक निर्माण कार्य	235.51	225.24
16	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	266.65	76.60
17	2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7808.45	7808.45
18	2202-सामान्य शिक्षा	10053.27	9865.61
19	2203- तकनीकि शिक्षा	55.23	55.23
20	2204-खेल–कूद तथा युवा सेवाएँ	27.15	25.87
21	2205- कला एवं संस्कृति	21.63	19.17
22	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1503.78	1446.21
23	2211-परिवार कल्याण	299.74	296.64
24	2215- जलापूर्ति एवं सफाई	344.71	338.88
25	2216- आवास	796.29	750.92
26	2217-शहरी विकास	572.33	572.33
27	2220- सूचना तथा प्रचार	56.39	34.27
28	2225- अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	1059.63	798.95
29	2230- श्रम एवं रोजगार	87.76	59.95
30	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2303.74	1137.72
31	2236- पोषाहार	737.81	704.56
32	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	547.44	533.79
33	2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	223.56	223.51
34	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	38.31	26.78
35	2401- फसल कृषि –कर्म	1306.91	277.98
36	2403- पशुपालन	185.85	185.85
37	2405- मत्स्य पालन	39.09	15.76

परिशिष्ट 2.12

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
38	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	115.90	115.90
39	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	142.71	138.60
40	2425- सहकारिता	61.21	17.02
41	2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	71.78	70.59
42	2505- ग्राम नियोजन	354.56	354.51
43	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2488.26	2471.46
44	2700- वृहत सिंचाई	599.92	346.04
45	2701- मध्यम सिंचाई	107.21	70.81
46	2702- लघु सिंचाई	285.25	115.67
47	2705- कमांड क्षेत्र विकास	89.86	89.86
48	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	229.10	102.90
49	2801-ऊर्जा	2157.51	1750.00
50	2852- उद्योग	317.60	241.55
51	3054- सड़क तथा सेतु	785.83	767.41
52	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	82.23	44.98
53	3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	109.16	102.66
54	3456- सिविल आपूर्ति	368.05	362.25
55	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	36.85	36.85
56	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	279.86	279.86
57	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	193.14	193.14
58	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	97.11	90.25
59	4202- शिक्षा, खेल–कूद, कला एवं संस्कृति	56.40	56.40
60	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	321.05	321.05
61	4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	305.40	305.40
62	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	26.56	26.56
63	4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	82.44	82.44
64	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	11.80	11.80
65	4408-खाद्य, भंडारण तथा भांडारागार पर पूँजीगत परिव्यय	100.00	100.00
66	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	1088.79	1087.54
67	4700- वृहत सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	617.61	535.79
68	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	59.87	57.16
69	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	149.96	149.96
70	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	1136.52	1135.18
71	4801- ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	102.37	102.37
72	4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	45.34	45.34
73	5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	4056.42	4056.42
	योग	**54910.57**	**49618.13**

परिशिष्ट 2.13

निधि की अग्रिम निकासी एवं 31 मार्च 2012 तक बैंक में रखी गई राशि

(संदर्भः कंडिका 2.5, पृष्ठ 37)

राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	शीर्ष	खाता संख्या	बैंक	अभिलेख पर आधारित	स्वीकृति सं0	नि0 एवं व्यय पदाधिकारी	प्रयोजन	विभाग	राशि (₹ करोड़ में)	विपत्र सं0	को0 प्र0 सं0
1	पी220202 1090107	3063469229 से 3200533197	सी0 बी0 आई0, बोरिंग रोड, से एस.बी. आई. पटना, सचिवालय	बीएम एसपी	39 / 19.10.11	अवर सचिव (मा. शि.)	शिक्षक शिक्ष हेतु पांच विवरणी	मानव संसाधन विकास	58.220	1494/ 11-12	382 / 22.0 2.12
2	2202	32264 472032	एस0 बी0 आई	बीएम एसपी	आवंटन 290 / 06.02.12	अवर सचिव (मा. शि.)	बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	मानव संसाधन विकास	1.280	1495/ 11-12	एन.ए.
3	2202	32264 472032	एस0 बी0 आई	बीएम एसपी	आवंटन 291 / 06.02.12	अवर सचिव (मा. शि.)	बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	मानव संसाधन विकास	0.700	1496/ 11-12	एन.ए.
4	2202	39400010 1131861	पी0एन0 बी0	बीएम एसपी	आवंटन 359 / 16.03.12	अवर सचिव (मा. शि.)	मॉडल विद्यालय	मानव संसाधन विकास	44.767	1516/ 11-12	एन.ए.
5	2202	39400010 1131861	पी0एन0 बी0	बीएम एसपी	आवंटन 360 / 16.03.12	अवर सचिव (मा. शि.)	मॉडल विद्यालय	मानव संसाधन विकास	55.233	1517/ 11-12	एन.ए.
6	पी22020 2 7890103	30634 69229	सी. बी.आई., बोरिंग रोड, पटना	बीएम एसपी	39 / 19.10.11	अवर सचिव (मा. शि.)	शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 बनाते हुए पाँच किलोमीटर के परिधि में एक माध्यमिक विद्यालय	मानव संसाधन विकास	46.780	1493/ 11-12	377 / 22.0 2.12
7	एन220202 1100007	500295 09570	इलाहाबाद बैंक, बीआईसी, (सचिवालय) का बी एस ई पटना	बी.एस. ई.बी. माध्यमिक	103 / 23.03.12	अवर सचिव (मा. शि.)	वित्त रहित मा0 / उच्चतर मा0 विद्यालय कार्यक्रम	मानव संसाधन विकास	85.760	1524/ 11-12	704 / 28.0 3.12
8	सी 20202 1090607	15120100 0005527	बी एसएस बी का आई ओ बी.	बीएम एसपी	432 / 28.03.12	वाल्मिकी	छात्रावास के निर्माण के लिए केंद्रांश	मानव संसाधन विकास	41.760	1528/ 11-12	574 / 29.0 3.12
9	पी 240100 1100104	0100 203311	सहकारिता बैंक पटना, सचिवालय	सहकारिता	274 / 13.09.11	अवर सचिव	किसान के बिमित फसल का क्षतिपूर्ति	सहकारिता	170.935	215/ 11-12	21/ 21.1 0.11
10	पी240100 1100104	100203311	सहकारिता बैंक पटना,	सहकारिता	19 / 25.01.12	अवर सचिव	किसान के बिमित फसल का क्षतिपूर्ति	सहकारिता		342/ 11-12	05/ 27.0 2.12
11	पी240100 1100101	100203311	सहकारिता बैंक पटना,	सहकारिता	274 / 13.09.11	अवर सचिव	राज्य फसल बीमा निधि के लिए प्रिमियम एवं अन्य व्यय	सहकारिता	3.950	एन.ए	एन. ए.
12	पी240100 7890110	100203311	सहकारिता बैंक पटना,	सहकारिता	274 / 13.09.11	अवर सचिव	विशेष रूप से अनुसूचित जाति के किसानों के बीमित फसलों के लिए क्षतिपूर्ति	सहकारिता	15.570	एन.ए	एन. ए.
13	पी240100 7890109	100203311	सहकारिता बैंक पटना,	सहकारिता	274 / 13.09.11	अवर सचिव	विशेष रूप से अनुसूचित जाति के किसानों के बीमित फसलों के लिए क्षतिपूर्ति	सहकारिता			एन.ए.

परिशिष्ट 2.13

14	2055	बी पी सी एल के व्यक्तिगत विशेष खाता84480 01200007	पटना सचिवालय कोषागार रिजाई भवन पीएसबी	महानिरीक्षक (प्रोविजन)	11-12	उप महानिरीक्षक (प्रोविजन)	आवासीय पुलिस भवन, सुरक्षा लाईन, थाना एवं पुलिस अकादमी का निर्माण	गृह	2.000	1/11-12 (01.02 .12)	एन.ए.
15	2055	बी पी सी एल के व्यक्तिगत विशेष खाता84480 01200007	पटना सचिवालय कोषागार	महानिरीक्षक (प्रोविजन)	11-12	उप महानिरीक्षक (प्रोविजन)	आवासीय पुलिस भवन, सुरक्षा लाईन, थाना एवं पुलिस अकादमी का निर्माण	गृह	1.090	4/11-12 (14.02 .12)	एन.ए.
16	पी223501 2020105	31620 128302	एस0 बी0 आई पटना सचिवालय ब्रॉच	योजना एवं विकास एवं बी ए. पी.ई.पी.एस	3800 / 14.11.11	संयुक्त निदेशक योजना एवं विकास	आपदा के कारण अंत संरचना का मरम्मत एंव पुर्नउद्धार	योजना एवं विकास	327.820	341/ 11-12	45/ 20.03.12
17	पी221705 8000101		बैंक ऑफ बुडको	बूडा	47 / 29.02.12	ओ एस डी	बिहार नगर प्रबंधन का मजबुतीकरण	नगर विकास एवं आवास	64.000	358/ 11-12	06/ 15.03.12
		योग 1							**919.865**		

पूँजीगत व्यय

18	पी420201 2020103	91001002585315	बी एस ई आई डी सी. एक्सिस बैंक	बी एस. ई आई डी.सी	45/ 03.11.11	अपर सचिव (माध्यमिक शिक्षा)	सरकारी एवं राष्ट्रीय मध्य विद्यालय का निर्माण	मानव संसाधन विकास विभाग	2.180	एन.ए.	एन.ए.
19	पी420201 2020103	2450010000 70001	बी.एस.इ आई.डी. सी के आई.ओ. बी	बी एस. ई आई डी.सी	66/ 20.12.11 97/ 16.03.12	अपर सचिव (माध्यमिक शिक्षा)	माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन में आधारभूत संरचना	मानव संसाधन विकास विभाग	7.850	एन.ए.	एन.ए.
20	पी420201 2020103	2450010000 070001	बी.एस.इ आई.डी. सी के आई.ओ. बी	बी एस. ई आई डी.सी	96 / 16.03.12	अपर सचिव (माध्यमिक शिक्षा)	बापू स्मारक डालिका उच्च विद्यालय कदमकुआँ के भवन का निर्माण	मानव संसाधन विकास विभाग	1.400	एन.ए.	एन.ए.
21	पी42020 12020 103	24500010000 70001	बी.एस.इ आई.डी. सी के आई.ओ. बी	बी एस. ई आई डी.सी	40/ 19.10.11	अपर सचिव (माध्यमिक शिक्षा)	रिमलु-तल्ला आवासीय विद्यालय के भवनो का निर्माण	मानव संसाधन विकास विभाग	2.000	एन.ए.	एन.ए.
22	पी42100 11100 105	फ्लैक्सी फिक्साड	बी एस.एम. आई.सी.का आई.री.आइ. सी आई	बी एम एस आई.सी	769(10)/ 18.11.11	अधीक्षक पी एम सी एच	पी एम सी एच मरम्मत एवं मशीने (राज्य योजना)	स्वास्थ्य	4.000	1036/ 11-12	05/ 03.03. 12
23	पी4210 031050 106	311304 71517	प्राचार्य	कोषागार प्रमाणक	80(1) B/ 01.12.11	प्रावार्य एस के एम.सी एच मुजफ्फरपुर	एस.के.एम सी एच मरम्मत एवं मशीने (स्टेट प्लांट)	स्वास्थ्य	1.700	187/ 11-12	10/ 30.03. 12
24	पी42100 11100 106	फ्लैक्सी फिक्साड	बी एम एस आई के के आई.सी. आई सी आई	बी.एम. एस.आई. सी.	86(1)B/1 2.12.11	अधीक्षक एस.के.एम सी एच मुजफ्फरपुर	एक के एम मे मरम्मत एव मशीने एव स्टेट प्लान	स्वास्थ्य	4.000	370/ 11-12	01/ 24.02.12
25	पी421001 7890102	अप्राप्त	बीएमएस आई के यू.बी.आई	बी.एम. एस.आई. सी.	950(10)/ 25.01.12	यू एस	अस्पतालों के भवनो का निर्माण	स्वास्थ्य	19.029	एन.ए.	एन.ए.
26	पी42100 1789010 2	अप्राप्त	बीएमएस आई के यू.बी.आई	बी.एम. एस.आई. सी.	600(10)/ 29.11.11	यू एस	अस्पतालों के भवनो का निर्माण	स्वास्थ्य	5.318	एन.ए.	एन.ए.
27	पी42100 17890 102	अप्राप्त	बीएमएसआई सी के सी बी आई	बी.एम. एस.आई. सी.	950(10)/ 25.01.12	यू एस	अस्पतालों के भवनो का निर्माण	स्वास्थ्य	22.313	एन.ए.	एन.ए.
28	पी42100 10510 103	अप्राप्त	बीएमएसआ ईसी के यू.बी.आई	बी.एम. एस.आई. सी.	600(10)/ 29.11.11	यू एस	जिला मेडिकल पदाधिकारी के कार्यालय एव आवासीय भवनो का निर्माण	स्वास्थ्य	7.440	एन.ए.	एन.ए.
29	पी4210010 510103	अप्राप्त	बीएमएसआ ईसी के यू बी.आइ	बी.एम. एस.आई. सी.	599(10)/ 29.11.11	यू एस	जिला मेडिकल पदाधिकारी के कार्यालय एव आवासीय भवनो का निर्माण	स्वास्थ्य	1.770	एन.ए.	एन.ए.
30	पी42100 17890 101	625901 142497	बीएमएसआ ईसी के आईसीआई सीआई	बी.एम. एस.आई. सी.	85(1)B/0 9.12.11	यू एस	अनुसूचित जाति के लिए विशेष यंत्र एंव मशीन	स्वास्थ्य	29.350	एन.ए.	एन.ए.

परिशिष्ट 2.13

31	पी42100 37890 101	625901 142497	बीएमएसआईसी के आईसीआई सीआई	बी.एम. एस.आई. सी.	84(1)B /09.12.11	यू. एस	अनुसूचित जाति के लिए विशेष यंत्र एवं मशीने	स्वास्थ्य	10.080	एन.ए.	एन.ए.
32	पी42100 10510 101	अप्राप्त	बी.एम.एस. आई.सी.के यू बी आई	बी.एम. एस.आई. सी.	950(10)/ 25.01.12	यू. एस	अनुमंडल अस्पतालो के लिए भवन निर्माण	स्वास्थ्य	3.140	एन.ए.	एन.ए.
33	पी4210 031050 108		बी.आर. पी.एन.एन में रखा हुआ	वर्द्धमान मेडिकल कॉलेज और बी रा. पुकृनि.नि.	49/ 23.03.12	प्रधान वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थाना पावापुरी	वर्द्धमान आयुर्विज्ञा न संस्थान का निर्माण	स्वास्थ्य	50.000	37/20 11-12	01/ 23.03. 12
34	4055	बी.पी.बी.सी. एल का पी. डी. खाता 8448001 200007	पटना सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन (पी.एस.डी)	आई जी (प्रो)	11-12	डी आई. जी (प्रो0)	पुलिस भवन सुरक्षित लेन थाना और पूलिस अकादमी का निर्माण	गृह	12.050	1/11-12 (23.03.12)	एन.ए.
35	4055	बी.पी.बी.सी.एल का पी.डी. खाता 84480012 00007	पी.एस.बी	आई जी (प्रो)	11-12	डी आई. जी (प्रो0)	पुलिस भवन सुरक्षित लेन थाना और पूलिस अकादमी का निर्माण	गृह	0.571	2/11-12 (27.03. 12)	एन.ए.
36	4055	बी.पी.बी.सी. एल का पी. डी. खाता 8448001 200007	पी.एस.बी	आई जी (प्रो)	11-12	डी आई. जी (प्रो0)	पुलिस भवन सुरक्षित लेन थाना और पूलिस अकादमी का निर्माण	गृह	53.659	3/11-12 (01.02. 12)	एन.ए.
37	4055	बी.पी.बी.सी. एल का पी. डी. खाता 8448001 200007	पी.एस.बी	आई जी (प्रो)	11-12	डी आई. जी (प्रो0)	पुलिस भवन सुरक्षित लेन थाना और पूलिस अकादमी का निर्माण	गृह	70.000	1/11-12 (24.01. 12)	एन.ए.
38	4055	बी.पी.बी.सी. एल का पी. डी. खाता 8448001 200007	पी.एस.बी	आई जी (प्रो)	11-12	डी आई. जी (प्रो0)	पुलिस भवन सुरक्षित लेन थाना और पूलिस अकादमी का निर्माण	गृह	8.000	2/11-12 (02.02. 12)	एन.ए.
39	4055	बी.पी.बी.सी. एल का पी. डी. खाता 8448001 200007	पी.एस.बी	आई जी (प्रो)	11-12	डी आई. जी (प्रो0)	पुलिस भवन सुरक्षित लेन थाना और पूलिस अकादमी का निर्माण	गृह	25.500	1/11-12 (01.02. 12)	एन.ए.
40	4055	बी.पी.बी.सी. एल का पी. डी. खाता 8448001 200007	पी.एस.बी	आई जी (प्रो)	11-12	डी आई. जी (प्रो0)	पुलिस भवन सुरक्षित लेन थाना और पूलिस अकादमी का निर्माण	गृह	6.375	1/11-12 (01.02.12)	एन.ए.
41	पी4515 001030 103	बी.पी.बी.सी. एल का पी. डी. खाता 8448001 200007	बी आर. डी.ए. पटना के खाते में रखा हुआ	कोषागार प्रमाणक	185/ 06.01.12	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, पटना	सड़क का आधुनिकी – करण	ग्रामीण कार्य विभाग	100.000	165/ 11-12	52/ 13.01. 12
42	पी4408 021010 101	3059587 2561	भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	104/ 06.01.12 &31/ 01.12.11	यू . एस	गोदामों का निर्माण	खाद्य एवं सीपी	100.000	210/1 1-12	01/ 30.12. 11
			योग 2						**547.725**		
			महायोग						**1467.59**		

नोटः1 बी.एम.एस.पी.– बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, 2. एच.आर.डी.–मानव संसाधन विकास, 3. यू0 एस.–अवर सचिव, 4. एस. ई–माध्यमिक शिक्षा, 5. डी. आई. जी. – पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रोविजन), 6. आई. जी.– पुलिस महानिरीक्षक 7. जे.डी., पी. एण्ड डी.– संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, 8. ओ. एस. डी.– विशेष कार्य पदाधिकारी, 9. यू0 डी. एण्ड एच.– नगर विकास एवं आवास विभाग, 10. बी. ए. पी. ई. पी. एस.– बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण, समिति, 11. बी. यू. आई डी. सी. ओ.– बिहार एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, 12. बी. यू. डी. ए.– बिहार शहरी विकास प्राधिकरण, 13. पी. एम. सी. एच.– पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना, 14. बी. एस. ई. आई. डी. सी.– बिहार शिक्षा आधारभूत संरचना विकास निगम. 15. बी. एस. एम. आई. सी.– बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, 16. एस. के एम.–सी.– श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर, 17. एस. के . एम. सी. एच.– श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर, 18. बी. एस. ई बी.– बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, 19. आर. डब्ल्यू डी.– ग्रामीण कार्य विभाग, 20. बी. आर आर. डी. ए.– बिहार ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण, 21. बी. आई. सी.– बिहार इण्टरमीडिएट परिषद्

परिशिष्ट 2.14

नित्य प्रयोजन के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.6, पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	विभाग / मुख्य शीर्ष का नाम	प्रयोजन	राशि
1	2011	राज्य विधान सभा	वाहनों के मरम्मति एंव क्रय पर व्यय (तीन बार)	0.85
2			चिकित्सा विपत्रों का भुगतान	0.05
3			बिहार विधान परिषद सदस्यों का टीए / डीए भुगतान	0.70
4	2012	राज्यपाल	राज्यपाल सचिवालय	0.10
5	2013	विधान मण्डल	इफ्तार पार्टी का आयोजन	0.05
6			कार्यालय सजावट	0.20
7	2014	न्याय प्रशासन	नये वहानों का क्रय (तीन बार)	3.01
8			न्यायिक अधिकारियों के लैपटॉप के लिए ए. आई.आर.सी.डी. का क्रय	0.72
9			ड्राईग रूम का सजावट (तीन बार)	3.14
10			वेतन एवं विशेष सेवा का भुगतान	0.54
11			मेडिकल बिल का भुगतान	0.21
12			प्रकाशन पर व्यय	0.55
13			अखिल भारतीय सम्मेलन वर्कशॉप सेमिनार पर व्यय	0.21
14	2015	निर्वाचन	ई.वी.एम का सुरक्षा एवं ससमय निरीक्षण	0.70
15			नये वाहनों का क्रय	0.08
16	2029	भू राजस्व	राज्य के विभिन्न भागों में मेला का आयोजन	0.95
17			वीपीएस अधिकार नियम 2011 के कार्यान्वयन	0.50
18			न्यायालय आदेश पर भुगतान	0.11
19			पटना उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन	0.38
20	2030	मुद्रांक एवं निबंधन	मोटर वाहन के भाड़े पर व्यय	0.53
21			आर.टी.एस का क्रियान्वयन	1.61
22	2040	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	कार्यालय का व्यय	0.22
23	2049	ऋण भुगतान	ऋण का भुगतान	0.25
24	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएँ	वाहनों का क्रय (तीन बार)	1.44
25			सहायता अनुदान का भुगतान	0.25
26			जिला स्तर पर, बैंकों के कार्यशैली में अनुश्रवण एवं समन्वयन	0.95
27			ए.सी.पी का भुगतान	0.20
28			वेतन एवं बकाया का भुगातन (दो बार)	0.10
29			कम्प्यूटर संचालक को मानदेय एवं कोर्ट फी का भुगतान	0.06
30	2053	जिला प्रशासन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति का व्यय	0.07
31	2054	कोषागार एवं लेखा प्रशासन	वेतन बकाया का भुगतान	0.95
32			त्रैमासिक एव एस डी एल का भुगतान	0.90
33	2055	पुलिस	अनुदेशक को मानदेय भुगतान	0.68

परिशिष्ट 2.14

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	विभाग / मुख्य शीर्ष का नाम	प्रयोजन	राशि
34			पुलिस के व्यक्तिगत के लिए खेलकूद का आयोजन	0.50
35			वेतन एवं बकाये का भुगतान (दो बार)	48.89
36	2056	कारागार	जीप एंव एम्बुलेन्स का क्रय	0.85
37	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	वेतन एवं भत्ते का भुगतान एवं अन्य व्यय	0.29
38			मोटर वाहन का भुगतान	10.00
39			मत्स्य सहकारिता समिति का चुनाव	0.15
40			भागलपुर संप्रदायिक दंगा निरीक्षक का वेतन	0.29
41			कोशी बाँध अवधि का न्यायिक जाँच	0.30
42			पुलिस सुरक्षा का पुर्नउधार	3.53
43	2202	सामान्य शिक्षा	कार्यशाला एवं अंतराष्ट्रीय सेमिनार	0.10
44			मोटर वाहन का क्रय	0.05
45			वेतन का भुगतान	0.90
46			खानकाह मौजक बिहारशरीफ के सेमिनार का आयोजन	0.20
47			विभागीय कोर्ट मामले पर व्यय	0.05
48	2205	कला एवं संस्कृति	अभिलेखों का रखाव	0.31
49			अंतराष्ट्रीय म्यूजियम के निर्माण हेतु कनसन्टेट फीस का भुगतान	0.50
50	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	वेतन एवं भत्ते तथा कार्यालय व्यय का भुगतान	0.98
51			राजेन्द्र नगर आँख अस्पताल , पटना का आधुनीकीकरण	1.32
52	2216	आवास	प्रतिबंधित राशि से शेष राशि में हस्तान्तरण	0.44
53	2225	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	12.73
54	2230	श्रम एंव नियोजन	बीडी मजदूर के आवास भवन	0.26
55			वेतन एवं अन्य का भुगतान (तीन बार)	1.18
56	2235	सामाजिक सुरक्षा एंव कल्याण	महिला विकास निगम कार्यक्रम का क्रियान्वयन (दो बार)	20.00
57			स्वास्थ्य मजबूतीकरण के लिए सेक्टर वार कोशिश (दो बार)	20.00
58	2251	सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	वाहनो के क्रय , मरम्मति एवं अनुश्रवण के लिए (12 बार)	1.51
59			उपबंध को स्वीकृति	0.17
60			श्रमिक भुगतान, एवं भोजशाला स्थापना, उपकरण की खरीद (दो बार)	1.03
61			विभागीय कार्यालय व्यय	0.07
62			नये नियुक्त कम्प्यूटर संचालक एवं विशेष सेवाएँ के लिए मानदेय का भुगतान	0.15
63	2401	फसल उप्पादन	सहायता अनुदान का भुगतान	10.00
64			किसानों को डीजल प्रदान करना	50.00
65			समेकित सिरियल विकास योजना के लिए	0.34

परिशिष्ट 2.14

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	विभाग/मुख्य शीर्ष का नाम	प्रयोजन	राशि
66	2405	मत्स्य	भविष्य निधि अंशदान	0.26
67	2406	वानिकी एवं वन्य जीवन	बाल्मिकी व्याघ्र योजना के लिए मोटर वाहन, सुरक्षा कार्मिकों के लिए हाथी की व्यवस्था	0.39
68	2801	ऊर्जा	एन टी. पी. सी. को लंबित विद्युत विपत्र का भुगतान	130.00
69	2851	ग्राम एवं लघु उद्योग	हस्तकरघा समेकित विकास योजना	0.70
70	2852	उद्योग	चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान (दो बार)	0.13
71			कम्प्यूटर स्थापना पर व्यय	0.41
72	2853	अलौह खान एवं उद्योग	वाहनो का क्रय (दो बार)	0.21
73			कार्यालय व्यय	0.05
74	3451	सचिवालय , आर्थिक सेवाएँ	वाहनों का क्रय (सतरह बार)	2.87
75			राज्य प्रदुषण नियंत्रण एवं जलवायु परिवर्तन पर प्रशिक्षण पर व्यय	0.27
76			कम्प्यूटर संचालक को भुगतान (दो बार)	0.72
77	3452	पर्यटन	टी एस एफ के वेतन भुगतान	0.53
78	3454	सर्वे एवं साख्यिकी	स्थानीय स्तर पर निरीक्षण	0.14
79	3456	असैनिक आपूर्ति	चावल महोत्सव 2011	0.15
80	4047	अन्य कोषीय सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय	जाँच पद के लिए भूमि सुधार	0.21
81			वाणिज्य कर विभाग के लिए भवन निर्माण	0.75
82	4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	नक्सल/उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र	9.67
83	4059	लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	अभिलेखागार के संरक्षण चरदीवारी जल आपूर्ति , विद्युत के लिए	0.15
84			राजभवन परिसर में राजेन्द्र मण्डप	0.90
85			भवन का निर्माण (दो बार)	6.00
86	4215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	वी.पी.एल एवं एपीएल परिवारों के लिए शौचालय निर्माण (तीन बार)परिवारों	50.00
87			लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु	2.46
88	6408	खाद्य भण्डार एवं वेयर हाउसिंग के लिए ऋण	चावल की अधिप्राप्ति	400.00
89	6425	सहकारिता के लिए ऋण	किसानों से चावल का क्रय (दो बार)	400.00
90	6801	उर्जा परियोजना के लिए मंतव्य	ऋण भूमि अधिग्रहण एवं अन्य कार्य	10.00
91	6860	उपभोक्ता उद्योग के लिए ऋण	निगम मुख्यालय के लिए किराया भुगतान	0.22
योग				**1225.53**

परिशिष्ट 2.15

भवन निर्माण विभाग का बजट अनुमान

(संदर्भः कंडिका 2.7.1, पृष्ठ 39)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	मूल	पूरक	कुल	व्यय	बचत	कुल अनुदान में बचत का प्रतिशतता
	अन्य सेवा विभाग से संबंधित						
	राजस्व दत्तमत						
1	पशु एवं मत्स्य संसाधन	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
2	कृषि	2.25	0.00	2.25	0.21	2.04	91
3	शिक्षा	1.50	0.00	1.50	1.02	0.48	32
4	विधि	7.72	0.00	7.72	0.21	7.51	97
5	वित्त	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	100
6	पंचायती राज	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100
	योग (क)	**14.11**	**0.00**	**14.11**	**1.47**	**12.64**	
	पूँजीगत दत्तमत						
1	वाणिज्य कर	0.51	0.75	1.26	1.12	0.14	11
2	वित्त	9.39	14.33	23.72	0.94	22.78	96
3	श्रम	23.38	0.00	23.38	0.00	23.38	100
4	सामान्य प्रशासन	40.14	0.00	40.14	27.57	12.57	31
5	पशु एवं मत्स्य संसाधन	46.92	0.00	46.92	10.76	36.16	77
6	मंत्रिमंडल	0.00	1.05	1.05	0.90	0.15	14
7	कृषि	5.86		5.86	0.00	5.86	100
8	कला, संस्कृति एवं युवा	14.00	51.96	65.96	35.35	30.61	46
9	विधि	51.89	10.00	61.89	58.93	2.96	5
10	सूचना	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	100
11	विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी	54.33	0.00	54.33	22.27	32.06	59
12	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	3.88	1.00	4.88	0.29	4.59	94
13	सहकारिता	0.00	4.30	4.30	0.58	3.72	87
14	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	25.00	51.26	76.26	0.00	76.26	100
15	पंचायती राज	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	100
16	पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.00	4.85	4.85	0.00	4.85	100
	योग (ख)	**275.64**	**144.50**	**420.14**	**158.71**	**261.43**	
	योग (क + ख)	**289.75**	**144.50**	**434.25**	**160.18**	**274.07**	
	विभाग का स्वयं						
	राजस्व	262.06	14.96	277.02	219.23	57.79	21
	पूँजीगत	83.26	5.00	88.26	57.44	30.82	35
	योग (ग)	**345.32**	**19.96**	**365.28**	**276.67**	**88.61**	
	योग (क + ख + ग)	**635.07**	**164.46**	**799.53**	**436.85**	**362.68**	

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार)

परिशिष्ट 2.16

31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित किये गए निधि का ब्यौरा

(संदर्भः कंडिका 2.7.2, पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा का शीर्ष	अभ्यर्पित राशि
विभाग का स्वयं		
1	2052–सचिवालय –सामान्य सेवाएँ 00–090 सचिवालय 0020–भवन निर्माण	0.09
2	2059–लोक निर्माण कार्य 01– कार्यालय भवनों 053– रख रखाव तथा मरम्मत 0008 ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र भवनों का संधारण	0.86
3	2059–लोक निर्माण कार्य 01– कार्यालय भवनों 103– साज–सामान 0001–सचिवालय भवनों का साज–सामान	0.26
4	2059–लोक निर्माण कार्य 60– अन्य भवनों 103–साज सामान 0001–बिहार विधान मंडल भवनों का साज सामान	0.19
5	2059–लोक निर्माण कार्य 80– सामान्य 001– निदेशन और प्रशासन 0001–निदेशन	0.17
6	2059–लोक निर्माण कार्य 80– सामान्य 001–निदेशन और प्रशासन 0004–निष्पादन	7.59
7	2059–लोक निर्माण कार्य 80–सामान्य 001–निदेशन और प्रशासन 0011–उद्यान (स्थापना)	0.32
8	2059–लोक निर्माण कार्य 80–सामान्य 051–निर्माण 0001–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	1.73
9	2059–लोक निर्माण कार्य 80– सामान्य 052–मशीने एवं उपस्कर 0001–नई पूर्ति एवं मरम्मति	0.15
10	2059–लोक निर्माण कार्य 80– सामान्य 053– रख रखाव एवं मरम्मत 0001–अनुरक्षण मरम्मत	12.55
11	2059–लोक निर्माण कार्य 80– सामान्य 053– रख रखाव एवं मरम्मत 0002– कार्यभारित स्थापना	1.00
12	2059–लोक निर्माण कार्य 80–सामान्य 053–रख रखाव एवं मरम्मत 0004–विद्युत कार्य	0.75
13	2059– लोक निर्माण कार्य 80– सामान्य 053– रख रखाव एवं मरम्मत 0006– नगर निगम एवं नगरपालिका कर	0.02
14	2059–लोक निर्माण कार्य 80– सामान्य 103– साज–सामान 0004–निरीक्षण भवनों का साज–सामान	0.13
15	2059–लोक निर्माण कार्य 80– सामान्य 103–साज–सामान 0005–राजभवन का साज–सामान	0.09
16	2216–आवास 01–सरकारी रिहायशी भवन 053–रख–रखाव एवं मरम्मत 0004– मुख्यमंत्री आवास संख्या –1, अणे मार्ग में साज–सामान एवं पैलेमिंग कार्य की मरम्मति	0.15
17	2216–आवास 01– सरकारी रिहायशी भवन 800– अन्य व्यय 0012– विधायकों, राज्य मंत्रियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के आवास का साज समान	1.29
18	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01– कार्यालय भवन 051– निर्माण 010–भवन	19.06
19	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01– कार्यालय भवन 051–निर्माण 0104 –रामहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण सामान्य प्रशासन विभाग	0.75
20	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01– कार्यालय भवन 051– निर्माण 0106– मंत्रिमंडल सविवालय विभाग के लिए अभिलेख प्रकोष्ट सह कार्यालय भवन के निर्माण/जीर्णोद्धार	0.15
21	4059– लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01–कार्यालय भवन 051– निर्माण 0111– उत्पाद विभाग के भवन	1.94
22	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60– अन्य भवनों 051– निर्माण 0104– परिसदन का निर्माण एवं संधारण	3.42
23	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80–सामान्य 004–अनुसंधान/अनुसंधान विकास 0001–निर्माण पूर्व के प्रारम्भिक कार्य	0.10
24	4059– लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80– सामान्य 051–निर्माण –0001–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0.60
25	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80–सामान्य 051–निर्माण 0002–लघु कार्य	3.64
26	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80– सामान्य 051– निर्माण 0004– मुख्य कार्य	0.58

परिशिष्ट 2.16

27	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80– सामान्य 051–निर्माण 0110–न्यायिक भवनें (भवन निर्माण विभाग)	1.83
28	4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01– सरकारी रिहायशी भवनों 700–अन्य आवास 0001 – अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0.02
29	4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01– सरकारी रिहायशी भवनों 700–अन्य आवास 0003 – लोक निर्माण	2.99
30	4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01– सरकारी रिहायशी भवनों 700 –अन्य आवास 0004– रिहायशी भवनों में परिवर्तन	0.01
31	4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01–सरकारी रिहायशी भवनों 700– अन्य आवास 0101 – अन्य आवास	0.09
32	4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय 80– सामान्य 101– भवनों 0001– निर्माण के पूर्व के प्रारंभिक कार्य	0.10
	योग (क)	**62.62**
अन्य विभागों से संबंधित		
33	2059–लोक निर्माण कार्य 01– कार्यालय भवनों 053– रख– रखाव एवं मरम्मत 0014 – कृषि विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत	2.24
34	2059–लोक निर्माण कार्य 01– कार्यालय भवनों 053– रख– रखाव एवं मरम्मत 0016–शिक्षा विभाग के भवन के अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.48
35	2059 –लोक निर्माण कार्य 01 – कार्यालय भवनों 053 – रख –रखाव एवं मरम्मत 0017 – विधि विभाग के भवन के अनुरक्षण एवं मरम्मत	7.51
36	2059–लोक निर्माण कार्य– 01 कार्यालय भवनों 053– रख–रखाव एवं मरम्मत 0118– वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	0.61
37	2059 –लोक निर्माण कार्य, 60 – अन्य भवनों 053 – रख –रखाव एवं मरम्मत 0013–कारा विभाग के अनुरक्षण और मरम्मत	5.00
38	2059–लोक निर्माण कार्य 60– अन्य भवनों 053– रख रखाव एवं मरम्मत 0014– अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भवन का मरम्मत	1.44
39	2216–आवास 01–सरकारी रिहायशी भवनों 053–रख रखाव एवं मरम्मत 0001 अन्य रख रखाव व्यय प्रखण्ड भवनों	2.64
40	2216– आवास 01– सरकारी रिहायशी भवनों 053– रख–रखाव एवं मरम्मत 0002– अन्य रख–रखाव व्यय ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र। उपकेन्द्र के भवनों	0.80
41	2216-आवास 01 सरकारी रिहायशी भवनों 053–रख रखाव एवं मरम्मत 0003–निबंधन विभाग के आवासीय भवन	1.20
42	3053 –नागर विमानन 02 – विमान पतन 102 – हवाई अड्डा 0001 – हवाई अड्डे	0.01
43	4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 00–051 निर्माण 0101– वाणिज्य कर विभाग के भवन	0.10
44	4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 00–051– निर्माण 0105– कोषागार स्थापना में अतिरिक्त संसाधन	11.94
45	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 00–051– निर्माण 0101– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनः निर्माण/उन्नयन	0.47
46	4059 –लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 00 –051 निर्माण 0102 – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण (वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में)	18.95
47	4059 – लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 00 –051 निर्माण 0103 – संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	1.50
48	4059– लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01 – कार्यालय भवन 051 – निर्माण 0105– पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए भवनों का निर्माण	0.12
49	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01–कार्यालय भवन 051– निर्माण 0107– वित्त विभाग के भवन का निर्माण	1.88
50	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01– कार्यालय भवन 051– निर्माण 0109–कृषि विभाग के भवन	5.86
51	4059– लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01– कार्यालय भवन 051– निर्माण 0110– निबंधन विभाग के भवन	2.42
52	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01– कार्यालय भवन 051– निर्माण 0112 – पशु चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण	0.75
53	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01– कार्यालय भवन 051 निर्माण 0113 – सहकारिता विभाग के भवन	3.71
54	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01– कार्यालय भवन 051– निर्माण 0115 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति कल्याण के भवन	42.80

परिशिष्ट 2.16

55	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60– अन्य भवनों 051– निर्माण 0101–सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण	0.72
56	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60– अन्य भवनों 051– निर्माण 0105–विधि भवन	8.20
57	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60 अन्य भवनों 051– निर्माण 0106 – स्टेडियम एवं खेल संरचना	1.07
58	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60– अन्य भवनों 051–निर्माण 0107–सांस्कृतिक संरचना	12.50
59	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60–अन्य भवनों 051– निर्माण 0108 विरासत संरक्षण वित्त आयोग	18.00
60	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60 अन्य भवनों 051– निर्माण 0109–सूचना भवन	0.34
61	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60– अन्य भवनों 051– निर्माण 0110– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)	0.05
62	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60– अन्य भवनों 051– निर्माण 0111– बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	2.15
63	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60– अन्य भवनों 051– निर्माण 0611– बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	6.31
64	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60 – अन्य भवनों 789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0101– स्टेडियम एवं खेल संरचना	0.03
65	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60– अन्य भवनों 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0102– सांस्कृतिक संरचना	0.96
66	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60– अन्य भवनों 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0103– विरासत संरयना– वित्त आयोग	7.00
67	4059– लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80–सामान्य 051– निर्माण 0105– न्यायिक भवन हेतु (विधि विभाग के लिए) (ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर)	18.67
68	4059– लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80–सामान्य 051– निर्माण 0109– बिहार राज्य न्यायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान के लिए छात्रावास का निर्माण	0.08
69	4059– लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 051– निर्माण 0117– इंजिनियरिंग/तकनीकि महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवन	25.45
70	4059– लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80– सामान्य 051– निर्माण 0118– पिछड़ें वर्गो के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जिर्णोद्धार	4.85
71	4216– आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01– सरकारी रिहायशी भवनों 051– निर्माण 0102– आवासीय भवनों का निर्माण सामान्य प्रशासन विभाग के लिए	2.27
72	4216 – आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01 – सरकारी रिहायशी भवनों 700 – अन्य आवास 0102– न्यायिक आवासीय भवनें	0.03
73	7216– आवास पर पूँजीगत परिव्यय –01–सरकारी रिहायशी भवने 700 – अन्य आवास 0602 न्यायिक आवासीय भवनें	1.00
74	4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय 00–051 – निर्माण 0101–प्रखंड के भवन	5.00
	योग (ख)	**227.11**
	महायोग (क + ख)	**289.73**

परिशिष्ट 2.17

सघन व्यय

(संदर्भः कंडिका 2.7.4, पृष्ठ 42)

(₹करोड़ में)

शीर्ष	कुल व्यय	व्यय		प्रतिशतता	
		अंतिम तिमाही	मार्च 2012	अंतिम तिमाही	मार्च 2012
2052	1.16	0.23	0.23	19.83	19.83
2059	214.52	105.64	81.77	49.24	38.12
2216	4.73	3.99	3.51	84.35	74.21
3053	0.29	0.20	0.19	68.96	65.52
4047	1.94	1.33	1.27	68.55	65.46
4059	187.65	127.96	117.26	68.19	62.49
4216	26.56	24.22	6.39	91.22	24.07
योग	**436.85**	**263.57**	**210.62**	**60.34**	**48.21**

परिशिष्ट 2.18

विभागीय व्यय आंकड़ों का असमाशोधन

(संदर्भः कंडिका 2.7.5, पृष्ठ 43)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	उपलब्ध निधि	विभाग द्वारा उपलब्ध व्यय	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा दर्ज व्यय	अंतर
2059-80-001-0004-निष्पादन	78.17	89.83	84.20	5.63
2059-80-053-0001-अनुरक्षण एवं मरम्मत	89.26	87.10	85.06	2.04
4059-00-051-0102-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण	1.05	1.08	0.00	1.08
2216-01-053-0004-मुख्यमंत्री आवास सं0 –1 अणे मार्ग के साज–सामान एंव पैलेनिंग कार्य की मरम्मति	0.29	0.07	0.26	0.19
4059-01-051-0105-पशु एवं मत्स्य विभाग के लिए भवनों का निर्माण	32.99	32.99	0.00	32.99
4059-60-051-0105-न्यायिक भवन	11.01	2.33	37.23	34.90
4059-80-004-0001-निर्माण पूर्व के प्रारम्भिक कार्य	0.00	0.03	0.00	0.03
योग	**212.77**	**213.43**	**206.75**	**76.86**

परिशिष्ट 2.19

वर्ष 2011–12 के दौरान अनुदान संख्या 16 (पंचायती राज विभाग) के अंतर्गत बजट प्रावधान, व्यय, बचत आदि का विस्तृत विवरण

(संदर्भः कंडिका 2.8, पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन		कुल प्रावधान	अभ्यर्पण	शुद्ध प्रावधान	व्यय	कुल बचत
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10 (8-9)
राजस्व (दत्तमत)									
2015	145.48	0.00	+0.37	-2.74	143.11	0.00	143.11	67.20	75.91
2515	2836.30	316.73	+2.25	0.00	3155.28	210.00	2945.28	2110.76	834.52
3451	1.10	0.17	+0.12	0.00	1.39	0.00	1.39	1.25	0.14
योग	**2982.88**	**316.90**	**+2.74**	**-2.74**	**3299.78**	**210.00**	**3089.78**	**2179.21**	**910.57**
पूँजीगत (दत्तमत)									
4515	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
महायोग	**3232.88**	**316.90**	**+2.74**	**-2.74**	**3549.78**	**210.00**	**3339.78**	**2179.21**	**1160.57**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा एवं पी. आर. डी. द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

नोटः 1 शीर्ष 4515 (4515–00–101–0104– पंचायत सरकार भवन, वित्त आयोग की अनुशंसा– ₹ 140.38 करोड़ और 4515–00–789 –0102 – पंचायत सरकार भवन, वित्त आयोग की अनुशंसा –₹ 69.93 करोड़) के अंतर्गत विस्तृत विनियोग लेखा में दर्शायी गई व्यय की राशि ₹ 210.31करोड़ को शामिल नहीं किया गया क्योंकि पंचायत राज विभाग द्वारा उक्त शीर्ष के अन्तर्गत कोई राशि स्वीकृत और आवंटित नहीं की गई थी।

2. पंचायती राज विभाग द्वारा ₹ 2.74 करोड़ के पुनर्विनियोजन राशि विस्तृत विनियोग लेखा में दर्ज नहीं था।

3. समेकित कार्य योजना का कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग द्वारा कराये जाने के कारण ₹ 210.00 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया।

परिशिष्ट 2.20

वृहत् बचत

(संदर्भः कंडिका 2.6.1, पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	शीर्ष	बचत	अभियुक्ति	विभागीय उत्तर
राजस्व :				
1	2015-00-109-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव	75.54	कुल शुद्ध प्रावधान ₹ 141.45 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 144.19 करोड़ – अभ्यर्पण ₹ 2.74 करोड़) में मात्र ₹ 65.91 करोड़ व्यय हुआ अर्थात् 53.40 प्रतिशत व्यय।	कोई स्पष्ट जबाब नहीं
2	2515-00-101-0110-पंचायती राज प्रशासन एवं लोक विकास	58.72	शत प्रतिशत बचत	परियोजना स्वीकृत नहीं होने के कारण
3	2515-00-101-0111-पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	494.01	कुल प्रावधान ₹ 904.37 करोड़ में से ₹ 410.36 करोड़ अर्थात् मात्र 45.38 प्रतिशत व्यय	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण
4	2515-00-197-0001-पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	23.60	-	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण
5	2515-00-198-0001-पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	114.78	-	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण
6	2515-00-789-0102-पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	48.90	-	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण
7	2515-00-789-0107-पंचायती राज व्यवस्था और मानव ससांधन विकास	25.17	शत प्रतिशत बचत	परियोजना स्वीकृत नहीं होने के कारण
	योग	**840.72**		
पूँजीगतः				
1	4515-00-101-0104-पंचायत सरकारी भवन : वित्त आयोग की अनुशंसा	175.00	शत प्रतिशत बचत	परियोजना स्वीकृत नहीं होने के कारण
2	4515-00-789-0102-पंचायत सरकारी भवनः वित्त आयोग की अनुशंसा	75.00	शत प्रतिशत बचत	परियोजना स्वीकृत नहीं होने के कारण
	योग	**250.00**		
	महायोग	**1090.72**		

परिशिष्ट 2.21

पी.आर.डी. द्वारा सूचित बचत का अभ्यर्पण

(संदर्भः कंडिका 2.8.3, पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	शीर्ष	पी. आर. डी. का अभ्यर्पण पत्र	राशि
	गैर योजना		
1	2015-00-101-0001-राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	1819/31.3.12	0.03
2	2015-00-109-0002-जिला परिषदों /पंचायत समितियों/ ग्राम पंचायतों का चुनाव	1820/31.3.12	72.35
3	2515-00-001-0001-मुख्यालय पंचायत स्थापना	1804/31.3.12	0.44
4	2515-00-001-0003-जिला पंचायत की स्थापना	1805/31.3.12	13.84
5	2515-00-003-0001-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत	1806/31.3.12	0.24
6	2515-00-101-0003-ग्राम रक्षा दल	1807/31.3.12	0.0001
7	2515-00-196-0002- ग्रामीणों भवनों हेतु जिला परिषद को अनुदान	1808/31.3.12	1.00
8	2515-00-196-0003-पंचायत राज संस्थाओं को सहायक अनुदान	1809/31.3.12	13.41
9	2515-00-196-0005-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता	1810/31.3.12	0.0001
10	2515-00-196-0007-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	1811/31.3.12	0.79
11	2515-00-197-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता	1812/31.3.12	26.81
12	2515-00-197-0004-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	1813/31.3.12	1.58
13	2515-00-198-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता	1814/31.3.12	93.84
14	2515-00-198-0004-ग्राम पंचायतों में लिपिक सह रोकड़पाल को पारिश्रमिक	1815/31.3.12	0.0001
15	2515-00-198-0009-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	1816/31.3.12	5.97
16	2515-00-198-0010- ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	1817/31.3.12	10.73
17	3451-00-090-0028-पंचायती राज विभाग	1818/31.3.12	0.14
	योग		**241.17**
	योजना		
18	2515-00-001-0101 पंचायत मुख्यालय स्थापना	1803/31.03.12	0.05
19	2515-00-101-0110 पंचायती राज प्रशासन एवं लोक विकास	1801/31.03.12	58.72
20	2515-00-101-0111 पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास योजना	1795/31.03.12	494.06
21	2515-00-198-0106 ग्राम कचहरी के निर्वाचन प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	1797/31.03.12	2.71
22	2515-00-789-0102 पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	1796/31.03.12	47.93
23	2515-00-789-0104 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	1798/31.03.12	0.04
24	2515-00-789-0107 पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास	1802/31.03.12	25.17
25	4515-00-101-0104 पंचायत सरकारी भवन, वित्त आयोग की अनुशंसा	1799/31.03.12	175.00
26	4515-00-789-0102 पंचायत सरकार भवन, वित्त आयोग की अनुशंसा	1800/31.03.12	75.00
	योग		**878.68**
	महायोग		**1119.85**

(स्त्रोतः पी. आर. डी. द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

परिशिष्ट 2.22

अंतिम माह मार्च 2012 में शत प्रतिशत व्यय

(संदर्भः कंडिका 2.8.4, पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	माह फरवरी तक व्यय	माह मार्च 2012 में व्यय
1.	2515-00-196-0007 राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	45.39	0.00	45.39
2.	2515-00-197-0004 राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	85.32	0.00	85.32
3.	2515-00-197-0103 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	5.25	0.00	5.25
4.	2515-00-198-0009 राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	449.06	0.00	449.06
5.	2515-00-198-0010 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	32.74	0.00	32.74
6.	2515-00-198-0105 ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	40.82	0.00	40.82
7.	2515-00-789-0103 ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	1.02	0.00	1.02
8.	2515-00-789-0104 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	0.82	0.00	0.82
योग		**660.42**	**0.00**	**660.42**

(स्त्रोत : विस्तृत विनियोग लेखा)

परिशिष्ट 2.23

विभागीय व्यय आंकड़ों का समाशोधन नहीं होना

(संदर्भः कंडिका 2.8.5, पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखे का शीर्ष	विस्तृत विनियोग लेखा के अनुसार व्यय	विभागीय विवरणी के अनुसार वास्तविक व्यय	अन्तर 5= 3-4
1	2	3	4	5
1	2015-00-101-0001-राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	1.29	1.63	-0.34
2	2015-00-109-0002- जिला परिषदों / पंचायत समितियों / ग्राम पंचायतों का चुनाव	65.91	69.10	-3.19
3	2515-00-001-0003-जिला पंचायत की स्थापना	142.81	147.28	-4.47
4	2515-00-196-0003-पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	62.15	63.12	-0.97
5	2515-00-196-0007-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	45.39	45.73	-0.34
6	2515-00-196-0106-जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियतभत्ता	1.34	1.44	-0.10
7	2515-00-197-0004-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	85.32	85.37	-0.05
8	2515-00-198-0001-पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	594.55	616.82	-22.27
9	2515-00-198-0010-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	32.74	34.97	-2.23
10	2515-00-198-0105-ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	40.82	41.44	-0.62
11	2515-00-198-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	30.52	38.73	-8.21
12	2515-00-789-0102-पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	69.53	70.50	-0.97
13	2515-00-789-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	0.82	0.98	-0.16
14	2515-00-789-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	0.30	0.32	-0.02
15	3451-00-090-0028-पंचायती राज विभाग	1.25	1.26	-0.01
	योग	**1174.74**	**1218.69**	**-43.95**
16	2515-00-001-0001-मुख्यालय पंचायत स्थापना	3.28	2.99	+0.29
17	2515-00-001-0101-मुख्यालय स्थापना	0.03	0.00	+0.03
18	2515-00-003-0001-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत	1.98	1.94	+0.04
19	2515-00-101-0111-पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	410.36	410.31	+0.05
20	2515-00-197-0001-पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	133.47	130.64	+2.83
21	4515-00-101-0104-.पंचायत सरकार भवन, वित्त आयोग की अनुशंसा	140.38	0.00	+140.38
22	4515-00-789-0102-पंचायत सरकार भवन, वित्त आयोग की अनुशंसा	69.93	0.00	+69.93
	योग	**759.43**	**545.88**	**+213.55**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाएं और निर्गत लेखा परीक्षा आपत्तियाँ)

नोट : (–) का चिन्ह विस्तृत विनियोग लेखा के अंतर्गत, विभागीय व्यय की तुलना में कम व्यय को दर्शाता है (15 मामले में ₹ **43.95** करोड़)। (+) का चिन्ह विस्तृत विनियोग लेखा के अन्तर्गत, विभागीय व्यय के विरूद्ध अधिकायी व्ययको करता है (7 मामले में ₹ 213.55 करोड़) ।

परिशिष्ट 2.24

पी.आर.डी. द्वारा किया गया पुनर्विनियोजन का विवरण जिन्हें विस्तृत विनियोजन लेखा में प्रदर्शित नहीं किया गया

(संदर्भः कंडिका 2.8.5, पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	राशि	संदर्भ पत्र संख्या
1	2015-00-101-0001-राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	0.31	7894/30.11.11
2	2015-00-101-0001-राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	0.06	1569/21.03.12
3	3451-00-090-0028-पंचायती राज विभाग	0.12	880/14.02.12
4	2515-00-001-0001-मुख्यालय पंचायत स्थापना	0.15	5489/09.08.11
5	2515-00-001-0003-जिला पंचायत की स्थापना	0.10	9972/09.12.11
6	2515-00-001-0003- जिला पंचायत की स्थापना	0.10	1568/21.03.12
7	2515-00-198-0001-पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	1.33	1567/21.03.12
8	2515-00-197-0001- पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	0.38	1566/21.03.12
9	2515-00-196-0003-पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	0.19	1565/21.03.12
योग		**2.74**	

(स्त्रोतः पी.आर.डी. द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

मात्र एक शीर्ष : 2015-00-109-0002 (जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव) से राशि का पुनर्विनियोग किया गया।

परिशिष्ट 2.25

अंतिम माह (मार्च 2012) के दौरान निकासी की गई राशि को 31 मार्च 2012 तक अव्यवहृत रही

(संदर्भः कंडिका 2.8.6, पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	मार्च 2012 के दौरान निकासी की गयी राशि	खाते में पड़ी हुई अवशेष राशि
1	2	3	5
1.	2515001960003- पंचायती राज संस्थाओं को सहायता (जिला परिषद)	7.32	7.32
2.	2515001970001- पंचायती राज संस्थाओं को सहायता (पंचायत समिति)	14.83	14.83
3.	2515001980001- पंचायती राज संस्थाओं को सहायता (ग्राम पंचायत)	51.72	51.72
4.	2515001960106 - जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	0.34	0.34
5.	2515007890106 - जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता (अनु0जा0)	0.05	0.05
6.	2515001970103 - पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	1.21	1.21
7.	2515007890105 - पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता (अनु0 जाति)	0.05	0.05
8.	2515001980105 - ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	10.46	10.46
9.	2515007890103 - ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता (अनु0जा0)	0.16	0.16
10.	2515001960007 - राज्य वित आयोग के अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदो को अंशदान	26.34	26.34
11.	2515001970004 - राज्य वित आयोग के अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायत को अंशदान	21.18	21.18
12.	2515001980009 - राज्य वित आयोग के अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायत को अंशदान	96.26	96.26
13.	2515001010111 - पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	3.68	3.68
14.	2515001980106 - ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	5.19	5.19
15.	2515001980010 - ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	9.46	9.46
16.	2515007890104 - ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता (अनु0 जाति)	0.08	0.08
योग		**248.33**	**248.33**

(स्त्रोतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

परिशिष्ट 2.26

मार्च 2012 में निकासी की गई राशि जो अव्यवहृत रहा कि स्थिति का विवरण

(संदर्भः कंडिका 2.8.6, पृष्ठ 46)

(₹लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	निधि का विवरण	राशि	जमा की तिथि	बैंक का नाम	खाता सं0	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7	9
1	जिला परिषद, पटना	तेरहवें वित्त आयोग	1128.14	31.03.12	केनरा बैंक दक्षिणी गॉधी मैदान, पटना	0352101 040099	1238.83
2	जिला परिषद, पटना	नियत भत्ता	394.19	17.04.12	बैंक ऑफ इंडिया, बोरिग रोड पटना	44211011 0001900	394.19
3	जिला परिषद, पटना	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	2215.09	29.03.12	आई. डी. बी. आई.फ्रेजर रोड, पटना	01401040 00077835	2215.82
4	जिला पंचायत राज कार्यालय,पटना	ग्राम कचहरी	168.84	18.04.12	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिड़ला मंदिर रोड, पटना	31753 06404	178.44
5	जिला पंचायत राज कार्यालय,पटना	प्रशिक्षण	41.09	17.04.12	आई. डी. बी. आई. फ्रेजर रोड, पटना	01401040 00077826	41.09
6	जिला परिषद, दरभंगा	नियत भत्ता	360.47	अनुपलब्ध	कोषागार, दरभगा	844800 1090001	432.85
7	जिला परिषद, दरभंगा	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	331.98	अनुपलब्ध	यूनियन बैंक, दरभंगा	5879020 10003029	331.98
8	जिला परिषद, दरभंगा	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	1723.46	30.03.12	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक लहेरियासरा य, दरभंगा	10049010 30000704	1723.46
9	जिला परिषद, दरभंगा	तेरहवें वित्त आयोग	1141.84	अनुपलब्ध	पंजाब नेशनल बैंक लहेरियासरा य, दरभंगा	21000 10234	1141.84
10	जिला पंचायती राज कार्यालय, दरभंगा	ग्राम कचहरी तथा बी.आर.जी. एफ	192.36	04.04.12	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया लहेरियासराय, दरभंगा	31734 92775	192.36
11	जिला परिषद, समस्तीपुर	भत्ता, तेरहवें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	4123.26	27.03.12	कोषागार, समस्तीपुर	844800 1090001	4607.76
12	जिला पंचायती राज कार्यालय समस्तीपुर	प्रशिक्षण ग्राम कचहरी	366.53	30.03.12	भारतीय स्टेट बैंक कोर्ट कैम्पस, समस्तीपुर	3017321 2437	530.86
	जिला पंचायत राज कार्यालय, समस्तीपुर	बी.आर.जी. एफ	48.31	31.03.12			
13	जिला परिषद, मुजफ्फरपुर	भत्ता, एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	2835.57	28.03.12	कोषागार, मुजफ्फरपुर	84480010 90001	2967.82

परिशिष्ट 2.26

14	जिला परिषद, मुजफ्फरपुर	तेरहवें वित्त आयोग	135.45	अनुपलब्ध	भारतीय स्टेट बैंक, चन्दवारा	30593495855	155.80
15	जिला परिषद, मुजफ्फरपुर	तेरहवें वित्त आयोग	1224.53	29.03.12	पंजाब नेशनल बैंक पंकज मार्केट, मुजफ्फरपुर	3048000100137461	2271.07
16	जिला पंचायत राज कार्यालय मुजफ्फरपुर	ग्राम कचहरी	171.54	31.03.12	भारतीय स्टेट बैंक रेड क्रॉस, मुजफ्फरपुर	10875807832	182.41
17	जिला परिषद् मधुबनी	नियत भत्ता	221.66	28.03.12	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मधुबनी	100856103000 2807	221.66
18	जिला परिषद् मधुबनी	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	614.79	27.03.12	पंजाब नेशनल बैंक, मधुबनी	25150001209945	614.79
19	जिला परिषद् मधुबनी	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	2122.41	27.03.12	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मधुबनी	100321103000 2876	2122.41
20	जिला परिषद मधुबनी	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	137.39	27.03.12	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मधुबनी	3086574134	144.29
21	जिला परिषद मधुबनी	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	1268.09	28.03.12	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, भौआरा	1003261030004054	1268.09
22	जिला पंचायती राज कार्यालय, मधुबनी	ग्राम कचहरी नियत भत्ता	331.63	29.03.12	भारतीय स्टेट बैंक, मधुबनी	11302435916	382.72
		बी.आर.जी.एफ.	51.09	31.03.12			
23	जिला परिषद, वैशाली	नियत भत्ता	167.93	27.03.12	आई.डी.बी.आई. हाजीपुर	0724104000035121	167.93
24	जिला परिषद, वैशाली	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	1542.60	27.03.12	आई.डी.बी.आई. हाजीपुर	0724104000035477	1543.45
25	जिला परिषद, वैशाली	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	300.50	अनुपलब्ध	यूनियन बैंक, हाजीपुर	50182010258838	300.50
26	जिला परिषद, वैशाली	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	123.68	27.03.12	आई.डी.बी.आई. हाजीपुर	0724104000035510	123.74
27	जिला परिषद, वैशाली	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	38.17	28.03.12	भारतीय स्टेट बैंक, हाजीपुर	11041925438	39.54
28	जिला परिषद, वैशाली	तेरहवें वित्त आयोग	1019.66	28.03.12	एक्सिस बैंक, हाजीपुर	912010002855908	1098.31
	जिला परिषद, वैशाली	तेरहवें वित्त आयोग	6.56	17.03.12			
29	जिला पंचायती राज कार्यालय, वैशाली	ग्राम कचहरी	283.76	30.03.12	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हाजीपुर	2397223464	283.77
योग			**24832.57**				**26917.78**

(स्त्रोतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/सूचनाएँ)

परिशिष्ट 2.27

वर्ष 2011–12 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत राशि कि निकासी तथा व्यय का विवरण

(संदर्भः कंडिका 2.8.6, पृष्ठ 46)

जिला परिषद् को सहायता (2515001960003)

(₹ लाख में)

कम सं0	जिला परिषद का नाम	प्रारंभिक शेष 01.04.11	वित्तीय वर्ष 11–12 के दौरान कुल निकासी	बचत खाता से सूद की राशि	कुल	2011–12 के दौरान व्यय	अवशेष
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7
1	पटना	17.84	231.62	3.19	252.65	57.62	195.03
2	दरभंगा	9.47	253.05	0.00	262.52	0.00	262.52
3	समस्तीपुर	1.66	278.66	0.00	280.32	0.00	280.32
4	मुजफ्फरपुर	31.37	288.05	6.38	325.80	170.00	155.80
योग–(अ)		**60.34**	**1051.38**	**9.57**	**1121.29**	**227.62**	**893.67**

पंचायत समिति को सहायता (2515001970001)

कम सं0	जिला परिषद का नाम	प्रारंभिक शेष 01.04.11	वित्तीय वर्ष 11–12 के दौरान कुल निकासी	बचत खाता से सूद की राशि	कुल	2011–12 के दौरान व्यय	अवशेष
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7
1	पटना	42.82	473.67	1.96	518.45	48.02	470.43
2	दरभंगा	41.39	515.00	0.00	556.39	95.80	460.59
3	समस्तीपुर	52.00	566.97	0.00	618.97	58.05	560.92
4	मुजफ्फरपुर	63.28	608.70	0.00	671.98	96.39	575.59
योग–(ब)		**199.49**	**2164.34**	**1.96**	**2365.79**	**298.26**	**2067.53**

ग्राम पंचायत को सहायता (2515001980001)

कम सं0	जिला परिषद का नाम	प्रारंभिक शेष 01.04.11	वित्तीय वर्ष 11–12 के दौरान कुल निकासी	बचत खाता से सूद की राशि	कुल	2011–12 के दौरान व्यय	अवशेष
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7
1	पटना	495.30	2406.80	24.66	2926.76	510.66	2416.10
2	दरभंगा	711.00	2389.77	0.00	3100.77	902.52	2198.24
3	समस्तीपुर	708.92	2792.73	0.00	3501.65	310.47	3191.19
4	मुजफ्फरपुर	970.26	2827.00	0.00	3797.26	829.41	2967.85
योग (स)		**2885.48**	**10416.30**	**24.66**	**13326.44**	**2553.06**	**10773.38**
महायोग –(अ + ब + स)		**3145.31**	**13632.02**	**36.19**	**16813.52**	**3078.94**	**13734.58**

(स्रोतः संबंधित जिला परिषदों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ें)

परिशिष्ट 3.1

सार आकस्मिक विपत्रों पर निधियों का आहरण लेकिन निष्पादी अभिकरणों द्वारा प्रतिधारण

(संदर्भः कंडिका 3.2.6.4, पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	उद्देश्य	ए0सी0 विपत्र संख्या	राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	के खाते में रही	को स्थिति
1	**नौ अनुमण्डल अस्पतालों का निर्माण**	26/09-10 (200/08-09)	20.38	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	अगस्त 2012
2	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी0एच0सी0) का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) में उन्नयन**	384/10-11	131.33[1]	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	अगस्त 2012
3	100 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी0एच0सी0) का निर्माण	326/10-11	19.93	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	अगस्त 2012
		योग 1	**171.64**			
4	जन नायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण	--	29.51	अवर सचिव, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग	बी.आर.पी.एन.एन.एल.	₹16.01 करोड़ अक्टूबर 2012 को बी0आर0पी0एन एन0एल0 के पास रही
5	जन नायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण	--	10.74	अवर सचिव, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग	बी.एस.बी.सी.एफ.डी.सी.	अक्तूबर 2012
		योग 2	**40.25**			
6	**अण्डज उत्पतिशाला का परामर्श कार्य एवं प्रारूप**	--	2.12	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (सी.आई. एफ.ई.)	जुलाई 2012
7	**गाड़ियों की खरीद**	154/10-11	0.71	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	राज्य वन विकास अभिकरण	अप्रैल 2011
		योग 1+2 + क्रम सं. 6 एवं 7	**214.53**			

[1] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु विपत्र संख्या 384/10–11 (टी0वी0 संख्या पी0बी0वी0–पी0–7 दिनांक 31.03.11) द्वारा सिर्फ ₹ 65.67 करोड़ आहरित किए गए। तथापि, राज्य स्वास्थ्य समिति ने बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को इस राशि को दो बार हस्तांतरित किया।

परिशिष्ट 3.2

सार आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर आहरित निधियों का प्रेषण शीर्ष में अव्ययित पड़े रहना

(संदर्भः कंडिका 3.2.6.6, पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	उद्देश्य	ए0सी0 विपत्र संख्या	राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	हस्तांतरण की तिथि	अव्यवहृत राशि	को स्थिति	अभ्युक्ति
1	अनुसूचित जाति छात्रावास भवन, भभुआ का निर्माण	49/09-10	0.32	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	05.10.2009	0.32	जुलाई 12	प्रमंडल में प्राप्त नहीं
2	अनुसूचित जाति छात्रावास भवन, भभुआ का निर्माण	176/09-10	1.65	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	18.02.2010	1.65	जुलाई 12	भूमि की अनुपलब्धता के कारण
3	अनुसूचित जाति छात्रावास भवन, बेतिया का निर्माण	129/09-10	0.96	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	10.11.2009	0.96	जुलाई 12	-
4	अनुसूचित जाति छात्रावास भवन, बेतिया का निर्माण	122/10-11	1.00	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	21.03.2011	1.00	जुलाई 12	-
5	बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, भागलपुर का निर्माण	2008-09	3.35	अवर सचिव, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग	2008-2009	3.35	जुलाई 12	भूमि की अनुपलब्धता के कारण
		योग	**7.28**			**7.28**		

परिशिष्ट 3.3

विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के नमूना जॉच का परिणाम

(संदर्भः कंडिका 3.2.7.1, पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	उद्देश्य	अवधि	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र की राशि	समर्पित विस्तृत आकस्मिक विपत्र की राशि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र समर्पित करने की तिथि	शेष
1	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	2006-07	201.00	0	--	-
2	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	2007-08	268.00	0	--	-
3	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	2008-09	160.83	0	--	-
4	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	2008-09	107.17	0	--	-
5	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	2009-10	88.42	0	--	-
6	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	2009-10	179.58	0	--	-
7	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	2010-11	66.00	833.26	19.07.2010	-
8	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	2010-11	68.00	130.52	03.09.2010	-
9	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	2010-11	134.00	106.75	15.01.2011	-
10	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	2011-12	88.44	167.09	30.07.2011	-
11	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	2011-12	85.76	132.79	19.09.2011	-
12	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	2011-12	93.80	0	--	-
		योग 1	**1541.00**	**1370.41**		**170.59**
13	मध्याह्न भोजन	2004-05	31.52	20.53	-	10.99
14	मध्याह्न भोजन	2005-06	71.21	70.09	--	1.12
15	मध्याह्न भोजन	2005-06	49.09	31.67	--	17.42
16	मध्याह्न भोजन	2005-06	126.08	85.33	--	40.75
17	मध्याह्न भोजन	2005-06	10.00	4.61	--	5.39
18	मध्याह्न भोजन	2005-06	20.59	4.38	--	16.21
19	मध्याह्न भोजन	2006-07	161.77	69.18	--	92.59
20	मध्याह्न भोजन	2006-07	76.89	73.36	--	3.53
21	मध्याह्न भोजन	2006-07	52.49	42.29	--	10.20
22	मध्याह्न भोजन	2006-07	123.38	106.86	--	16.52
23	मध्याह्न भोजन	2006-07	4.62	2.31	--	2.31
24	मध्याह्न भोजन	2006-07	96.30	96.30	--	0.00
25	मध्याह्न भोजन	2006-07	2.56	2.56	--	0.00
26	मध्याह्न भोजन	2006-07	8.39	6.00	--	2.39
27	मध्याह्न भोजन	2007-08	194.00	178.96	--	15.04
28	मध्याह्न भोजन	2007-08	208.53	208.53	--	0.00
29	मध्याह्न भोजन	2007-08	74.65	42.84	--	31.81
30	मध्याह्न भोजन	2007-08	48.32	29.03	--	19.29
31	मध्याह्न भोजन	2007-08	8.52	3.15	--	5.37
32	मध्याह्न भोजन	2007-08	8.26	5.13	--	3.13
33	मध्याह्न भोजन	2007-08	90.35	23.78	--	66.57
34	मध्याह्न भोजन	2007-08	9.49	7.69	--	1.80
35	मध्याह्न भोजन	2007-08	13.51	3.44	--	10.07
36	मध्याह्न भोजन	2008-09	16.17	16.17	--	0.00
37	मध्याह्न भोजन	2008-09	1.08	0	--	1.08
38	मध्याह्न भोजन	2008-09	51.85	51.85	--	0.00
39	मध्याह्न भोजन	2008-09	89.49	89.49	--	0.00
40	मध्याह्न भोजन	2008-09	1.68	0	--	1.68
41	मध्याह्न भोजन	2008-09	40.94	37.28	--	3.66
42	मध्याह्न भोजन	2008-09	72.64	72.64	--	0.00
43	मध्याह्न भोजन	2008-09	58.51	58.51	--	0.00
44	मध्याह्न भोजन	2008-09	4.43	3.25	--	1.18
45	मध्याह्न भोजन	2008-09	5.20	5.20	--	0.00
46	मध्याह्न भोजन	2008-09	10.10	4.15	--	5.95
47	मध्याह्न भोजन	2008-09	4.43	3.82	--	0.61

परिशिष्ट 3.3

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	उद्देश्य	अवधि	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र की राशि	समर्पित विस्तृत आकस्मिक विपत्र की राशि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र समर्पित करने की तिथि	शेष
48	मध्याह्न भोजन	2008-09	186.47	113.91	--	72.56
49	मध्याह्न भोजन	2008-09	2.39	0.49	--	1.90
50	मध्याह्न भोजन	2008-09	4.16	0.23	--	3.93
51	मध्याह्न भोजन	2008-09	1.43	0.60	--	0.83
52	मध्याह्न भोजन	2008-09	2.28	2.28	--	0.00
53	मध्याह्न भोजन	2009-10	108.84	108.84	--	0.00
54	मध्याह्न भोजन	2009-10	128.31	128.31	--	0.00
55	मध्याह्न भोजन	2009-10	5.35	5.35	--	0.00
56	मध्याह्न भोजन	2009-10	2.76	2.76	--	0.00
57	मध्याह्न भोजन	2009-10	1.66	1.66	--	0.00
58	मध्याह्न भोजन	2009-10	16.11	16.11	--	0.00
59	मध्याह्न भोजन	2009-10	9.43	9.43	--	0.00
60	मध्याह्न भोजन	2009-10	27.66	5.32	--	22.34
61	मध्याह्न भोजन	2010-11	184.27	45.00	--	139.27
62	मध्याह्न भोजन	2010-11	51.85	0.13	--	51.72
63	जिला कोषागार	2010-11	102.04	18.59	--	83.45
64	परिवहन	2010-11	10.00	0.00	--	10.00
		योग 2	**2692.05**	**1919.39**		**772.66**
65	महानिरीक्षक (प्रोविजन)	2009-12	**700.10**	**4.99**	-	**695.11**
66	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन	2008-09	118.00	118.00[2]	25.05.2012	0.00
67	स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण	2008-09	30.91	30.91[3]	25.05.2012	0.00
68	अनुमंडल अस्पताल का निर्माण	2008-09	20.38	20.38[4]	25.05.2012	0.00
		योग 3	**169.29**	**169.29**		**0.00**
		योग 1+2+3+ क्रम सं. 65	**5102.44**	**3464.08**		**1638.36**

[2] 31 मार्च 2012 को ₹ 118 करोड़ की पूरी राशि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के बैंक खातों में पड़ी थी।

[3] 31 मार्च 2012 को ₹ 30.91 करोड़ की पूरी राशि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के बैंक खातों में पड़ी थी।

[4] 31 मार्च 2012 को ₹ 20.38 करोड़ की पूरी राशि बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के बैंक खातों में पड़ी थी।

परिशिष्ट 3.4

सार आकस्मिक विपत्र पर आहरित राशि का बिना उपयोग वापसी

(संदर्भः कंडिका 3.2.8, पृष्ठ 60)

क्रम संख्या	उद्देश्य	आहरण की अवधि	आहरित राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	कब वापस की गई	राशि	वापसी में विलंब
1	मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	2005-10	30.00	उप विकास आयुक्त (डी0डी0सी0) पूर्वी चम्पारण	जून 2012	4.92	3से 7 वर्ष
2	मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	2005-09	30.00	उप विकास आयुक्त, बक्सर	जुलाई 2012	2.36	3 से 7 वर्ष
3	मध्याह्न भोजन	2004-11	2692.05	उपलब्ध नहीं	जून 2011	462.78	2 माह से6 वर्ष
4	निर्माण	2007-08	199.20	अरौनिक शल्य चिकित्सक	मार्च 2012	100.00	4 वर्ष
5	एकीकृत बाल विकास योजना	2003-10	52.68	लेखा अधिकारी आई0सी0डी0एस0	जुलाई 2012	10.60	2 से 8 वर्ष
		उप–योग 1	**3003.93**			**580.66**	
6	प्रखण्ड कार्यालयों का निर्माण	2007-09	5.11	उप विकास आयुक्त, पटना	अगस्त 2011	5.11	2 से 4 वर्ष
7	राज्य रोग सहायता निधि	2009-10	10.00	अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सितंबर 2010	10.00	5महीने
8	आवासीय विद्यालय के लिए भवन का निर्माण	2011-12	35.00	अवर सचिव, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	जुलाई 2012	35.00	3 महीने
9	शिक्षा	2006-07	1.00	अवर सचिव, शिक्षा विभाग	मार्च 2010	1.00	3 वर्ष
		उप –योग 2	**51.11**			**51.11**	
		महायोग 1+2	**3055.04**			**631.77**	

परिशिष्ट 3.5

सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधि सरकारी खातों से बाहर रखा जाना

(संदर्भः कंडिका 3.2.9, पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	उद्देश्य	आहरित राशि	आहरण की अवधि	विभाग का नाम	रखी गई राशि	के साथ राशि रखी गई
1	स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण	171.64[5]	2009-11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	171.64	बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
2	जन नायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण	29.51	2008-12	पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	16.01	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम
3	जन नायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण	10.74	2010-11	पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	10.74	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
4	मुख्यमंत्री योग्यता छात्रवृत्ति	108.94	2009-12	पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग	17.32	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
	योग 1	**320.83**			**215.71**	
5	ई–किसान भवन का निर्माण	2.86	2010-11	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	1.52	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा
6	ई–किसान भवन का निर्माण	2.44	2010-11	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	0.22	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर
7	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	250.70	2006-12	जिला कार्यक्रम कार्यालय	48.88	जिला कार्यक्रम कार्यालय
					5.05	कार्यान्वित करने वाले प्राधिकारी/अभिकरण
	योग 2	**256.00**			**55.67**	
	योग 1+2	**576.83**		**योग**	**271.38**	

[5] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु विपत्र संख्या 384/10–11 (टी0वी0 संख्या पी0बी0बी0–पी0–7 दिनांक 31.03.11) द्वारा सिर्फ ₹ 65.67 करोड़ आहरित किए गए। तथापि, राज्य स्वास्थ्य समिति ने बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम निमिटेड, पटना को इस राशि को दो बार हस्तांतरित किया।

परिशिष्ट 3.6

सहायता अनुदान पर निधि का आहरण लेकिन कार्यान्वयन अभिकरणों के पास प्रतिधारित

(संदर्भः कंडिका 3.2.10.3, पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	उद्देश्य	सहायता अनुदान विपत्र संख्या	राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	किसके खाते में पड़ी रही	कि स्थिति
1	09 अनुमण्डल अस्पतालों का निर्माण	345/10-11	26.45	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन	137/09-10	60.67	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
3	14 अनुमण्डल अस्पतालों एवं परिचारिकाओं के आवास का निर्माण	376/11-12	19.03	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
4	14 अनुमण्डल अस्पतालों एवं परिचारिकाओं के आवास का निर्माण	375/11-12	3.14	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
5	14 अनुमण्डल अस्पतालों एवं परिचारिकाओं के आवास का निर्माण	110658315 दिनांक 21.03.12	0.22	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
6	14 अनुमण्डल अरपतालों एवं परिचारिकाओं के आवास का निर्माण	373/11-12	12.00	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
7	14 अनुमण्डल अस्पतालों एवं परिचारिकाओं के आवास का निर्माण	377/11-12	3.72	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
8	14 अनुमण्डल अस्पतालों एवं परिचारिकाओं के आवास का निर्माण	378/11-12	2.62	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
9	25 जिलों में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी0पी0एम0) के भवन का निर्माण	371/11-12	22.31	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
10	25 जिलों में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी0पी0एम0) के भवन का निर्माण	339/11-12	7.44	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
11	15 जिलों में औषधि भण्डार का निर्माण	369/11-12	5.32	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
12	15 जिलों की औषधि भण्डार का निर्माण	370/11-12	1.77	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
13	रेफरल अस्पताल कटोरिया का नवीयन	110441950 दिनांक 07.02.12	0.09	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
14	रेफरल अस्पताल, जेल, दरभंगा	110576645 दिनांक 21.03.12	0.29	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
15	सदर अस्पताल, खगड़िया	110656408 दिनांक 21.03.12	0.23	अवर सचिव, स्वास्थ्य	बी.एम.एस.आई.सी.	08/2012
		योग	**165.30**			

परिशिष्ट 3.7

सहायता अनुदान पर निधि का आहरण लेकिन कार्यान्वयन अभिकरणों के पास प्रतिधारित

(संदर्भः कंडिका 3.2.10.3, पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	किस कार्यालय के अभिलेखों की जाँच हुई	सहायता अनुदान में प्राप्त राशि	अवधि	उपयोगिता प्रमाण–पत्र निम्न राशि के लिए जमा	कब जाँची गई	अभ्युक्ति
1	बिहार शहरी विकास प्राधिकरण, यू0डी0 एवं एच0डी0 तथा बी0यू0आई0 डी0सी0ओ0	123.99	2009-10	0	जून से अगस्त 2012	प्रारंभ में राशि को डी0डी0, यू0पी0 ई0डी0, यू0डी0 एवं एच0डी0 द्वारा आहरित की गई जिसे कि बिहार शहरी विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया। बिहार शहरी विकास प्राधिकरण ने ₹ 2.29 करोड़ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, आकस्मिकता के लिए रखा तथा शेष राशि (₹ 121.70 करोड़) को 23 महीने बाद बी0यू0आई0डी0सी0ओ0 को हस्तांतरित कर दिया। बी0यू0आई0 डी0सी0ओ0 मात्र ₹ 7.05 करोड़ व्यय कर सकी तथा ₹114.65 करोड़ की अव्ययित राशि इसके बैंक खाते में पड़ी रही (मार्च 2012)।
2	शिक्षा विभाग तथा बी.एस. ई.आई.डी.सी.	158.55	2009-10	0	जून से अगस्त 2012	बी0एस0ई0आई0डी0सी0 मात्र ₹ 0.26 करोड़ व्यय कर सकी और ₹ 0.02 लाख Centage Charges के रूप में रखा। शेष राशि (₹ 158.27 करोड़) अव्यवहृत रही (अगस्त 2012)।
3	शिक्षा विभाग तथा बी.एस. ई.आई.डी.सी.	41.67	2010-11	0	जून से अगस्त 2012	बी0एस0ई0आइ0डी0सी0 मात्र ₹ 5.67 करोड़ ही खर्च कर सकी तथा ₹ 36 करोड़ की शेष राशि अव्यवहृत रही (मार्च 2012)।
	योग	**324.21**		**0**		

टिप्पणी: 1. बी0यू0आई0डी0सी0 निर्दिष्ट करता है बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास लिगम, लिमिटेड, 2 बी0यू0डी0ए0 निर्दिष्ट करता है बिहार शहरी विकास प्राधिकरण, 3 बी0एस0ई0आइ0डी0सी0 निर्दिष्ट करता है बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, 4. यू0पी0ई0डी0 निर्दिष्ट करता है शहरी गरीबी उन्मूलन निदेशालय, 5. यू0डी0 व एच0डी0 निर्दिष्ट करता है शहरी विकास एवं भवन निर्माण विभाग

परिशिष्ट 3.8

प्रमाणीकरण हेतु संबंधित प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुती में विलंब

(संदर्भः कंडिका 3.3, पृष्ठ 63)

क्रम सं.	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक लेखा प्रस्तुत किये गए	लेखा प्राप्ति की तिथि	जिस अवधि तक पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने की तिथि	विधान मंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखना	लेखाओं की प्रस्तुति में विलंब	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2003-04 से 2009-10	2007-08	15-07-09	1989-90 से 1998-99	30 मई 08	स्थापन की सूचना प्राप्त नहीं हुई	एक वर्ष 15 दिन	वर्ष 2008 एवं 09 से वर्ष 2011-12 के लेखाओं की प्रतीक्षा है
					99-2000 से 2001-02	28 अप्रैल 09			
					2002-03	14 मई 10			
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2004-05 से आगे	2006-07	09-07-09	1994-95 से 1998-99	31 दिसंबर 08	स्थापन की सूचना प्राप्त नहीं हुई	2 वर्ष तथा 9 दिन	वर्ष 2007 एवं 8 से वर्ष 2011-12 के लेखाओं की प्रतीक्षा है
					99-2000 से 2002-03	20 नवंबर 09			
					2003-04	13 मई 10			
3	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2011-12	17 -08-12	2010-11	30 नवम्बर 11	स्थापन की सूचना प्राप्त नहीं हुई	1 माह तथा 17 दिन	-
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	2010-11	2010-11	30-03-12	2008-09	23 सितंबर 11	वर्ष 1971–72 से वर्ष 2006–07 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में स्थापन हेतु राज्य सरकार को भेजे गये परन्तु कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई	8 माह तथा30 दिन	-

(स्त्रोतः–केन्द्रीय प्रक्षेत्र के सूचना के अनुसार)

परिशिष्ट 3.9

वर्ष 2011–12 के दौरान गबन, दुर्विनियोजन, चोरी, कपटपूर्ण तथा आधिक्य भुगतान के मामलों का विवरण

(संदर्भः कंडिका 3.4, पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	गबन, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, कपटपूर्ण तथा आधिक्य भुगतान	
		संख्या	राशि
1	शिक्षा	04	1.50
2	ऊर्जा	02	0.05
3	पंचायती राज	01	0.21
4	निबंधन, उत्पाद शुल्क एवं मद्य निषेध	02	0.56
5	ग्रामीण विकास	03	0.12
6	ग्रामीण कार्य	02	0.54
7	शहरी विकास एवं आवास	03	0.60
योग		**17**	**3.58**

(स्त्रोत : लेखा परीक्षा निष्कर्ष)

परिशिष्ट 3.10

वर्ष 2011–12 के दौरान गबन, दुर्विनियोजन, चोरी, कपटपूर्ण तथा अधिक्य व्यय के मामलों का विवरण

(संदर्भः कंडिका 3.4, पृष्ठ 63)

(₹ लाख में)

क्रम सं0	विभाग / इकाई	संक्षिप्त विवरण	संबंधित अवधि	प्रकृति	आई.आर. सं. / मेमो सं. तथा वर्ष	कंडिका सं.	आपत्ति की राशि
1	पंचायती राज / (जिला परिषद् मधुबनी)	एम0आर0 के जरिये राशि ली गयी परन्तु जिला परिषद् के खाते में जमा नहीं	2009-10	गबन	215/2011-12	19	21.35
2	शहरी विकास तथा आवास (नगर परिषद्, जहानाबाद)	रोकड़िया ने राशि को नगर निगम निधि में जमा करने के बजाय इसे रोके रखा	2008-09 से 2009-10	दुर्विनि-योजन	742/2010-11	15	20.07
3	शहरी विकास तथा आवास (नगर परिषद्, छपरा)	रोकड़िया ने राशि का गबन किया	2009-10	गबन	214/2011-12	16	10.17
4	शहरी विकास तथा आवास (नगर परिषद्, गोपालगंज)	लेखाकार–सह–रोकडिया ने नगर निगम निधि में जमा अथवा अल्प जमा नहीं किया	2008-09 तथा 2009-10	गबन	184/2011-12	13	30.00
5	निबंधन, उत्पाद शुल्क तथा मद्य–निषेध (अधीक्षक उत्पाद शुल्क,मुजफ्फरपुर)	सरकारी धन का गबन	2010-11	गबन	1/2012-13	2 (अ)	41.29[6]
6	निबंधन, उत्पाद शुल्क तथा मद्य निषेध (सहायक आयुक्त, उत्पाद शुल्क, पटना)	सरकारी धन का गबन	2010-11	गबन	61/2011-12	3 (अ)	14.67
7	ग्रामीण कार्य (रोसड़ा डिवीजन)	कपटपूर्ण उपाय तथा ईंटों को अप्राधिकृत रूप से हटाना	2010-11	गबन	19/2012-13	1	22.84
8	ग्रामीण कार्य (रोसड़ा डिवीजन)	कपटपूर्ण उपाय तथा ईंटों को अप्राधिकृत रूप से हटाना	2010-11	चोरी	19/2012-13	1	31.09
9	ऊर्जा (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, भागलपुर)	रोकड़ बही के प्राप्ति में कम योग करना	2011-12	गबन	97/28.08.12		4.51
10	ऊर्जा (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, हाजीपुर)	मनी रसीद से कम राशि दैनिक रोकड़ प्रतिवेदन एवं रोकड़ पंजी में लिया जाना	2011-12	गबन	97/28.08.12		0.06

[6] ₹ 41.29 लाख कोषागार चालान से जमा किया गया

परिशिष्ट 3.10

(₹ लाख में)

क्रम सं0	विभाग / इकाई	संक्षिप्त विवरण	संबंधित अवधि	प्रकृति	आई.आर. सं. / मेमो सं. तथा वर्ष	कंडिका सं.	आपत्ति की राशि
11	शिक्षा (डी0एस0ई0, जहानाबाद)	कुछ श्रमिकों को एक समय पर एक / विभिन्न जगहों पर कार्यरत दर्शाया गया	2008-09	कपटपूर्ण भुगतान	कास–1 - 40 से 42/ 25.04.12		0.06
12	शिक्षा (डी0एस0ई0, समस्तीपुर)	मिड डे मील के अंतर्गत रसोईया को दुगुना भुगतान	2007	आधिक्य दुगुना भुगतान	कास–1 – 300 से 302/ 30.07.12		0.02
13	ग्रामीण विकास / डी. आर.डी.ए., मोतिहारी	राशि बैंक से विकलित (डेबिट) की गयी पर रोकड़ बही में दर्ज नहीं	2008	संदिग्ध गबन	कास–1 – 720 से 723/ 05.10.12		1.00
14	ग्रामीण विकास डी.आर.डी.ए., किशनगंज	राशि बैंक से विकलित (डेबिट) की गयी पर रोकड़ बही में दर्ज नहीं	2010-11	संदिग्ध गबन	कास–1 – 724 से 727/ 05.10.12		11.05
15	ग्रामीण विकास, डी0आर0डी0ए, दरभंगा	समान चेक सं0 द्वारा बिल में दो बार समायोजन दर्शाना		आधिक्य समायोजन	कास–1 – 728 से 731/ 05.10.12		0.19
16	शिक्षा / डी.एस.ई., गोपालगंज	वाउचरों की उपलब्धता जाने बिना महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा समायोजन दर्शाना	2010	आधिक्य समायोजन	कास–1 – 708 से 713/ 05.10.12		39.27
17	शिक्षा / डी.एस.ई., रोहतास	वाउचरों की उपलब्धता जाने बिना महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा समायोजन दर्शाना	...	आधिक्य समायोजन	कास–1 – 714 से 719/ 05.10.12		111.09
योग							**358.73**

(स्त्रोत : लेखा परीक्षा निष्कर्ष)

परिशिष्ट 3.11

लघु शीर्ष–800 'अन्य व्यय' के परिचालन में वृहत् व्यय (₹ 10 करोड़ तथा अधिक)

(संदर्भः कंडिका 3.5, पृष्ठ 64)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष–800 के अंतर्गत व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता
1	2041	वाहन कर	22.31	15.85	71.04
2	2217	शहरी विकास	5,72.33	2,47.94	43.32
3	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	2,23.56	2,23.38	99.92
4	2401	फसल कृषि-कर्म	13,06.91	4,22.29	32.31
5	2405	मत्स्य पालन	39.09	19.35	49.50
6	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	97.11	50.58	52.09
7	4700	वृहत् सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	6,17.61	4,54.60	73.61
8	4801	विद्युत् परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	102.37	102.37	100.00
9	4859	दूर-संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	45.34	45.34	100.00
10	4885	उद्योग एवं खनिज पर पूँजीगत परिव्यय	17.93	17.93	100.00
11	5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	23.79	23.94	100.63#
योग			**3068.35**	**1623.57**	

(#) इनमें ₹ 0.15 करोड़ तक की लेखा वसूली शामिल है फलतः इसकी प्रतिशतता 100 से अधिक है।
(स्रोतः–कार्यालयः महालेखाकार (लेखा एवं हक0), बिहार, पटना से प्राप्त सूचना के आधार पर)

परिशिष्ट 3.12

लघु शीर्ष–800 'अन्य प्राप्तियाँ' के परिचालन में वृहत् प्राप्ति (₹ 10 करोड़ तथा अधिक)

(संदर्भः कंडिका 3.5, पृष्ठ 64)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रतिशतता
1	0029	भू–राजस्व	167.49	69.80	41.67
2	0059	लोक निर्माण	10.06	10.03	99.70
3	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	23.91	10.71	44.79
4	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	29.85	27.19	91.09
5	1054	सड़क एवं पुल	60.35	60.78	100.71#
		योग	**291.66**	**178.51**	

इसमें ₹ 0.43 करोड़ तक के राजस्व की वापसी शामिल है फलतः इसकी प्रतिशतता 100 से अधिक है।

(स्त्रोतः –कार्यालयः महालेखाकार (लेखा एवं हक0), बिहार, पटना से प्राप्त सूचना के आधार पर)